दशम माला, खंड 6, अंक 10

बुधवार, 4 दिसम्बर, 1991
13 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

दशम माला, खण्ड-6, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 10, बुधवार, 4 दिसम्बर, 1991/13 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
के मौखिक उत्तर :	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 182 से 186	
के लिखित उत्तर :	26—313
तारांकित प्रश्न संख्या : 187 से 198, 200 और 201	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2049 से 2110, 2112 से 2178 और 2180 से 2287	
पटल पर रखे गए पत्र	313
ालों का प्रस्तुतीकरण	312—313
स्थानीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	313—320
राजधानी में आंगनवाड़ियों के माध्यम से शिशुओं को दिए जाने वाले आहार, जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है, की आपूर्ति में करोड़ों रुपये के घोटाले का समाचार	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	313—319
कुमारी ममता बनर्जी	319—320
377 के अधीन मामले	320—324
(एक) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबा स्मेलटिंग प्लांट स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विश्वेश्वर भगत	320—321
(दो) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के कालीकट बाईपास मार्ग के निर्माण के दूसरे चरण के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री के० मुरलीधरण	321

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित विशेषकर मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए पर्याप्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अंकुश राव टोपे	321
(चार) मुम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों में अत्यधिक भीड़-भाड़ से उत्पन्न हुई समस्याओं की जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नाईक	322
(पांच) बिहार में बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने तथा राज्य को और अधिक बिजली उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री छेदी पासवान	322—323
(छः) महंगाई भत्ते की अगली किस्तें बन्द करने आदि सरकार के प्रस्तावित वित्तीय उपायों की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री अजय मुखोपाध्याय	32
(सात) हरियाणा में रोजगार के अवसर जुटाने की आवश्यकता	
श्री जंगबीर सिंह	3
(आठ) बंगलादेश को तीन बीघा का हस्तांतरण करने सम्बन्धी निर्णय की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता	
श्री अन्ना जोशी	323—324
फग्म औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक	324—346
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	325—331
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	345—346
श्री निर्मल कांति चटर्जी	331—333
श्रीमती गीता मुखर्जी	333
श्री ई० अहमद	334—335
श्री भोगेन्द्र झा	335—336
श्री के० पी० रेड्डय्या	336
श्री जार्ज फर्नान्डीज	336—338

विषय	पृष्ठ
भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक	346—355
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	346—347
श्री गुमानमल लोढा	347—351
श्री शरद दिघे	351—353
श्रीमती गिरिजा देवी	353—354
श्री सैयद मसूदल हुसैन	354—355
श्री विजय एन० पाटिल	355
कार्य मंत्रणा समिति	356—357
नौवां प्रतिवेदन	
नियम 193 के अधीन चर्चा	357—381
बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति	
श्री के० वी० तंकावालू	357—364
प्रो० रासा सिंह रावत	364—366
श्री मणि शंकर अय्यर	366—368
श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या	368
श्री पी० जी० नारायणन	368—369
प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेश्वरलु	369—372
श्री एच० डी० देवगौड़ा	372—376
प्रो० के० वेंकटगिरि गौड	376—377
श्री सूर्य नारायण यादव	377—378
श्री गोपी नाथ गजपति	378—379
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	379—380
श्री दत्तात्रेय बंडारु	380—381

लोक-सभा

बुधवार, 4 दिसम्बर, 1991/13 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पश्चिम बंगाल की परियोजनायें

[अनुवाद]

*182. श्री अमर रायप्रधान : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में मदद करने हेतु उन्हें शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. हल्दिया में आई० ओ० सी० रिफाइनरी का विस्तार

पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर रिफाइनरी के क्षमता विस्तार की सम्भावनाओं का पुनः पता लगाने के लिए इंजीनियर्स इण्डिया के विशेषज्ञों के एक दल को नियोजित किया गया था। दल ने रिपोर्ट दी है कि तकनीकी आर्थिक समस्याओं के कारण रिफाइनरी का विस्तार करना सम्भव नहीं है। तथापि रिवैम्प लूब आयल ब्लाक की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे लूबो का उत्पादन 1,62,000 टन प्रति वर्ष से बढ़कर 2,22,000 टन प्रति वर्ष तक हो जायेगा। इस कार्य को तथा कर लिया जाएगी।

2. हल्दिया उर्वरक परियोजना

यांत्रिक रूप से परियोजना को वर्ष 1979 में ही पूरा कर लिया गया था किन्तु उपकरणों में असंगतता तथा गलत डिजाइन के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका। सफलता की कोई आशा न होने के बावजूद भी नये 600 टी०पी०डी० डी०ए०पी० संयंत्र की स्थापना सहित मौजूदा आधारभूत संरचना को उपयोग में लाने की विभिन्न सम्भावनाओं की जांच की गयी। परियोजना के भविष्य के बारे में निर्णय इस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व ले लिया जाएगा।

3. भारतीय लौह तथा इस्पात कम्पनी का आधुनिकीकरण

भारतीय इस्पात प्राधिकर लि० ने 6500 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण का एक प्रस्ताव रखा है जिसे परियोजना निवेश बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शीघ्र मंजूरी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

4. मिश्रधातु इस्पात संयंत्र दुर्गापुर में हाट रालिंग सुविधायें

सलेम में हाट रालिंग सुविधाओं के निर्णय को ध्यान में रखते हुए दुर्गापुर में हाट रालिंग सुविधायें मुहैया कराने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

5. डब्ल्यू० ई० बी०ई०एल०—आई० टी० सी० इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग उपकरणों के उत्पादन के लिये संयुक्त क्षेत्रक परियोजना

24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत दूर-संचार उपकरणों के लिए लाइसेंस की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार इसे राज्य क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्रक परियोजना के रूप में शुरू कर सकती है।

6. हल्दिया पत्तन परिसर में अयस्क हैंडलिंग संयंत्र तथा कोयला हैंडलिंग संयंत्र में अतिरिक्त क्षमता की स्थापना

अयस्क तथा कोयला हैंडलिंग संयंत्रों के परिशोधन के लिए एक स्कीम पूरी होने को है। इससे पत्तन की आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति हो जाएगी।

7. व्यापक स्केल पर कलकत्ता बंदरगाह तथा हल्दिया बंदरगाह क्षेत्रों की ड्रेजिंग

इसका बड़ा हिस्सा पहले ही पूरा किया जा चुका है। हुगली मुहाने की नौगम्यता में सुधार करने की एक स्कीम लगभग पूर्ण होने को है। बलारीबार तथा समीपस्थ जिगर खाली फ्लैट में सिल्टेशन की समस्या को कम करने की एक अन्य स्कीम मार्च, 1991 में शुरू की गई है। ठेकेदार से विवाद होने के कारण इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। जिसको शीघ्र हल कर लिया जाएगा।

8. मुर्शिदाबाद में गंगा के कटाव-निरोधी उपायों का वित्तपोषण

केन्द्र सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत इसके आंशिक वित्त पोषण के लिए विचार किया जा सके। तथापि इस परियोजना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए विशेष केन्द्रीय सहायता की सम्भावनाओं को खोजा जाएगा।

9. रेलवे परियोजना

(1) बजट आवंटन

वर्ष 1991-92 के लिए पश्चिमी बंगाल में रेलवे परियोजनाओं के लिए कुल 205 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं। जो रेलवे के कुल परिव्यय के एक महत्वपूर्ण प्रतिशत का द्योतक है।

(2) खड़गपुर में रेलवे यांत्रिकी कार्यशाला का आधुनिकीकरण

आधुनिकीकरण का प्रथम चरण 1986 में पूरा किया गया। आधुनिकीकरण का द्वितीय चरण जारी है तथा 1992-93 तक पूरा कर लिया जायेगा।

10. उत्तरी बंगाल में केन्द्रीय बागवानी अनुसंधान स्टेशन की स्थापना

केन्द्र के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

11. मिदनापुर जिले में सालबानी में केन्द्रीय बकरी (गोट) अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

ऐसे केन्द्र के लिए उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का है। पश्चिमी बंगाल के कृषि वि० वि० से एक प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जांच किए जाने हेतु भेजने का अनुरोध किया गया है।

12. नादिया जिले में हरिणघाटा में केन्द्रीय मवेशी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

केन्द्र सरकार और कोई अन्य मवेशी केन्द्र खोलने की इच्छुक नहीं है तथा राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप फार्मों की स्थापना कराने की इच्छुक है। इसके आंशिक वित्त पोषण हेतु किसी मौजूदा केन्द्रीय क्षेत्रक/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है।

13. मिदनापुर में सालबोनी में सिक्युरिटी प्रेस की स्थापना

यह पहले ही कार्यान्वित की जा रही है। इस समय निविदाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। सम्पूर्ण परियोजना 1995 तक पूर्ण करने के लिए नियत है।

14. बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के लाभ के लिये बहुद्देशीय सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना की मंजूरी तथा वित्तपोषण

पर्यावरण एवं मंत्रालय ने कुछ आपत्तियां उठायी हैं जिन्हें उड़ीसा तथा बिहार सरकारों द्वारा अभी संतोषजनक रूप से स्पष्ट करना है। केन्द्र इन सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए है।

15. उत्तरी बंगाल में बहुद्देशीय तीस्ता बांध परियोजना के वित्तपोषण हेतु केन्द्रीय हिस्से को देना

मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत, केन्द्रीय सहायता सिंचाई परियोजनाओं के लिए नहीं दी जाती है क्योंकि सिंचाई एक राज्य-विषय है।

16. द्वितीय हुगली नदी पुल के लिए संशोधित अनुमानों का वित्त पोषण

संसाधनों के दबाव के कारण केन्द्रीय ऋण सहायता को 230 करोड़ रु० से 362 करोड़ रु० तक बढ़ाने में केन्द्र सरकार को कठिनाई होगी। लेकिन चूंकि पुल लगभग पूर्ण होने वाला है, इसलिए मामले पर इस अति विलम्बित परियोजना को पुर्ण करने की दृष्टि से विशेष मामले के रूप में विचार किया जा रहा है।

17. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए केन्द्रीय सड़क कोष से आवंटन

आवंटन नहीं किया जा सका क्योंकि संसाधन दबावों के कारण इस वर्ष केन्द्रीय सड़क कोष को बढ़ाना सम्भव नहीं है।

18. शहरीकरण से सम्बन्धित राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार कलकत्ता शहर के लिए निधियां जारी करना

नीतिगत रूप में, भारत सरकार मुख्य महानगरों के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है।

19. कलकत्ता के त्रिसताब्दी समारोह के अंग के रूप में कलकत्ता में अकादमी का रवीन्द्र सदन एक संयुक्त उद्यम सिनेमा हाल के निर्माण के लिए निधियां देना

केन्द्र सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत कलाओं के सम्प्रसार के निर्माण के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जा सके।

सिनेमा हाल, के सम्बन्ध में एन० एफ० डी० सी० सहगत का 50 प्रतिशत तक अंशदान देने में सहमत है। कोई अन्य अतिरिक्त अंशदान देना एन० एफ० डी० सी० के लिए सम्भव नहीं होगा।

20. असम से विस्थापित लोगों सहित शरणार्थियों के विस्थापनकाल तथा अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए वित्तपोषण

(क) शरणार्थी पुनर्वास के लिए अन्तरित क्षेत्र : केन्द्रीय निगरानी समिति ने यह सिफारिश की है कि अधिकतम सीलिंग प्रति परिवार 300 वर्ग गज से बढ़ाकर 400 वर्ग गज किया जाए।

राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किया गया है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किया गया है कि सिलिंग 800 वर्ग गज तक बढ़ाना सम्भव नहीं है।

(ख) शरणार्थी पुनर्वास समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन : असम सरकार आशा करती है कि इस समय तक विस्थापितों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा में मिल जाना चाहिए और सामान्य क्षेत्र विकास स्कीमों से आगे के लिए सहायता मिलनी चाहिए।

(ग) डी० पी० कालोनियों का विकास : इस स्कीम के अन्तर्गत डी० पी० कालोनियों के विकास के लिए स्कीम के चरण-1 तथा चरण-2 के लिए पहले ही 9.37 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। स्कीम का चरण-3 इस समय विचारार्थ है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

21. विद्युत परियोजनाएं

(i) बक्रेश्वर क्षेत्र पर परियोजना : यह एक सोवियत सहायता प्राप्त परियोजना है। सोवियत रूस में हाल में ही हुई घटनाओं से परियोजना प्रभावित हुई है। सोवियत पक्ष भी अपनी पिछली वचनबद्धता से मुकर रहा है। सोवियत ऋण के अन्तर्गत अनुमोदित उपकरणों का मूल्य आज केवल 146 मिलियन रूबल है, जबकि 1987 के अन्तः सरकार के करार के अन्तर्गत उपलब्ध ऋण 370 मिलियन रूबल है। डब्ल्यू० बी० पी० डी० सी० एल० जोकि टी० एच० डब्ल्यू० पश्चिम बंगाल की एजेंसी है, जिसने परियोजना का निष्पादन करना है सोवियत एजेंसियों के कार्य से नाखुश है और परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त विकल्प की खोज करने का प्रयास करेगा। फिर भी, भारत और रूस के द्विपक्षीय सम्बन्धों के निर्णय को ध्यान में रखना होगा। इस बीच, भारत के राजदूत ने रूस के प्रधान-मंत्री के साथ अनुवर्ती कार्य सहित सब देने तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मामले को उठाया है।

(ii) सगरमथावी पवन-पावर परियोजना : पश्चिम बंगाल के प्राधिकारी 1000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना उपादेयता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सहमत थे और सगरमथा कोल लिंकेज प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। फिर भी, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यू०बी०पी०डी०सी०) द्वारा 4 × 500 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति से सी० ई० ए० द्वारा रिपोर्ट की जांच में विलम्ब हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार का विचार है कि रिपोर्ट का सी० ई० ए० द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन 2 × 500 मेगावाट के प्रत्येक चरण को दो जिलों में प्रारम्भ कर सकना सम्भव नहीं है क्योंकि अपेक्षित ब्यौरे, जिसमें लागत अनुमान

सहित संयुक्त परियोजना 4 × 500 मेगावाट के लिए है। राज्य अधिकरणों ने भी परियोजना को निजी क्षेत्र के कार्यान्वित किए जाने के लिए अपने विकल्प दिए थे। मामला निर्णय के लिए राज्य सरकार के पास लम्बित है। 1996 मेगावाट परियोजना रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करने के लिए सी० ई० ए० ने भी 22 जुलाई, 1991 को डब्ल्यू० बी० पी० डी० सी० एल० को स्मरण कराया है।

(III) बज बज थर्मल पावर परियोजना : सिद्धान्त रूप से मै० कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन (सी० ई० एस० ई०) द्वारा जनवरी 1991 में 2 × 250 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए सी० ई० ए० की अनुमति दी जा चुकी है। परियोजना की नवीनतम लागत 1,606 करोड़ रु० है। पर्यावरण और वन मन्त्रालय ने उन्नत पुनर्वास योजना की शर्त पर अनुमति प्रदान की है। फिर भी, इसे सी० ई० एस० सी० द्वारा पर्यावरण व वन मन्त्रालय को अग्रसृत किया गया है। फलतः अभी तक लैंडयूज पैटर्न के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विचारों की प्रतीक्षा है। विद्युत मन्त्रालय ने अपनी मंजूरी दे दी है।

22. हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना

डाउन स्ट्रीम यूनिटों सहित 300,000 टी० पी० ए० इथाइलीन क्षमता का नाफथा क्रैकर की स्थापना के लिए अगस्त, 1990 में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यू० बी० आई० डी० सी०) को आशय पत्र जारी किया गया है। राज्य सरकार ने आई० डी० बी० आई० तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से निधि उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की सहायता का अनुरोध किया है। परियोजना को राज्य सरकार के अनुरोध पर विश्व बैंक की सहायता के लिए भी प्रस्तुत किया है। विश्व बैंक ने कुछ निश्चित पूछताछ की है जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दिया गया है। इसी बीच परियोजना को आई० डी० बी० तथा आई० एफ० सी० को वित्तपोषण के लिए भी प्रस्तुत किया गया है। आई० एफ० सी० से बातचीत चल रही है।

23. पश्चिम बंगाल के लिए प्राकृतिक गैस

इस विषय पर कोई भी निर्णय तभी लिया जा सकता है जब त्रिपुरा से गैस को लाने के लिए पाइप लाइन के बारे में विचार कर लिया जाए। वर्तमान स्थिति यह है कि त्रिपुरा गैस क्षेत्रों का विकास आठवीं योजना अवधि के दौरान वित्तीय बाधाओं के कारण शुरू किए जाने की सम्भावना नहीं है। चूंकि इन गैस क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का उत्पादन बहुत खर्चीला है इसलिए त्रिपुरा गैस क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा निधि आवंटन को प्राथमिकता नहीं दी गई है।

24. बंगाल बेसिन क्षेत्र में ओ० एन० जी० सी० अन्वेषण

अब तक बंगाल बेसिन में 32 कुएं समुद्र तट पर तथा 7 कुएं समुद्र तट से दूरवर्ती क्षेत्रों में खोदे गए हैं। आगामी अन्वेषी ड्रिलिंग हेतु 7 स्थानों की पहचान कर ली गई है। फिर भी कोई व्यापारिक हाइड्रो-कार्बन निक्षेप नहीं पाया गया है। कोवियल संघ को बंगाल बेसिन क्षेत्र में 3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा खुदाई का एक ट्रेन की ठेका दिया गया है। विदेशी तेल कम्पनियों को अन्वेषण दिए जाने के लिए एक खण्ड दिए जाने की सम्भावना है।

श्री शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का काफी लम्बा उत्तर दिया गया इसमें 24 मदों का उल्लेख है। परन्तु जैसाकि आप जानते ही हैं कि 1947 में भारत के विभाजन से पश्चिमी बंगाल राज्य को सर्वाधिक क्षति हुई है। पश्चिमी बंगाल को केन्द्र से जहां अधिक देखभाल,

अधिक सहानुभूति और अधिक वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए थी उसे मिला कुछ भी नहीं है। यदि आप उत्तर का अवलोकन करें तो यह देखेंगे कि उनमें से बहुत से उत्तर टालने वाले हैं और इन उत्तरों में भेदभाव की नीति स्पष्ट दिखाई देती है। महोदय, मैं मद संख्या 15 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसके अन्तर्गत बहु-उद्देशीय तीस्ता बांध के लिए धनराशि के केन्द्रीय हिस्से की व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर को पढ़कर यहां नहीं सुनाइए। आपको जो दिया गया है, उसे यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न पूछिए। कृपया विषय से संगत प्रश्न पूछियेगा।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं आपका ध्यान तीस्ता बांध परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जोकि 13 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधायें जुटा सकता है। 1800 मेगावाट पनबिजली की क्षमता वाली और नौ-वहन की संभावनाओं सहित यह एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हो सकती थी। यह तीस्ता बांध परियोजना उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा है। यह क्षेत्र मुख्यतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों द्वारा बसा है और यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पर आ रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, श्रीमन, मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं। इसके बाद भी 8 अगस्त को आयोजित परामर्श समिति की अनौपचारिक बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने यह स्वीकार किया है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। क्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री जी से मैं यह जान सकता हूं कि क्या वे तीस्ता बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और इसे वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे क्योंकि यह पिछड़े हुए क्षेत्र में है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, सभी सिंचाई परियोजनाएं राज्य परियोजनाएं हैं और केन्द्र इन परियोजनाओं को विशेष सहायता देता रहा है और जहां तक तीस्ता बांध परियोजना का सम्बन्ध है, 1983-84 में इसे 5 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया, 1986-87 में 15 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया और 1987-88 में 10 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया। इस प्रकार इस परियोजना को यह केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गई है।

जहां तक जल-संसाधन मंत्री द्वारा दिए गये ऋण सम्बन्धी विवरण का सम्बन्ध है, मेरे पास इस विवरण का ब्यौरा नहीं है। यदि ऐसे कोई विवरण है, तो उन पर योजना आयोग में जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्तावों पर चर्चा के साथ चर्चा की जा सकती है।

श्री अमर राय प्रधान : माननीय अध्यक्ष महोदय, निसन्देह यह सही है कि इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता राशि केवल 5 करोड़ रुपये ही है और शेष 25 करोड़ रुपया ऋण अग्रिम के तौर पर है। पश्चिम बंगाल में अपनी अल्प आय में से इस परियोजना के लिए 348 करोड़ रुपये पहले से ही खर्च किए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वे योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। उन्हें यह स्पष्ट करने दें कि क्या यह परियोजना पिछड़े हुए क्षेत्र में है और क्या इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जायेगा अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने जा रहे है ?

श्री अमर राय प्रधान : यह सभा की जानकारी के लिए है। दूसरी मद हल्दिया उर्वरक परियोजना के बारे में है जिसका मशीनीकरण 1979 में पूरा हो गया था। उसके बाद बारह वर्ष बीत गये हैं और अब ये कह रहे हैं कि इसकी सफलता की कोई उम्मीद नहीं है और यह कि इस दिसम्बर माह में एक निर्णय लिया जाएगा। क्या मैं जान सकता हूं कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? मैं (क) और (ख) के बारे में स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, जैसाकि मैंने निवेदन किया है कि सभी सिंचाई परियोजनाएं, महत्वपूर्ण होते हुए भी राज्य-सूची का विषय हैं और लगभग आधा दर्जन अथवा एक दर्जन राज्यों से ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उनकी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं मान लिया जाये। तीस्ता परियोजना भी इसमें शामिल है। इस प्रकार योजना आयोग में आप एक परियोजना के लिए अलग से निर्णय नहीं ले सकते। राष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में विचार-विमर्श करना होगा कि वरीयता व्यवहार में किन परियोजनाओं को विशेष सहायता दी जा सकती है। इस प्रकार आप यह नहीं कह सकते कि किसी एक राज्य में किसी एक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। यदि मुझे ठीक से याद है तो जल संसाधन मंत्रालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था कि वे राष्ट्रीय महत्व की बारह परियोजनाओं की सूची तैयार करने जा रहे हैं। ऐसा करने से इस मुद्दे पर व्यापक रूप से चर्चा करनी होगी बजाय इसके कि तीस्ता परियोजना पर अलग-थलग विचार किया जाये। इस समय, सभी राज्य सिंचाई परियोजनाएं राज्य-सूची का विषय हैं और हम उन्हें वरीयता के आधार पर केन्द्रीय सहायता के रूप में, सहायता प्रदान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमति मालिनी भट्टाचार्य।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, भाग (ख) के बारे में माननीय मंत्री जी में उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय मेरे प्रश्न का भाग (ख) जो हल्दिया उर्वरक परियोजना के बारे में है उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जब आप इतना बड़ा और उलझा हुआ प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा ही होता है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अब बैठ जाइये···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, सबसे पहले मैं कलकत्ता बन्दरगाह के तलकर्षण के बारे में कहना चाहूंगी। यह कहा गया हैं कि इसके बहुत बड़े भाग में तलकर्षण कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। मैं नहीं समझती कि यह सही वक्तव्य है। मैं समझती हूं कि कलकत्ता बन्दरगाह में तलकर्षण की समस्या अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है और तलकर्षण सुविधाओं के अभाव में कलकत्ता बन्दरगाह का पतन होता जा रहा है।

जहां तक रेलवे परियोजना संख्या 9 का सम्बन्ध है मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई है कि प्रिंसिप्सघाट और माझेज हाट के बीच सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा करने तथा टौली गंज से गेरिया के बीच महानगरीय रेलवे के विस्तार के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

क्रमांक 18, जोकि चार्लस कोरिआ आयोग की सिफारिशों के अधीन धनराशि उपलब्ध कराने

के बारे में है, उत्तर में यह कहा गया है कि नीति के रूप में भारत सरकार बड़े महानगरीय शहरों के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता नहीं देती। मैं यह पूछना चाहती हूं कि दिल्ली शहर जोकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की तरह एक बड़ा महानगरीय शहर है, पर कितनी रुपया खर्च किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पर आइये।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : यह स्पष्ट है कि यदि चार्लस कोरिआ आयोग ने सिफारिश की है तब यह सिफारिश, नीति को बदलने की सिफारिश है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपने नीति बदलेगी।

जहां तक पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए पुनर्वास कालोनियों को बनाने की बात है हमें यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि सरकार ने आखिरकार राज्य सरकार के भूमि देने सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। लेकिन अभी भी बहुत से शरणार्थी अपने दस्तावेजों को प्राप्त करने की इन्तजार में हैं और हम आशा करते हैं कि यह कार्य यथाशीघ्र पूरा हो जायेगा।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, जहां तक कलकत्ता बन्दरगाह पर तलकर्षण का सम्बन्ध है मैंने यह कहा है और अनुबन्ध में भी मैंने दिया है कि हुगली नदी के नौगम्यता में सुधार की एक स्कीम निकट भविष्य में पूरी होने वाली है। गाद की समस्या का हल ढूंढने की दूसरी स्कीम बलारी, बार तथा जिगरखली फ्लेट्स के निकट मार्च, 1991 में प्रारम्भ हो चुकी है। इस बारे में ठेकेदार और परियोजना के प्रबन्धकों में कुछ झगड़ा चल रहा है। इसकी वजह से शायद कुछ देरी हो रही है और यह आशा की जा रही है कि शीघ्र ही इसका हल निकल आयेगा। यह इतनी पेचीदा नहीं है। कलकत्ता बन्दरगाह के तलकर्षक के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा है।

रेलवे के बारे में, जैसाकि मैंने कहा है, पश्चिमी बंगाल के लिए वर्ष 1991-92 हेतु 205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और रेलवे के इस परिव्यय का एक मुख्य भाग कलकत्ता मेट्रो परियोजना के लिए है। यह राशि लगभग 120 करोड़ रुपये है। जहां तक अन्य लाइनों का सम्बन्ध है, इनके लिए 84 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, सर्क्युलर रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में क्या किया जा रहा है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह धन 1990-91 में आवंटित किया गया है और यह विशिष्ट रूप से मेट्रो के लिए है। जहां तक अन्य लाइनों का सम्बन्ध है, रेल मंत्रालय को प्रस्ताव पेश करने होंगे और तब रेलवे को मिलने वाले सीमित संसाधनों के अन्तर्गत ही उन प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

जहां तक शरणार्थी समस्या का सम्बन्ध है, जैसाकि माननीय सदस्य को बताया गया है केन्द्र ने प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 400 वर्ग गज भूमि देने का निर्णय किया है और यह संशोधित रहेगा है। 800 वर्ग गज भूमि प्रति परिवार देने का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन 400 वर्ग गज ही स्वीकृत किया गया है। शरणार्थियों के लिए इस प्रावधान को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री मालिनी भट्टाचार्य : इन्होंने मेरे प्रश्न का पूर्णतया उत्तर नहीं दिया है (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण चटर्जी : महोदय, जिस तरह का उत्तर दिया गया है.....

अध्यक्ष महोदय : यह सम्पूरक प्रश्न पूछने के लिए दिया गया है; उत्तरों की व्याख्या करने के लिए नहीं।

श्री निर्मल कान्ति बसुमल्लिक : मैं सिर्फ सम्पूरक पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि भूमिगत रेल की शुरूआत कब हो रही है? हम इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं कि इसके लिए अमुक मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक वर्ष हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि इसकी शुरूआत शीघ्र ही होने जा रही है। यह सन्तोषप्रद नहीं है। पश्चिम बंगाल में रेलवे का कोई जिला मुख्यालय नहीं है। पश्चिम दिनाजपुर जिला में बेलूरघाट तक रेल लाईन को कितने समय में दूरा कर लिया जाएगा? क्या इस कार्य के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाएगा?

जिस सर्कुलर रेल के विषय में मेरे सहयोगी प्रश्न कर रहे थे, उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि समाचारपत्रों में खबरें छपी थीं कि रेल विभाग वर्द्धमान जैसे दूर-दर्शन इलाके से रेल चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; वर्द्धमान को सर्कुलर रेल से जोड़ दिया जाएगा; दोहरा रेल मार्ग तथा विद्युतीकरण भी किया जाएगा। मैं उस परियोजना की सम्भावनाओं के विषय में जानना चाहता हूं। क्या आपके पास इस विषय में कुछ जानकारी है? यही हम लोग जानना चाहते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैंने प्रत्येक वर्ष के मुलधिक आवंटित धन का ब्यौरा दिया है। इस योजना में सभी परियोजनाएं और योजनाएं शामिल हैं। यदि यह मामला रेल मंत्रालय के समक्ष उठाया जाता है तो निश्चय ही वह इस प्रस्ताव पर गौर कर कार्रवाई कर सकता है।

श्री चित्त बसु : महोदय, जहां तक मैं जानता हूं, पश्चिम बंगाल सरकार को योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री मोहन धारिया ने वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय योजना सहायता के तहत 835 करोड़ रुपये की मदद का आश्वासन दिया था। अब जब सरकार बदल चुकी है तो पश्चिम बंगाल को योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता के तहत मिलने वाली राशि घटाकर 620 करोड़ कर दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री मोहन धारिया के आश्वासन के आधार पर वर्ष 1991-92 के लिए अपनी योजना बनाई थी। इस कटौती के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार के इस निवेदन पर विचार किया जाएगा कि वर्ष 1991-92 के लिए पूर्व निर्धारित केन्द्रीय सहायता राशि में से कम किए गए शेष 215 करोड़ रुपये उसे आवंटित कर दिए जाएं? क्या सरकार इस पर सकारात्मक ढंग से विचार करेगी और पश्चिम बंगाल सरकार को यह अनुमति देगी कि वर्ष 1991-92 के लिए पूर्वनिर्धारित योजना को वह पूर्ववत् जारी रखे? प्रश्न का दूसरा भाग इस प्रकार है· ···

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए। आप पहले ही बहुत ही वक्त ले चुके हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, पश्चिम बंगाल में भाड़ा समानीकरण का मसला है। (व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, यह प्रश्न परियोजनाओं के विषय में है। जहां तक वर्ष 1991-92 के लिए योजना राशि का प्रश्न है, यह पहले ही निर्धारित कर ली गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद की इसी महीने की 23 और 24 तारीख की बैठक होने जा रही है। उस बैठक में जिसमें केन्द्रीय सहायता और योजना आवंटन के विषय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमन्त्रियों और प्रधानमन्त्री तथा योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे। मैं महसूस करता हूं कि इस समय मुझसे असामयिक प्रश्न किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अन्तिम निर्णय के लिए हमें इंतजार करना होगा।

आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन और उपयोग

*183. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन और उपयोग की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

(क) से (ग) देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्राचीन ग्रंथों का उपयोग में लाने के लिए प्रयास किए गए हैं, उदाहरणार्थ आयुर्विज्ञान और स्वास्थ्य (हाइपरलिपिडेमिया के लिए गुग्गुलु पर आधारित औषधि एवं धात्विकी) विमान इंजन पंखों की सूक्ष्म ढलाई के क्षेत्र में यद्यपि आधुनिक उपलब्धियों का विकास सीधे हमारे प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर न हुआ हो, तथापि प्राचीन भारत के ग्रंथों से यहां तक कि अन्तरिक्ष विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी निश्चय ही प्रेरणा ली जाती है ।

निम्नलिखित कार्यकलाप इस दिशा में किए जा रहे प्रयास का एक अंग है :

संकलन

(1) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा 1971 में प्रकाशित भारत में विज्ञान का एक संक्षिप्त इतिहास ।

(2) प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास दो खंडों में (1986 और 1991)।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान द्वारा प्रायोजित परियोजना ।

विशेष अध्ययन

सरकार द्वारा हाल ही में दो विशेष अध्ययन प्रायोजित किए गए हैं :

(1) भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास से सम्बन्धित समन्वित कार्यक्रम, विशेषकर कृत्रिम आसूचना प्रणालियों को विकसित करने में भारतीय संस्कृत परम्परा की भूमिका ।

(2) भारतीय परम्परा में सैद्धान्तिक विज्ञानों (तर्क शास्त्र, भाषा विज्ञान, गणित, संज्ञात्मक विज्ञान) के आधार और पद्धति-विज्ञान ।

श्री राम कापसे : महोदय, देश में कुछ ऐसे संस्थान हैं जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन कर रहे हैं जैसे महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र । ये संस्थान मुम्बई, हैदराबाद तथा अन्य स्थानों

पर कार्यशील हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि (क) क्या सरकार 'प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी' योजनाबद्ध तथा वैज्ञानिक रीति से जांच और उनके उपयोग के लिए कदम उठाएगी और (ख) क्या सरकार के पास इस क्षेत्र में कार्यशील निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन तथा मदद देने के लिए किसी प्रकार की योजना है ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, हमें जिस मूल समस्या का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि प्राचीन भाषा-लिपि को पढ़ने और उसे आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के सम्पर्क में लाने में सक्षम विशेषज्ञों का किस प्रकार उपयोग किया जाए ताकि इस सम्बन्ध में अनुभव की जाने वाली समस्याओं का निदान किया जा सके। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वस्तुतः पांच वर्षों से सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि इन दोनों समूहों को विभिन्न संस्थानों व विभिन्न परियोजनाओं के तहत एकत्रित किया जा सके। कुछ प्राचीन ग्रन्थों का अनुवाद भी हो चुका है और उनका संकलन भी किया जा चुका है जबकि कुछ विषयों में बुनियादी अध्ययन की शुरूआत की जा चुकी है और इसके लिए सरकार देश के विभिन्न संस्थानों और आई०आई०टी० की मदद से धन व्यय कर रहे हैं।

श्री राम कापसे : महोदय, सरकार परेशानियों का उल्लेख कर चुकी है। लेकिन बिरला संस्थान, हैदराबाद और ई०आर०ओ० एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई अपने बलबूते पर जो कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। मैं यह पूछ रहा था कि क्या सरकार के पास इस मामले की जांच के लिए कोई योजना है और क्या यह उन संस्थानों की मदद करेगी जो इस क्षेत्र में कार्यशील हैं। लेकिन सरकार इस दिशा में जो करना चाहती है उस पर किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आया।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : महोदय, जैसाकि मैंने पहले भी बताया था हम इसके लिए धन दे रहे हैं तथा कार्यक्रम की शुरूआत हम बहुत पहले कह चुके है। मैं दो संकलनों का उल्लेख कर सकती हूं— एक है—"भारत में विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास" जिसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने 1971 प्रकाशित किया है और 'प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास' जो वर्ष 1986 और 1991 में दो खंडों में हैं। ये दोनों ग्रंथ राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के विकास अध्ययन द्वारा प्रायोजित हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा, पिछले 5-6 वर्ष से चल रहे हैं। जैसाकि मैंने कहा है, प्राचीन ग्रंथों के अर्थ निकालने की क्षमता को विकसित करने तथा आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रासंगिक बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। और हाल में सरकार द्वारा दो विशेष अध्ययन प्रायोजित किए गए हैं। पहला, भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा समन्वित कार्यक्रम है। विशेषकर कृत्रिम बुद्धि व्यवस्था को विकसित करने में भारतीय संस्कृत परम्परा और दूसरा, भारतीय परम्परा में सैद्धान्तिक विज्ञानों जैसे, तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान, गणित, संज्ञानात्मक विज्ञान आदि के आधार और पद्धति-विज्ञान (व्यवधान)

श्री राम कापसे : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। अतः, मैं पुनः प्रश्न करूंगा। मैं दूसरा प्रश्न नहीं करूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल से हटकर कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सवाल से हटकर कुछ नहीं कहना है।

श्री सुनील दत्त : मुझे बड़ी खुशी है कि इस सदन में लाइटें जलाकर अजीब तरह के स्टूडियो का एटमॉसफेयर क्रीएट किया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : उनके लिए परिचित माहौल है ।

[हिन्दी]

श्री सुनील दत्त : इस लाइट का शैडो पड़ता है । जो कैमरा चला रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि स्पीकर साहब के ऊपर शैडो पड़ रहा है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, यह वक्तव्य से जब हटते हैं तब इस पर दीवानगी छा जाती है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्त : श्री राम कापसे जो मेरे सहयोगी हैं, ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है । मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं । मैं उनकी प्रशंसा करता हूं । लेकिन हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो जाहिर है कि उन्हें भी हमारी प्रसंसा करनी चाहिए ताकि हम भी कुछ अच्छा कार्य कर सकें ।

यह एलोपैथिक दवा पिछली शदी में शुरू की गई थी और वर्ष 1755-1843 में जर्मनवासी श्री हेह्ने मस ने इस उपचार व्यवस्था को एलोपैथी का नाम दिया था । लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इससे बहुत ही पहले खोज ली गई थी । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति काफी प्राचीन तथा वैज्ञानिक पद्धति है ।

मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि यदि उन दिनों आयुर्वेदिक दवा केन्सर, एड्स, पोलियो, यक्ष्मा आदि रोगों के इलाज में सक्षम थीं तो क्या आयुर्वेदिक दवाओं पर कोई प्रयोग किए गए हैं ताकि वे दवाएं उपयोगी हो सकें क्योंकि वे एलोपैथिक दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती हैं ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं सहमत हूं कि आयुर्वेदिक दवाओं को और लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और हमारे पास देसी चिकित्सा व्यवस्था के विकास के लिए कई परियोजनाएं भी हैं । सरकार इस आधार इन परियोजनाओं के लिए धन भी सुलैप्या करवा रही है और जिस बात को लेकर हमें सफलता प्राप्त हुई है वह यह है कि हमने एक विशेष प्रकार की दवा बनाई है जिसका नाम गुग्लू है और आज प्रयोग में है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या यह "हुगली" है ?

अध्यक्ष महोदय : यह निश्चय हुगली नहीं है ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : यह गम से बना हुआ आर्क है जिसे कॉलस्टरल घटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है । अब इसे देखा जा रहा है और इसे काफी असरदार पाया गया है । इसे देशी चिकित्सा पद्धति से विकसित किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है कम्प्यूनर विज्ञान । विश्व भर में जिन लोगों ने इस क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त की है, उनका कहना यह है कि भाषाओं में से संस्कृत इस दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त है । मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस जानकारी के बाद हम इस दिशा में क्या-क्या कदम उठा रहे हैं—जैसे जो भी शोध होना है, वह हमारे माध्यम और भारत के द्वारा हो ।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : माननीय सदस्य को विदित है कि संस्कृत कम्प्यूटर भाषा के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर विकसित करने के लिए हमारा एक विशेष तरीका है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह संस्कृत के लिए कम्प्यूटर भाषा का विकास करना है ?

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी भाषा के प्रयोग बहुत सही हैं। उन्हें भ्रमित मत कीजिए।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं क्षमा चाहती हूं। हो सकता है कि मैंने गलत·····

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने सही भाषा का इस्तेमाल किया था।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : हमने संसद सदस्यों के लिए विशेष तरीका तैयार किया था जैसी कि माननीय प्रधानमन्त्री जी ने इच्छा प्रकट की थी। इस विषय में रुचि रखने वाले कई सदस्यों ने इसमें भाग लिया था और उन्होंने देखा था कि इस दिशा में क्या हो रहा है। अब यह अपने अन्तिम चरण में है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में जो विकास होगा उससे संस्कृत को निकट भविष्य में ही कम्प्यूटर भाषा के रूप में स्वीकृत करने में मदद मिलेगी।

श्री बूटा सिंह : महोदय, हमारे देश में खासकर गांवों में बिजली की भारी कमी है। सौभाग्यवश, हमारे कुछ प्राचीन ग्रन्थों में खासकर पवित्र वेदों में बिजली उत्पन्न करने के लिए उपाय बताए गए हैं। ये उपाय पनबिजली और तापीय विद्युत व्यवस्थाओं से भिन्न किस्म के हैं। सौभाग्यवश, हमारे प्रधानमन्त्री जी वेदों के जानकार हैं।

मैं माननीय प्रधानमन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह पता करने की कोशिश की है कि वेदों में ऊर्जा के क्या वैकल्पिक स्रोत बताए गए है ?

क्या ऊर्जा मन्त्री और सरकार द्वारा उन स्रोतों के दोहन की कोशिश की जा रही है जो वेदों में अन्तर्विष्ट हैं ?

प्रधानमन्त्री (श्री पी० वी० नरसिम्हा राव) : जब आप प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ते हैं तो आप जो गृहीत करते हैं वह यह है कि जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा उनके पास इन प्राकृतिक बातों के विषय में ज्ञान अवश्य था। आप इसे विज्ञानपूर्व की दशा का ज्ञान भी कह सकते हैं। इनके सम्बन्ध में तकनीकी जानकारी प्रचुरता में विद्यमान नहीं है; केवल चिकित्सा क्षेत्र के बारे में अथर्ववेद में जानकारी मिलती है जिसके बारे में सभी देशवासी अच्छी तरह से अवगत हैं।

हमारे पास प्राचीन खुदाइयों के उदाहरण हैं जिनमें आप भूमिगत नालिया तथा आज विद्यमान अन्य आज जैसी विकसित सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे पास कुछ स्मारक है। लेकिन यह देखने के लिए कि क्या कोई विशेष तकनीक स्पष्ट रूप से बताई गई है मूल ग्रंथ का गहराई से अध्ययन करना पड़ता है। आप देखिए कि अधिकतर हमारे वैज्ञानिक हमारे वस्तुकार परीक्षण करके ही आगे बढ़े हैं हमारे सामने ऐसे कई स्मारकों के उदाहरण विद्यमान हैं उनमें से कुछ तो एक हजार वर्ष से खड़े हैं जबकि कुछ निर्माण के 2000 वर्षों में ही ध्वस्त हो गए। क्यों? क्योंकि वे अनेक चीजों के साथ प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे जिनमें से कुछ सफल हुए। कुछ सफल नहीं हुए। इसलिए उन सब बातों की तह में जाना और यह खोजना कठिन है कि कौनसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था कौनसी तकनीक सफल थी और कौनसी असफल थी। लेकिन इसके लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह प्रयत्न जारी है और सरकार

किसी एक संस्थान अथवा व्यक्ति को सहायता देने के लिए तैयार है, जो इस काम को हाथ में लेना चाहता है क्योंकि कभी-कभी यह कार्य जीवन भर चलता रहता है और इतना करने पर भी हो सकता है उसके हाथ कुछ न लगे। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए लम्बा समय चाहिए।

मैं सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम मदद के लिए तैयार हैं। हम प्राचीन पुस्तकों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के इच्छुक हैं। सम्भवतः वह अन्य देशों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हों। कई बार ऐसा होता है कि जो हम खोजते हैं वह कहीं नहीं मिलता। इस तरह से कुछ उदाहरण खगोल-विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में देखे गए हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जिसे सरकार सभी तरीकों से प्रोत्साहित करना चाहेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत फुटकर बिक्री केन्द्र

*184. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने हेतु वर्ष 1991-92 हैं के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1992 तक ऐसे प्रत्येक बिक्री केन्द्र से औसतन कितनी जनसंख्या को लाभ पहुंचेगा;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किन-किन वस्तुओं की बिक्री की जाएगी;

(घ) इन वस्तुओं पर यदि कोई राजसहायता दी जा रही है, तो वह कितनी है; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को इन केन्द्रों के माध्यम से इन वस्तुओं की कितनी मात्रा बेची जाएगी ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ङ) विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से देश में नई उचित दर दुकानें खोलने हेतु उनके द्वारा निश्चित किए गए लक्ष्यों की सूचना देने का अनुरोध किया गया था। 1991-92 के लिए लक्ष्यों की राज्यवार सूचना अनुबन्ध पर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अभिज्ञात क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं मुहैया कराने की स्थिति में सुधार करने पर विशेष ध्यान देने हेतु राज्य सरकारों को अपने यहां लगभग 11,000 अतिरिक्त दुकानें खोलने का इरादा है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनो को सलाह दी है कि वे उचित दर दुकानें इस तरीके से खोलें कि एक दुकान औसतन लगभग 2000 लोगों की जरूरतें पूरी कर सके। चावल, गेहूं, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल और सॉफ्ट कोक जैसी बुनियादी वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए वितरित की जाती हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आम खपत की अन्य वस्तुएं भी इसमें शामिल करें।

1990-91 में केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं पर भारतीय खाद्य निगम को दी गई राज-सहायता निम्नवत है :

खाद्यान्न (चावल और गेहूं) = 2142.4 करोड़ रु०

लेवी चीनी = 307.6 करोड़ रु०

वर्ष 1991 के आरम्भ की स्थिति के अनुसार 75 प्रतिशत उचित दर दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थीं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित दर दुकानें खोलने का लक्ष्य

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य (1990-91)
1.	आंध्र प्रदेश	180
2.	अरुणाचल प्रदेश	30
3.	असम	220
4.	बिहार	126
5.	गोवा	10
6.	गुजरात	682
7.	हरियाणा	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
9.	जम्मू व कश्मीर	50
10.	कर्नाटक	150
11.	केरल	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	300
13.	महाराष्ट्र	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य
15.	मेघालय	शून्य
16.	मिजोरम	23
17.	नागालैंड	शून्य
18.	उड़ीसा	50
19.	पंजाब	500
20.	राजस्थान	शून्य

1	2	3
21.	सिक्किम	40
22.	तमिलनाडु	शून्य
23.	त्रिपुरा	20
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य
25.	पश्चिमी बंगाल	शून्य
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12
27.	चंडीगढ़	10
28.	दादरा व नगर हवेली	2
29.	दमन व दीव	3
30.	दिल्ली	100
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पांडिचेरी	5

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर से यह पता चलता है कि जिस आदर्श प्रबन्ध की बात सरकार के विभाग में है और भविष्य में जो करना चाहती है, वह यह है कि औसतन लगभग 2000 लोगों के लिए एक उचित दर दुकान होनी चाहिए। जिसका अर्थ है कि हमें 4,50,000 उचित दर दुकानों की आवश्यकता है। माननीय मन्त्री ने भी यहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उचित दर दुकान खोलने का लक्ष्य बताया है लेकिन उन्होंने कुल संख्या नहीं बताई है। मैंने इसका जोड़ किया है। यह केवल 2,511 तक बनता है। उन्होंने वर्तमान दुकानों की संख्या नहीं बताई है।

मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समय या चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उचित दर दुकानों की कुल संख्या क्या है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रत्येक उचित दर दुकान औसतन कितने लोगों को वस्तुतः सामान उपलब्ध कराएगी।

श्री कमालुद्दीन अहमद : 30 जून, 1991 तक उचित दर दुकानों की कुल संख्या 3,97,469 है और उनमें से प्रत्येक 2200 लोगों के लिए सामान उपलब्ध करा रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक आपके पास इन दुकानों की कुल संख्या क्या होगी ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : उत्तर के साथ ब्यौरा दिया गया है। वास्तव में ग्रीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों ने स्वयं ही ऐसी अनेक दुकानें खोली हैं जो वर्तमान संख्या में जुड़ जायेंगी। इसलिए, प्रति वर्ष, राज्य स्वयं ही आंकड़े देते हैं। अतः, यह केवल स्वैच्छिक आंकड़े हैं जो राज्यों द्वारा दिए गए वे जिन्हें वे सम्भवतः वर्तमान दुकानों की संख्या में जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की योजना के अन्तर्गत राज्यों ने स्वयं ही कहा है कि उन्हें लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 11,000 और दुकानों की आवश्यकता होगी।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : जैसाकि यहां दर्शाया गया है, इस वर्ष के अन्त में हमारे पास केवल 400,000 दुकानें होंगी। यह स्थिति वैसी नहीं है जैसी सरकार चाहती है। मेरे प्रश्न के भाग (ङ) में यह पूछा गया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित वस्तुओं में से कितनी मात्रा ग्रामीण लोगों को मिलेगी और ग्रामीण बाजार का हिस्सा कितना होगा ? मुझे खेद है कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उत्तर में कहा गया है कि 75 प्रतिशत दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। मैंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर उचित दर दुकानों के विभाजन की बात नहीं कही है। लेकिन जो मैं चाहता था, वह यह है कि ग्रामीण लोगों, विशेषकर गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे उन लोगों को जो इन दुकानों से सामान खरीद सकते हैं, इन दुकानों के माध्यम से इन वस्तुओं की कितनी मात्रा बेची जाएगी। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी कृपया इसका उत्तर दें तथा साथ ही इन दुकानों द्वारा बेची जा रही इन मुख्य मदों की कुल बिक्री की अनुमानित प्रतिशतता बतायें।

श्री कमालुद्दीन अहमद : जो संख्या मैंने बताई है उसमें से लगभग 90,247 उचित दर दुकानें शहरी क्षेत्रों में है और यह लगभग 24.1 प्रतिशत आ पड़ता है। मैंने यह भी बताया है प्रत्येक उचित दर दुकान औसतन कितने लोगों को सामान उपलब्ध कराती है। बाकी दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और उसी अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरी करती हैं। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : कितनी प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए यह दुकानें कार्य कर रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी गणना आप कर सकते हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मन्त्री जी भी इसकी गणना कर सकते हैं। उन्हें गणना करके हमें बताने दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : महोदय, फिलहाल वितरित की जाने वाली वस्तुएं भारी मात्रा में खरीदी होती हैं और फिर देश-भर में वितरित की जाती हैं। उत्तर में यह बताया गया है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्थानीय उपलब्ध वस्तुओं के वितरण को शामिल करने को कहा है। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देती हूं। लेकिन मैं यह बताना चाहती हूं महाराष्ट्र में ज्वार मुख्य भोजन है जिसकी खरीद महाराष्ट्र सरकार करती है। राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं के लिए खरीद केन्द्रों के वित्त पोषण उनके वितरण और भण्डारण की व्यवस्था के लिए विशेष प्रबन्ध किये हैं। क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को इस काम के लिए ऐसी सहायता देने जा रही है ? निश्चय ही यह एक अच्छा निर्णय है। लेकिन प्रत्येक राज्य में मुख्य भोजन भिन्न है और यहां तक कि यह जिलों में भी भिन्न है। महाराष्ट्र में कुछ जिलों का मुख्य भोजन ज्वार है और अन्य जिलों में चावल है। राजस्थान में मक्का और बाजरा मुख्य भोजन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन वस्तुओं के वितरण के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। यदि किए गए हैं तो यह यातायात लागत को बचाएगा; स्थानीय उपलब्ध वस्तुएं वितरित की जायेंगी जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और शीघ्र वितरण किया जायेगा। यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वितरण के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित की जा रही इन छः वस्तुओं के अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार और मदें शामिल करें। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है विभिन्न प्रदेशों का मुख्य भोजन

भिन्न हैं। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। हमने राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि यदि उन्हें वर्तमान वस्तुओं में कुछ मदें और जोड़नी हैं तो वे उन्हें स्थानीय रूप से खरीदें। एक बात जो देखने में आ रही है, वह यह है कि मोटे अनाज का उत्पादन दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है और मोटे अनाज की कीमतें भी लगभग गेहूं और चावल की कीमतों के बराबर हो रही हैं। यह राज्य सरकारों का काम है कि वे स्थानीय रूप से वस्तुएं खरीद करके उन्हें अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करें।

श्री सुधीर गिरि : हम कई वर्षों से 14 आवश्यक वस्तुओं को उचित दर दुकानों द्वारा वितरित करने की मांग कर रहे हैं। इनमें से दो आवश्यक वस्तुएं हैं कपड़ा और कागज। राज्य सरकारों का इन दो वस्तुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वे कम से कम इन दो वस्तुओं को उचित दर दुकानों द्वारा वितरित करने के लिए कदम उठायेंगे ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : वास्तव में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परामर्शदात्री परिषद की पिछली बैठक में इन वस्तुओं के लिए चर्चा की गई थी। हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे कुछ बहुत आवश्यक वस्तुओं जैसे चाय, कॉफियां, खाद्य तेल इत्यादि को शामिल करें जिनको आज व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं। कई राज्य सरकारों ने इसे स्वीकार कर लिया है और वे इन वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल करने जा रहे हैं। यदि माननीय सदस्य का ऐसा कोई अनुरोध है और यदि वे पहले इसे राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाये हैं तो मैं उसे सम्बन्धित राज्य सरकार तक पहुंचा सकता हूं। (व्यवधान)

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी : खरीद प्रणाली की मुख्य समस्या यह है कि भारतीय खाद्य निगम अथवा खरीद करने वाली सम्बन्धित राज्य सरकार की स्थानीय निगमों को भण्डारण की बहुत समस्याएं हैं। और वे भण्डारण तथा वितरण पर बहुत धन व्यय भी कर रही हैं। क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष उपाय करेगी कि इस भण्डारण प्रणाली तथा यातायात प्रणाली पर जहां तक सम्भव हो सके कम से कम व्यय हो और इस तरह धन बचाया जा सके ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : हम भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस मामले में खोजी जा रही समस्याओं के बारे में जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भण्डारण की समस्या भी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कमालुद्दीन अहमद : हम इस स्थिति से अवगत हैं। सार्वजनिक वितरण की गई प्रणाली के अन्तर्गत हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि स्थानीय रूप से भण्डारण की सुविधाओं को बढ़ायें और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि घरों के समीप सामान पहुंचाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि अनेक सदस्य इस मामले पर बहस करने के इच्छुक हैं। मैं इस विषय पर बाद में बहस करने के लिए आधे घण्टे की चर्चा नियत करने जा रहा हूं।

अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि यह गरीबों की रेखा से नीचे रह रहे लोगों

को, विशेषकर कि पश्चिमी राजस्थान के लोगों को प्रभावित करता है। (व्यवधान) अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पर अल्पकालिक चर्चा के लिए तिथि नियत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं।

सिविल सेवाओं में महिलाओं की संख्या

[हिन्दी]

*185. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सिविल सेवाओं में महिलाओं की राज्य-वार संख्या और प्रतिशत क्या है; और

(ख) सरकार ने सिविल सेवाओं में महिलाओं को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : क) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) सिविल सेवाओं में महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार ने हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए हैं : —

(i) उत्तर-पूर्वी संवर्गों तथा जम्मू व कश्मीर को आवंटित एकल महिला अधिकारियों के मामले में अखिल भारतीय सेवा के अन्तरसंवर्गीय स्थानान्तरण नीति में ढील दी गई है। यह भी निर्णय किया गया है कि इन संवर्गों को 1990 से 5 वर्ष की अवधि के लिए महिला अधिकारी आवंटित न किये जायें।

(ii) विवाह होने पर, दोनों अधिकारियों में से किसी एक को, बशर्ते कि दोनों अखिल भारतीय सेवा में हों, संवर्ग बदलने की अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एक ही राज्य संवर्ग में रहे परन्तु इस शर्त पर कि स्थानान्तरण उनके मूल राज्य में न हो।

(iii) प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में छुट्टी देने से सम्बन्धित नियमों को उदार बनाया जा रहा है।

(iv) जहां कहीं सम्भव हो पति तथा पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के मार्गदर्शी-निर्देश जारी किए गए हैं।

(v) सिविल सेवाओं में महिला अधिकारियों की भूमिका की सराहना से सम्बन्धित टी० वी०, सीरियलों तथा स्पाट विज्ञापनों को राष्ट्रीय नेटवर्क पर बढ़ावा दिया गया है।

विवरण

राज्य	महिलाओं की संख्या तथा प्रतिशत					
	आई०ए०एस०		आई०पी०एस०		आई०एफ०एफ०	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
असम-मेघालय	7	3.55	—	—	2	2.38
आंध्र प्रदेश	24	7.62	5	3.37	2	1.65

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	23	6.01	5	2.85	—	—
गुजरात	22	9.13	2	1.85	1	1.23
हिमाचल प्रदेश	17	13.18	2	3.38	2	1.86
हरियाणा	25	12.17	1	1.12	2	3.92
जम्मू और कश्मीर	5	5.1	1	1.85	2	4.16
केरल	16	9.94	1	1.12	1	1.26
कर्नाटक	29	11.24	4	3.80	3	2.09
महाराष्ट्र	24	7.08	3	1.93	1	0.55
मध्य प्रदेश	32	8.47	5	2.24	4	1.11
मणिपुर-त्रिपुरा	3	2.22	1	1.31	—	—
नागालैंड	5	9.80	—	—	—	—
उड़ीसा	9	4.46	1	1.00	3	2.63
पंजाब	23	12.99	—	—	—	—
राजस्थान	23	9.58	—	—	2	2.24
सिक्किम	5	11.36	—	—	—	—
तमिलनाडु	31	10.16	4	2.91	1	0.90
उत्तर प्रदेश	42	7.92	5	1.65	5	2.41
ए०जी०एम०यू०टी० (यू०टी०)	27	15.08	5	3.84	3	2.77
पश्चिम बंगाल	15	5.03	3	1.52	—	—
	407	8.66%	48	1.7%	34	1.48%

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के चालीस साल बाद भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। उत्तर में यह दिया गया है कि सिविल सर्विसेज में उनकी स्थिति बिल्कुल नगण्य सी है। "ए" ग्रेड की सर्विस में बुद्धि के आधार पर कुछ महिलाओं को स्थान मिलता है। "बी" और "सी" ग्रेड में महिलाओं की उपस्थिति नहीं के बराबर है। महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश और राजस्थान में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं जहां पर हमारी पार्टी की सरकार है। तो क्या दूसरे स्थानों पर इस तरह के प्रोग्राम चलायेंगे। सामान्य वर्ग की महिलाओं की

यानि अकेली लड़की की पोस्टिंग दूर होती है तो आजकल की सामाजिक परिस्थिति में वहां जाकर रहना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा और मानसिक दृष्टि से उनका सन्तुलन ठीक रहे तो क्या सरकार का कुछ सुविधाएं प्रदान करने का विचार है क्या ?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं मानती हूं कि सिविल सेवाओं में महिलाओं की भर्ती समूह 'क', 'ख' और नीचे भी अपेक्षित संख्या से बहुत कम है। वास्तव में, मैंने अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रतिशतता बता दी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 8.66 प्रतिशत और पुलिस सेवाओं में केवल 1.7 प्रतिशत हैं। इसे मानते हैं कि उन्हें प्रोत्साहन, कदाचित विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। दो प्रकार के अध्ययन किए गए थे—पहला कार्मिक विभाग द्वारा 1987 में तथा दूसरा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 1989 में।

मैं यह भी बयान करती हूं कि इन सेवाओं में भर्ती में वृद्धि के लिए 1985 और 1987 में विशेष अभियान चलाए गए तथा अभियान के शुरू करने के बाद स्थिति में सुधार दिखायी दिया था। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, समस्याएं हैं। स्थानान्तरण अथवा तैनाती का प्रश्न और विशेषकर अपने राज्यों से बाहर नियुक्ति का या अन्य संवर्गों के आबंटन की समस्याएं आदि महिलाओं को अखिल भारतीय सेवाओं में आने से रोकती है। इन समस्याओं से सरकार अवगत है और सरकार इन दो अध्ययनों के कुछ सुझावों पर विशेषरूप से विचार किया जा रहा है।

जैसा कि मैंने कहा है, जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का और कुछ अन्य क्षेत्रों का प्रश्न है, सरकार ने पहले ही उन्हें वहां पर तैनाती रोकने के प्रबन्ध किए हैं।

इसके अतिरिक्त प्रसूति अवकाश नियमों में ढील दी गई है। वे बिना कोई डाक्टरी प्रमाणपत्र दिए ही प्रसूति अवकाश पर जा सकती हैं, और अब इसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उन्हें पर्याप्त समय मिल सके। जहां कहीं सम्भव हो पति-पत्नी दोनों की एक ही स्थान पर तैनाती की प्रणाली आरम्भ की जा चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूरदर्शन पर प्रस्तुत सीरियलों और अन्य कार्यक्रमों ने जो प्रचार और अभिप्रेरणा दी है उन्होंने महिलाओं को सेवाओं में आने के लिए काफी प्रोत्साहित किया है और इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, इन्कम टैक्स और पोस्टल सर्विसेज में सामान्य वर्ग की महिलाओं की उपस्थिति नहीं के बराबर है। जहां पर एस० सी० और एस० टी० के लिए आरक्षित स्थान है तो वहां पर सर्विसेज में एक भी महिला वर्ज नहीं है। यह जो आरक्षण रखा हुआ है तो क्या वहां पर अब आर्थिक आधार पर आरक्षण का विचार चल रहा है तो क्या सरकार प्रत्येक कैटेगिरी में महिला के लिए कुछ स्थान आरक्षित करने का विचार करेंगी।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा यद्यपि इस तरह के प्रस्ताव आए हैं कि आरक्षित कोटि में कुछ स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिए जाएं किन्तु मैं 'हां' नहीं कह सकती क्योंकि जब कभी भी आप कमजोर वर्गों की बात करते हैं तो महिलाएं उस वर्ग में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सभी दृष्टियों से ज्यादा कमजोर हैं। यही कारण है कि इस प्रस्ताव को लाया गया है तथा विधि मन्त्रालय इस पर

अध्ययन कर रही है। प्रश्न उठता है कि क्या आप महिलाओं को एक समूह के रूप में, विशेष समूह के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं अथवा उसी समूह में विशेष वर्गीकरण करते हैं। इस पर विचार चल रहा है किन्तु फिलहाल—जैसा मैंने पहले भी कहा था—मैं 'हां' कहना चाह कर भी नहीं कह सकती क्योंकि इस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

कुमारी शैलजा : मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी तैनाती की कोई सूचना है जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को दी गई हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया महिलाओं के प्रति उदारता दिखायें। सदन में व्यवस्था कायम करें।

कुमारी शैलजा : उदाहरणार्थ, कितनी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अपने कार्यकाल के दौरान उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा राजदूत के रूप में नियुक्त की जाती है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं ठीक-ठीक आंकड़े तो नहीं दे सकती किन्तु इस बात का खण्डन नहीं किया जा सकता है कि महिलाएं अक्सर मिलने पर पुरुष की अपेक्षा सामान्यतः अधिक बेहतर साबित हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय पुरुष सदस्य मुझसे असहमत न हों, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि महिला सदस्य पुरुषों की अपेक्षा बेहतर ढंग से कार्य कर रही हैं।

श्रीमती रीता वर्मा : मैं मन्त्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि अखिल भारतीय सेवाओं की जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत सभी महिला अधिकारियों को अन्य संवर्गों में जाने का विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्यों भारत सरकार पहले तो उन संवर्गों में पहले से कार्यरत महिला अधिकारियों और नव नियुक्त के महिला अधिकारियों के बीच तथा दूसरे केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों से विवाहित अखिल भारतीय सेवाओं की महिला अधिकारियों तथा आई०ए०एस०-आई० पी०एस० अधिकारियों से विवाहित महिला अधिकारियों के बीच भेदभाव कर रही है और तीसरा जो अत्यधिक आश्चर्यजनक है वह यह कि विवाहिता और अविवाहिता महिला अधिकारियों के बीच भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? सरकार यह सोचती है कि केवल विवाहिता महिलाओं की ही देखभाल होनी चाहिए?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मुद्दा यह नहीं है। सम्पूर्ण मसले की समीक्षा देश के कतिपय विक्षुब्ध क्षेत्रों को दृष्टिगत रखकर की गई थी जहां अकेली महिलाओं की तैनाती की समस्या आती है। यह निर्णय सर्वसम्मति से ही हुआ कि पांच वर्षों की अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अकेली महिलाओं की तैनाती नहीं की जाएगी और जो वहां पहले से तैनात हैं उन्हें उनके चाहने पर दूसरे राज्यों में जाने का अवसर दिया जाएगा। जो रहना चाहेंगी उन्हें नहीं हटाया जाएगा किन्तु जो उस क्षेत्र में जाना चाहेंगी उसमें से जिसे वे अधिक सुरक्षित समझती हैं वहां उन्हें विशेष परिस्थितियों में जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

दूसरी समस्या एक संवर्ग की महिलाओं की दूसरे संवर्ग के अधिकारियों के साथ विवाहित होने की है। सरकार सामान्य नियमों के तहत संवर्ग अन्तरण की अनुमति दे रही है ताकि पति-पत्नी दोनों एक ही राज्य संवर्ग में रह सकें बशर्ते कि वह उनका गृह राज्य संवर्ग न हो। वे गृह राज्य में वापस नहीं जा सकते। दोनों में से एक यदि एक राज्य में है तो वह वहां जा सकती है जहां उसका पति तैनात है। माननीय सदस्य ने अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के बीच भेदभाव के बारे में बात की है।

हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो विभिन्न राज्य संवर्गों में तैनात किए जा सकते हों। अन्य सेवाओं में खज्य संवर्ग नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा शाही : अध्यक्ष महोदय, इस देश में वर्किंग वुमेन्ज हास्टेल कितनी जगह हैं, जहां इन महिलाओं के रहने की व्यवस्था है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। नौकरी तो हो जाती है लेकिन रहने की समस्या प्रान्तों में अधिक है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि बी एवं सी श्रेणी की कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए निवास स्थान का प्रबन्ध कराया जाये?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मान्यवर, यह विषय प्रत्यक्षतया इस विभाग के अधीन नहीं आता है। किन्तु मैं माननीय सदस्या को बता देना चाहती हूं कि महिला और शिशु विभाग के पास कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की योजना है जिसके अन्तर्गत सरकार किसी भी उस संगठन को 50% अनुदान देती है जो उस कामकाजी महिला हास्टल को चलाएंगे। यह अत्यन्त ही लोकप्रिय योजना है और मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त कर सकती हूं कि अधिक से अधिक हास्टल बनाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय सदस्य सदस्यों को इस विषय को समर्थन देने की अनुमति प्रदान करता हूं। अब आप प्रश्न पूछें। आप लोग अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करें, मैं अब लोगों को अनुमति प्रदान करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर अगर देखा जाये तो महिलाएं चार जगहों पर हैं, कहीं पर सैक्रेटरी के रूप में काम करती हैं या फिर हायर पोस्ट पर जाती हैं जैसाकि पहले बताया गया तो फिर क्यों नहीं महिलाओं को, जो बड़ी जगहें हैं—जैसे आर्मी या फिर डिफेंस पुलिस के अन्दर बराबर की जगह मिले···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया असैनिक और सैनिक सेवाओं में अन्तर करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : दुनिया के अन्दर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां इक्वल शेयर मिल रहा है लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर यह बराबरी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तरफ सरकार सोच रही है कि हर जगह उनको बराबरी की हिस्सेदारी मिल सके?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : श्रीमन, मेरे विचार से यह प्रश्न सिविल सेवाओं से ही सम्बन्धित है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहती हूं कि इसमें भी औरतों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं। रक्षा सेवाओं ने विभिन्न स्तरों पर उनके लिए द्वार खोल दिए हैं। इस सम्बन्ध में एक घोषणा भी कर दी गई है। अतः प्रश्न केवल यह नहीं है कि हम उन्हें सेवाओं में लेना चाहते हैं बल्कि प्रश्न सामाजिक स्वीकृति का भी है। साथ ही यह भी देखना है कि वे

इन विभिन्न क्षेत्रों में आने को इच्छुक हों क्योंकि उन्हें सीमित शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त हो पाती हैं। अतः महिलाओं के स्तर को बढ़ाने और उनको सेवाओं में प्रवेश करने के लिए बहु-मुखी प्रयास होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुनील दत्त को अवसर देता हूं कि वे सीमित तरह से प्रश्न पूछकर अपना शौर्य प्रदर्शित करें।

(व्यवधान)

श्री सुनील दत्त : मैं सदन में पहले ही कह चुका हूं कि मेरे मन में देश की महिलाओं के लिए ऊंचा स्थान है। मैं हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग नहीं करता अन्यथा मुझे फिर से गलत समझ लिया जाएगा। किन्तु यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतः इस विषय पर विस्तृत बहस के लिए कुछ और समय प्रदान किया जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने अभी कहा है कि महिलाओं के लिए हमारे यहां जितने आरक्षित वर्ग है, हर आरक्षित श्रेणी में उनके लिए कुछ अनुपात निश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमन्त्री जी यहां मौजूद हैं, मैं महिलाओं के लिए अलग मांग नहीं कर रहा हूं परन्तु जितनी आरक्षित कैटेगरीज हैं और जो होने वाली हैं, उनमें एक निश्चित अनुपात निर्धारित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है एक नीति के रूप में ताकि हर श्रेणी में चाहे वह आदिवासी हो, हरिजन हो या पिछड़े वर्ग की हो, उसमें महिलाओं के लिए एक अनुपात निश्चित कर दिया जाये। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री सदन में इस बात पर देश को आशवस्त करें।

[अनुवाद]

प्रधानमन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, ये अपना इरादा तो बता दें। माननीय मंत्री अपने इरादे का इजहार तो कर दें, मेरे लिए नहीं, सदन के लिए और देश के लिये.....

अध्यक्ष महोदय : वह उन्होंने पहले ही कर दिया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारा इरादा बहुत नेक है। अभी एक्जामिन हो रहा है।

टेलीविजन सैटों का अनधिकृत रूप से बनाया जाना

+

*186. **श्री साईमन मरान्डी** :

श्री मृत्युन्जय नायक : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और देश के अन्य भागों में अनधिकृत रूप से टेलीविजन सैट बनाये जाने के कारण सरकार को प्रति वर्ष कुल कितना घाटा हो रहा है; और

(ख) टेलीविजन सैटों का अनधिकृत रूप से बनाया जाना रोकने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) चूंकि दूरदर्शन सेटों का अवैध रूप से विनिर्माण चोरी-छिपे किया जाने वाला कार्यकलाप है, अत: सरकार को इससे प्रतिवर्ष केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क के रूप में हो रहे घाटे का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) दिल्ली स्थित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता कार्यालय सहित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के सभी समाहर्ता कार्यालयों को उनके अपने अपने कर-चोरी निरोधक तन्त्र को चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा कर वंचकों के विरुद्ध एक सुव्यवस्थित अभियान आरम्भ करने के निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री साईमन मराण्डी : अध्यक्ष महोदय "जनसत्ता" पेपर ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था नवम्बर के 11 तारीख के अंक के द्वारा, और सरकार कहती है कि हमें इसका अनुमान नहीं है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब टेलीविजन केवल मनोरंजन का ही नहीं बल्कि शिक्षा प्रसार, राष्ट्रीय एकता और साथ-साथ सरकार और जनता के बीच संपर्क के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो सरकार द्वारा अवैध टेलीविजन कारखानों को बन्द करने के लिए दो-तीन वर्षों में किन-किन राज्यों में कितनी-कितनी बार सर्वे कराया गया है जिससे सरकार चोरी-पिछे बनाए गए टेलीविजन का पता लगाकर राष्ट्रीय आय बढ़ा सके ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका प्रश्न समझा नहीं, कादाचित मंत्री महोदय ने भी इसे नहीं समझा।

[हिन्दी[

श्री साईमन मराण्डी : सरकार ने कितनी बार राज्यवार सर्वे कराया है ? इनका कहना है कि हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने पता करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ? यदि हां, तो कितनी बार।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : श्रीमन, मैं सदस्य महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि यह प्रश्न चोरी-छिपे टी० वी० सेटों के अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसका सर्वेक्षण किया है ?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : मैं चोरी-छिपे कामों का सर्वेक्षण कैसे कर सकती हूं ? किसी को भी नहीं मालूम कि कितना निर्माण हो रहा है। (व्यवधान) मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूं कि हमें अनुमान है। फिलहाल यह अनुमान है कि लगभग उत्पादित श्वेत श्याम टी० वी० सेट का 25% अनधिकृत लघु एककों द्वारा बनाए जाते हैं। जिन पर कर नहीं लगाया जाता, जो पंजीकृत नहीं हैं और जो निर्माण के लिए नियमित चैनल की भांति मान्य नहीं है। हम यह पता कर सकने में सक्षम हैं क्योंकि निर्माण किए गए श्वेत-श्याम टी० वी० ट्यूबों की कुल संख्या से एक चौथाई संगठित क्षेत्र में टी० वी० सेटों के

निर्माण में नहीं जा रहा । इसका मतलब है कि अन्य बाहर ही रहते हैं। हमारे पास अनुमान का आधार यही है । हमारे पास जानकारी के और कोई रास्ते नहीं हैं कि फिलहाल इसके कितने अनधिकृत एकक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से कोई रास्ता तो होना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री साईमन मराण्डी : सरकार को चोरी-छिपे का अनुमान नहीं है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार श्वेत-श्याम तथा रंगीन टी० वी० की किस्म में सुधार करने तथा उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है और यदि हां तो तीन वर्षों में सरकार ने इस दिशा में क्या-क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : रंगीन टी० वी० निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ।

प्रधान मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : इस प्रश्न के उत्तर कदाचित सूचना और प्रसारण मन्त्री अच्छी तरह दें सकेंगे ।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा : और वित्त मन्त्रालय ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं वित्त मंत्रालय के बारे में तो नहीं पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में जानता हूं । चोरी-छिपे निर्माण चल रहा है । चोरी-छिपी गतिविधियों की कोई जांच पड़ताल होनी चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए । मैं नहीं समझता कि इलेक्ट्रानिक विभाग इसका उत्तर दे सकेगा । मैं प्रश्नों को ले लेता हूं । मैं देखूंगा कि क्या इनका उत्तर दिया जा सकता है । मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा ।

श्री मृत्युन्जय नायक : श्रीमन् शहरी और ग्रामीण लोगों में टी० वी० देखने का बड़ा शौक है । जब सरकार ने निजीकरण की नीति अपनायी है तो मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार लाइसेंस के प्रतिबन्धित मुद्दे पर ढील देने का विचार रखती है ।

यदि नहीं तो सरकार दिल्ली में टी० वी० के अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डी० डी० ए० फ्लैटों के निर्माण में बेहतर किस्म की निर्माण सामग्री का प्रयोग

[अनुवाद]

*197. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान डी० डी० ए० के कितने फ्लैट, कितनी बालकनियां और कितने फ्लैटों की छतें गिर गईं और इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या इनके गिर जाने के बारे में जांच की गई थी और यदि हां, तो जांच-निष्कर्ष क्या थे;

(ग) फ्लैटों के निर्माण में बेहतर किस्म की निर्माण सामग्री प्रयोग किये जाने हेतु ठोस कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) घटिया निर्माण सामग्री प्रयोग किये जाने की जांच करने हेतु नियुक्त की गई समिति के जांच-निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) एक मामले में पीतमपुरा के दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट के बालकनी के ऊपर छत प्रक्षेपण का छोटा-सा हिस्सा गिर गया। इसके नमूने जांच-पड़ताल के लिए भेजे गए और हाल ही में प्राप्त इसके परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है।

एक अन्य मामले में बसन्त कुंज के पाकिट-4, सैक्टर "सी" के दो मकानों की नींव बैठ गई थी जिसके बारे में सूचना मिली है कि यह मामला इमारत गिरने का नहीं है अपितु मकानों के नीचे मिट्टी के बैठ जाने का मामला है। केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान रुड़की तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के परामर्श से इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच-पड़ताल पहले से ही कराई जा रही है।

(ग) फ्लैटों के निर्माण में बेहतर किस्म की सामग्रियों का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए, पहले से ही पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है।

सरकारी आवास के किराए में वृद्धि

*198. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 14.32 में की गई सिफारिशों में यह मत व्यक्त किया था कि सरकारी आवास का किराया सम्पूर्ण भारत में एक निश्चित दर से वसूल किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर सरकार ने क्या अनुदेश जारी किए हैं, और पिछली बार किराये में कब वृद्धि की गई थी तथा रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद इसमें कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या हाल ही में किराये में पुनः वृद्धि की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकारी आवास की देखभाल और रख-रखाव सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी आवास के किराये में वृद्धि के अनुरूप इनमें अपेक्षित सुख-सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, प्रत्येक टाइप के आवास के लिए समान दर पर तब की गई लाइसेंस फीस तथा अनुदेशों से युक्त इस मंत्रालय के दिनांक 7-8-87

के कार्यालय ज्ञापन सं० 12035 (i)/85 नीत-II खण्ड-III (i) की एक प्रति विवरण-I के रूप में संलग्न है। इन दरों में अन्तिम संशोधन इस मंत्रालय के दिनांक 28-6-91 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा 1-7-1990 से किया गया था प्रति विवरण-II के रूप में संलग्न है। जब परिवर्धन, परिवर्तन तथा नए क्वार्टरों का निर्माण किया जाता है तब लागत को लाइसेंस फीस की दरों में और वृद्धि के लिए आवश्यक मौजूदा सरकारी परिसम्पत्तियों के साथ मिला दिया जाता है।

(घ) जी, नहीं। रख-रखाव के मानदण्ड निधियों की उपलब्धता के अनुसार रखे जाते हैं।

(ङ) जैसाकि ऊपर भाग (ख) तथा (ग) में बताया गया है। परिवर्धनों/परिवर्तनों तथा नए क्वार्टरों के निर्माण के कारण मौजूदा सरकारी सम्पत्तियों की पूंजीगत लागत में वृद्धि के आधार पर, किराये में वृद्धि की जाती है और इसका संबंध प्रदान की जाने वाली भावी सुविधाओं/सुख-साधनों से नहीं है।

विवरण-I

विषय : देश भर में के केन्द्र सरकार के अधीन रिहायशी आवास के लिए लाइसेंस फीस की समान दर का निर्धारण—चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें।

चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट (भाग-I) के पैरा 14-32 में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं जो कर्मचारियों को आबंटित सरकारी आवास के लिए लाइसेंस फीस प्रभारित करने के सम्बन्ध में हैं :—

मौजूदा नियमों के अनुसार होस्टल आवास को छोड़कर सरकारी आवास के लिए किराया परिलब्धियों का (मूल वेतन जमा मंहगाई वेतन 320 पाइंट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तक) 10% या मकान का मानक किराया जो भी कम है, प्रभारित किया जाता है। यदि कर्मचारियों को 300/- रुपये से कम वेतन मिलता है तो परिलब्धियों का 7½ प्रतिशत या मानक किराया जो भी कम है, प्रभारित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक मामले में किस्तों की एकत्र करने के लिए पर्याप्त लेखा कार्य करना अपेक्षित है। इससे विभिन्न स्टेशनों और उसी स्टेशन पर विभिन्न बस्तियों में आवास की उसी टाइप के दखल में अपेक्षाकृत कर्मचारियों के बीच किस्तों की अदायगी में असमानतायें भी हो जाती हैं। हमारा मत यह है कि कर्मचारियों को आबंटित आवास की टाइप के संदर्भ में समान दर पर सरकारी आवास का किराया वसूल किया जाना चाहिए और समस्त भारत में एक-सी दर लागू होनी चाहिए। इससे न केवल परिहार्य लेखा कार्य समाप्त हो जायेगा बल्कि सभी स्थलों पर आवास के उसी टाइप के लिए कर्मचारियों से किस्त वसूली में भी एकरूपता आ जायेगी। हम सिफारिश करते हैं कि सरकार मामले की जांच करें और निर्णय ले।

2. सरकार ने सरकारी आवास के लिए लाइसेंस फीस की समान दर के निर्धारण सम्बन्धी मामलों पर विचार किया है और देशभर में रिहायशी के लिए लाइसेंस फीस की समान दर के निर्धारण के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिश मान ली गई है। लाइसेंस फीस की समान दर निर्धारण/वसूली और प्रत्येक तीन वर्ष में इसके निर्धारण के प्रयोजनार्थ मूल नियमों और अनुपूरक नियमों के संगत प्रावधानों में भी संशोधन कर दिया गया है। मूल नियम-45-क और अनुपूरक-324 में संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां संलग्न है। (अनुलग्नक-I व II)।

3. मूल नियम-45-क-IV(ग) में की शर्तों के अनुसार, साधारण मूल में उपलब्ध रिहायशी आवास के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क की समान दरों को निर्धारित करने का केन्द्रीय सरकार और विभिन्न

मंत्रालयों/पूरे देश में भारत सरकार के विभागों (द्वारा निर्णय लिया गया था) गैर मानक/ क्षा मंत्रालय के अवर्गीकृत कार्मिकों के लिए आवास, सेवा कार्मिक के लिए आवास/रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और रेलवे मंत्रालय के नियन्त्रण के तहत आवास) सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न टाइपों के आवास के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क की समान दर इस कार्यालय ज्ञापन (अनुबंध-III) के साथ संलग्न विवरण में दिखाया गया है। आवास के रहने योग्य क्षेत्र को गणना करने का सूत्र अनुबंध-IV में दिखाया गया है। साधारण सेवा/मल सफाई के लिए और अग्नि शुल्क और आवासों के लिए देय सफाई शुल्कों के लिए, अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाना है। अनुज्ञप्ति शुल्क की समान दर 1-7-87 से अर्थात जुलाई, 1987 के महीने के वेतन से वसूल की जानी है। यह इस मंत्रालय के तारीख 1 जून के गोपनीय सम संख्या कार्यालय ज्ञापन के प्रभावी तारीख के आंशिक आशोधन में है।

4. यह भी निर्णय लिया गया है कि आबंटिती के अनुरोध पर आवास में सरचनात्मक प्रकृति का कोई परिवर्द्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि आवश्यक समझे जाये, तो ऐसे परिवर्द्धन/परिवर्तन मानकीय तरीके से सभी समान प्रकृति के आवासों में किए जायें और इस तरह परिवर्द्धन/परिवर्तन के लिए आबंटिती से अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शुल्क या प्रभार खर्च नहीं वसूल किया जाना चाहिए।

5. सामान्यतया, आबंटिती द्वारा जल और विद्युत प्रभार खर्च स्थानीय निकायों को दिया जाता है। तथापि, जहां पर अलग मीटर इत्यादि की अनुपलब्धता के कारण, आबंटितीयों से ऐसे प्रभारों को वसूल नहीं किया जा सकता है, तो उसे सरकार द्वारा आबंटितीयों से वसूल किया जाता रहेगा। वैसे ही, दिये गये फर्नीचर, विद्युत-उपकरण, वातानुकूलित उपकरण इत्यादि के प्रभार की आबंटितियों से वसूल किए जायेंगे।

6. अनुबंध-III में दर्शाए गए क्वार्टरों का रिहायशी क्षेत्र साधारण पूल के ढेर सारे क्वार्टरों के रिहायशी क्षेत्र के आधार पर आंकलन किया गया है, क्योंकि इन क्वार्टरों का निर्णय काफी समय पहले किया गया था। तथापि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां पर विनिर्दिष्ट न्यूनतम की अपेक्षा क्वार्टर का रिहायशी क्षेत्र जरा-सा कम हो या विनिर्दिष्ट अधिकतम की अपेक्षा संगत टाइप थोड़ा बड़ा हो। ऐसे मामलों में, आवास की टाइपों के वर्गीकरण के आधार पर एवं क्वार्टर के कम रिहायशी क्षेत्र या उच्च रिहायशी क्षेत्र पर आधारित न्यूनतम या अधिकतम दरों पर आधारित हो, अनुज्ञप्ति शुल्क वसूल किया जाए। अनुज्ञप्ति शुल्क अनन्तिम आधार पर निर्धारित की जाए और ऐसी विसंगतियों को सम्पदा निदेशालय के ध्यान लाया जाये और आवास का टाइप कुर्सी क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र, निर्माण का वर्ष एवं उपलब्ध कमरों की संख्या आदि भी बताई जाए ताकि ऐसे मामलों पर विचार किया जाए और निर्णय लिया जा सके।

अनुरोध है कि देश भर में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण में आवास सम्बन्धी इन आदेशों के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क वसूल करने हेतु तुरन्त कारंवाई करने का कष्ट करें।

(हिन्दी रूपान्तर बाद में भेजा जाएगा)

ह०/-

आई० चौधरी

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारत के नियन्त्रक एवं महा-लेखा परीक्षक।

3. लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय के महासचिव।

4. श्री हरीश चन्द्र, महानिदेशक (कार्य), सी०पी०डब्ल्यू०डी०, नई दिल्ली।

5. मुद्रण निदेशक, नई दिल्ली।

6. मुख्य अभियन्ता, नई दिल्ली जोन, सी०पी०डब्ल्यू०डी०/अधिशासी अभियन्ता (आई०एफ०) सी०पी०डब्ल्यू०, नई दिल्ली।

7. सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी प्रादेशिक कार्यालयों/सेलों के प्रधानों को। (2 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

2. उपनिदेशक (किराया), संपदा निदेशालय (25 प्रतियां)।

3. शहरी विकास मंत्रालय के सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।

4. शहरी विकास मंत्रालय (समन्वय अनुभाग), नई दिल्ली।

5. शहरी विकास मंत्रालय (निर्माण प्रभाग), नई दिल्ली।

6. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव, (शहरी विकास) राज्य मंत्री के निजी सचिव, सचिव के निजी सचिव, संयुक्त सचिव (पी०एस०पी०) के निजी सचिव, संयुक्त सचिव (वित्त) के निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एच० एवं एच० एस०) के निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डब्ल्यू०ए०) के निजी सचिव, संयुक्त सचिव (शहरी विकास) के निजी सचिव।

7. सम्पदा निदेशक/अपर सम्पदा निदेशक के निजी सहायक।

8. सम्पदा निदेशालय के सभी उपनिदेशक।

9. सम्पदा निदेशालय के सभी सहायक निदेशक एवं अनुभाग।

ह०/-

(सी०एस० रमन)

सम्पदा उपनिदेशक

अनुबन्ध-I

भारत से दिनांक 1-7-87 की असाधारण अधिसूचना के भाग-II की उप-धारा (1) की धारा 3

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1987

अधिसूचना

सा०का०नि०स० 623(ई) संविधान के अनुच्छेद 309 और 148 के खण्ड (5) के परन्तुकों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद, मूल नियमावली में और संशोधन करते हुए, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :—

1. (1) इन नियमों को मूल (संशोधन) नियमावली, 1987 कहा जाए ।

(2) ये जुलाई, 1987 के पहले दिन से लागू होंगे ।

2. मूल नियमावली में, नियम 45 के खण्ड-IV, उप खण्ड (ग) में मद संख्या (ii) पुनरांकित किया जायेगा, निम्नलिखित मद को सन्निविष्ट किया जायेगा :—

निर्माण तथा कर्मचारियों को आबंटित आवास के प्रकार के कुर्सी क्षेत्र रहने योग्य क्षेत्र की लागत के आधार पर देश भर में लागू मासिक लाइसेंस फीस की समान दर पर तय करना बशर्ते कि अधिकारी से वसूल की जाने वाली धनराशि उसके मासिक परिलब्धियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

ह०/-

(अर्जन देव)

अवर सचिव, भारत सरकार

फ० सं० II(7)/डब्ल्यू० एण्ड ई०/86

टिप्पणी - (इससे पहले के संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से किये गये थे) ।

1. सं० 8(17)/61-सम्पदा, दिनांक 4-6-61
2. सं० 5(9)/63-सम्पदा, दिनांक 4-6-63
3. सं० 5(13)/62-सम्पदा, दिनांक 5-7-63
4. सं० 11(51)/68-डब्ल्यू० एण्ड ई० दिनांक 4-10-79 सा० का० नि० 2453 दिनांक 25-10-89

अनुबन्ध-II

भारत के दिनांक 1-7-1987 की असाधारण अधिसूचना के भाग-II की उपधारा (1) की धारा 3

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1987

अधिसूचना

सा०का०नि० 624(ई) मूल नियमावली के मूल नियम 4 के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 309 और 148 के खण्ड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के बाद, मूल नियमावली में और संशोधन करते हुए, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं नामतः—

1. (1) इन नियमों को पूरक (संशोधन) नियमावली, 1987 कहा जाएगा।

(2) ये जुलाई, 1987 के पहले दिन से लागू होंगे।

2. पूरक नियमावली में, पूरक नियम 324 में, उप-नियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-नियम सन्निविष्ट किया जायेगा नामतः—

(4) उप-नियम (1) तथा (2) में समाहित किसी बात के होते हुए, आवासों के लिए मूल-नियम 45-क-VI (ग) (ii) के अधीन निर्धारित लाइसेंस फीस की समान दर की, पिछली गणना की तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति पर, फिर से गणना की जायेगी और पुनर्गणना तत्पश्चात अगली जुलाई की पहली तारीख अथवा राष्ट्रपति के निर्देशानुसार ऐसी किसी अन्य तारीख से, प्रभावी होगी।

ह०/-
(अर्जन देव)
अवर सचिव, भारत सरकार
फा० स० 11(7)/डब्ल्यू० एण्ड ई०/86

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार का मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली

अनुबन्ध-III

विभिन्न टाइप के आवासों की अनुज्ञप्ति शुल्क की समान दर को निर्धारित करने हेतु फार्मूले को दर्शाने वाला विवरण

आवास का टाइप	रिहायशी क्षेत्र की रेंज (स्कावयर मी० में)	अनुज्ञप्ति शुल्क की समान दर जोकि समान रूप से पूरे देश लागू है (रु०)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
ए	31 तक	10	टोयलेट सुविधा का शेयर करना, दो से अधिक क्वार्टरों के लिए है।

1	2	3	4
ए	30 तक	15	टोयलेट सुविधा का शेयर करना, दो क्वार्टरों के लिये है।
ए	30 तक	25	पुराने क्वार्टरों जिनका कुर्सी क्षेत्र 300 वर्ग फीट से कम है।
ए	30 तक	35	क्वार्टर्स जिनका कुर्सी क्षेत्र 300 वर्ग फीट या अधिक है।
बी	26.5	35	त्वरित कार्यक्रम टाइप-बी क्वार्टर्स जिनका कुर्सी क्षेत्र 350 वर्ग फीट है। टाइप-ए के रूप में दोबारा वर्गीकृत।
बी	32 से 40	60	
बी	41 से 50	75	
सी	34.5	60	त्वरित कार्यक्रम टाइप-सी क्वार्टर्स जिनका कुर्सी क्षेत्र 425 वर्ग फीट है। दोबारा टाइप-बी के रूप में वर्गीकृत।
सी	44 से 55	85	
सी	56 से 65	105	
डी	50 से 75	115	
डी	76 से 91.5	145	
ई	106 तक	185	
ई	106 से ऊपर	210	
ई-I	159.5 तक	260	

1	2	3	4
ई-I	159.5 से ऊपर	300	
ई-II	189.5 से 224.5	350	
ई-III	243 से 350	500	
ई-III	350.5 से 522	600	

होस्टल आवास

स्यूट की श्रेणी	रिहायशी आवास (वर्ग मीटर)	अनुज्ञप्ति शुल्क की प्रस्तावित समान दर जोकि पूरे देश में समान रूप से लागू होगी (रु०)
1	2	3
1. एक कमरा	21.5 से 30.0	65.00
1. एक कमरा	305 से 36.5	90.00
3. दो कमरे	47.5 से 60.0	125.00

सर्वेन्ट क्वार्टर और गैराज के लिए, जिसे नियमित आवास/होस्टल से अलग आबंटित किया गया हो, निम्नलिखित समान दरें वसूल की जाये :—

(i) सर्वेन्ट क्वार्टर रु० 10/- प्रति माह

(ii) गैराज रु० 5/- प्रति माह

विवरण-II

विषय—देश भर में केन्द्रीय सरकार के अधीन रिहायशी आवास के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क की सपाट पदों का परिशोधन।

इस निदेशालय के दिनांक 7 अगस्त, 1987 के का० ज्ञा० सं० 12035(I)/85-नीति-III (खण्ड-III) (i) के आंशिक आशोधन में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने देश भर में उपलब्ध रिहायशी आवासों और (रक्षा मन्त्रालय के अवमानक/अवर्गीकृत आवासों, रक्षा मन्त्रालय के सेवा कर्मियों/अधिकारियों के लिये आवासों और रेल मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन आवासों को छोड़कर) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के अधीन आवासों के अनुज्ञप्ति शुल्क की सपाट दरों का अनुबन्ध-I के अनुसार परिशोधन करने का निर्णय लिया है।

2. अनुज्ञप्ति शुल्क की परिशोधित दरें 1-7-90 से लागू होंगी। जबकि जुलाई, 91 और उसके अगले महीनों के लिए परिशोधित अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली तत्काल शुरू कर दी जानी चाहिए। बकायों

के सम्बन्ध में एक भिन्न पत्र भिजवाया जाएगा जिसमें इन बकायों के वसूल किये जाने के लिये किस्तों की संख्या को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि देश भर में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के नियन्त्रणाधीन आवासों के सम्बन्ध में इन आदेशों के अनुसार परिशोधित अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली के लिये तत्काल कार्रवाई की जाये।

4. इसे शहरी विकास मन्त्रालय के वित्त प्रभाग के दिनांक 25-6-91 के यू० ओ० सं० 856/डब्ल्यू० एण्ड ई०/डी-III/91 के तहत दिये गये अनुमोदन से जारी किया गया है।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का सम्बन्ध है, इसे भारत के नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी दिया गया है।

ह०/-

(आर० डी० सहाय)

सपदा उप निदेशक (नीति)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों।

अनुबंध-I

रिहायशी आवास निश्चित करने के लिए माप दण्ड

मुख्य बिल्डिंग	
(क) कमरे, रसोई, स्नान, लेट्रीन, स्टोर और लगे हुए बरामदे	फ्लोर एरिया का 100%
(ख) बरामदा, कोरीडोर और बरसाती	फ्लोर एरिया का 25%
(ग) पोर्च	फ्लोर एरिया का $12\frac{1}{2}$%
(घ) पक्का कोर्टयार्ड	फ्लोर एरिया का 5%
बाहरी आवास	
(क) कमरे	फ्लोर एरिया का 25%
(ख) बरामदे	फ्लोर एरिया का $12\frac{1}{2}$%

अनुबन्ध-1

टाइप आवास	आवासीय क्षेत्र का (वर्ग मीटर)	अनुज्ञप्ति शुल्क की परिशोधित फ्लैट दर जोकि 1-7-90 से सभी शहरी पर लागू होगी	अभ्युक्ति
ए	30 तक	15/-	वे क्वार्टर प्रसाधन सुविधा युक्त जो दो क्वार्टरों से अधिक के लिये है।
ए	—वही—	20/-	प्रसाधन सुविधा युक्त जो दो क्वार्टरों के लिये होती है।
ए	—वही—	35/-	200 वर्ग फुट से कम कुर्सी क्षेत्र के पुराने क्वार्टर।
ए	—वही—	45/-	300 वर्ग फुट या अधिक कुरसी क्षेत्र के क्वार्टर।
बी	26.5	45/-	350 वर्ग फुट कुरसी क्षेत्र वाले त्वरित कार्यक्रम टाइप बी क्वार्टर जिन्हें टाइप-ए पुनः वर्गीकृत किया गया है।
बी	26.5 से अधिक और 40 तक	80/-	——
बी	41 से 50	100/-	——
सी	34.5	80/-	425 वर्गफुट कुरसी क्षेत्र वाले त्वरित कार्यक्रम टाइप-सी क्वार्टर जिन्हें टाइप-बी पुनः वर्गी किया गया है।
सी	34.5 से अधिक और 55 तक	110/-	——
सी	56 से 65	135/-	——
डी	59 से 75	150/-	
डी	75 से 91.5	190/-	

1	2	3	4
ई	105 तक	230/-	
ई	106 के बाद	270/-	
ई-I	159.5 तक	330/-	
ई-I	159.5 के बाद	395/-	
ई-II	189.5 से 224.5	465/-	
ई-III	243 से 350	665/-	
ई-III	350.5 से 522	975/-	

होस्टल आवास

स्यूट श्रेणी	आवासीय क्षेत्र (वर्ग मीटर)	अनुज्ञप्ति शुल्क का परिशोधित फ्लैट पर जो एक समान रूप से पूरे देश में लागू हैं
सिंगल रूम	21.5 से 30	85/-रु०
सिंगल रूम	30.5 से 39.5	120/-रु०
डबल रूम	47.5 से 60	165/-रु०

स्वतन्त्र का नियमित आवास/होस्टल को आवंटित सर्वेन्ट क्वार्टरों और गैराजों के लिये निम्नलिखित फ्लैट दर वसूल की जाए :

(i) सर्वेंट क्वार्टर 15/-रुपये प्रतिमाह

(ii) गैरेज 8/-रुपये प्रतिमाह

टिप्पणी : ये दरें आवंटितयों की मासिक परिलब्धियों की अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक होगी ।

समुद्री खाद्य उद्योग

*189. **श्री गुरुदास कामत** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समुद्री खाद्य उद्योग में आये संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) देश में समुद्री खाद्य उद्योग मुख्यतः तटीय जल और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और मछली प्रसंस्करण पर

आधारित हैं। जहां तक मछली प्रसंस्करण का सम्बन्ध है किसी गम्भीर संकट की सूचना नहीं मिली है। समुद्री मात्स्यिकी उद्योग को पिछले कुछ वर्षों में कम मछली पकड़ी जाने, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में श्रिम्प के मूल्य में गिरावट आने और जलयान के कुछ कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन करने से जलयान के न चलाये जाने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा। परन्तु चालू वर्ष में स्थिति बेहतर होने की सूचना मिली है। प्रभावित मात्स्यिकी कम्पनियों को राहत देने के लिये अप्रैल, 1991 में एक पुनर्स्थापन स्कीम की घोषणा की गई थी जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

रुग्ण समुद्री मात्स्यिकी कम्पनियों को राहत प्रदान करने की पुनर्स्थापन स्कीम की मुख्य बातें

इस स्कीम की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार है :

(क) वे सभी कम्पनियां जिनके सम्बन्ध में ब्याज के भुगतान को देयता और/या ऋण की मूल राशि की अदायगी 30 जून, 1987 से पहले आरम्भ हो गयी थी वे पुनर्स्थापन सहायता आरम्भ होने से पहले 30 जून, 1987 तक के ब्याज और मूल धन की अदायगी के सम्पूर्ण अतिदेय का भुगतान करेंगी। कुल अतिदेय में से उसके 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान स्कीम आरम्भ होने से एक महीने के अन्दर और शेष 90 प्रतिशत का भुगतान 6 महीने के अन्दर करना होगा।

(ख) उन कम्पनियों के मामले में जहां 30 जून, 1987 तक ब्याज का भुगतान और/या ऋण की मूल धनराशि का भुगतान आरम्भ नहीं हुआ था, सम्बन्धित कम्पनी को उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित तरीके से 30 जून, 1990 तक के अतिदेय के 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

(ग) पुनर्स्थापन सहायता के हिस्से के रूप में दण्ड ब्याज माफ कर दिया जाएगा और जुलाई, 1987 से 30 जून, 1991 तक की अवधि के लिए ब्याज की गणना दस्तावेज दर पर की जाएगी। 30 जून 1991 को समाप्त अवधि के लिए इस प्रकार परिगणित ब्याज का पूंजीकरण किया जाएगा और उसे ऋण की मूल धनराशि में जोड़ दिया जाएगा।

(घ) जहां यार्ड को भुगतान बकाया हो या जलयान अभी प्राप्त किया जाना हो, आयातित जलयानों के मामले में मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण जलयान की लागत में हुई वृद्धि के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के बारे में भारत सरकार विचार करेगी।

(ङ) जहां यार्ड्स को अभी भुगतान किया जाना है वहां स्वदेशी जलयान की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण देने पर भारत सरकार एस० सी० आई० सी० आई० विचार करेगी।

(च) इस पुनर्स्थापन सहायता का लाभ उठाने वाली कम्पनियों के स्वामित्व वाले जलयान की मरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण देने पर भारत सरकार/एस०सी०आई० सी० आई० विचार करेगी।

(छ) विद्यमान ट्रालरों द्वारा अनेक प्रकार की मछलियां पकड़ने के लिए फिशिंग गियर (मछली पकड़ने का साज-सामान) के परिवर्धन/संवर्धन के लिए उन्हें अतिरिक्त ऋण देने पर एस०सी०आई०सी० आई० विचार करेगी।

पटसन उद्योग के श्रमिकों को चिकित्सा भत्ता

*190. **डा० असीम बाला** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योगों, इण्डियन जूट मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन को पटसन उद्योग के उन श्रमिकों को चिकित्सा भत्ता देने के निर्देश दिए हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०) योजना के अन्तर्गत नहीं आते है अथवा जिन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का चिकित्सा भत्ता नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कुल कर्मचारियों को तथा इसके अन्तर्गत न आने वाले कुल कर्मचारियों की, उद्योग-वार, संख्या कितनी-कितनी है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सर्वेक्षित क्षेत्रों में शामिल किए गये और शामिल किये जाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना उद्योगवार विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

उद्योग	31-3-91 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या	
	शामिल किये गये	शामिल किये जाने वाले
खाद्य, पेय तथा तम्बाकू	4,31,950	72,700
वस्त्र	16,35,550	1,12,100
चमड़ा तथा रबड़	2,43,950	47,750
रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	3,83,900	94,900
अधातुयिक खनिज	2,49,350	71,050
धातुयिक खनिज	4,97,400	99,100
इन्जीनियरी	9,84,900	2,05,150
परिवहन	2,82,100	33,550
कागज तथा मुद्रण	2,71,250	32,900
अन्य (वाणिज्यिक प्रतिष्ठान होटल, रेस्तरां इत्यादि)	10,91,650*	1,12,050
अखिल भारत	60,70,000	8,81,250

*समय-समय पर सर्वेक्षणों में और पता लगाये गये ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

*191. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को और अधिक प्रभावी तथा सार्थक बनाने के उद्देश्य से एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यकारी दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया गया था तथा इसके सदस्यों के नाम आदि क्या हैं;

(ग) कार्यकारी दल के निदेश पद क्या हैं; और

(घ) सरकार का दल की सिफारिशें प्राप्त करने, उनकी जांच करने तथा उनको लागू करने सम्बन्धी समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम, 1986 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 को अधिक प्रभावकारी एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु उपयुक्त संशोधन सुझाने के वास्ते केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तत्वावधान में 7-1-91 को एक उच्च अधिकार प्राप्त कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल को पश्चिम बंगाल सरकार के प्रभारी खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री की अध्यक्षता में गठन किया गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति के प्रभारी मन्त्री तमिलनाडु सरकार अथवा उनके प्रतिनिधि, दो संसद सदस्य, केन्द्रीय सरकार, व्यापार और उद्योग तथा उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि अन्य सदस्य हैं। आरम्भ में कार्यदल को चार महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। तथापि, इसकी अवधि दो बार चार-चार महीने के लिए बढ़ाई गई। कार्यदल की वर्तमान अवधि 7-1-92 को समाप्त होगी।

(घ) अभी तक कार्यदल ने अपनी तीन बैठकें की है। कार्यदल की अन्तिम बैठक 6-12-91 को होगी जिसमें रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है। तदुपरान्त इसकी सिफारिशों पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को संशोधित करने हेतु केन्द्रीय सरकार को उचित सिफारिश करेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग

*192. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** :

श्री चित्त बसु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० सी० एच० हनुमन्त राव की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने इस बीच अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एन०सी०आर०एल०) ने अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 1991 को प्रस्तुत कर दी है। विशेष रूप से, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने ग्रामीण श्रमिकों के लिए दो प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने अर्थात

उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार करने और विकासात्मक प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने भू आधारित कृषि विकास, रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योगों के लिए अवसंरचना, मानव संसाधन विकास तथा मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण श्रम के संगठनात्मक तथ्यों और लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीण श्रमिकों की प्रभावी भागेदारी के साथ-साथ उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा उनमें सुधार करने पर जोर दिया है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार है :

(i) 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बालकों के लिये निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा।

(ii) सभी व्यवसायों और कार्यों में बाल श्रम पर रोक।

(iii) निर्धन महिलाओं के लिए एक "राष्ट्रीय महिला क्रेडिट निधि" ताकि वे निर्धारित वित्तीय सीमा तक बिना किसी ऋणाधार के उधार ले सकें।

(iv) दिसम्बर, 1990 की कीमतों पर 20 रु० प्रतिदिन की राष्ट्रीय बेसिक न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और प्रति छमाही पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी०पी०आई०) में वृद्धि के आधार पर मजदूरी में स्वतः वृद्धि की व्यवस्था।

(v) लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर चुने गये संस्थानों द्वारा बनाई जाने वाली क्षेत्रीय विकास योजनाओं से उन्हें सहबद्ध करके समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसा स्वरोजगार कार्यक्रम।

(vi) कृषि में श्रमिकों के स्थान पर प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों जैसे संयुक्त हार्वेस्टर पर रोक।

(vii) प्रवासी श्रमिकों को सहायता देने तथा राहत प्रदान करने के लिए अधिक संगठित नीति।

(viii) ग्रामीण श्रमिकों के परिवारों को ब्याज की कम दर पर उपभोग के लिये कर्ज।

(ix) कोआपरेटिव बैंकों के माध्यम से ग्रामीण श्रमिक परिवारों को सरलता से सांस्थानिक ऋण सुलभ कराना।

क्रियान्वयन उपाय

(x) कतिपय अर्हताओं सहित काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना और इसे कार्यान्वित करने के लिए एक रोजगार गारन्टी अधिनियम।

(xi) कृषि श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने और उनके कल्याण के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान।

(xii) बंधुआ श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय श्रम आयोग जो बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने तथा इसे मानिटर करने के लिए अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में काम करें।

(xiii) घर खाता कर्मकारों और उनके परिवारों के संरक्षण के लिये एक आदर्श (माडल) विधान।

(xiv) भूमि सुधार मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए स्थानीय स्तर पर भू-अधिकरण।

कार्यान्वयन के लिए सांस्थानिक तन्त्र

(xv) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रियता से शामिल करना।

(xiv) केन्द्र तथा राज्यों में एक अलग ग्रामीण श्रम विभाग तथा ग्रामीण श्रमिकों के सभी पहलुओं को देखने के लिये राज्यों में ग्रामीण श्रम का स्वतन्त्र निदेशालय हो।

3. अतः अब, कृषि कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान निर्माण कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान से सम्बन्धित सिफारिशों तथा बन्धुआ श्रमिकों के लिए उठाये जाने वाले आवश्यक कदमों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे देशव्यापी आधार पर लागू होने वाली 20/-रु० न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्धित सिफारिश को लागू करने पर विचार करें।

4. विशिष्ट सिफारिशों से सम्बद्ध अन्य मन्त्रालयों/विभागों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी टिप्पणी 31 दिसम्बर, 1991 तक भेज दें।

बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

*193. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासी क्षेत्रों, विशेषरूप से बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में, उद्योग स्थापित करने हेतु गत दो वर्षों के दौरान कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंसों के आंकड़े केन्द्र द्वारा उद्योग मन्त्रालय में नहीं रखे जाते हैं। किन्तु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन पिछले दो वर्षों में बिहार के छोटा नागपुर सहित केन्द्र द्वारा देश के घोषित पिछड़े क्षेत्रों हेतु जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	देश के पिछड़े क्षेत्रों हेतु जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस
1989	175
1990	167

(ख) जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे जैसे कि उपक्रम का नाम, स्थापना स्थल, उत्पादन की मद (दें) और क्षमता आदि का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज-लेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप भेजी जाती हैं।

लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनः अर्थक्षम बनाना

*194. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों के बारे में कोई नई नीति विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) रुग्णता को रोकने और सम्भावित जीव्य रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए एक मौजूदा नीति है। मौजूदा औद्योगिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के साथ परामर्श करके नीति में और सुधार किए जा रहे हैं।

लाइसेंस प्रणाली समाप्त करना

[हिन्दी]

*195. **श्री छेदी पासवान** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने से लघु और बड़े उद्योगों के प्रभावित होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के समाप्त होने का छोटे या बड़े उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। इसके विपरीत, लाइसेंसिंग से छूट कई क्रियाशील लघु एवं मझोले उद्यमियों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद होगी, जिन्हें, लाइसेंसिंग प्रणाली के कारण अनावश्यक रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

*196. **श्री राजबीर सिंह** :

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला का आधार वर्ष कौनसा है;

(ख) यह आधार वर्ष कब से लागू है;

(ग) क्या सरकार का विचार नया आधार वर्ष निर्धारित करने और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्धारित करने की वर्तमान पद्धति में भी संशोधन करने का है;और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1982 ।

(ख) आधार वर्ष अक्तूबर, 1988 से लागू किया गया था ।

(ग) अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

[अनुवाद]

*197. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

श्री जे० चोक्का राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों को भारत में भारी उद्योगों में पूंजी निवेश की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने अनिवासी भारतीयों को ऐसे उद्योग प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय ने प्रेस नोट दिनांक 28 अक्तूबर, 1991 में दी गई शर्तों के अधीन, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों एवं अन्य उद्योगों में 100% तक इक्विटी निवेश करने के लिए अनिवासी भारतीयों और प्रमुख रूप से उनके स्वामित्व वाले विदेशी निगमित निकायों को अनुमति देने का निर्णय लिया है ।

नवम्बर, 1983 में विशेष अनुमोदन समिति (एन० आर० आई०) गठित होने से अब तक एन० आर० आई० योजना के अन्तर्गत 1101 अनुमोदनों को मंजूरी दी जा चुकी है ।

फुटपाथ वासियों के लिए रैन-बसेरा

*198. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों में फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के लिए रैन-बसेरों की व्यवस्था करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) सभी बड़े शहरी केन्द्रों में, जहां पटरी निवासियों की बहुलता है, पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरों के निर्माण और स्वच्छता सुविधाओं के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना लागू है । इस योजना के तहत विभिन्न स्थानीय निकायों को रैन बसेरों और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था हेतु हुडको के माध्यम से ऋण और आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ।

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई निधियों का नियतन नहीं किया जाता है। जहां तक चण्डीगढ़ का सम्बन्ध है, हुडको के माध्यम से केवल एक ही स्कीम प्राप्त हुई थी तथा यह 1990-91 के दौरान स्वीकृत की गई थी। योजना में, 200 पटरी निवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए रैन बसेरों के निर्माण हेतु 16.42 लाख रुपये की परियोजना लागत निहित है; तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने केवल केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है। आर्थिक सहायता संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के पश्चात ही रिलीज की जाएगी।

रुग्ण चीनी मिलें

*200. **श्री मोरेश्वर सावे :**

श्री जनार्दन मिश्र : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार रुग्ण चीनी मिलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) देश में रुग्ण चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी रुग्ण चीनी मिलों को राज्य-वार अर्थक्षम बनाया है अथवा उनका अधिग्रहण किया है और उनके नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने बाकी चीनी मिलों को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के तहत जो कम्पनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को भेज दिया जाता है। बी० आई० एफ० आर० ने सूचित किया है कि 1987 से 12 मामले प्राप्त हुए हैं जिन पर उपरोक्त अधिनियम के उपबन्धों के तहत समुचित कार्रवाई की जा रही है। ऐसी फैक्ट्रियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण फैक्ट्रियों से सम्बन्धित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) से (घ) चीनी उद्योग की रुग्णता के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे कि अनार्थिक क्षमता, गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, प्लांट एवं मशीनरी की [illegible] स्थिति, अवक्ष प्रबन्धन, गन्ने से चीनी की प्राप्ति का प्रतिशत कम होना आदि।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने किसी भी चीनी फैक्ट्री को अपने नियन्त्रण में नहीं लिया है तथापि, बी० आई० एफ० आर० में लम्बित उन 12 मामलों में से 3 चीनी मिलों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए तथा 4 मिलों को गन्ना विकास योजनाओं हेतु चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किया गया है। ऋण के लिए 3 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। इस स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं होगा कि ये मिलें अर्थक्षम हो जायेंगी।

विवरण

चीनी फैक्ट्रियों, जिनके मामले बी० आई० एफ० आर० को प्राप्त हुए हैं तथा जिन पर समुचित कार्रवाई की जा रही है, के नाम दर्शाने वाला विवरण (प्रतिपालनीय नहीं पाए गए मामलों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है)

क्रम सं०	चीनी फैक्ट्री का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	चल्लापल्ली सुगर्स लि०
2.	किसानपुडी सुगर मिल्स लि०
	बिहार
3.	चम्पारन सुगर वर्क्स लि०
	कर्नाटक
4.	दावनगेरे सुगर कम्पनी लि०
5.	सलारगंज सुगर मिल्स लि०
6.	गंगावती सुगर्स लि०
	राजस्थान
7.	मेवाड़ सुगर मिल्स लि०
	महाराष्ट्र
8.	गोदावरी सुगर मिल्स लि०
	पंजाब
9.	भगवानपुर सुगर मिल्स लि०
	मध्य प्रदेश
10.	जिवाजी राव सुगर कं० लि०
	पश्चिमी बंगाल
11.	रामनुग्गोर केन एण्ड सुगर क० लि०
	उत्तर प्रदेश
12.	लक्ष्मीजी सुगर मिल्स लि०

भूमि का रिकार्ड

*201. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि के रिकार्ड को और अधिक उद्देश्यपूर्ण और संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बारे में राज्य के राजस्व मन्त्रियों की बैठक बुलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसा कानून बनाने का है कि रजिस्ट्रार के लिए यह आवश्यक हो कि वह भूमि के सौदे के केवल उन्हीं मामलों का पंजीयन करे जहां पूरी हैसियत क्रेता के पास जाती हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया था :—

1. भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्ती कार्य करना;
2. बेमापी जमीनों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण;
3. काश्तकारों और बटाईदारों के अधिकारों को रिकार्ड में लाना;
4. बुनियादी स्तरों पर और पर्यवेक्षक स्तरों पर राजस्व तंत्र को सुदृढ़ बनाना;
5. कार्यकुशलता में सुधार लाने और व्यवहार सम्बन्धी परिवर्तन लाने के लिए सर्वेक्षण और बन्दोबस्ती कार्य हेतु राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम;
6. नक्शों की छपाई जैसे राजस्व कार्यों के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग; और
7. आंकड़ों के रख-रखाव और उनमें सुलभता से सुधार के लिए भूमि रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण।

आठवीं योजना (1992-97) को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि, मन्त्रालय ने सातवीं योजना के उपरोक्त कार्यक्रमों को, बड़े पैमाने पर, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता से काश्तकारों और बटाईदारों के अधिकारों को रिकार्ड में लाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करते हुए, जारी रखने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) सरकार का विचार भूमि सुधार उपायों की अन्य मदों के साथ-साथ भूमि अभिलेखों को अधिक सार्थक और युक्तिसंगत बनाने के उपायों पर चर्चा करने हेतु राजस्व मन्त्रियों की एक बैठक बुलाने का है। बैठक आयोजित करने के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) इस समय, पंजीकरण की प्रक्रिया में भूमि के साथ नामजदगी को जोड़ने के प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है। तथापि, यह बताना सम्भव नहीं है कि जांच, अध्ययन और परामर्श की प्रक्रिया के पश्चात सरकार का क्या दृष्टिकोण बनेगा।

लाइट रेल परिवहन व्यवस्था

2049. श्री अनंतिशयन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने लाइट रेल परिवहन व्यवस्था आरम्भ करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इस योजना को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्च, 1988 में मैसर्स रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) को द्रुतगामी परिवहन प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए एक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए काम पर लगाया। मैसर्स राइट्स ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद युग्म शहरों में 45.078 किलोमीटर की कुल दूरी को शामिल करते हुए 307.00 करोड़ रुपये लागत की एक लाइट रेल परिवहन प्रणाली के निर्माण की सिफारिश की है। पहचान किये गये मार्ग हैं :—

(I) बाला नगर से खैरातावाद

(II) खैरातावाद से चारमीनार

(III) भोजमजाही मार्किट से सिलमुख नगर

परियोजना के वित्तीकरण के लिए एक-मुश्त वित्त प्रबन्ध को राज्य सरकार द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

[हिन्दी]

2050. श्री गोविन्दराव निकाम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं; जो गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपे जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित कुछ उत्पादों के निर्माण की अनुमति गैर-सरकारी क्षेत्र को भी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह अनुमति किन-किन क्षेत्रों के लिए दी गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में सरकारी क्षेत्र के लिए उद्योगों की आरक्षित सूची 17 से घटाकर 8 कर देने का पहले ही उल्लेख किया गया है। उन उत्पादों का विनिर्माण, जहां सामरिक महत्व के क्षेत्रों का प्रभुत्व है, सरकारी क्षेत्र के पास रहेगा। अन्य उद्योगों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करते हुए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की जायेगी।

कृभको की बंगाल एकक का बन्द होना

[अनुवाद]

2051. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृभको की बंगाल एकक को बन्द करने के निर्णय की इसके कर्मचारियों ने तीखी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो इसको बन्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनका भविष्य क्या होगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उर्वरकों के परिवहन को तर्कपरक व्यवस्था बनाने तथा भाड़ा आर्थिक सहायता के न्यूनतम बहिर्गमन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल को यूरिया की आपूर्ति के लिए कृषक भारती कोआपरेटिव लि० (कृभको) को खरीफ 1991 और रबी 1991-92 के दौरान कोई आबंटन नहीं किया गया। राज्य में किसी भी विपणन कार्य के न होने के कारण कृभको ने कलकत्ता में अपना विपणन कार्यालय बन्द कर दिया।

(ग) 6 कर्मचारी अन्य विपणन एककों में समायोजित किए जायेंगे।

विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन

2052. **श्री के० वी० तंगका बालू** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को आबंटित किये गये खाद्यान्नों तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन खाद्यान्नों के बीच काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने तथा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1988-89 से 1990-91 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से 78 प्रतिशत से 89 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न मात्रा में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का उठान किया गया। वर्तमान वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1991 तक उठान के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर उठान की मात्रा 84 प्रतिशत बैठती है। आबंटनों और उठान के बीच इतना अन्तर कोई अधिक नहीं कहा जा सकता है। मासिक आबंटनों के प्रति उठान स्थानीय उत्पादन उचित दर की दुकानों में मूल्यों और खुले बाजार में मूल्यों के बीच मूल्य-अन्तर, अनाजों की विशिष्ट किस्म अथवा गुणवत्ता के लिए उपभोक्ता तरजीह, वर्ष की अवधि आदि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करता है।

सोनीपत हरियाणा में एक औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

2053. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरियाणा के औद्योगिक रूप से पिछड़े सोनीपत जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1979 की योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन

[अनुवादक]

2054. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले डी० डी० ए० फ्लैट मासिक किराया खरीद आधार पर आवंटित किए जाते थे; यदि हां, यह नीति कब परिवर्तित की गई और उसके क्या कारण थे;

(ख) क्या न्यू पैटर्न स्कीम 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन में विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) डी० डी० ए० द्वारा फ्लैटों के आवंटन विक्रय इत्यादि सम्बन्धी नीतियों में कितनी बार परिवर्तन किया गया और इसके क्या कारण थे और इससे 1979 योजना अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ा तथा पंजीकृत व्यक्तियों को शीघ्र आवंटन सुनिश्चित करने हेतु कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वेंकैयानायडू) : (क) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत जनता श्रेणी के सभी फ्लैट किराया खरीद आधार पर आवंटित किये जाते हैं। निम्न आय वर्ग के 75% फ्लैट किराया खरीद आधार पर तथा 25% फ्लैट नकद आधार पर आवंटित किये जाते हैं। मध्यम आय वर्ग के 60% फ्लैट किराया खरीद आधार पर तथा 40% फ्लैट नकद आधार पर आवंटित किये जाते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भूमि तथा मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण ।

(घ) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के ढांचे में निहित प्रावधानों में, पंजीकृतों के हित में किसी प्रकार का आक्षेप/परिवर्तन नहीं किया गया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त पर इस योजना के शेष पंजीकृतों को आठवीं योजना के दौरान फ्लैट आवंटित करने हेतु ठोस योजनाएं प्रतिपादित की है ।

लघु औद्योगिक एककों को प्रोत्साहन

2055. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपभोक्ता वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु औद्योगिक एककों को उनके क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) लघु, बहुत छोटे तथा ग्रामीण उपक्रमों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ बनाने के लिए 6-8-1991 को सदन में रखे गये इन नीति सम्बन्धी उपायों से उपभोक्ता वस्तु उद्योगों सहित लघु एककों को और जीव्यतन तथा विकास प्रोत्साहन प्रदान करने का अभिप्राय है।

पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थापित उद्योग

2056. श्री धर्मण्णा भौंडव्या सादुल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्र विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र में औद्योगिकीकरण कार्यक्रम सातवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी दो वर्षों में उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) पिछड़े क्षेत्र, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उद्योग मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरना

2057. श्री कुप्पा दत्त सुल्ताकुप्पी : क्या उद्योगमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के आरम्भ में उद्योग मन्त्रालय में अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों, इन दोनों श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े थे;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आरक्षित पदों को भरने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) शेष आरक्षित पदों को कब तक भरा जावेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) दिनांक 31-3-1990 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षित

रिक्त पदों का पुराना बकाया (बैक लॉग) निम्नलिखित है :—

	अ०जा०		अ०ज०जा०	
वर्ग "क"	33		22	
वर्ग "ख"	39		33	
वर्ग "ग"	122		119	
वर्ग "घ"	18		19	
योग	212	+	193	= 405

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को भरने के वास्ते सरकार सावधिक रूप से विशेष भर्ती अभियान चलाती है।

जिन राज्यों में अ०जा०/अ०ज०जा० के लोगों की संख्या अधिक है उन राज्यों की सरकारों से परामर्श करके इन रिक्त पदों को भरने हेतु पात्र और सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन करने का काम भी किया जा रहा है। दिनांक 1-11-91 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार 142 पद भरे गये हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

	अनु०जा०	अनु०ज०जा०
वर्ग "क"	16	5
वर्ग "ख"	13	11
वर्ग "ग"	52	22
वर्ग "घ"	12	11

शेष 263 रिक्तियों में से 66 रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु यह कार्य संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग को सौंप दिया गया है। सुयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए 197 पदों का विज्ञापन अखबारों को दे दिया गया है/रोजगार केन्द्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों को उनकी सूचना दे दी गयी है।

एक अन्य विशेष भर्ती अभियान भी चालू किया गया है।

नारियल-जटा उद्योग के कार्यकरण में सुधार

2058. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल-जटा उद्योग के कार्यकरण में सुधार करने के लिए केरल सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केरल राज्य सरकार

द्वारा कुल 5,000 लाख रुपये की लागत की एकीकृत केयर विकास परियोजना, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम लि०, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी होगी, प्राप्त हुई है और इस पर कार्यवाही की जा रही है :

सोडा ऐश की सप्लाई

2059. **श्री परशराम भारद्वाज :** क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनिर्माताओं द्वारा प्रयोक्ताओं को सोडा ऐश सप्लाई करने के सम्बन्ध में नवीनतम मार्ग निर्देश जारी किये गए हैं;

(ख) सहकारी संस्थानों जैसे सुपर बाजार राज्य सहकारी बिक्री केन्द्रों आदि द्वारा सप्लाई किए जाने के लिए इसका कितना प्रतिशत आरक्षित है;

(ग) क्या वर्तमान उत्पादन प्रयोक्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) भारत सरकार ने निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं को सोडा ऐश की आपूर्ति के लिए कोई मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी नहीं की हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आशय पत्रों का अन्तरण

2060. **श्री के० प्रधानी :** क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने क्योंझर (बालासोर के स्थान परिवर्तन के लिए भेजा गया है) कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी परियोजनाओं के लिए जारी किये गए आशय-पत्रों को क्रमश: धारनी शुगर्स और केमिकल्स लिमिटेड, उड़ीसा शुगर लि०, पोन्नी शुगर्स लि० तथा वेस्टर्न इंडिया शुगर एवं केमिकल्स लिमिटेड को अन्तरण करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) क्या ई० पी० कोल द्वारा आशय-पत्र में निर्धारित 26 प्रतिशत की साम्यपूंजी भागीदारी के बजाय 11 प्रतिशत की साम्यपूंजी भागीदारी के साथ उपरोक्त कम्पनियों के नाम पर आशय-पत्र के अन्तरण का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इन चार मामलों में से खान मन्त्रालय ने, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन

उड़ीसा लि० (ई० पी० कोल) को नवरंगपुर, जिला कोरापुट, बोलनगीर, जिला बोलनगीर तथा धर्मगढ़, जिला कालाहांडी में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जारी किए गए आशय पत्रों को क्रमशः मैं उड़ीसा शुगर्स लि०, पोन्नी शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि० तथा मै० वेस्टर्न इंडिया शुगर एण्ड केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि० के नाम अंतरण करने की सिफारिश पहले ही कर दी है।

ई० पी० कोल को आनन्दपुर, क्योंझर (अब क, जिला क्योंझार को स्थान परिवर्तन के लिए भेजा गया है) में नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए जारी किए गए आशय-पत्र के अन्तरण के अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है।

विजयवाड़ा नगर निगम द्वारा भेजी गयी कम लागत वाली सफाई योजना

2061. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा नगर निगम ने जून, 1984 में कम लागत वाली सफाई योजना मंजूरी के लिए भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय यह मामला किस चरण में है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) विजयवाड़ा नगर निगम ने 14,113 नये वाटर सील पोर फ्लश शौचालयों के निर्माण और 5,530 वर्तमान शुष्क शौचालयों के परिवर्तन हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुदान सहायता और आवास तथा नगर विकास निगम से ऋण सहायता के लिए 3.38 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की एक कम लागत वाली स्वच्छता योजना प्रस्तुत की है।

(ग) राज्य सरकार ने 169 लाख रुपए अनुदान के रूप में रिलीज किए है। हुडको ने 167.07 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया है जिसमें से 137.67 लाख रुपए अब तक रिलीज किए जा चुके हैं। विजयवाड़ा नगर निगम ने 13,327 नए वाटर सील पोर फ्लश शौचालयों के निर्माण और 862 शुष्क शौचालयों के परिवर्तन के लिए 275.83 लाख रुपए व्यय किए हैं।

चीनी उद्योग की समस्याएं

2062. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या योजना और कार्यान्वयन सांख्यिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी उद्योग की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में चीनी मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं क्योंकि वे अधिक मूल्य पर गन्ना खरीदने में सक्षम नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां गन्ने की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) उन राज्य सरकारों पर गन्ने की कीमतों को कम करने के निर्देश देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) गन्ने की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण संकट ग्रस्त चीनी मिलों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किये गए हैं ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग) सरकार को अभी तक किसी भी चीनी मिल के बन्द होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) केन्द्र सरकार ने चीनी उत्पादक राज्यों की राज्य सरकारों से लिखित रूप में यह अनुरोध किया है कि वे राज्य द्वारा सिफारिश की गई अत्यधिक गन्ना कीमतों की घोषणा करते समय इनके परिणामों को ध्यान में रखें तथा यदि इन्हें नियन्त्रण में नहीं रखा गया तो फैक्ट्रियों की और किसानों को देय गन्ना कीमत का बकाया काफी बढ़ जाएगा और उद्योग में रुग्णता बढ़ेगी।

(ङ) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जैसाकि लेवी चीनी व खुली बिक्री चीनी का अनुपात 45 : 55 ही रखना तथा 1 अक्तूबर, 1991 से 15 नवम्बर, 1991 तक की जल्दी पेराई अवधि के दौरान किए गए चीनी उत्पादन पर उच्चतर खुली बिक्री कोटे की घोषणा। 1991-92 मौसम के लिए लेवी चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमतों में भी संशोधन किया जाएगा।

दिल्ली में जन वितरण केन्द्रों पर छापे

2063. श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री सूर्य नारायण यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान और चालू वर्ष में नवम्बर, 1991 तक दिल्ली में कितने जन वितरण केन्द्रों पर छापे मारे गए;

(ख) इन छापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलाहुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) मारे गए छापों का विवरण निम्नवत है :

	1990 (जन० से दिस०)	1991 (जन० से 15 नव०)
उचित दर दुकानें	291	915
मिट्टी के तेल का डिपो	140	479
कोयला डिपो	—	12
कुल	431	1406

(ग) इन छापों के फलस्वरूप 1990 में 159 व्यक्तियों तथा 1991 में 557 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया गया है :—

	1990 (जनवरी से दिसम्बर)	1961 (जनवरी से 15 नवम्बर)
दर्ज कराई गई	5	55
प्रथम सूचना रिपोर्ट	6	80
विभागीय कार्यवाही	148	422
कुल	159	557

उड़ीसा में नलकूप

2064. **श्री सुभाष चन्द्र नायक** : क्या प्रधान मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

उड़ीसा के कालाहांडी जिले में नलकूपों/मिलियन वेल्स उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना का ब्यौरा क्या है और जिले के आदिवासी/हरिजन बस्तियों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गरीब छोटे तथा सीमान्त किसानों और मुक्त बन्धुआ मजदूरों को निशुल्क खुले सिंचाई कुएं मुहैया कराने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना के रूप में दस लाख कुओं की योजना शुरू की गई है। दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत आवंटन केवल खुले कुओं के लिए किया जाता है और इस योजना के अन्तर्गत ट्यूबवैल और बोरवैल नहीं लगाए जा सकते। तथापि, जहां भू-भौतिकीय कारणों से कुएं खोद पाना सम्भव नहीं है, वहां सिंचाई तालाब, जल एकत्रीकरण ढाचों जैसी लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं के लिए और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों की जमीनों को विकसित करने के लिए दस लाख कुओं की योजना की निधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के कालाहांड़ी जिले में उपलब्ध निधियों (गत वर्ष की बकाया राशि + रिलीज की गई निधियां) और किए गए खर्च के बारे में ब्यौरे निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	उपलब्ध निधियांपिछले वर्ष की बकाया राशि	रिलीज की गई निधियां	योग	खर्च
1	2	3	4	5
1989-90	237.41	61.15	298.56	276.74
1990-91	21.82	457.40	479.22	170.33
1991-92	308.89	148.50*	457.39	214.10**

राज्य प्राधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार, कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 6380 कुएं बनाए गए है।

* आवंटन

** वास्तव

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पताल

2065. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पताल शुरू करने के लिए मानदण्ड क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा के कितने अस्पतालों को स्वीकृति दी गयी;

(ग) क्या केरल सरकार ने केरल में कर्मचारी राज्य बीमा के नये अस्पताल शुरू करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबर) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर क० रा० बी० निगम द्वारा नये क० रा० बी० अस्पतालों को मंजूरी दी जाती है । प्रति 1000 बीमाकृत व्यक्तियों के लिए चार बिस्तरों का मानदण्ड है किन्तु सामान्यतः कम से कम 50 बिस्तरों का अस्पताल खोला जाता है ।

(ख) निगम चालू वर्ष के दौरान दो नये अस्पतालों के निर्माण के लिए सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

टायर के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

2066. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टायर के मूल्यों में वृद्धि के मामले को औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस ब्यूरो द्वारा वर्ष 1988 के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) सरकार के अनुरोध पर औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने टायर उद्योग का अध्ययन किया था । इसकी रिपोर्ट दो चरणों, एक मई, 1985 और दूसरा जून, 1987 में प्रस्तुत की गई थी । औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिश पर सरकार ने ट्रक तथा बस टायरों की विशिष्ट श्रेणियों को बल्क उपभोक्ताओं द्वारा आपात के लिए घटाई गई शुल्क दर पर जी० ओ० एल० के अन्तर्गत रखा है ताकि इन टायरों के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके ।

प्रशिक्षित प्रशिक्षुकों को डिप्लोमा

2067. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नौकरियों के विभिन्न क्षेत्रों (ट्रेडों) प्रशिक्षित शिक्षुओं के लिए निश्चित किए गए वेतनमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में "टूल एण्ड डाई मेकिंग ट्रेड" का चार वर्ष का प्रशिक्षण देता है और प्रशिक्षण पूरा करने पर डिप्लोमा दिया जाता है जबकि फर्मों से उक्त प्रशिक्षण लेने पर उन्हें सार्टिफिकेट ही दिया जाता है;

(ग) क्या परीक्षा लिए जाने के बाद मंत्रालय द्वारा उक्त डिप्लोमा और सार्टिफिकेट दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवर) : (क) शिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका दी जाती है। उनके प्रशिक्षण के बाद, उन्हें मार्किट की मांग के अनुसार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में नियुक्त किया जाता है। ये शिक्षु जो नौकरी प्राप्त करते हैं उनके वेतनमानों के ब्यौरे श्रम मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) (i) वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली स्थित "टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सैंटर" टूल और डाई मेकिंग में चार वर्षीय डिप्लोमा आयोजित कर रहा है और इसकी परीक्षा दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है।

(ii) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन टूल और डाई मेकिंग के व्यवसाय में चार वर्षीय शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तथा व्यवसाय परीक्षाएं राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, श्रम मंत्रालय के तत्वावधान के अन्तर्गत आयोजित की जाती हैं और सफल शिक्षुओं को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं।

(घ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए कोई भेदभाव नहीं है।

भविष्य निधि सम्बन्धी नियमों में संशोधन

2068. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** :

कुमारी दीपिका चिखलिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा आदि में अंशदान की देय राशि का नियमित रूप से भुगतान करने हेतु प्रबन्धन को कानूनी परिधि में लाने के लिए विद्यमान नियमों में कुछ संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो संशोधन किए जाने में कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महरौली स्थित लाला रामस्वरूप क्षय रोग और सम्बद्ध रोग संस्थान में मरम्मत कार्य

[अनुवाद]

2069. **श्री केशरी लाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में महरौली स्थित लाला रामस्वरूप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग संस्थान के वार्डों की स्थिति शोचनीय है और उनकी शीघ्र ही मरम्मत करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दो वर्ष पहले इसकी मरम्मत का कार्य हाथ में लिया था इस कार्य को करने के लिए आवश्यक धन भी उपलब्ध करा दिया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सौंपे गये उक्त कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त मरम्मत कार्य को निर्धारित समय में शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) यह सही है कि महरौली स्थित लाला रामस्वरूप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग संस्थान में मरम्मत करने की आवश्यकता है। संस्थान में नवीकरण का कार्य एक "निक्षेप कार्य" के रूप में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था। चूंकि लगभग सभी वार्डों में मरम्मत/नवीकरण की आवश्यकता थी और संस्थान को बन्द करना सम्भव नहीं था, अत: सभी वार्डों का एक साथ ही नवीकरण नहीं किया जा सका। तदनुसार, संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एक समय पर एक वार्ड में ही नवीकरण कार्य किया जाये। अन्य वार्डों में कार्य केवल तब ही शुरू किया जायेगा जब एक वार्ड पूरा हो जाये तथा संस्थान प्राधिकारियों को पुन: सौंप दिया जाये। इस कारण कार्य में अधिक समय लगा। एक समय-सीमा के अन्दर कार्य पूरा करने की दृष्टि से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और संस्थान के प्राधिकारियों के मध्य निकट समन्वय रखा जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम

2070. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान में नवीनतम समीक्षा के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या प्रगति सन्तोषजनक है; और

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सामान्य रूप से आंध्र प्रदेश को और विशेष रूप से चित्तूर और अनन्तापुर जिलों को 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में 20 सूत्री कार्यक्रम के 28 चुनिन्दा मद, जिनके

कार्यान्वयन का प्रबोधन प्रतिमाह किया जाता है, उनके लक्ष्य और उपलब्धि का ब्यौरा एक विवरण पत्र में दिया गया है जो विवरण I के रूप में संलग्न है।

(ख) 25 राज्यों में से आन्ध्र प्रदेश का (28 चुनिन्दा मदों में से 19 पर आधारित) वार्षिक समग्र स्थान निम्नलिखित रहा है :

1988-89	17
1989-90	22
1990-91	10

(ग) आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय आबंटन का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा जिलों को निधि आबंटित की जाती है। चित्तूर और अनन्तापुर जिलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण-1

राज्य का नाम : आन्ध्र प्रदेश

क्रम सं०	सूत्र कोड	सूत्र विवरण	इकाई	88-89 लक्ष्य	88-89 उपलब्धि	88-89 %	89-90 लक्ष्य	89-90 उपलब्धि	89-90 %	90-91 लक्ष्य	90-91 उपलब्ध	90-91 %
1.	01क	ए०ग्र०वि०का०	सं०	234905	301296	128	214229	280412	131	174916	293955	168
2.	01ख	ज०रो०यो० (श्रम दिवस)	सं०	60503000	61609000	102	77278000	77715000	101	91998000	79459000	86
3.	01ग	लघु उद्योग इकाईयां (पं०)	सं०	10000	13425	134	11000	13991	127	11550	14932	129
4.	05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	35000	23178	66	32000	19179	60	16000	24130	151
5.	06	बंधुआ मजदूरों का पूनर्वास	सं०	3000	710	24	2200	582	25	—	—	—
6.	07क	सुलझाई गई पे० ज० सम० (गां०)	सं०	4000	2500	63	2500	2166	87	1000	1100	110
7.	08क	सा० स्वास्थ्य केन्द्र	सं०	40	0	0	20	0	0	30	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	08ख	प्रा० स्वा० के० (प्रा० स्वा० के०) उप-केन्द्र	सं०	200	0	0	200	0	0	60	0	0
9.	08ग	उपकेन्द्र	सं०	1000	0	0	1236	0	0	—	—	—
10.	08घ	बा० प्र० (डी० पी०टी०पो० एवं बी० सी० जी०	सं०	1246000	1038434	83	1343500	1148750	86	1346284	1629000	121
11.	09क	परि० नि० नस-बन्दी	सं०	600000	475000	79	637000	439000	69	650000	464000	71
12.	09ख	सम०नस०आई० यू०डी०सी० सी० तथा ओ० पी०	सं०	166722	114880	69	218222	140919	65	234920	151673	65
13.	09ग	ए०बी०वि० सं० सं० खं० परि० (सं०)	सं०	99	99	100	103	112	109	121	119	98
14.	09घ	आंगनवाड़ी (संचयी)	सं०	10801	10945	101	11281	13031	116	14041	13539	96
15.	11क	सहायता प्राप्त (अ० जा० प०)	सं०	230000	376067	164	260000	405090	156	278000	315970	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	11ख	सहायता प्राप्त (अ०ज०जा०पा०)	सं०	54000	123073	228	54000	131240	243	60000	85630	143
17.	14क	आवं०आ० स्थल (परिवार)	सं०	90000	126011	140	30000	96118	320	100000	57660	58
18.	14ख	निर्माण सहायता (परि०)	सं०	125000	128075	102	125000	83689	67	44600	77310	173
19.	14ग	इन्दिरा आवास योजना (मकान)	सं०	13143	9948	76	9095	7232	80	7913	5834	74
20.	14घ	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को म०	सं०	15000	9086	61	145000	9258	6	6100	5080	83
21.	14ङ	निम्न आय वर्ग को म०	सं०	1500	1501	100	1500	1239	83	1500	0	0
22.	15	गंदी बस्ति का० सु० (जनसंख्या)	सं०	125000	363979	291	150000	220796	147	125300	301440	241
23.	16क	वृक्ष रोपण	सं०	320000000	283495000	89	320000000	263515550	82	240000000	242035000	101
24.	18	उचित दर दुकानें	सं०	108	777	719	108	187	173	84	167	199
25.	19क	विद्युतिकृत गांव	सं०	500	1116	223	650	513	79	250	260	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	19ख	शक्ति चालित पंप सेट	सं०	92500	98497	106	77000	74897	97	66360	84083	127
27.	19ग	सुधरे चूल्हे	सं०	100000	158509	159	120000	92022	77	120000	127131	106
28.	19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	सं०	15000	10233	68	14000	5398	39	8000	8784	110

विवरण-II

आन्ध्र प्रदेश को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत आबंटित किए गए परिव्यय।

(लाख रुपये)

क्र०सं०	मद	1990-91	1991-92
1.	ग्रामीण गरीबी पर प्रहार		
	ए० ग्रा० वि० कार्यक्रम	4177	3908
	ज० रो० योजना	4250	3124
	सा० वि० और पंचायत	2305	1168
	बी० एण्ड एस० आई०	2753	2011
2.	वर्षा पर निर्भर कृषि	662	470
3.	सिंचाई का बेहतर इस्तेमाल	30000	28486
4.	उन्नत कृषि/अधिक उत्पादन	3082	2861
5.	भूमि सुधार	531	415
6.	स्वच्छ पेय जल	3000	2765
7.	सभी के लिए स्वास्थ्य	690	693
8.	दो बच्चों का आदर्श परिवार-पोषण	165	390
9.	शिक्षा	5178	3930
10.	अ० जा०/अ० ज० जा० परिवारों को न्याय	5500	4015
11.	युवा वर्ग के लिए अवसर	122	109
12.	लोगों के लिए आवास सुविधाएं	4000	3625
13.	गंदी बस्तियों का सुधार	908	276
14.	वाल्मिकी	1400	806
15.	पर्यावरण की रक्षा	52	77
16.	उपभोक्ता कल्याण	—	—
17.	गांवों के लिए ऊर्जा	25	15
	योग	68.800	59.144

विवरण-III

चित्तूर और अनंतापुर जिलों को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए विभिन्न सूत्रों का वित्तीय आवंटन

	चित्तूर (लाख रुपये)		अनंतापुर (लाख रुपये)	
मद	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
ग्रामीण गरीबी पर प्रहार				
ए० ग्रा० वि० का०	—	308.19	उपलब्ध नहीं	298.70
ज० रो० योजना	928.15	1000.26	903.59	883.21
स्वच्छ पेय जल	31.00	201.50	8.00	202,50
अ० जा०/अ० ज० जा० को न्याय	151.64	54.05	137.62	35.17
लोगों के लिए मकान	168.55	उपलब्ध नहीं	145.86	उपलब्ध नहीं
गंदी बस्तियों का सुधार	17.25	17.00	23.25	24.00
वन खण्ड	23.75	उपलब्ध नहीं	26.25	उपलब्ध नहीं
गांवों को ऊर्जा	27.98	उपलब्ध नहीं	9.66	उपलब्ध नहीं

कम्प्यूटर का निर्यात

[हिन्दी]

2071. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करके देश में कितने प्रकार के कम्प्यूटर विकसित किये गये हैं;

(ख) क्या स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके भारत में कोई सुपर कम्प्यूटर भी विकसित किया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(घ) मौसम विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे कम्प्यूटरों की क्या उपलब्धि रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) निम्नलिखित प्रकार के कम्प्यूटरों का स्वदेश में ही विकास किया जा रहा है तथा भारतीय

कम्पनियों द्वारा इनका उत्पादन किया जा रहा है :

(I) पी० सी०/एक्स० टी० 80386 किस्म के माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित मिनी कम्प्यूटर

(II) मल्टी बस II तथा वी०एम० ई० पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियां

(III) माइक्रो प्रोसेसर 80386 तथा 68030 पर आधारित शेयर्ड मैमोरी बहु-संसाधक (मल्टी-प्रोसेसर) प्रणाली

(IV) I —860 माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित ग्राफिक प्रणालियां

(V) समानान्तर प्रोसेसर पर आधारित सुपर कम्प्यूटर

(ख) जी, हां। समानान्तर प्रोसेसर की वास्तुकला पर आधारित सुपर कम्प्यूटर का विकास स्वदेशी डिजाइन तथा विकास कार्यों के जरिए देश में ही किया गया है। इन कम्प्यूटरों में 1000 मेगा फ्लाप्स की अधिकतम अभिकलन क्षमता है। जहां तक इस समय देश में ही निर्मित किये जा रहे मेनफ्रेम कम्प्यूटरों तथा वर्क स्टेशनों का सम्बन्ध है, स्वदेशी डिजाइन के आधार पर तैयार किये गये ये सुपर कम्प्यूटर अभिकलन क्षमता में 256 नोडीय मशीनों के लिए 100 से भी अधिक है।

(ग) समानान्तर प्रोसेसर पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियों का निम्नलिखित क्षेत्रों में इस्तेमाल करने योजना है :—

—सुदूर संवेदन

—प्रतिबिम्ब संसाधन

—सिग्नल संसाधन

—प्रक्षेपण यान डायनामिक्स

—अभिकलनात्मक द्रव्य डायनामिक्स

—फिनिट एलिमेंट मॉडलिंग

—तेल भण्डारण मॉडलिंग

—अभिकलनात्मक भौतिकी विज्ञान

—अभिकलनात्मक रसायन विज्ञान

—खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी

—सामग्री विज्ञान

—अभिकलनात्मक गणित शास्त्र

—ग्राफिक्स तथा प्रत्यक्षीकरण

—एअरोडायनामिक अनुप्रयोग

(घ) स्वदेश में ही तैयार की गई कम्प्यूटर प्रणालियों का अभी तक मौसम-विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया गया है। किन्तु, मौसम के पूर्वानुमान के लिए इन सुपर कम्प्यूटरों का प्रयोग करने के लिए मौसम-विज्ञान विभाग द्वारा परियोजना बनाई जा रही है।

भूमिगत मल-निकासी योजना के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

2072. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने भूमिगत मल निकासी योजना के अन्तर्गत केरल को कुल कितनी सहायता दी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : शहरी क्षेत्रों में भूमिगत मल-निकासी के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कोई योजना नहीं है । परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सहायता का प्रश्न नहीं उठता है ।

फेरीवालों को किओस्कों/दुकानों का आवंटन

2073. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फेरीवालों/आवासकारों के दावों की गहन जांच करने के लिए जी० पी० थरेजा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्य ता में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने फेरीवालों/आवासकारों को पुनर्स्थापित करने के लिए कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आवंटन में अनियमितताएं होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी है तथा उस पर निर्णय की अभी प्रतीक्षा है । नई दिल्ली नगर पालिका ने आगे बताया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि समिति की अन्तिम सिफारिशों/रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को भी प्रस्तुत कर दी गई है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां । संलग्न विवरण के अनुसार ।

(ङ) और (च) थारेजा समिति के गठन के पश्चात् फेरीवालों/अनधिवासियों को पुनर्वास उपाय के रूप में अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है तथा इस प्रकार शिकायत का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(1) पात्रता मानदण्ड इस प्रकार होंगे :—

1. सम्बन्धित क्षेत्रों में उपलब्धता की शर्त पर 1977 तक सभी पात्र अनधिवासी कियोस्को और स्टालों के आवंटन के लिए पात्र होंगे । जब तक उन्हें कियोस्क और

स्टाल आवंटित किए जाते है तब तक उपयोग्य प्रभारों पर तहबाजारी की अनुमति दी जायेगी।

2. उपयुक्त स्थान की उपलब्धता की शर्त पर 1978 से 1980 के सभी पात्र अनधिवासियों को अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में तहबाजारी की अनुमति के लिए पात्र माना जायेगा। तथापि, 1977 तक के पात्र अनधिवासियों को समायोजित करने के पश्चात् यदि स्टाल/कियोस्क उपलब्ध हों तो इस सूची के अनधिवासी भी कियोस्कों/स्टालों के आवंटन के लिए पात्र हो जायेंगे।

3. यदि सम्बन्धित क्षेत्र में ऐसे आवंटन के लिए उपयुक्त रिक्त स्थान खाली होता है तो 1981 से 1987 के पात्र अनधिवासियों को भी तहबाजारी के आवंटन के लिए विचार किया जा सकता है।

4. अनधिवासियों की पात्रता निर्धारित करने के लिए अनधिवास का प्रमाण जैसे नई दिल्ली नगर पालिका से बेदखली प्रभारों की रसीद, पुलिस द्वारा चालान, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा स्वीकृत उदारता अनुमति सम्बन्धित दस्तावेज होंगे।

5. तहबाजारी धारकों को तब तक उनके वर्तमान स्थलों से नहीं हटाया जायेगा जब तक ऐसा करने के लिए कोई विशेष कारण हों।

6. इसी प्रकार, वे व्यक्ति जिन्हें उदारता अनुमति की स्वीकृति दी गई थी, को भी सामान्यतः उनके वर्तमान स्थलों से नहीं हटाया जायेगा।

7. उन व्यक्तियों जिन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है, के मामलों की इस योजना की रूपरेखा के भीतर अलग से जांच की जायेगी तथा जहां तक हो, या तो उसी कालोनी में या समीपस्थ कालोनी में उन्हें समायोजित करने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) आवंटन के मामले में आरक्षण :—

आवंटन के मामले में आरक्षण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्रतिशतता की अनुमति होगी :

(क) सामान्य श्रेणी	60%
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी	12.5%
(ग) शारीरिक रूप से विकलांग	10%
(घ) भूतपूर्व सैनिक	2.5%
(ङ) युद्ध में शहीदों की विधवाएं	2%
(च) स्वतन्त्रता सेनानी	3%
(छ) घोर विपत्ति और मानवीय आधार	10%

(3) खुली तहबाजारी के आवंटन के लिए शर्तें :—

1. परिष्कृत विलासता की मदें, आयातित या तस्करी का सामान को छोड़कर केवल

गैर-लाइसेंसशुदा व्यवसाय अर्थात् पान, बीड़ी, सिगरेटें, चना, मूंगफली, हौजरी की मदें, खिलौने, लेखन-सामग्री की छोटी मदें, लाटरी टिकटें, ताजी सब्जियां और बिना कटे फल, पैक हुए बेकरी की मदें आदि को अनुमति दी जायेगी ।

2. खाद्य मदों जिसमें धुल पड़े तथा जो स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, को पकाने या बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

3. गैर-लाइसेंस योग्य व्यवसाय के लिए 6' × 4' और पान, बीड़ी, सिगरेटों के व्यवसाय के लिए 4' × 3' माप के खुले स्थान की अनुमति दी जायेगी ।

4. आवंटित स्थान पर कोई निर्माण/कोई शैड/संरचना/चाहरदीवारी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी । तथापि, व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार मूविंग फर्नीचर की अनुमति होगी । खिसकाया जा सकने वाला ढांचा जो ऊंचाई में 4' से अधिक न हो, की अनुमति दी जायेगी ।

5. केवल उस व्यक्ति के वास्तविक उपयोग के लिए अनुमति होगी जिसे अनुमति प्रदान की गई है और यह किसी प्रकार से दूसरे के साथ शेयर नहीं होगी या अन्तरित नहीं होगी ।

6. समिति द्वारा निर्धारित फीस अंग्रेजी कलेण्डर के प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक जमा की जानी है ।

7. समीपस्थ मार्किटों में अनुपालन किये जा रहे समय के अनुसार गैर-लाइसेंस योग्य व्यवसाय की अनुमति प्रभावी होगी । पान, बीड़ी, सिगरेट के व्यवसाय के लिए पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार के व्यवसायों के लिए अनुमत्त समय के अनुसार अनुमति होगी ।

8. तहबाजारी की अनुमति माह-दर माह होगी ।

9. आवंटी के फोटोग्राफ सहित आवंटन पत्र आवंटित स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी जो नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण की शर्त पर होगी ।

(4) I. इस प्रकार स्वीकृत अनुमति/लाइसेंस उपर्युक्त शर्तों, सुरक्षा कारणों तथा अन्य परिस्थितियों जो इस प्रकार की कार्यवाही के लिए न्याय संगत हों, के उल्लंघन के कारण नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा रद्द की जा सकती है ।

II. आच्छादित तहबाजारी सहित निर्मित एककों का आवंटन समय-समय पर अनुमेय शर्तों के अनुसार प्रशासित और विनियमित होगी ।

III. पात्र अनधिवासियों की अनुमोदित सूची के अनुसार बारी के आधार पर सभी आवंटन/अनुमति दी जायेगी ।

IV. जैसा कि समिति द्वारा परिभाषित किया गया है, एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य को इस योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं दिया जायेगा ।

स्वरोजगार कार्यक्रम

[हिन्दी]

2074. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम के बारे में 11-11-1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में अब तक किये गये सर्वेक्षण किये गये जिलों के नाम क्या हैं और प्रत्येक जिले में अब तक सर्वेक्षण किये गये ब्लाकों के क्या नाम हैं; और

(ख) उनके अलग-अलग क्या परिणाम निकले हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एम० पटेल) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) समवर्ती मूल्यांकन के आंकड़ों का विश्लेषण केवल राज्य स्तर पर ही किया गया था। समवर्ती मूल्यांकन का नमूना आकार इतना बड़ा नहीं था कि जिला/खण्ड स्तरों पर इस तरह का विश्लेषण किया जा सके।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के अन्तर्गत कवर किये गये जिलों तथा खण्डों की सूची

(जनवरी—दिसम्बर, 1989)

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
1.	आंध्र प्रदेश	1. चित्तूर	1. चन्द्रगिरी
			2. पुत्तूर
		2. खम्माम	3. बादरा चल्लम
			4. कोठगुडेम
		3. अनन्तपुर	5. पेनकेडा
			6. उरवाकोंडा
		4. करीमनगर	7. हुजूराबाद
			8. सिरसिला
		5. महबूबनगर	9. अमंगल
			10. मनोपाड
		6. पूर्वी गोदावरी	11. पेड्डापुरम
			12. शंकावरम
		7. अदीलाबाद	13. सिरपुर
			14. अटनूर

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		8. गुंटूर	15. गुराजला
			16. ईप्पूर
		9. कुरनूल	17. अटमाकूर
			18. बोनगनापली
	आंध्र प्रदेश	10. कृष्णा	19. नजविद
			20. पामारू
		11. मेडक	21. डूबक
			22. गजवेल
		12 नालगोंडा	23 अलएपर
			24 भानगढ़
		13. निल्लोर	25. वेनकाटाचलम
			26· विनजामपुर
		14. निजामाबाद	27. मदनूर
			28. येल्लारेडडी
		15. कुडप्पा	29. कोडूर
			30. रायचोटी
		16. पश्चिम गोदावरी	31. अकीविदु
			32. भीमडोला
		17. प्रकाशम	33. परचूर
			34. पोडिली
		18. रंगारेडडी	35. हयातनगर
			36. इब्राहिमपटनम
		19. श्रीकाकुलम	37. ईचापुरम
			38. कासीबूग्गा
		20. विशाखापटनम	39. अनंतारिगी
			40. भीमुनीपटनम
	1. आंध्र प्रदेश	21. विजयनगरम	41. बंडंगी
			42. भद्रागिरी
		22. वारंगल	43. जनगांव
			44. कोन्डुकोण्डला

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
2.	असम	23. कमरूप	45. होजो
			46. रानी
		24. काचर	47. नरसिंह पुर
			48. मान्यापारा
		25. गोलपाडा	49. बालीजाना
			50. श्री जंगराम
		26. बारपेटा	51. भाबनीपुर
			52. बेजाली
		27. धूंबरी	53. गौरीपुर
			54. बिलाशीपारा
		28. डीबरूगड	55. हापिजन
			56. काका पाथर
		29. जोरहट	57. पश्चिमी-गोलाघाट
			58. जोरहाट
		30. करीमगंज	59. कटलीचेरा
			60. लाला
		31. लखीमपुर	61. बोरोडोलानी
			62. धाकुआखान
		32. एन० डी० हिल्स	63 क्यूंग चाटी
			64. सरगांजो
		33 नगौन	65. बाटा द्रवा
			66 कपिली
		34. सिबसागर	67. नपुखटी
			68. सिबसागर
		35. सोनितपुर	69. बिस्वांतल
			70 चैंदूर
		36. दारांग	71. डालागावां
			सियालमरी
			72 गभारू

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
3	अरूणाचल प्रदेश	37 पूर्वी सियांग	73 मैरियांग
			74. बिग कियोंग
		38. लोहित	75 तेजू
		39 अपर सबंश्री	76 दुन पैरिजो
			77. नाचा सियाम
		40 लोअर सबंश्री	78 नयापिन
			79. पिलिन
		41 दीबांग घाटी	80 रैंग डनलक
		42. तिरप	81 नियांसा
			82 पोगचैपवल्ली
		43 पश्चिमी सियांग	83. मैचुका
			84. तुतिंग
		44. पश्चिमी कोमेन्ग	85, काला कटंग
			86. नेहरा बुरागामो
3.	अरूणाचल प्रदेश	45. पूर्वी कीमेन्ग	87. बामेंग
			88. पक्का कोसांग
		46. चांगलांग	89. चांगलांग
			90. खगम
		47. त्वांग	91. त्वांग
			92. थिंगबमकुटो
4.	बिहार	48. पटना	93. दानपुर
			94. पुनपुन
			96. शेखपुरा
		49. मुंगेर	95. अरिआरी
		50. मुज्जफरपुर	97. ढोली
			98. मुशहारी
		51. भागलपुर	99. अमरपुर
			100. गोपालपुर
		52. भोजपुर	101. इटारही
			102. कोथलवार

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		53. सिवान	103. आन्दर
			104. बाम्बरियां
		54. समस्तीपुर	105. विभूतिपुर
			106. दलसिंघ सराय
		55. सीतामढ़ी	107. बैरगनिया
			108. बसपत्ती
5.	बिहार	56. कटिहार	109. अमादाबाद
			110. प्राणपुर
		57. सारन	111. सोनपुर
			112. तरैया
5.	बिहार	58. गोंडा	113. पौरैयाहाट
			114. पथारगामा
		59. वैशाली	115. महुआ
			116. पोटपुर
		60. नालंन्दा	117. गिरियाक
			118. राहुल
		61. गया	119. कारांचटटी
			120. मानपुर
		62. साहिबगंज	121. हिरणपुर
			122. लिटीपारिया
		63. गोपालगंज	123. बैरोट
			124. गोपालगंज
		64. देवघर	125. मधुपुर
			126. पालाजोरी
		65. पश्चिमी चम्पारन	127. मझोलिया
			128. नरंकटियागंज
		66. पूर्वी चम्पारन	129. केसरिया
			130. मधुबन
		67. गिरीडीह	131. बरमो

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
			132. तिसरी
		68. नवादा	133. गोविन्दपुर
			134. बारसलीगंज
		69. सिंघभूम	135. बहारगोरा
			136. चांडिल
		70. पलामूं	137. बरवाडीह
			138. रंका
5.	बिहार	71. रांची	139. कारा
			140. खुंटी
		72. लोहारडग्गा	141. लोहारडग्गा
			142. कुरू
		73. गुमला	143. पालकोट
			144. कुरडेग
		74. दुमका	145. नाला
			146. नारनपूंर
		75. रोहतास	147. चेनारी
			148. नोखा
		76. धनबाद	149. बाघमारा
			150. टीप छांछी
		77. हजारीबाग	151. बिशनगढ़
			152. चतरा
		78. औरंगाबाद	153. ओबरा
			154. रफीगंज
		79. माधोपुर	155. किशनगंज
			156. कुमारखंड
		80. सहरसा	157. कहारा
			158. किशनपुर
		81. मधुबनी	159. बासीपट्टी
			160. बेनीपट्टी

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		82 पुरनिया	161. बैसा
			162. डीचलबैंक
		83. बेथुसराय	163. बाला
			164. बरोनी
5.	बिहार	84. दरभंगा	165. हयाघाट
			166. जाटे
		85. खगड़िया	167. गोगरी
			168. परवाटा
6.	गोआ	86. गोआ	169. परनाम
			170. पौंडा
7.	गुजरात	87. सूरत	171. कामरेज
			172. महुवा
		88. सुरेन्द्रनगर	173. हावाड
			174. लखतर
		89. बाडोदरा	175. पाडरा
			176. बाडोदरा-2
		90. मेहसाना	177. चांसमा
			178. कारिज (हरी)
		91. पंचमहल	179. गोधरा-1
			180. गोधरा-2
		92. राजकोट	181. जमकनडोराना
			182. जेतपुर
		93. साबरकंठा	183. इडार-1
			184. खेडब्रह्मा
		94. डांग	185. आहवा-1
			186. आहवा-2
		95. गांधीनगर	187. गांधीनगर
		96. जूनागढ़	188. केशोड
			189. वेरावल

क्रमांक	राज्य		राज्य		खण्ड
7.	गुजरात	97.	करम	190.	अबडासा
				191.	बेचाव
		98.	भावनगर	192.	गुढ़ाडा
				193.	महुवा
		99.	अहमदाबाद	194.	देहगन
				195.	डाडुका
		100.	अमरेली	196.	अमरेली
				197.	खम्बा
		101.	जामनगर	198.	जामनगर
				199.	धरोड़
		102.	बालसाड़	200.	बलसाडा
				201.	बिखली-1
		103.	बनासकंठा	202.	वांता
				203.	डेसा
		104.	भडौचा	204.	अमोद
				205.	अनकलेसवर
		105.	नाडियाड (खेडा)	206.	आनन्द-1
				207.	आनन्द-2
8.	हरियाणा	106.	हिसार	208.	आदमपुर
				209.	दोहाना
		107.	महिन्द्रगढ़	210.	जावल
				211.	कनीना
		108.	कुरुक्षेत्र	212.	लाडवा
				213.	पंडरी
		109.	अम्बाला	214.	बरेड़ा
				215.	जगाधरी
		110.	भिवानी	216.	दादरी-1
				217.	दादरी-2

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		111. फरीदाबाबाद	218. बल्लभगढ़
			219. हथीन
		112. चीव	220. नरवाना
			221. पीलु खेड़ा
		113. गुड़गांव	222. फरुख नगर
			123. फिरोजपुर
		114. करनाल	224. असंन्ध
			225. घरोंडा
		115. रोहतक	226. बहादुरगढ़
			227. बेरी
		116. सिरसा	228. वारागुढ़ा
			229. सिरसा
		117. सोनीपत	230. मुंडलाना
			231. कथूरा
		118. दिल्ली	232 महरौली
			133. नजफगढ़
9.	हिमाचल प्रदेश	119. हमीरपुर	234. भीजर
			235. सुजानपुर
		120. सोलन	236. कंडाघाट
			237. कुनीहार
		121. कांगड़ा	238. देहरा
			239. कांगडा
		122. अना	240. नगरत
			241. बनगाना
		123. मंडी	242. धरमपुर
			243. चौरता
		124. चम्बा	244. तीसा
			245. मोहला
		125. किन्नौर	246. नीचार
			247. पुह

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		126. लाहौल एण्ड स्पिति	248. लाहौल एण्ड किलोंग
			149. स्पिति एट काजा
		127. शिमला	250. छोहरा
			251. जुब्बल
		128. सिमौर	252. नाहन
			253. शिलाई
		129. कुल्लु	254. बंजर
			255. नागर
		130. बिलासपुर	256. घुम्परविन
			257. बिलासपुर सदर
10.	जम्मू व कश्मीर	131. कारगिल	258. डरास
			259. बाटागिलक
		132. लेह	260. खालसी
			261. डारचे
		133. बेडगाम	262. बी० के० पोरा
			263. खाग
		134. डोडा	264. इन्दरवल
			265. किश्तवार
		135. पुलवामा	266. पमपोर
			267. पूलवामा
		136. राजौरी	268. डरहाल
			269. राजौरी
		137. कुपवारा	270. राजवारा
			271. तरांगम
		138. बारामूला	272. हुज्जन
			273. कंडीवगौरा
		139. कठुआ	274. बिल्लावर
			275. गगवाल

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		140. उधमपुर	276. मजाल्टा
			277. महोरा
		141. जम्मू	278. बंसल
			279. साम्बा
		142. श्रीनगर	280. लार
			281. श्रीनगर
		143. अन्नतनाग	282. अचावल
			283. काजीगुंड
		144. पुंछ	284. पुंछ
			285. सुरोकाटा
11.	कर्नाटक	145. चित्रदुर्ग	286. चित्रदुर्ग
			287. देवनगढ़
		146. धारवाड़	288. हुबली
			289. कुंडगोल
		147. चिकमंगलूर	290. चिकमंगलूर
			291. तरीकेरा
		148. बेलगाम	292. बेलगाम
			293. छिकोड़ी
		149. बीदर	294. भालकी
			295. अरूम
		150. बीजापुर	296. मडीओबीहाल
			297. मुद्देल
		151. कोडागु (कुर्ग)	298. मंडीकेरा
			299. वीराजपेट
		152. दक्षिण कन्नड	300. कारकल
			301. पुट्टर
		153. रायचूर	302. डेपोदुर्ग
			303. गंगावटी
		154. गुलवर्गा	304. अफजलपुर
			305. अलंद

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		155. बेलरी	306 बेलरी
			307. कुडीकी
		156. कोलार	308. चिंतामणी
			309. गुडीबांड
		157. मैसुर	310. एच० डी० कोटे
			311. हुनसूर
		158. मांडया	312. मालावली
			313. नागामंगाला
		159. तुमकुर	314. तुरवेकरे
			315. तुकुर
		160. शिमोगा	316. होसानगर
			317. सागर
		161. बैंगलौर	318. देवानाहली
			319. डोडाटलापुरा
		162. हसन	320. अलुर
			321. अराकालेगूड
		163. उत्तरी कन्नड	322. कारकल
			323. पुट्टूर
13.	केरल	164. कोट्टयाम	324. इरैवुपेट्टा
			325. इटटुमैनूर
		165. इमाकूलम	326. व्यापीन
			327. वईट्टिला
		166. इडिक्की	328. अरुवल
			329. कट्टाराणा
		167. अल्लैप्पी	330. अम्बालापूजा
			331. अरियाद
13.	केरल	168. कन्नानूर	332. इरिक्कूर
			333. पयान्नूर
		166. कोजकोड़	334. बडागारा
			335. बालूसरी

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		170. मालापुरम	336. कुट्टीपुरम
			337. मंजेरी
		171. पालाघाट	338. पालाघाट
			339. पट्टाम्बी
		172. क्यूलोन	340. अंचल
			341. अंचलीमोद
		173. त्रिचूर	342. चेरपु
			343. चौघाट
		174. पथनमथित्ता	344. पुलिकीज
			345. रन्नी
		175. त्रिवेन्द्रम	346. नेदुमनगाद
			347. निमोन
		176. वायनाड	348. मनामाटोडी
			349. सुल्तानीज बटेटी
		177. कसारगोड	350. मेजेश्वर
			351. नीलेश्वर
14.	मध्य प्रदेश	178. रीवा	352. माऊगंज
			353. नईगढ़
		179. रायपुर	354. पल्लारी
			355. बिल्हा
		180. बिलासपुर	356. पाली
			357. सकती
		181. जबलपुर	358. किडम
			359. मझोली
		182. पन्ना	360. शाहनगर
			361. पवई
		183. सतना	362. मेहर
			363. नागोद

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		184. सिधी	364. देवसर
			365. रामपुर नाइकिन
		185. मांडला	366. बिछिया
			367. बिजेडांडी
		186. शाहडोल	368. बिछारी
			369. बुरहार
		187. सरगुजा	370. बटोली
			371. भरतपुर
		188. रायगढ़	372. खरगिया
			373. कुंकुरी
		189. छतरपुर	374. बक्सवाहा
			375. छतरपुर
		190. दमोह	376. दमोह
			377. हट्टा
		191. नरसिंहपुर	378. कोटागांव
			379. चावरपट्टा
		192. राजनांद गांव	380. डूंगरगढ़
			381. डूंगरगांव
15.	मध्य प्रदेश	193. भिंड	382. लाहर
			383. मेहगांव
		194. रायसेन	384. बरेली
			385. सांची
		195. मंदसौर	386. मंदसंग
			387. मल्हारगढ़
		196. सागर	388. देवरी
			389. जयसिंहनगर
		197. गुना	390. अरोन
			391. अशोकनगर

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		198. राजगढ़	392. खिचीपुर
			393. राजगढ़
		199. शाजापुर	394. अगर
			395. सुसनेर
		200. बिदिशा	396. कुरवाई
			397. लाटेरी
		201. शिवपुरी	398. बदरावास
			399. कोलाराम
	मध्य प्रदेस	202. ग्वालियर	400. भांडेर
			401. भीतरवास
		203. मुरेना	402. अम्बाह
			403. जोरा
		204. सेहोर	404. इछावर
			405. सेहोर
		205. रतलाम	406. जौरा
			407. पिपलोद
		206. उज्जैन	408. घाटिया
			409. तराना
		207. दतिया	410. दतिया
			411. स्कोंधा
16.	मध्य प्रदेश	208. सियोनी	412. लखदोन
			413. नोरा
		209. झाबुआ	414. झाबुआ
			415. जाबोत
		210. दुर्ग	416. बेरला
			417. दण्डा
		211. धार	418. बदनावर
			419. बाघ
		212. इन्दौर	420. देपलपुर
			421. इन्दौर
		213. बेतूल	422. छिछोली
			423. घोडाडूंगरी

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		214. छिंदवाड़ा	424. चुराई
			425. छिंदवाड़ा
		215. बस्तर	426. अभूतमढ़
			427. अन्तागढ़
		216. बालाघाट	428. बनिहार
			429. बिरसा
		217. भोपाल	430. बेरसिया
			431. फांदा (भोपाल)
		218. टीकमगढ़	432. पालेरा
			433. पृथ्वीपुर
		219. खण्डवा	434. छेगांव माखन
			435. हरसूद
		220. खरगौन	436. भगवानपुरा
			437. भीकमगांव
		221. देवास	438. सोनकच्छ
			439. टोंक खुर्द
		222. होशंगाबाद	440. बबाई
			441. बनखेड़ी
27.	महाराष्ट्र	223. अकोला	442. तेलहाड़ा
			443. वशीम
		224. चन्दरपुर	444. भद्रावती
			445. ब्रह्मपुरी
		225. वर्धा	446. समुद्रपुर
			447. सेलू
		226. नागपुर	448. नागपुर
			449. नरखोद
		227. बुलधाने	450. चिखली
			451. जलगांव

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		228. भण्डारा	452. तिरोड़ा
			453. तुमसर
		229. थाणे	454. जवाहर
			455. कल्याण
		230. सांगली	456. मीराज
			457. खानपुर
		231. सोलापुर	458. माधा
			459. मलसीरस
		232. कोल्हापुर	460. गगनबवाडा
			461. गांधिगलाज
		233. सतारा	462 महाबलेश्वर
			463. कोरेगांव
		234. रतनगिरि	464. रतनगिरि
			465. संगमेश्वर
		235. पूणे	466. डोंड
			467. जुन्नार
		236. रायगढ़ (कोलाबा)	468. अलीबाग
			469. कारजट
		237. सिन्धुदुर्ग	470. देवगढ़
			471. कुडाल
		238. अमरावती	472. चन्दूर
			473. चिखेदारा
		239. गडचिरोली	474. अरमोरी
			475. सिरोंचा
18.	महाराष्ट्र	240. औरंगाबाद	476. औरंगाबाद
			477. गंगापुर
		241. लातूर	478. लातूर
			479. उदगीर
		242. परभानी	480. बासमठ
			481. हिंगोली

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		243 यवतमाल	482. महागांव
			483. मारेगांव
		244. बीड	484. ज्योराज
			485. मजलेगांव
		245. जलगांव	486. रावेर
			487. यावल
		246. अहमदनगर	488. कारजत
			489. नेवासा
		247. धूले	490. अकरानी
			491. सांदुरबार
		248. नांदेड	492. हेदगांव
			493 विलोली
		249· नासिक	494. बागलोन
			495. डिडोरी
		250. खेसमानाबाद	496. ओमरगा
			497. तुल्जापुर
		251. जालना	498. आमबाद
			499. जाफराबाद
20.	मणिपुर	252. जैगनोपाल (चांदले)	500. चाकपिकारोंग
			501. मोर्च
		253. मणिपुर (सेंट्रल) इम्फाल	502. इम्फाल ईस्ट-2
			503. इम्फाल वैस्ट-2
		254. मणिपुर नार्थ (सेनापति)	504. कांगपोकपा
			505. पावमाटा
		255. मणिपुर ईस्ट (उखरूल)	506. कासोम खुल्लन
		256. मणिपुर साउथ (चूराचादपुर)	507. फारबंग
			508. थानलोन

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
	21. मिजोरम	257. मणिपुर वैस्ट	509. नुंगबा
		तामेंगलोंग	510. तामेंगलोंग
		258. आईजोल	511. अलबोंक
			512. डारलावा
		259. छिनमुतुईपुई	513. चोंगटे
			514. सांगान
		260. लुंगली	515. लुंगसन
	22. मेघालय	261. ईस्ट गारो हिल्स	517. रेसुबेपारा
			518. सामंदा
		262. वैस्ट गारो हिल्स	519. रोंगरा
			520. जिकजाक
		263. ईस्ट खासी हिल्स	521. माइलियम
			522. शेल्ला-बोलागंज
		264. जैयंतियां हिल्स	523. लासकिन
			524. खलिरियात
	मेघालय	265. वैस्ट खासी हिल्स	525. मायरंग
	22. नागालैंड	266. कोहिमा	526. मैनिकोलैम्बा
			527. किकरूमा
	23. उड़ीसा	267. पुरी	528. बोलगढ़
			529. ब्रह्मगिरि
		268. फुलबनी	530. बालीगुडा
			531. बोध
		269. सम्बलपुर	532. भाट्टी
			533. भेडोन
		270. सुन्दरगढ़	534. कोमुन्द्रा
			535. कुतरा
		271. कालाहांडी	536. भवानीपतना
			537. बोदेन
		272. बालासोर	538. खेड़ा
			539. नीलगिरि

क्रमांक	राज्य	राज्य	खण्ड
		273. कोरापुट	540. बन्धुगांव
			541. विस्सामकटक
		274. कटक	542. अथागढ़
			543. औल
		275. धनकनाल	544. अंगुल
			545. अथामलिक
		276. गंजम	546. आस्का
			547. भंजनगर
		277. बोलनगीर	548. बंगोमुंडा
			549. बिनका
		278. क्योंझर	550. हरिचन्दपुर
			551. हतादिही
		279. मयूरभंज	552. बादसाही
			553. बरीपदा
	24. पंजाब	280. गुरदासपुर	554. बटाला
			555. बमियाल
		281. रूपनगर	556. खरड़
			557. रूपनगर
		282. लुधियाना	558. दोराहा
			559. जगरांव
		283. जालंधर	560. बंगा
			561. भोगपुर
		284. कपूरथला	562. नादला
			563. सुल्तानपुर लोदी
		285. पटियाला	564. बस्सीपठाना
			565. भुनेरहेडी एट पटियाला
		286. संगरूर	566. सुनाम
			567. सेहना

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		287. अमृतसर	568. चोगवान
			569. चोला साहिब
		288. भटिंडा	570 बुढलाडा
			571. मनसा
		289. फिरोशपुर	572. फिरोजपुर
			573. फाजिल्का
		290 फरीदकोट	574. मोगा-1
			575. मोगा-2
		291. होशियारपुर	576. बालाचोर
			577. बंगा
25.	राजस्थान	292. गंगानगर	578. कामपुर
			579. नोहर
		293. अजमेर	580. मसूदा
			581. सिसागन
		294. जयपुर	582. बस्सी
			583. चाक्सू
		295 चुरू	584. चुरू
			585. सुजानगढ़
		296. नागौर	586. कुचामन
			587. लाडनू
		297. सीकर	588. खंडेला
			589. दातारामगढ़
		298. बीकानेर	590. कोलायट
			591. नोखा
		299. झुंझुनूं	592. बुहना
			593. झुंझनू
		300. अलवर	594. कठूमर
			595. किशनगढ़बास
		301. भरतपुर	596. नन्दबाई
			597. नगरपहाड़ी

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		302. सवाई माधोपुर	598. बामरवास
			599. गंगापुर
		303. टोंक	600. टोडारायसिंह
			601. टोंक
		304. पाली	602. रायपुर
			603. रानीस्टेशन
		305. जोधपुर	604. लूनी
			605. ओसलान
		306. धोलपुर	606. धोलपुर
			607. राजाखेड़ा
26.	राजस्थान	307. उदयपुर	608. देवगढ़
			609. धारियावाड़
		308. डूंगरपुर	610. बिच्छीवाड़ा
			611. सिमलवाड़ा
		309. बांसवाड़ा	612. बांसवाड़ा
			613. आनन्दपुर
		310. चित्तौड़गढ़	614. डूंगला
			615. गंगरार
		311. भीलवाड़ा	616. आसियांद
			617. बनेरा
		312. बूंदी	618. हिंडोली
			619. केशोराजपत्तन
		313. कोटा	620. अन्ताह
			621. चेचाट
		314. झालवाड़	622. झालरापत्तन
			623. मनोहरथाना
		315. सिरोही	624. रेदार
			625. शोगंज

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
	राजस्थान	316. जालौर	626. जसवंतपुर
			627. रानीपारा
		317. बाड़मेर	628. बैथ
			629 बालोतरा
		318. जैलसमेर	630. जैसलमेर
			631. सनवाड़ा
27.	सिक्किम	319. गंगटोक	632. साउथ डिस्ट्रिक्ट
			633. वैस्ट डिस्ट्रिक्ट
28.	तमिलनाडु	320. रामनाथपुरम	634. तिरुपुलानी
			635. तिरुवाडनाय
		321. कन्याकुमारी	636. थोवालाई
			637. थाकालाई
		322. पुडुकोटाई	638. अरानतांगी
			939. आवुडायारकोयल
		323. तिरुनेलवेली	640. अलानगुलाम
			641. अम्बासमुद्रम
		323. चिलदाम्बरानाड़	642. साथानकुलम
			643. श्रीवैकुंदम
28.	तमिलनाडु	325. नार्थ अरुट	644. अराकोनम
			645. अरनी
		326. साउथ आरकोट	646. चिन्नासेलम
			647. कुड्डालोर
		327. चेंगलपत्तु	648. चितामूर
			649. इलापुरम
		328. तंजावूर	650. ३म्मापटाई
			651. वुडालुर
		329. तिरुचिरापल्ली	652. अलायुर
			653. कल्लावूर
		330. कामराजार	654. अडपुकोट्टाई
			655. नारी कुडी

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		331. पी० मुथुरामलिंगम	656. कात्यारकोइल
			657. कोल्लाल
		332. मदुरै	658. अलंगानालूर
			659- एंडीपत्ती
29.	तमिलनाडु	333. कोयम्बतूर	660. अविनासी
			661. मदाथुकुलम
		334. पेरियार	662. अम्मापेट
			663. अंथियूर
		335. सलेम	664. अहियू
			665. एथपत्तनम
		336. नीलगिरिस	666. कूनूर
			667. कोठागिरि
		337. धर्मपुरी	668. हारूर
			669. होसूर
		338. अन्ना	670. अथामाट सैमपत्ति
			671. कोवई कनाल
30.	त्रिपुरा	339. नार्थ त्रिपुरा	672. कुमारकट
			673. पानीसागर
		340. साउथ त्रिपुरा	674. राजनगर
			675. सातेहंद
		341. बाराबंकी	676. जामपाईगाला
			677. बीसलगढ़
31.	उत्तर प्रदेश	342. वैस्ट त्रिपुरा	678. बांकी
			679. बानीकोंडा
		343. बहराइच	680. बल्हा
		344. बदायूं	681. बिश्वेसबारगंज
			682. अंबियापुर
			683. आसफपुर
		345. लखनऊ	684. बक्शीकातालाब
			685. चोसियागंज

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		346. रायबरेली	686. दीह
			687. हरचंदपुर
		347. उन्नाव	688. बंगरमाऊ
			689. बीघापुर
		348 सुल्तानपुर	690 एलिया
			691. बिसावन
		349 लखीमपुर	692. घोरहरा
			693. इसोनगर
		350. हरदोई	694. कच्छन्ना
			695. फानी
		351 बांदा	696. बांदा
			697. भवालखेड़ा
		352. बरेली	698. आलमपुर जाफराबाद
			699. बहेड़ी
		353. पीलीभीत	700 बिलसांदा
			701. पूर्णपुर
32.	उत्तर प्रदेश	354. बिजनौर	702. जलीलपुर
			703. नूरपुर
		355. मुरादाबाद	704. धनौरा
			705. बिलारी
		356 नैनीताल	706 रामगढ़
			707 रामनगर
		357. आगरा	708. बिचपुरी
			709. बरेली अहीर
		358. मुजफ्फरनगर	710. भागरा
			711. जनसठ
		359. सहारनपुर	712. बलियाखेर
			713. नक्सर

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		360. पिथौरागढ़	714. डिगतरगढ़
			715. गंगोलीहट
		361. देहरादून	716. कालसी
			717. रायपुर
		362. अल्मोड़ा	718. धूलदेवी
			719. द्वाराहाट
		363. रामपुर	720. शाहबाद
			721. स्वार
		364. मथुरा	722. बलदेव
			723. छाता
		365. इटावा	724. अछल्दा
			725. अजीतमाल
33	उत्तर प्रदेश	366. जौनपुर	726. बावलपुर
			727. बरसहरी
		367. मिर्जापुर	728 चतारा
			729. चोपन
		368. गाजीपुर	730. भानवरकोई
			731. बिर्रो
		369. आजमगढ़	732. बरदाहा
			733. भदरोल
		370. गोरखपुर	734. चुरपवन
			735. चौनीरगंज
		371. बस्ती	736. भांनवापुर
			737. बहादुरपुर
		372. गोंडा	738. मालकपुर
			739. मुरजहना
		373. सुल्तानपुर	740. अखंडनगर
			741. अमेठी
		374. फैजाबाद	742. सोहवाल
			743. तरुन

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		375. देवरिया	744 होटा
			745 कस्या
		376. बलिया	746. नागरा
			747. पणधा
		377. वाराणसी	748. बड़ागांव
			749. बड़ावानी
	34. उत्तर प्रदेश	378. बांदा	750. जसपुरा
			751. कामाश्री
		379. झांसी	752. बबीना
			753. बंगारा
		380. हमीरपुर	754. राठ
			'55. सुमेरपुर
		381. इलाहाबाद	56 बहादुरपुर
			757. बहारिया
		382. प्रतापगढ़	758. बिहाज
			759. गौरा
		383. फतेहपुर	760. ऐराया
			761. असोधोर
		384. जालौन	762. ऐट (कोंच)
			763. नादीगांव
		385. ललितपुर	764. जयखोरा
			765. तलबाहट
		386. कानपुर	766. कल्याणपुर
			767. सरसौल
		387. फरुखाबाद	768, सेरिख
			769. शम्साबाद
		388. मैनपुरी	770. मदनपुर
			771. मैनपुरी
	उत्तर प्रदेश	389. गाजियाबाद	772 बिसरख
			773. दादरी
		390. एटा	774. जैतारा
			775. जलेसर

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		391. मेरठ	776. धोला
			777. हस्तिनापुर
		392. अलीगढ़	778. बिजौली
			779. चांदौस
		393. उत्तरकाशी	780. मढ़गांव
			781. पुरोला
		394. चमोली	782 अगस्तमुनि
			783. गेरसैन
		395 पौड़ी गढ़वाल	784. पाबू
			785. पौड़ी
		396. टिहरी गढ़वाल	768. बिलनगामा
			787. देवप्रयाग
		397. बुलन्दशहर	788. अमिया
			789. अनूपशहर
	पश्चिमी बंगाल	398. कूच बिहार	790. कूच बिहार
			791. दीन्हाताज
		399. मिदनापुर	792. कोन्ताई
			793. डान्टन
		400. बर्धमान	794. कंस्का
			795. कटवा
		401. जलपाई गुड़ी	796. फालकटा
			797. जलपाईगुड़ी
		402. माल्दा	798. चांचाल-1
			799. चांचाल-2
		403. मुर्शिदाबाद	800. बरहामपुर
			801. भगवानगोला
		404. वैस्ट दीनाजपुर	802. बालोरघाट
			803. बंसीहारी
		405. नादिया	804. करीमपुर-1
			805. करीमपुर-2

क्रमांक	राज्य	जिला	खण्ड
		406. चौबीस परगना	806. हीरे
			807. हसनाबाद
		407. बांकुरा	808. इन्दपुर
			809. इंडस
		408 दार्जिलिंग	810 दार्जिलिंग
			811. गोरुबथन
		409. हुगली	812. गोघाट-1
			813. गोघाट-2
		410. पुरलिया	814. बलरामपुर
			815. बड़ा बाजार
		411 हावड़ा	816. बागनान-1
			817. बागनान-2
		412. बीरभूमि	818. नलहाटी-1
			819. नलहाटी-2
		413. अंडमान व निकोबार द्वीप	820. साउथ अंडमान
			821. मिडल अंडमान
		414. कारनिकोबार	822. कारनिकोबार
			823. मिलिकाय
चण्डीगढ़		415. चंडीगढ़	824 चण्डीगढ़
दादरा व नगर हवेली		416. दादरा व नगर हवेली	825. दादरा व नगर हवेली
लक्षद्वीप		417. लक्षद्वीप	826. अमीनी
			827. मिनिकोय
पांडिचेरी		418. पांडिचेरी	828. औलगारेट
			829. अरियनकुप्पम

पत्रकारों के लिए नया वेतन बोर्ड

2075. **श्री हारे लाल जाखड़** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पत्रकारों के लिए नया वेतन बोर्ड गठित करने और उन्हें अन्तरिम सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई अधिसूचना के सम्बन्ध में कुछ समाचारपत्र प्रतिष्ठानों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है और निर्णय की प्रतीक्षा करना उचित होगा।

बंगलौर में परिवहन सुविधाएं

[अनुवाद]

2076. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज ने बंगलौर में भीड़-भाड़ को कम करने तथा नागरिकों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न उपाय करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज के सुझावों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बंगलौर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) बंगलौर महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा बंगलौर शहरी यातायात परियोजना के सम्बन्ध में एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मई, 1988 में रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज (राइट्स) को सौंपा गया था। कर्नाटक सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं भेजी है।

छोटे और लघु औद्योगिक एककों को प्रोत्साहन

2077. श्री ए० चारलेस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत छोटे और लघु औद्योगिक एककों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित उपायों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) छोटे, लघु एवं ग्रामीण

उपक्रमों को बढ़ावा देने और सुदृढ़ बनाने के नीति सम्बन्धी उपायों में परिकल्पित लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग पैकेज संसद में 6-8-1991 को रखा गया था जिसे सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों इत्यादि से परामर्श करके अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली धनराशि के लिए मानदण्ड

2078. **श्री सुधीर सावंत** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को धनराशि/राजसहायता देने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए कोई विशेष मानदण्ड हैं यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) आय समूह के निर्धारण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या आय के आधार पर धनराशि आवंटित करने की पुरानी योजना पुरानी पड़ गई है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्षित वर्ग में छोटे किसान, सीमांत किसान और ग्रामीण कारीगर तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले अन्य लोग शामिल हैं । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए सम्भावित लाभार्थी का चयन ग्राम सभा में तथा उनका प्रार्थना पत्र अधिकारियों द्वारा अग्रेषित होना चाहिए और स्वीकृति बैंक देता है । सामान्य क्षेत्रों में 3000 रुपए तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मरूभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में 4000 रु० की अधिकतम वित्तीय सीमा के अनुसार छोटे किसान 25%, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर और अन्य 33⅓% सबसिडी प्राप्त करने के पात्र हैं । अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के और शारीरिक रूप से विकलांग लोग 5000 रु० की अधिकतम सीमा के अनुसार 50% प्रतिशत सबसिडी पाने के पात्र हैं ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसिडी पर अधिकतम सीमा सूखाग्रस्त क्षेत्रों और मरूभूमि क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक है । अनुसूचित जातियों के अधिकांश लोग जो आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, उनके लिए स्वीकार्य सबसिडी की सीमा भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के सामान्य वर्ग को दी गई सबसिडी से अधिक है ।

(ग) गरीबी की रेखा को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार परिभाषित किया जाता है । गरीबी की रेखा निर्धारित करने के लिए निश्चित मूल्य स्तर पर वित्तीय मूल्य का उपयोग किया जाता है । गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर की आय वाले परिवारों में से निर्धनतम लोगों पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ध्यान संकेन्द्रित करने के लिए, केवल निर्धारित आय से नीचे के आय स्तर वाले परिवारों को ही सहायता के लिए चुना जाता है ।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में उपभोक्ता सर्वेक्षण किए जाते हैं और इसके परिणामों का उपयोग पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किया जाता है, गरीबी की रेखा

और सहायता की निर्धारित सीमा को समय-अन्तराल के बाद संशोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए सातवीं योजना (1985-90) के दौरान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के 38वें दौर के परिणामों का उपयोग गरीबी की रेखा और अन्तर्राज्य आवंटनों को निर्धारित करने के लिए किया गया था। यह प्रस्ताव है कि आठवीं योजना के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के 43वें दौर के परिणामों का उपयोग संशोधित गरीबी की रेखा तथा अन्तर्राज्य आवंटनों के लिए भी किया जाएगा।

दिल्ली पार्कस-ए-पिक्चर ऑफ नैगलेक्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2079. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "दिल्ली पार्कस-ए-पिक्चर आफ नैगलेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कुछ पार्कों को छोड़कर छोटे और बड़े पार्क उपेक्षित से दिखायी देते हैं तथा दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की मिलीभगत से अतिक्रमण के कारण पार्कों के आकार में कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पार्कों की स्थिति में सुधार करने और उनके अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्राधिकारियों ने पुष्टि की है कि उपलब्ध संसाधनों के भीतर बड़े तथा छोटे सभी पार्कों का समुचित रख-रखाव किया जाता है। इन पार्कों पर अतिक्रमणों को रोकने के निमित्त आवश्यक निर्देश विद्यमान हैं तथा इस प्रकार इन पार्कों के आकार में कोई कमी नहीं है। जहां तक शालीमार बाग का सम्बन्ध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डिस्ट्रीक्ट पार्क के रूप में इसका रख-रखाव किया जाता है तथा यह शशि महल स्मारक के चारों तरफ विकसित किया गया है, जिसका रख-रखाव पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। समाचार में उल्लिखित लघु उद्योग इकाईयों दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित पार्क से बाहर है।

पार्कों की स्थिति में सुधार हेतु संसाधनों के अभिभव के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा लिए गए उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :—चार दिवारी का निर्माण, चौकीदारों, मालियों तथा अन्य स्टाफ की तैनाती, पौधों को पानी देने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्यूबवैल/पर्याप्त जलापूर्ति; मौसमी फूलों, फूलों वाले झुरमुट तथा वृक्षों का बोया जाना, ओखला अवमल तथा अच्छी मिट्टी सहित ऊपरी ड्रेसिंग, उर्वरकों का उपयोग तथा निवासियों की अन्तर्ग्रस्तता, इत्यादि।

फल और सब्जी के व्यापारियों को परिवहन और भंडारण की सुविधाएं

2080. **श्री कमला मिश्र मधुकर** :

श्री लोकनाथ चौधरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के फल और सब्जियों के वार्षिक उत्पादन का अनुमानत 40 प्रतिशत, असंतोषजनक यातायात और भंडारण सुविधाओं के कारण बाजार में आने के पहले ही सड़ जाता है; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थिति के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) मई, 1981 में, सड़ने वाली कृषि वस्तुओं सम्बन्धी दल की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 25-40 प्रतिशत फल नष्ट हो जाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन० एच० बी०), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय (एम० ई० पी० आई०) ने फसल कटाई के बाद होने वाले घाटों को कम करने की दृष्टि से निम्नलिखित अनेक कदम उठाये हैं :—

(1) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने फसल कटाई के बाद के लिए मूल आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है जिसमें शैल्फ अवधि को बढ़ाने के लिए पूर्व-शीत इकाईयों की स्थापना, पैकेज में सुधार, उत्पादन के क्षेत्रों में लघु शीत भण्डारों को बनाना और फसल कटाई की सही स्थिति के लिए पूर्ण किटों की आपूर्ति शामिल है।

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम उत्पादकों और विपणन सहकारिताओं को यातायात के वाहन खरीदने बड़े समन्वित गोदामों के निर्माण, ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए शेड, प्रसंस्करण इकाईयों तथा बड़े शीत भण्डारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। सहकारिताओं को उनके विपणन कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋणों/इक्विटी और अतिरिक्त राशि की सहायता भी दी जा रही है।

(3) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के पास विभिन्न योजनाएं हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा और सामान्य सुविधाएं और बड़े हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और उत्पादन केन्द्रों पर शीत भण्डार की सुविधाओं को विकसित करना शामिल है।

भोपाल गैस त्रासदी

2081. **श्री शरद दिघे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी सम्बन्धी मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 3 अक्तूबर, 1991 के फैसले में जो निर्देश दिए हैं उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार यूनियन कारबाइड कारपोरेशन को आपराधिक दोष से मुक्त किए जाने सम्बन्धी दिनांक 14/15 फरवरी, 1989 के आदेशों को खण्डित किए जाने को ध्यान में रखते हुए उक्त कम्पनी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा पुनः चलाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) भोपाल गैस त्रासदी पर उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3-10-91 के निर्णय में दिए गए निर्देशों पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(1) आपराधिक मुकद्दमा, जिसे बन्द नहीं किया गया था लेकिन उस पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी, उपयुक्त अदालत में चलाया जा रहा है।

(2) अदालत ने भावी पीड़ितों के लिए मुआवजा उपलब्ध कराने और नाबालिगों, अनपढ़ों और अर्ध-पढ़े-लिखों की मुआवजे की राशि के निवेश के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह मामला जीवन बीमा निगम/जनरल बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट के साथ उठाया गया है।

(3) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने मिथाइल आइसोसायनाइड के पीड़ितों के लिए 500 बिस्तरों वाले अस्पताल हेतु भोपाल में 30 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की है। प्रेस में दी गई रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल के निर्माण और प्रचालन के लिए यूसीसी 50 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है।

(4) दावों का अधिनिर्णय और मुआवजे के वितरण के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का पंजीकरण एवं कार्रवाई) योजना, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत कल्याण आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है और अधिनिर्णय की कार्रवाई 3 फरवरी, 1992 जो कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख है, तक प्रारम्भ हो जानी चाहिए।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

2082. **श्री राम शरण यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कारण ग्रामीण ऋण में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने तथा इसके स्थान पर नया कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) जोकि अनिवार्य तौर पर ऋण से जुड़ा कार्यक्रम है, मैं यह प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए गरीब परिवार स्वरोजगार के उद्यम शुरू कर सकें। कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक यह है कि ग्रामीण गरीबों को महाजनों के चंगुल से मुक्त कराया जाए। और उत्पाद कार्यों के लिए उन्हें संस्थागत ऋण मुहैया कराया जाए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष वितरित किए जाने वाले ऋण की कुल राशि लगभग 1100-1200 करोड़ रुपये होती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जनवरी-दिसम्बर, 1989 की अवधि के समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार, लगभग 37 प्रतिशत मामलों में लाभार्थियों की कोई देयराशियां बकाया नहीं थीं। ऐसे मामलों में जहां देयराशियां देखी गई, जोकि लाभार्थियों की ऋणग्रस्तता की दशा को दर्शा सकती हैं, में 5 प्रतिशत मामलों में देयराशियां 250 रुपये तक, 24 प्रतिशत मामलों में 251 रुपये से 1000 रुपये के बीच, 21 प्रतिशत मामलों में 1001 रुपये से 2000 रुपये के बीच और 13 प्रतिशत मामलों में 2000 रुपये से अधिक थीं। विभिन्न कारण जिनकी वजह से देयराशियां बकाया रहीं, के बारे में यह पता चला है कि 22 प्रतिशत मामलों में अपर्याप्त आय सृजन, अन्य 22 प्रतिशत मामलों में अप्रत्याशित आपदाएं, 2 प्रतिशत मामलों में

पुरानी देयराशियों की अदायगी और अदायगी की कड़ी समय-सीमा तथा 52 प्रतिशत मामलों में अन्य कारण उत्तरदायी रहे हैं।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन की आई० आर० डी० पी० के समवर्ती मूल्यांकन की मार्फत निरन्तर समीक्षा की जाती है और जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तरों पर व्यापक निगरानी प्रबन्ध किये जाते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन में सुधार लाने के लिए निगरानी और मूल्यांकन की मार्फत प्राप्त जानकारी के आधार पर, कार्यक्रम की मुख्य बातों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है। सरकार का इस समय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के स्थान पर कोई नया कार्यक्रम शुरू करने का विचार नहीं है।

फालतू भूमि का वितरण

[अनुवाद]

2083. **श्री श्रवण पटेल :**

श्री जे० चोक्काराव : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में भूमि सुधारों को लागू करने के सम्बन्ध में जिनमें फालतू भूमि की पहचान करना तथा इसे भूमिहीन किसानों में बांटना, पहचाने गए तथा वितरित किए गये क्षेत्र तथा लाभ भोगियों की संख्या दर्शायी गई हो, क्या प्रगति हुई है; और

(ख) राज्यवार उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो अभी तक ग्रामीण निर्धनों में वितरण के लिए उपलब्ध हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप कार्यक्रम के आरम्भ से 72.25 लाख एकड़ क्षेत्र को फालतू भूमि घोषित किया गया था और 62.40 लाख एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया था। कब्जा लिए गए 47.94 लाख एकड़ क्षेत्र में से 45.76 लाख एकड़ भूमि ग्रामीण गरीबों/लाभार्थियों को वितरित की गई थी।

फालतू घोषित तथा वितरित क्षेत्र, लाभार्थियों की संख्या तथा विवरण हेतु उपलब्ध क्षेत्र सम्बन्धी राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(जून 1991 तक)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र (क्षेत्र लाख एकड़ में)	वितरित किया गया क्षेत्र (क्षेत्र लाख एकड़ में)	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	उपलब्ध कुल क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7.01	4.19	3.58	0.18
2.	असम	6.10	4.32	3.78	0.24
3.	बिहार	4.75	2.67	3.07	0.50

1 2	3	4	5	6
4. गुजरात	2.52	1.27	0.29	0.16
5. हरियाणा	1.22	1.13	0.38	नगण्य
6. हिमाचल प्रदेश	2.84	0.03	0.04	1.25
7. जम्मू व कश्मीर	4.56	4.50	4.50	0.60
8. कर्नाटक	2.75	1.16	0.29	0.04
9. केवल	1.33	0.63	1.35	0.04
10. मध्य प्रदेश	2.98	1.76	0.66	0.11
11. महाराष्ट्र	7.04	5.25	1.32	0.01
12. मणिपुर	0.02	0.02	.004	नगण्य
13. उड़ीसा	1.74	1.46	1.24	0.025
14. पंजाब	1.38	1.01	0.26	0.001
15. राजस्थान	6.19	4.34	0.75	0.02
16. तमिलनाडु	1.77	1.40	1.16	0.01
17. त्रिपुरा	0.02	0.02	0.016	नगण्य
18. उत्तर प्रदेश	5.30	3.60	3.00	0.01
19. पश्चिम बंगाल	12.61	9.11	19.91	0.19
20. दादरा व नगर हवेली	0.09	0 06	0.03	0.002
21. दिल्ली	0.01	0.003	0.006	नगण्य
22. पांडिचेरी	0.02	0.01	0.01	नगण्य

मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति योजनाएं

[हिन्दी]

2084. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जल आपूर्ति योजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(घ) इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार से तकनीकी स्वीकृति हेतु निम्नलिखित योजनाएं प्राप्त हुई थीं :—

क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
1.	रायपुर जल सप्लाई योजना का विस्तार और सुधार करने के लिए रायपुर परि-योजना	32.54
2.	बेरासिया जल सप्लाई योजना	
	चरण-I	155.50
	चरण-II	30.13
3.	बियोरा जल सप्लाई योजना	5.98
4.	पचौर जल सप्लाई योजना	1.438
5.	शिवपुरी : बाह्य सहायता के लिए जल सप्लाई और जल व्ययन परियोजना	37.77 जल सप्लाई हेतु 18.96 मल व्ययन हेतु

(घ) राज्य सरकार से रायपुर, बेरासिया और पचौर परियोजनाओं के लिए कुछेक तकनीकी मुद्दों को स्पष्ट करने और अतिरिक्त जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। बियोरा जल सप्लाई हेतु परियोजना को कुछ तकनीकी टिप्पणियों के आधार पर तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है। शेष परियोजना की शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा तकनीकी जांच की जा रही है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम में राजस्थान के कुछ जिलों को शामिल करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट

2085. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समिति ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के जिलों के कुछ भागों को शामिल करने के बारे में राजस्थान सरकार के शापन के सम्बन्ध में इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम को राज्यों को कार्यान्वयन हेतु स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। स्थानांतरण के लिए सुझाव को देखते हुए, राजस्थान

सहित राज्य सरकारों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि समिति का यह विचार था कि कार्यक्रम के भावी कवरेज के लिए राज्य सरकारें स्वयं ही क्षेत्रों का पता लगायेंगी ।

"कपार्ट" द्वारा विकास कार्यक्रमों पर व्यय

2086. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "कपार्ट" द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विकास कार्यक्रमों पर कार्यक्रम-वार कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संस्था द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दी गयी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) द्वारा विकास कार्यक्रमों पर कार्यक्रम-वार खर्च की गयी कुल राशि संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ख) विभिन्न संस्थाओं को दी गई राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं ।

विवरण-I

कापार्ट द्वारा वर्ष-वार और योजना-वार परियोजनाओं का विवरण, स्वीकृत राशि और रिलीज की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	कार्यक्रम	1988-89			1989-90			1990-91		
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पी०सी०	50	5.19	1.20	86	5.12	1.80	99	2.66	2.80
2.	डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए०	194	3.24	2.36	148	1.91	1.26	111	1.51	1.01
3.	ओ०बी०	230	0.63	9.53	203	0.89	0.52	224	1.08	0.72
4.	आ०एल०ई०जी०पी०/ जे०आर०वाई०	130	7.05	3.74	144	5.52	4.05	103	4.60	4.34
5.	ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०	89	3.42	2.89	362	3.83	3.72	541	5.98	4.39
6.	सी०आर०एस०पी०	260	5.63	3.22	123	1.85	2.57	0	0.00	2.39
7.	आई०आर०डी०पी०	64	10.92	0.31	51	0.70	0.46	32	0.66	0.24
8.	ए०आर०टी०एस०	35	1.95	3.46	42	0.66	3.09	46	0.85	1.04
	कुल :	1072	28.02	17.71	1156	20.48	17.47	1156	17.34	16.93

नोट :—पी०सी०—जन सहयोग, डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए०—ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना, ओ०बी०—गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों का संगठन, आर०एल०ई०जी०पी०—ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, जे०आर०वाई०—जवाहर रोजगार योजना, ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०—त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, आई०आर०डी०पी०—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ए० आर०टी०एस०—ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना। सी०आर०एस०पी०—केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।

विवरण-II

लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) राज्य-वार और वर्ष-वार परियोजनाओं का वितरण और स्वीकृत राशि

क्रमांक	राज्य	1988-89		1989-90		1990-91	
		संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अण्डमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	76	16342122	113	18657428	152	25627488
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	121750	2	67000
4.	असम	23	1807468	14	818485	9	1584087
5.	बिहार	151	21425498	87	1279835	143	16844234
6.	चंडीगढ़	0	0	1	802500	2	570750
7.	दादरा	0	0	0	0	0	0
8.	दिल्ली	27	5068703	17	2596248	28	5617170
9.	गोआ	0	0	0	0	0	0
10.	गुजरात	46	26274335	36	22068427	26	9123181
11.	हरियाणा	20	1685680	6	221392	21	1449800
12.	हिमाचल प्रदेश	13	1125237	13	1030430	14	1743490
13.	जम्मू व कश्मीर	5	346918	4	997783	3	724320

1 2	3	4	5	6	7	8
14. कर्नाटक	57	16671025	46	15646487	29	4634083
15. केरल	47	14088067	34	6230193	18	2835995
16. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
17. मध्य प्रदेश	39	4856826	39	4872971	32	4372076
18. महाराष्ट्र	93	41072271	90	23930519	25	4403350
19. मणिपुर	25	3023994	22	2838188	22	2343934
20. मेघालय	33	645000	1	25750	1	925000
21. मिजोरम	3	1844891	0	0	1	1445850
22. नागालैंड	0	0	1	752777	1	783826
23. उड़ीसा	63	8973521	51	7021443	48	5868942
24. पांडिचेरी	3	339636	2	48760	1	22500
25. पंजाब	3	573616	2	55000	3	970000
26. राजस्थान	54	12584948	62	14588039	46	6648369
27. सिक्किम	0	0	0	0	0	0
28. तमिलनाडु	124	30818318	100	14305886	108	12816973
29. त्रिपुरा	1	111100	0	0	0	0
30. उत्तर प्रदेश	186	28892945	208	25970157	165	30816921
31. पश्चिम बंगाल	190	41619136	155	28465496	135	31961995
कुल :	1252	280191255	1105	204864467	1035	173404898

राजस्थान में पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस

[अनुवाद]

2087. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1991 का राजस्थान में पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन पेट्रो-रसायन उद्योगों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ग) इन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) राजस्थान में पेट्रो-रसायन उद्योगों को स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राइवेट व्यक्तियों से कलेन्डर वर्ष 1991 के दौरान सरकार को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मुम्बई में जल और मल व्यय परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

2088. **प्रो० राम कापसे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जल आपूर्ति और मल व्ययन परियोजना चरण-II के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच के पश्चात प्रस्ताव को तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से संशोधन के लिए महाराष्ट्र जल आपूर्ति एवं मल निर्यात बोर्ड को भेज दिया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश

[हिन्दी]

2089. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम हैं और उनमें कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) उनमें से कितने उपक्रम लाभ में चल रहे है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) 31-3-1990 को, केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 244 उद्यमों में कुल 99315.31 करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश किया गया था ।

(ख) 1989-90 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 131 उद्यमों ने शुद्ध लाभ कमाया है ।

राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

2090. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि महानगर और मध्यम तथा छोटे दर्जे के शहरों में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ बनाया जाए और यातायात प्रबन्ध आदि जैसे मुद्दों पर विचार किया जाए;

(ख) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति ने राष्ट्रीय परिवहन आयोग और समान शहरी परिवहन प्राधिकरणों के गठन की भी सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) शहरी परिवहन एक राज्य का विषय होने के कारण, यह सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे योजनाएं तैयार करें और इस प्रयोजन के लिए संघ योजना आयोग के साथ परामर्श करके अपने बजटों में निधियां आवंटित कराने की व्यवस्था करें। भारत सरकार ने महानगरों में शहरी परिवहन का संचालन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक सम्मिलित परिवहन प्राधिकरण होने की आवश्यकता की सिफारिशों को सिद्धांत रूप से स्वीकार किया है।

सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन के बारे में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

श्रमिकों की कार्य दशा

[हिन्दी]

2091. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मन्त्रालय द्वारा गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अनेक राज्यों का दौरा किया था और खादी और ग्रामोद्योगों से सम्बद्ध अनेक श्रमिक संगठनों ने खादी और ग्रामोद्योगों में लगे श्रमिकों की कार्य दशा में सुधार लाने तथा असंगठित श्रमिकों, कताई करने वालों और बुनकरों के उत्थान हेतु अलग कानून बनाने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जनवरी, 1991 से क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में संसद में कब तक विधेयक पुरःस्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों का दौरा किया और खादि संस्थानों तथा खादी बोर्डों एवम् श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा की ताकि खादी के विकास से सम्बन्धित विभिन्न मामलों के बारे में इनके विचार जाने जा सकें। सरकार को

समिति की रिपोर्ट अक्तूबर 1991 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी । समिति की रिपोर्ट में खादी कर्मचारियों द्वारा अलग से कानून बनाने की किसी मांग का उल्लेख नहीं किया गया है । समिति ने अलग कानून बनाने की सिफारिश नहीं की है बल्कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों आदि में सुधार करने के लिए कुछ अन्य सुझाव दिए । मौजूदा परिस्थितियों में इस सम्बन्ध में संसद में कोई विधेयक पेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि

[अनुवाद]

2092. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

श्री रवि राय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1991 के अन्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जून, 1991, मार्च, 1991 दिसम्बर, 1990 अक्तूबर, 1990 और जून, 1990 को समाप्त होने वाली तिमाहियों की तुलना में कोई वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि की दर क्या है;

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कामगारों के लिए) सितम्बर, 91 के महीने के लिए उपलब्ध है। सितम्बर, 1991 को समाप्त तिमाही में सूचकांक में जून, 91 मार्च, 91 दिसम्बर, 90 अक्तूबर, 90 तथा जून, 90 को समाप्त तिमाहियों की तुलना में आया उतार-चढ़ाव इस प्रकार है :

समाप्त तिमाही	उतार-चढ़ाव
सितम्बर, 91	+5.7%
जून, 91	+4.0%
मार्च, 91	+1.0%
दिसम्बर, 90	+4.2%
अक्तूबर, 90	+3.2%
जून, 90	+4.5%

(ग) कुछ आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि के कारण खरीफ तथा रबी दोनों फसलों (जैसे धान, गेहूं, दाल तथा तिलहन आदि) के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि' वालों जैसी वस्तुओं की मांग व आपूर्ति में अन्तर मुद्रा आपूर्ति आदि में वृद्धि का संचित प्रभाव हो सकते हैं।

(घ) मौजूदा सरकार मूल्य वृद्धि को उचित सीमा के भीतर रोके रखने के काम को उच्च प्राथमिकता देती है । इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को रोका जाए, "शीघ्र

प्रभावित होने वाली वस्तुओं" की मांग का नियन्त्रण किया जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए तथा उसे सुव्यवस्थित किया जाए, जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए और इस बीच अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाए। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा करने तथा उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिमण्डल समिति गठित की है, सरकार ने खुले बाजार में पहले ही 3 लाख मी० टन गेहूं निर्मुक्त कर दिया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित दर की दुकानों के जरिए वितरित करने के लिए पामोलीन तेल का आयात किया है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को कृषि पर आधारित उद्योग के रूप में घोषित करना

2093. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को कृषि पर आधारित उद्योग के रूप में घोषित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले रूग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इन्डिया लिमिटेड (एस० सी० आई० सी० आई०) रूग्ण समुद्री मात्स्यिकी यूनिटों को पुनर्स्थापन सहायता देने के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम की प्रमुख विशेषतायें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

रूग्ण समुद्री मात्स्यिकी कम्पनियों को राहत प्रदान करने की पुनर्स्थापन स्कीम की मुख्य बातें

इस स्कीम की प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं :—

(क) वे सभी कम्पनियों जिनके संबंध में ब्याज के भुगतान की देयता और/या ऋण की मूल राशि की अदायगी 30 जून, 1987 से पहले आरम्भ हो गई थी वे पुनर्स्थापन सहायता आरम्भ होने से पहले 30 जून, 1987 तक के ब्याज और मूल धन की अदायगी के सम्पूर्ण अतिदेय का भुगतान करेंगी। कुल अतिदेय में से उनके 10% के बराबर धनराशि का भुगतान स्कीम आरम्भ होने से एक महीने के अन्दर और शेष 90% का भुगतान 6 महीने के अन्दर करना होगा।

(ख) उन कम्पनियों के मामले में जहां 30 जून, 1987 तक ब्याज का भुगतान और या ऋण की मूल धनराशि का भुगतान आरम्भ नहीं हुआ था, सम्बन्धित कम्पनी को उपर्युक्त पैरा(क) में उल्लिखित तरीके से 30 जून, 1990 तक के अतिदेय के 25% का भुगतान करना होगा।

(ग) पुनर्स्थापना सहायता के हिस्से के रूप में दण्ड ब्याज माफ कर दिया जायेगा और जुलाई, 1987 से 30 जून, 1991 तक की अवधि के लिए ब्याज की गणना दस्तावेज दर पर की जायेगी। 30 जून, 1991 को समाप्त अवधि के लिए इस प्रकार परिगणित ब्याज का पूंजीकरण किया जायेगा और उसे ऋण की मूल धनराशि में जोड़ दिया जायेगा।

(घ) जहां यार्ड को भुगतान बकाया हो या जलयान अभी प्राप्त किया जाना हो, आयातित जलयानों के मामलों में मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण जलयान की लागत में हुई वृद्धि के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के बारे में भारत सरकार विचार करेगी।

(ङ) जहां यार्डस को अभी भुगतान किया जाना है वहां स्वदेशी जलयान की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण देने पर भारत सरकार/एस० सी० आई० सी० आई० विचार करेगी।

(च) इस पुनर्स्थापन सहायता का लाभ उठाने वाली कम्पनियों के स्वामित्व वाले जलयान की मरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऋण देने पर भारत सरकार/एस० सी० आई० सी० आई० विचार करेगी।

(छ) विद्यमान ट्रालरों द्वारा अनेक प्रकार की मछलियां पकड़ने के लिए फिशिंग गियर (मछली पकड़ने का साज-सामान) के परिवर्धन/संवर्धन के लिए उन्हें अतिरिक्त ऋण देने पर एस० सी० आई० सी० आई० विचार करेगी।

उर्वरकों पर राजसहायता

2094. श्री बी० बी० रामय्या : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों की दोहरी मूल्य नीति आरम्भ किए जाने के फलस्वरूप जून और सितम्बर, 1991 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए विभिन्न उर्वरक निर्माताओं को देय राजसहायता की कितनी धनराशि रोक ली गई है;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप उर्वरकों के उत्पादन में काफी गिरावट आ गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जून और सितम्बर, 1991 में समाप्त हो रही तिमाही के लिए विभिन्न उर्वरक निर्माताओं को देय कोई आर्थिक सहायता राशि उर्वरकों के लिए लागू की गयी दोहरी मूल्य नीति के कारण नहीं रोकी गयी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना

2095. श्री नुथान मल लोढा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण न्यायालयों के सम्बन्ध में विधि आयोग की रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए विधान कब तक प्रस्तुत करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने

पंचायती राज संस्थाओं को पुनः सक्रिय बनाने के उद्देश्य से लोक सभा के पिछले सत्र में पहले ही संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 पेश कर दिया है। इस संशोधन के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां देने का प्रस्ताव है। संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 के अधिनियमित हो जाने के पश्चात न्याय पंचायतों की स्थापना के बारे में राज्य सरकारों को विस्तृत मॉडल मार्गदर्शिकाएं जारी करने का प्रस्ताव है।

भूकम्प की पूर्व घोषणा

[हिन्दी]

2096. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन जैसे देशों में भूकम्प की पूर्वघोषणा करने की कोई विशेष व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत में भी ऐसी व्यवस्था करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) भूकम्पों का पूर्वानुमान लगाने के लिए अभी कोई प्रमाणित वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है। चीन में 4 फरवरी, 1975 को आए भूकम्प का पूर्वानुमान लगाने में उन्हें सफलता मिली थी। लेकिन, बाद में अनेक बड़े-बड़े भूकम्प आए जिनके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका।

(ख) और (ग) भारत में, भारत मौसम विज्ञान, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, रुड़की विश्वविद्यालय, वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण जैसे अनेक संस्थानों में भूकम्प के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए व्यवहार्य तकनीक विकसित करने की दिशा में अनुसंधान कार्य चल रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के मांड्या जिले में चीनी के कारखाने

[अनुवाद]

2097. **श्री जी० माडेगौडा** : क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के मांड्या जिले में चीनी के कितने कारखाने हैं;

(ख) इन सभी चीनी कारखानों में प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन होता है; और

(ग) क्या गन्ने की किस्मों के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए कर्नाटक में मांड्या में एक केन्द्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य मन्त्रालय के मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) कर्नाटक के मांड्या जिले में 30-9-91 तक 3 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां हैं।

(ख) इन तीनों चीनी फैक्टियों में पिछले दो चीनी वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी के उत्पादन की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :—

1989-90	—	1.45 लाख टन
1990-91	—	1.33 लाख टन

(ग) मांड्या (कर्नाटक) में गन्ने पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के तहत एक अनुसंधान केन्द्र पहले ही काम कर रहा है।

वाणिज्यिक प्लाटों पर अवैध निर्माण

2098. **श्री जीवन शर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाली रिपोर्ट में उल्लिखित 8 वाणिज्यिक प्लाटों के अवैध निर्माण के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो 8 वाणिज्यिक प्लाटों का ब्यौरा क्या है और अब उनके विरुद्ध उठाए गए कदमों के अतिरिक्त दण्डात्मक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि मेजानाइन फ्लोर के क्षेत्रफल में वृद्धि करके आठ भवनों में अधिक आच्छादन किया गया है और इनके सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अधीन नोटिस पहले ही जारी कर दिये गये हैं।

(ख) नानीवाला बाग में वाणिज्यिक भू-खण्डों के ब्यौरे इस प्रकार है : -

ए-1/2

ए-1/3

ए-2/2

ए-2/3

ए-4/1

बी-2/2

बी-2/3

बी-2/4

दिल्ली नगर निगम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई भर्ती

[हिन्दी]

2099. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा विभिन्न बिक्री डिपो पिछली तारीखों से नई भर्ती कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मामले की पूरी छानबीन करने के पश्चात इस संबंध में कोई कदम उठाने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सूचित किया है कि ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आई० ए० एस०/आई० पी० एस० के लिए चुने गए अभ्यार्थी

[अनुवाद]

2100. **श्री के० एच० मुनियप्पा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा, 1990 के आधार पर आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या क्या है और उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	सिविल सेवा परीक्षा, 1990 के आधार पर चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या							
	आई० ए० एस०				आई० पी० एस०			
	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल
असम	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश	8	1	1	10	4	3	—	7
बिहार	18	—	—	18	9	1	—	10
गुजरात	—	—	—	—	—	1	—	1
हिमाचल प्रदेश	—	—	1	1	—	—	—	—
हरियाणा	3	2	—	5	5	—	—	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—
केरल	4	—	—	4	—	—	—	—
कर्नाटक	2	4	—	6	3	—	1	4
महाराष्ट्र	3	2	—	5	2	2	—	4
मध्य प्रदेश	7	—	—	7	3	—	—	3
मणिपुर	—	—	1	1	—	—	1	1
नागालैंड	—	—	1	1	—	—	1	1
उड़ीसा	2	—	—	2	5	—	—	5
पंजाब	1	2	1	4	4	1	—	5
राजस्थान	5	1	2	8	2	—	2	4
सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	5	2	—	7	5	2	—	7
उत्तर प्रदेश	18	2	—	20	13	1	—	14
दिल्ली	4	—	1	5	4	—	—	4
पश्चिम बंगाल	1	—	—	1	2	1	1	4
चण्डीगढ़	2	—	—	2	—	—	—	—
कुल :	83	16	8	107	61	12	6	79

लक्षद्वीप प्रशासन के अस्थायी तथा दिहाड़ी मजदूर

2101. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्षद्वीप प्रशासन के अन्तर्गत बड़ी संख्या में श्रमिक 10 वर्ष से भी अधिक समय से अस्थायी तथा दिहाड़ी मजदूरी के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को उन्हें नियमित करने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) लक्षद्वीप प्रशासन के अनुसार 10 साल से भी अधिक समय से उनके अधीन दैनिक मजदूरी पर नैमित्तिक मजदूर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधीन काम कर रहे नैमित्तिक मजदूरों की वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है और इन मजदूरों की शैक्षिक योग्यता तथा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर उन्हें प्रशासन के अधीन विभिन्न ग्रुप "डी" पदों में आमेलित किया जाता है। अधिक से

अधिक नैमित्तिक मजदूरों को भविष्य में ग्रुप "डी" पदों की रिक्तियों में आमेलित करने को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से ग्रुप "डी" पदों पर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सीधी भर्ती करने की अनुमति नहीं है और केवल विद्यमान नैमित्तिक मजदूरों को आमेलित किया जाता है। कोई भी नया नैमित्तिक मजदूर दिहाड़ी मजदूरी पर नहीं रखा जा रहा है।

भूतपूर्व मन्त्रियों द्वारा सरकारी आवास को अपने कब्जे में बनाए रखना

2102. **डा० ए० के० पटेल :**

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन-किन भूतपूर्व मन्त्रियों को सामान्य अवधि से अधिक समय तक आवास को कब्जे में बनाये रखने की अनुमति दी है; और

(ख) सरकार ने भूतपूर्व मन्त्रियों द्वारा कब्जा किए गए आवास पर पुनः कब्जा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सामान्य अवधि से आगे किसी भी भूतपूर्व मन्त्री को साधारण पूल आवास रखने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों को बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत भूतपूर्व मन्त्रियों से आवासों को खाली कराने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी करना

[हिन्दी]

2103. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 199। के दौरान उद्योगों के लिए नए लाइसेंस जारी करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या परभनी जिले से कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) 1991 (30-10-91 तक) के दौरान, महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी हेतु 265 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 122 आवेदन पत्रों का निपटान किया जा चुका है तथा शेष 143 आवेदन प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) और (घ) परभनी जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक का पहले ही निपटान किया जा चुका है तथा दूसरे पर कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय टायर निगम के एकक

[अनुवाद]

2104. **श्री एन० डेनिस** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय टायर निगम के निर्माता एकक किन-किन स्थानों पर संचालित किए जा रहे हैं; और

(ख) इन एककों में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के निम्नलिखित 3 निर्माण एकक हैं :—

(1) कांकिनारा, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल स्थित कांकिनारा कारखाना—टायर प्रभाग ।

(2) कल्याणी, जिला नदिया स्थित रिक्लेम्ड रबड़ एकक ।

(3) बोलियाघाट, टांगरा, कलकत्ता स्थित इण्डस्ट्रियल रबड़ प्रोडक्ट्स एकक ।

(ख) उपरोक्त निर्माण एककों में 3243 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है ।

उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने हेतु मंच/आयोग

2105. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अगस्त, 1991 को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने हेतु जिला मंचों और राज्य आयोगों का गठन करने का निर्देश दिया था;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे जिला मंच और साथ ही राज्य आयोग काम कर रहे हैं तथा उनके पास कोई मामले लम्बित नहीं रहते हैं और उपभोक्ताओं की शिकायतों को तुरन्त हल किया जा रहा है;

(ग) क्या राज्यों में निगरानी तन्त्र भी है जो जिला केन्द्रों के कार्यों को देखता हो; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां, ऐसे मंच/आयोग संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रहे हैं; इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति और सर्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, जहां राज्य आयोग व जिला मंच कार्य कर रहे हैं ।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने अपने 5 अगस्त, 1991 के आदेश में राज्य आयोगों को जिला मंचों के कार्य पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है ।

(च) केन्द्रीय सरकार को कुछ जिला मंचों के सन्तोषजनक ढंग से कार्य न करने के बारे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकारों से इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।

विवरण

उपभोक्ता परिरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की स्थिति

15-11-1991 के अनुसार

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग की संख्या	जिलों की संख्या	जिला मंचों की संख्य
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	का०	23	23 का०
अरुणाचल प्रदेश	का०	11	11 का०
असम	का०	23	14 का०
			9 अ०
गुजरात	का०	20	20 का०
बिहार	का०	39	39 का०
गोवा	का०	2	2 का०
हरियाणा	का०	13	2 का०
हिमाचल प्रदेश	का०	12	1 का०
			11 अ०
कर्नाटक	का०	20	4 का०
			16 अ०
केरल	का०	14	3 का०
			11 अ०
मध्य प्रदेश	का०	45	45 का०
महाराष्ट्र	का०	31	30 का०
मणिपुर	अ०	8	8 अ०
मेघालय	अ०	5	5 अ०
मिजोरम	का०	3	3 का०

1	2	3	4
नागालैण्ड	अ०	7	7 अ०
उड़ीसा	का०	13	13 का०
पंजाब	का०	12	12 का०
राजस्थान	का०	30	30 का०
सिक्किम	अ०	4	4 अ०
तमिलनाडु	का०	21	21 का०
त्रिपुरा	का०	3	3 का०
उत्तर प्रदेश	का०	63	63 का०
पश्चिमी बंगाल	का०	19	3 का०
			14 अ०
अंडमान ता निकोबार	का०	2	2 का०
चण्डीगढ़	का०	1	1 का०
दादरा तथा नगर हवेली	का०	1	1 का०
दिल्ली	का०	1	1 का०
			1 अ०
दमन व दीव	का०	2	2 का०
लक्षद्वीप	का०	1	1 का०
पांडिचेरी	का०	1	1 का०

रा० आ० : राज्य आयोग
जि० मं० : जिला मंच
का : कार्य कर रहे हैं
अ : अधिसूचित

प्रौद्योगिकी अन्तरण समझौते

2106. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष विभाग ने भारतीय उद्योगों को अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं के लाइसेंस दिये हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय उद्योगों के साथ कुल कितने प्रौद्योगिकी अन्तरण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) उद्योगों में इन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप वार्षिक रूप में कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ;

(घ) क्या अन्तरिक्ष विभाग के पास प्रौद्योगिकी की सफलता का मूल्यांकन करने हेतु इन प्रौद्योगिकियों के परिणामस्वरूप उत्पादन के कुल वार्षिक मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तन्त्र हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां ।

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय उद्योगों के साथ हस्ताक्षरित प्रौद्योगिकी अन्तरण करारों की कुल संख्या का पृथक-पृथक ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1988	:	22
1989	:	30
1990	:	11
अक्तूबर 1991 तक	:	12

(ग) पिछले तीन वर्षों की अवधि से अब तक प्रौद्योगिकी अन्तरण के फलस्वरूप हुए उत्पादन का वार्षिक मूल्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1988	:	345.44 लाख रुपये
1989	:	663.02 लाख रुपये
1990	:	481.00 लाख रुपये
जून, 1991 तक	:	164.66 लाख रुपये

(घ) जी, हां ।

(ङ) जो उद्योग प्रौद्योगिकियों में अन्तरण पर आधारित हैं, उनके उत्पादन क्रियाकलापों को सुनिश्चित करने के लिए अन्तरिक्ष विभाग/भारतीय अन्तरित अनुसंधान संगठन ने एक विस्तृत मानीटरिंग कियाविधि संस्थापित की है । इसमें निम्न बातें सम्मिलित हैं :

* उत्पादन के दौरान उचित गुणवत्ता नियन्त्रण प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा नमूने के आधार पर उत्पादों/प्रक्रियाओं के निष्पादन की जांच करने के लिए अन्तरिक्ष विभाग/इसरो के डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन दल, तकनीकी/उत्पादन समस्याओं यदि कोई हो, के आंकलन के लिए समय-समय पर उद्योग के दौरे पर जाते हैं;
* प्रौद्योगिकी अन्तरण करार में निर्दिष्टानुसार उद्योग से तिमाही उत्पादन और बिक्री-आंकड़े, तथा देय रायल्टी इत्यादी की आवधिक रिपोर्टें मंगाई जाती हैं; और
* उद्योग के उत्पाद की गुणवत्ता और उपलब्धता के बारे में प्रयोक्ता एजेन्सियों/बाजारों से जानकारी प्राप्त की जाती है ।

दिसम्बर, 40, 1991 को उत्तर देने के लिए थुम्बा राकेट प्रक्षेपण

केन्द्र में सुरक्षा व्यवस्था

2107. प्रो० के० वी० थामस : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित थुम्बा राकेट प्रक्षेपण केन्द्र में सुरक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी० एस० एस० सी०) के संस्थापनों के लिए सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के० औ० सु० ब०) द्वारा मुहैया करायी जाती है और इसे पर्याप्त माना गया है। अतिरिक्त जनशक्ति, मशीनों और उपकरणों इत्यादि के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की जरूरत के अनुरूप समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है और संयुक्त पुनर्निरीक्षण किए जाते हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है।

गुजरात सरकार के प्रस्तावों को औद्योगिक मंजूरी

2108. श्री काशी राम राणा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औद्योगिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कितने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी है और कितने प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गयी है;

(ग) कई वर्षों से इन प्रस्तावों के लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने औद्योगिक मंजूरी चाहने वाले प्रस्तावों को शीघ्र निपटाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार, 1988 से 1991 (31 अक्तूबर, 1991 तक) के दौरान गुजरात के विभिन्न राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रमों से राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु 39 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

1988	15
1989	16
1990	4
1991	4
योग	39

(ख) और (ग) इन 39 प्रस्तावों में से 21 का अनुमोदन कर दिया गया है तथा आशय पत्र दिए जा चुके हैं, 17 आवेदन पत्रों को नामंजूर कर दिया गया है या उनका अन्यथा निपटान किया गया है। शेष एक प्रस्ताव जो कि अप्रैल, 1991 को प्राप्त हुआ था, पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि औद्योगिक अनुमोदनों के लिए प्राप्त आवेदनों के निपटान में अनावश्यक विलम्ब न हो सरकार को प्राप्त सभी प्रस्तावों के निपटान के लिए विशिष्ट समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

लघु उद्योगों को मान्यता

2109. **श्री मोहन सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग सम्बन्धित सेवा और व्यापारिक उद्यमों की निदर्शी सूची के उद्योगों को, उनके स्थान का ध्यान न देते हुए, लघु उद्योग के रूप में मान्यता देने का विचार है और उनकी पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा छोटे उद्यमों के समनुरूप होगी;

(ख) क्या उपर्युक्त भाग "क" में विनिर्दिष्ट लघु उद्योग सेवाओं और व्यापारिक उपक्रमों के लिए उद्योग निदेशालय के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा जिससे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से पुनर्वित्तिपोषण सहायता प्राप्त हो सके;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऊपर उल्लिखित यूनिटों तथा ऋण इक्विटी अनुपात ब्याज की दर, ऋणस्थगन, पुन: भुगतान की अवधि, जमानत गारंटी आदि में प्रवर्तकों के योगदान का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० जे० कुरियन) : (क) जैसा परिपत्र सं० 2(3)/91-एस० एम० आई० बोर्ड दिनांक 30-9-91 में दिया गया है, लघु एवं बहुत छोटे उद्योग सम्बन्धी सेवा और व्यापारिक उद्यमों की एक निदर्शी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से पुनर्वित्तिपोषण सहायता प्राप्त करने के लिए "लघु उद्योग सेवा एवं व्यापारिक उद्यमों" को उद्योग निदेशक के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है।

(ग) "प्रश्न नहीं उठता"।

(घ) प्रवर्तकों के योगदान, ऋण-इक्विटी अनुपात, ब्याज की दर, ऋण-स्थगन, पुन:भुगतान की अवधि, जमानत/गारंटी वही हैं जो अन्तर्ग्रस्त राशि, कर्जदार की श्रेणी, परियोजना का स्थापना-स्थल, जीव्यता इत्यादि पर निर्भर लघु एककों पर लागू हैं।

विवरण

संख्या : 2(3)/91-लघु उद्योग बोर्ड

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 30-9-91

सभी राज्य उद्योग सचिव

सभी केन्द्र तथा शासित क्षेत्र उद्योग आयुक्त/निदेशक

विषय : लघु, अति लघु तथा उद्योग सम्बद्ध सेवा/व्यापार उद्यम

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 16 अगस्त, 1991 के समसंख्यक पत्र के अन्तिम पैरा जिसमें

कहा गया था कि लघु उद्योग सेवा व्यापार उद्यमों (एस० एस० एस० बी० ई०) के पंजीकरण के निर्देशों की प्रतीक्षा की जाए और कि लघु उद्योग सेवा व्यापार उद्यमों की निदर्शी सूची जारी की जायेगी, का अवलोकन करें।

2. इस पत्र के जारी होने से पूर्व औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिनांक 18 मई, 1982 के अपने पत्र सं० ल० उ० (1)-12(4)/82-द्वारा सभी सेवा उन्मुख उद्यमों जिसमें अचल परिसम्पत्ति में कुल न्यूनतम निवेश संयंत्र तथा मशीनरी में 2 लाख रु० तक सम्मिलित हो तथा वह 5 लाख तक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों व कस्बों में अवस्थित हो, को लघु उद्योग सेवा उद्यमों के रूप में पंजीकृत करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे।

3. विभिन्न समय पर, इस बारे में कि क्या एक कार्यकलाप लघु उद्योग, लघु उद्योग सेवा उद्यम अथवा इनमें से कोई भी नहीं, के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं, निश्चित स्पष्टीकरण जारी किए गए थे। सम्पूर्ण सूची के पुनरावलोकन की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से कुछ कार्य कलाप/मदें लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत* औद्योगिक कार्यकलापों के रूप में नहीं आती है जबकि कुछ अन्य विनिर्माणात्मक क्रियाकलाप। न होकर केवल सेवा क्रियाकलाप हैं। लघु उद्योगों पर नई नीति के अनुसार इसके बाद सभी सेवा उद्यम लघु उद्योग क्षेत्र की इकाईयों को उपलब्ध लाभों/रियायतों के लिए पात्र नहीं होंगे। लघु उद्योगों में से केवल वही चाहें वह सेवा अथवा व्यापार जो उद्योग से सम्बद्ध है जिन्हें अब लघु उद्योग सेवा बोर्ड उद्यम के नाम से जाना जाता है (लघु उद्योग क्षेत्र को देखें लाभों/रियायतों के लिए पात्र होंगे। अतः लघु उद्योग (एस० ए० आई०) तथा लघु (उद्योग सम्बद्ध) सेवा व्यापार उद्यमों (एस० एस० एस० बी० ई०) में विभिन्न क्रिया कलापों को पुनर्वर्गीकृत करने का निश्चय किया गया है।

4. लघु उद्योग

यह निम्नलिखित में सम्मिलित एक अथवा अधिक मदों की सभी विनिर्माण क्रियाकलापों को पूरी करेगा :

(क) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की अनुसूची-1

(ख) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए एकमात्र आरक्षित मदों की सूची; और

(ग) कोई भी विनिर्माण क्रियाकलाप जो उपर्युक्त (क) अथवा (ख) में नहीं आता है।

को छोड़कर/के अतिरिक्त

कार्यकलाप जो के० वी० आई० सी०, खिल्क बोर्ड हस्तशिल्प बोर्ड वस्त्र आयुक्त, हथकरघा बोर्ड, नारियल बोर्ड आदि जैसे किसी भी सांविधिक बोर्ड अथवा कमेटी अथवा विशेष एजेंसी के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

2. इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी स्पष्टीकरणों के द्वारा लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों को लघु उद्योग के रूप में मान्यता दी गई है।

(1) जीव रसायन सम्बन्धी/जीव विज्ञान सम्बन्धी परीक्षण प्रयोगशालाएं

(2) अण्डज-उत्पत्ति शाला

(3) उत्तक संवर्धक

(4) बीड़ी बनाना/तम्बाकू संसाधन

(5) रंगीन फिल्म संसाधन स्टूडियो

(6) कच्चा माल तथा परिष्कृत उत्पादों के परीक्षण में लगी प्रयोगशालाएं

(7) साफ्ट वेयर सेवाएं तथा डाटा संसाधन

(8) वृत्त चित्र फिल्म उत्पादन एकक

(9) सेवा उद्योग उपक्रम जो सभी प्रकार के वाहनों तथा किसी भी विवरण की मशीनरी जिसमें इलैक्ट्रोनिक/इलैक्ट्रीकल उपस्कर/उपकरण जैसे मापक/नियन्त्रक उपकरण, टेलीविजन, टेप रिकार्डर, वी० सी० आर० रेडियो, ट्रांसफार्मर मोटर आदि सम्मिलित हैं, के रख रखाव, मरम्मत, परीक्षण अथवा सेवाओं में लगे हुए हैं।

(10) छपाई प्रेस।

अब यह तय किया गया है कि उपरोक्त कार्य कलापों में से कोई भी क्रियाकलाप लघु उद्योग के रूप में नहीं माना जाएगा। तथापि छः से दस तक उल्लिखित कार्यकलाप लघु उद्योग सेवा व्यापार उद्यमों के रूप में पंजीकृत किए जा सकेंगे।

(निम्नलिखित पैरा 6 देखें) शेष क्रियाकलाप अर्थात् (1) से (5) तक उल्लिखित कार्यकलापों को लघु उद्योग सेवा व्यापार उद्यमों के रूप में भी नहीं माना जाएगा।

(5) अति लघु उद्यम

उपरोक्त संदर्भित दिनांक 16-8-91 के पत्र द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त स्वतः स्पष्ट हैं और उनका अनुपालन किया जाए।

(6) लघु उद्योग सेवा एवं व्यापार (उद्योग सम्बद्ध) उद्यम (एस० एस० एस० बी० ई०)

लघु उद्योग सेवा एवं व्यापार उद्यमों के पंजीयन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाये जाएंगे।

1. लघु, अति लघु एवं ग्रामीण उपक्रमों के संवर्द्धन एवं शक्तिशाली बनाने हेतु 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीति सम्बन्धी उपायों पर अनुवर्ती कार्रवाई के क्रम में सरकार ने भूमि एवं भवन को छोड़कर 5 लाख रुपये तक की अचल परिसम्पत्तियों वाले सेवा एवं व्यापार उद्यमों से सम्बन्धित उद्योगों को लघु क्षेत्र की सुविधाएं देने का निश्चय किया है। अचल परिसम्पत्तियों की गणना करते समय मूल मालिक द्वारा दी गई वास्तविक कीमत पर विचार किया जाएगा न कि बाद के मालिकों द्वारा दिए गए मूल्य पर।

2. मन्त्रालय के परिपत्र सं० एस० एस० आई० (आई०)-12 (14)/82, दिनांक 18-5-82 के अनुसार संयंत्र और मशीनरी में दो लाख रुपये तक की निश्चित निवेश वाले सभी लघु उद्योग सेवा संस्थापनाओं (एस० एस० एस० ई०) को दी जाने वाली सुविधाओं को अधिक्रमित कर दिया गया है। अब से उपरोक्त (1) में दिए गए केवल 5 लाख रु० तक के लघु उद्योग सेवा/व्यापार स्थापनाओं से सम्बन्धित उद्योग ही लघु क्षेत्र में उपलब्ध उद्योगों के लिए सुविधाओं और रियायतों के पात्र होंगे।

3. एस० एस० बी० ई० की एक निर्देश सूची और एस० एम० एस० बी० ई० [यानि लघु उद्योग सेवा एवं व्यापार (उद्योग सम्बन्धित) स्थापना] की क्रियाकलापों की योग्यता प्राप्त न करने वालों की निदर्शी सूची क्रमश: अनुबन्ध-I एवं अनुबन्ध-2 में दी गई है ;

4. हैजरी, मुर्गी फार्म, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर इत्यादि जैसे कार्य जो पहले एस० एस० एस० ई० के क्रियाकलाप घोषित किए गए थे आगे से लघु उद्योग या एस० एस० एस० बी० ई० के रूप में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे ।

5. होटल (सामान्य होटलों, चाय के-फैक्टरियां एवं रेस्टोरेन्टों सहित), लघु सेवा चिकित्सा स्थापना, लघु ग्रामीण सेवा चिकित्सा स्थापना बायलर स्कीम, डेकोरेटर (पंडाल एवं लाइटिंग दोनों), प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाएं, प्राकृतिक इलाज अस्पताल, दन्त चिकित्सालय, स्लेट खान (खान प्रक्रिया), सूअरखाना, फिशरी कैटल रियरिंग, रेबिट फार्मिंग, बूचरी मीट बिक्री, स्लीमिंग सैंटर, डेयरी (यदि केवल दूध बिक्री होता है) हाट मिक्स प्लांट जैसे क्रियाकलापों को हवाला इस कार्यालय में भेजा जाता था कि क्या ये एस० एस० एस० ई० के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं ! अब यह स्पष्ट किया जाता है कि इनमें से किसी क्रियाकलाप को एस० एस० एस० बी० ई० के रूप में पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्रियाकलाप उद्योग से सम्बद्ध सेवा/व्यापार क्रियाकलाप नहीं हैं ।

7. जो इकाइयां इन हिदायतों के जारी होने से पूर्व लघु उद्योग या एस० एस० एस० ई० के रूप में पंजीकृत की गई थी और जिन्हें अब पंजीकरण करवाने की अपेक्षा नहीं है, को चालू पंजीकरण के अनुसार सहायता मिलनी जारी रहेगी । इन मामलों को पंजीकरण रद्द करने हेतु दोबारा उठाने की आवश्यकता नहीं है । वर्तमान इकाइयां जिनका पंजीकरण एस० एस० एम० ई० के रूप में हो चुका है, तब तक लघु उद्योगों की सुविधायें प्राप्त करती रहेंगी जब तक उनकी निवेश सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ नहीं जाती है ।

भवदीय,

ह०/-

(सुबोध कुमार)

निदेशक (लघु उद्योग बोर्ड)

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. निदेशक, सभी लघु उद्योग सेवा संस्थान, शाखा संस्थान, एक्सटेंशन सेंटर

2. महाप्रबन्धक, देश में सभी जिला उद्योग केन्द्र

3. जारी की गई सूची के अनुसार ।

अनुलग्नक-1

लघु उद्योग सेवा/व्यापार (उद्योग से सम्बद्ध) उद्यमों की निदर्शी सूची

1. विज्ञापन एजेंसी

2. कम्प्यूटर ग्राफिक्स और डाटा प्रोसेसिंग

3. विपणन परामर्शदायी
4. औद्योगिक परामर्शदायी
5. किराए पर लीज पर उपकरण
6. टाइपिंग केन्द्र
7. जीरोक्सिंग
8. औद्योगिक फोटोग्राफी
9. औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालायें
10. औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशालायें
11. कम्प्यूटीकृत डिजाइन और ड्राफ्टिंग
12. विदेशी/भारतीय बाजार के लिए उपयुक्त डाटाबेस का सृजन
13. साफ्टवेयर विकास
14. आटो मरम्मत, सेवायें और गैरेज
15. परिवार नियोजन, सामाजिक वानिकी, ऊर्जा संरक्षण और वाणिज्यिक विज्ञापन जैसे विषयों पर वृत्त चित्र ।
16. कच्चे माल, तैयार उत्पादों के परीक्षण कार्यों में लगी प्रयोगशालायें ।
17. सभी प्रकार के वाहन, सेवा उद्योग उपक्रम जो और किसी भी प्रकार की मशीनरी, जिसमें इलैक्ट्रोनिक/इलैक्ट्रीकल उपस्कर/उपकरण जैसे मापक/नियंत्रण उपकरण, टेलीविजन, टेप रिकार्डस, वी सी आर रेडियो, ट्रांसफारम्स, मोटर, घड़ियां आदि शामिल हैं, के अनुरक्षण, मरम्मत, परीक्षण या सेवा में लगी हुई हैं ।
18. प्रिंटिंग प्रैस ।
19. लांड्री और ड्राईक्लीनिंग
20. एक्स रे क्लीनिक
21. टेलरिंग
22. कृषि फार्म उपकरण जैसे ट्रैक्टर, पम्प, रिग, बोरिंग मशीन आदि की सर्विसिंग ।
23. बे ब्रिज ।
24. फोटोग्राफिक प्रयोगशाला ।
25. ड्राइंग/डिजाईन की ब्लू प्रिंटिंग और परिवर्धन
26. उद्योगों के लिए आई० एस० डी०/एस० टी० डी० बूथ
27. टेलीप्रिंटर/फैक्स सेवायें ।

अनुलग्नक-2

उन कियाकलापों की निदर्शी सूची जिन्हें लघु उद्योग/व्यापार (उद्योग से सम्बद्ध) उद्यम नहीं माना जाता ।

1. परिवहन
2. भण्डारण (शीत भण्डारण) के अलावा जिसे लघु उद्योग की मान्यता प्राप्त है।
3. फुटकर/थोक ट्रेड स्थापनायें ।
4. सामान्य माल भण्डार
5. औद्योगिक हिस्सों पुर्जों के लिए बिक्री बाजार
6. स्वास्थ्य सेवायें जिसमें विकृति प्रयोगशालायें शामिल हैं ।
7. कानूनी सेवायें
8. शैक्षिक सेवायें
9. सामाजिक सेवायें ।
10. होटल ।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन

2110. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके पुनरुत्थान के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गए हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) हल्दिया परियोजना में अक्तूबर, 1986 में प्रारम्भण कार्यकलाप बन्द कर दिये गये थे ।

(ख) और (ग) जून, 1987 में एक तकनीकी समिति स्थापित की गई थी जिसे अन्य बातों के साथ-साथ बेकार हालत में पड़े संयंत्रों का न्यूनतम लागत पर उचित रख-रखाव करना और यदि परामर्शदाता चाहे तो उनको संचालन का प्रदर्शन करने की सिफारिश करनी थी। तथापि, तकनीकी समिति ने सिफारिश की कि परियोजना को चालू किया जाए जिससे पर्याप्त व्यय अन्तर्ग्रस्त था। परियोजना प्रारम्भण में असफलता के पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा नहीं माना गया। जुलाई, 1987 में नियुक्त किये गये विदेशी सलाहकारों ने, परियोजना के पुनरुद्धार की सिफारिश की थी। जिसमें अत्यधिक निवेश अन्तर्ग्रस्त था। नाइट्रो फास्फेट संयंत्र समूह का वैकल्पिक पुनरुद्धार भी अव्यवहार्य पाया गया था। इस दृष्टि से, और निवेश के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विभिन्न दस ग्रुपों की निजी खपत और आमदनी

2112. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-90 के बीच योजना आयोग और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के नवीनतम अनुमान के अनुसार भारतीय जनसंख्या के विभिन्न दस ग्रुपों की निजी खपत और आमदनी कितनी है; और

(ख) जनसंख्या के अधिकतम और न्यूनतम स्तर के दस ग्रुपों की घरेलू आमदनी का मासिक अथवा वार्षिक स्तर कितना है और इस अवधि के लिए उनका घरेलू खपत व्यय कितना है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज): (क) खपत व्यय सम्बन्धी आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्र तथा संकलित किये जाते हैं। योजना आयोग ऐसे आंकड़ों को अलग से एकत्र नहीं करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन घरेलू खपत व्यय पर राष्ट्रव्यापी पंचवार्षिकी प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करता है। इसके अलावा, वर्ष 1986-87 के बाद से इस विषय पर आंकड़े परिवारों के विरल नमूनों के जरिये वार्षिक आधार पर भी एकत्र किए जा रहे हैं। 38वें चक्र [जनवरी-दिसम्बर (83)] 42वें चक्र (1986-87 विरल नमूने), 43वें चक्र (1987-88) तथा 44वें चक्र (1988-89 विरल नमूने) के परिणामों के आधार पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए माहवार प्रतिव्यक्ति औसत व्यय सम्बन्धी दशमकवार आंकड़े अलग से संलग्न विवरण I तथा II में दिये गये हैं। दशमकवार आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख)-ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उच्चतम और निम्नतम दशमकवार प्रतिव्यक्ति औसत व्यय के मासिक स्तरों को अलग से नीचे दिया गया है :—

ग्रामीण क्षेत्र

(रुपये)

	1983	1986-87	1987-88	1988-89
उच्चतम	276.65	347.96	400.06	426.82
निम्नतम	42.64	54.38	63.28	71.58

शहरी क्षेत्र

(रुपये)

	1983	1986-87	1987-88	1988-89
उच्चतम	455.06	481.24	721.33	734.15
निम्नतम	57.45	74.68	85.04	91.90

विवरण-I

ग्रामीण क्षेत्रों में चालू कीमतों पर दशमकवार प्रतिव्यक्ति मासिक औसत व्यय

(रुपये)

	38वां चक्र (1983)	42वां चक्र (1986-87)	43वां चक्र (1987-88)	44वां चक्र (1988-89)
प्रथम दशमक	42.64	54.38	63.28	71.58
द्वितीय दशमक	58.73	74.60	84.26	94.82
तृतीय दशमक	69.76	85.20	98.71	108.97
चतुर्थ दशमक	77.35	98.69	109.86	122.36
पंचम दशमक	89.94	111.99	122.59	136.93
छठा दशमक	101.55	123.47	138.77	152.69
सातवां दशमक	111.52	143.54	155.71	177.57
आठवां दशमक	131.09	170.60	184.08	202.59
नवां दशमक	163.87	198.98	225.13	249.66
दसवां दशमक	276.65	347.96	400.06	426.82

विवरण-II

शहरी क्षेत्रों में चालू कीमतों पर दशमकवार प्रतिव्यक्ति मासिक औसत व्यय

(रुपये)

	38वां चक्र (1983)	42वां चक्र (1986-87)	43वां चक्र (1987-88)	44वां चक्र (1988-89)
प्रथम दशमक	57.45	74.68	85.04	91.90
द्वितीय दशमक	78.27	103.92	115.24	123.79
तृतीय दशमक	92.56	120.50	135.00	147.56
चतुर्थ दशमक	111.94	142.58	154.02	170.93
पंचम दशमक	119.14	173.14	178.79	196.60
छठा दशमक	137.22	175.13	207.59	226.24
सातवां दशमक	170.90	221.78	240.90	265.40
आठवां दशमक	189.31	257.74	291.42	314.13
नवां दशमक	246.12	475.52	380.15	435.66
दसवां दशमक	455.06	481.24	721.33	734.15

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

2113. डा० सी० सिलवेरा : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र कुछ उपक्रमों ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौता ज्ञापन में देश को प्रगति के लिए कुछ प्रावधान बनाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां । सरकारी क्षेत्र के 50 उपक्रमों ने अब तक अपने सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालयों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। सरकारी क्षेत्र के 21 और उपक्रम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) और (घ) जी, हां । समझौता ज्ञापन प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बीच स्वेच्छा से बातचीत द्वारा तय किया गया एक दस्तावेज है जिसमें किसी उपक्रम के वित्तीय, वास्तविक तथा गुणात्मक जैसे कार्य-निष्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समाविष्ट किया जाता है। कुछ अवधि के दौरान किसी उपक्रम के कार्य-निष्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्तरोत्तर रूप से सुधार करने पर बल देना है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की सूची जिन्होंने वर्ष 1991-92 के दौरान समझौता-ज्ञापन पर पहले हस्ताक्षर कर दिये हैं

1. एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि०
2. भारत भारी उद्योग निगम लि०
3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लि०
4. भारत अर्थ मूवर्स लि०
5. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०
6. भारत यंत्र निगम लि०
7. केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम
8. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम
9. केन्द्रीय भाण्डागार निगम
10. कम्प्यूटर मैनटेनेंस कारपोरेशन
11. भारतीय कंटनर निगम लि०
12. इंजीनियर्स इण्डिया लि०

13. फैरो स्क्रेप निगम लि०
14. गोवा शिपयार्ड लि०
15. एच० एम० टी० लि०
16. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०
17. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
18. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०
19. हिन्दुस्तान केबल्स लि०
20. हिन्दुस्तान कापर लि०
21. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०
22 हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैन्यु० कारपोरेशन लि०
23 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०
24. हिन्दुस्तान जिंक लि०
25. आई० बी० पी० कम्पनी लि०
26. इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०
27. भारतीय रेलवे निर्माण निगम लि०
28. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
29. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि०
30. कुद्रिजोल इण्डिया लि०
31. मद्रास रिफाइनरीज लि०
32. मझगांव डाक लि०
33. मैंगनीज ओर इण्डिया लि०
34. न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लि०
35. रद्दी धातु व्यापार निगम लि०
36. मैटालर्जिकल एण्ड इन्जीनियर्स कन्सलटेंट्स (इण्डिया) लि०
37. भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०
38. मिश्र धातु निगम लि०
39. भारतीय सीमेंट निगम लि०
40. कोचीन रिफाइनरीज लि०
41. नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि०

42. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०

43. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०

44. पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०

45. रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकनोमिक सर्विसेज लि०

46. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०

47. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०

48. टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स (इण्डिया) लि०

49. विदेश संचार निगम लि०

50. जल एवं विद्युत परामर्शदायी सेवायें (इण्डिया) लि०

इन्जीनियरिंग उद्योग का विकास

2114. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री रमेश चन्द्र तोमर : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्तूबर, 1991 के "इकोनामिक टाइम्स" में प्रकाशित "इन्जीनियरिंग इंडस्ट्री कलाक्स निगेटिव ग्रोथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके कारणों का पता लगाया है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) कनफैडेरेशन आफ इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री ने अपने मन्थली स्टैटिस्टिकल बुलेटिन में उल्लेख किया है कि विकास की दर अप्रैल-मई 1990 की तुलना में अप्रैल-मई 1991 के दौरान (—)8.8 प्रतिशत रही। "मूल धातुओं", "गैर विद्युत मशीनों" और "परिवहन उपकरणों" के उद्योग समूहों में विकास की दर क्रमश: 19.2%, 7.8% और 1.7% रही जबकि "विद्युत मशीनों" और "धातु उत्पादों" में क्रमश: 33% तथा 8.8% की गिरावट आई।

(ग) अप्रैल-जून ,1991 में विकास दर गिरने के कई कारण थे। कई क्षेत्रों में यह कच्चे माल विशेष रूप से आयातित कच्चे माल की कमी के कारण हुई क्योंकि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयां थी। कुछ अन्य क्षेत्रों में विकास दर की कमी का कारण यह कहा जा सकता है कि पिछले वर्षों में तो विकास की दर काफी ऊंची थी लेकिन उसके बाद मांग अचानक बहुत कम हो गई। भुगतान शेष की स्थिति को देखते हुए कुछ विशिष्ट आयातों पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में विकास की दर कम हो गयी। कुछ क्षेत्र बिजली और कोयले जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से प्रभावित हुए जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या का प्रभाव पड़ा।

(घ) सरकार ने अभी हाल ही में औद्योगिक नीति पर एक वक्तव्य जारी किया था 24 जुलाई, 1991 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था। नई नीति की योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित होंगे—पहले से प्राप्त लाभकारी स्थितियों को बनाये रखना, जो गड़बड़ी या कमजोरियां आ गई हैं उन्हें दूर करना, उत्पादकता में वृद्धि की गति को निरन्तर बनाए रखना, लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता प्राप्त करना। सभी क्षेत्रों के उद्योगों को अपना विकास करना तथा अपने पिछले कार्यनिष्पादन को सुधारने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा चाहे वे लघु, मध्यम अथवा बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हों या सरकारी, गैर-सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हों।

उत्तर प्रदेश में पौड़ी और चमोली जिलों में भण्डारण सुविधा

2115. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों में फल, सब्जियों और मोटे अनाज की भंडारण सुविधा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन जिलों में उक्त उत्पादों का भली-भांति भण्डारण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) भण्डारण क्षमता का निर्माण करने में जुटी हुई प्रमुख केन्द्रीय एजेंसियां अर्थात केन्द्रीय भण्डारण निगम, भारतीय खाद्य निगम (मुख्यतया प्रमुख उपयोग के लिए), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने अभी तक पौड़ी और चमोली जिलों में फलों और सब्जियों के लिए भंडारण सुविधाएं सुलभ नहीं की हैं। तथापि केन्द्रीय भण्डारण निगम और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गये अथवा अभिस्तावित किसी व्यवहार्य प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

जहां तक मोटे अनाजों सहित अन्य उत्पादों के लिये भण्डारण सुविधाओं का सम्बन्ध है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने पौड़ी जिले में 12,000 मीटरी टन और चमोली जिले में 2,400 मीटरी टन की समूची क्षमता के गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने भी जिला पौड़ी में स्थित कोटद्वार में 3,000 मीटरी टन की क्षमता के एक गोदाम का निर्माण करने के लिये सहायता प्रदान की है। केन्द्रीय भण्डारण निगम की भी उसी जिले में स्थित श्रीनगर में 5,000 मीटरी टन की क्षमता के एक भांडागार का निर्माण करने की योजना है।

औद्योगिक विकास केन्द्र योजना

2116. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु आधारभूत संरचना के विकास के लिए केन्द्र सरकार की औद्योगिक विकास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत बुलडाना जिले के मलकापुर शहर को सम्मिलित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए जून, 1988 में एक विकास केन्द्र योजना की घोषणा की। विकास केन्द्रों को, जिनमें से प्रत्येक को 400 से 800 हेक्टेयर के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए विद्युत, दूरसंचार, पानी तथा बैंकिंग जैसी मूल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 70 विकास केन्द्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 63 विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों का पता लगाया जा चुका है तथा उनकी घोषणा की जा चुकी है। प्रत्येक विकास केन्द्र को 25 से 30 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर विकसित किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को आबंटित पांच विकास केन्द्रों के चयन के लिए 12 प्रस्ताव भेजे थे। राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के पश्चात, अकोला, चन्द्रपुर, धूले, नांदेड़ तथा रत्नागिरि जिलों में प्रत्येक में एक-एक विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

विटामिन "सी" उत्पादक इकाइयां

[हिन्दी]

2117. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विटामिन "सी" के कुल उत्पादन की तुलना में इसकी खपत क्या है; और

(ख) इस दवा की उत्पादन इकाइयों को उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ख) जानकारी जो भी उपलब्ध है, नीचे दी जाती है :—

कम्पनियां	गणना की इकाई	1989-90		1990-91	
		उत्पादन	अनुमानित मांग	उत्पादन	अनुमानित मांग
1. जयन्त विटामिन रतलाम (म० प्र०)	मीट्रिक टन	660.96		535,86	
2. साराभाई एम० केमिकल्स बड़ौदा (गुजरात)	मीट्रिक टन	373.78		364.26	
	योग :	1034.74	892.00	900,12	937.00

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम में संशोधन

[अनुवाद]

2118. **श्री ताराचन्द्र खंडेलवाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम में कोई संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का भी गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंप देगी; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप योजना के उल्लंघन को किस हद तक रोका जा सकेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा 30-9-91 को हुई 13वीं बैठक में दिए गए भाषण में यह बताया गया था कि बोर्ड को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित किया जाना अपेक्षित है ताकि विकास कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए संसाधन बढ़ाकर योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) से (ग) अभी तक कोई विशेष प्रस्ताव तैयार नहीं किए गए हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए उपदान

2119. **श्री रमेश चन्द्र तोमर** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए कि चाहे उनकी सेवाएं बर्खास्त किए जाने अथवा सेनानिवृत्ति के कारण समाप्त हुई हों, सेवाएं समाप्त होने पर उपदान की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके तत्संबंधी ब्यौरा हैं; और इस सम्बन्ध में सरकार के स्पष्ट आदेश क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी उद्यम अपने उन कर्मचारियों की उपदान संदाय अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपदान का भुगतान करते है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के विचार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे कर्मचारियों को, जो उक्त अधिनियम के विचार क्षेत्र में नहीं आते हैं, सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उद्यमों द्वारा बनाए गए उपदान नियमों के अनुसार उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान संदाय अधिनियम के खण्ड-4 के उप-खण्ड-6 में उन परिस्थितियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिनके अधीन नियोक्ता द्वारा उपदान पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से जब्त किया जा सकता है। उपदान संदाय अधिनियम के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे किसी कर्मचारी को उपदान का भुगतान नहीं होगा जिसकी सेवाएं कदाचार, दिवालियापन अथवा अकुशलता के लिए समाप्त की गई हों।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में श्रेणी "क" के अधिकारियों को सरकारी आवास

[हिन्दी]

2120. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में इस समय कार्यरत श्रेणी

"क" के अधिकारियों को आवास आबंटित किए हैं, दूसरी श्रेणियों के कर्मचारियों को नहीं;

(ख) यदि हां, तो भेदभाव की नीति अपनाने के क्या कारण है; और

(ग) किस नियम के अन्तर्गत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में श्रेणी "क" के कर्मचारियों को सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारी साधारण पूल रिहायशी वास हेतु पात्र नहीं है ।

भारत भारी उद्योग निगम का बन्द होना

[अनुवाद]

2121. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

डा० ए० के० पटेल : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम का इसकी कुछ इकाइयों को बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इसके परिणामस्वरूप कोई छंटनी नहीं होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बी०बी०यू०एन०एल०) का इस समय अपनी कोई भी इकाई बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत शहरी विकास परियोजनाएं

[हिन्दी]

2122. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी विकास सम्बन्धी अनेक परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है जिन्हें अभी मंजूरी दिया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मंजूरी देने में देरी के क्या कारण है;

(ग) इन परियोजनाओं अथवा प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी; और

(घ) केन्द्रीय सरकार को ये परियोजनाएं अथवा प्रस्ताव कब प्राप्त हुए थे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उत्तर प्रदेश शहरी विकास से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव या परियोजनाएं अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करना

2123. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य-वार कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किये;

(ख) सतर्कता आयोग/अदालतों में कितने आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये है;

(ग) कितने अधिकारी दोषी पाये गये और ऐसे कितने अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है; और

(घ) कितने अधिकारियों को कारावास की सजा दी गई ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क)केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 23 और भारतीय पुलिस सेवा के 8 अधिकारी लिप्त थे । मामलों की संख्या के वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं ।

(ख) इसी अवधि के दौरान 9 मामले सतर्कता आयोग को भेजे गये थे जिनमें भा०प्र०से० के 8 तथा भा०प्र०से० के 7 अधिकारी लिप्त थे । ब्यौरेवार आंकड़े विवरण-II के रूप में संलग्न हैं ।

इसी अवधि के दौरान 10 मामले न्यायालयों में विचारण के लिये भेजे गये थे जिनमें भा०प्र० से० के 6 तथा भा०प्र०से० के 4 अधिकारी लिप्त थे । ब्यौरेवार आंकड़े संलग्न विवरण-III में दिये गये हैं ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) न्यायालय में विचारण के फलस्वरूप, बिहार संवर्ग के भा०प्र०से० के एक अधिकारी को वर्ष 1988 के दौरान दोषी ठहराया गया था ।

विवरण-I

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों की राज्यवार संख्या जिनके विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पिछले 3 वर्षों में मामले दर्ज किये गये हैं

वर्ष	राज्य	अधिकारियों की संख्या	
		भा०प्र०से०	भा०पु०से०
1988	हरियाणा	1	—
	जम्मू और कश्मीर	1	—
	केरल	1	—
	महाराष्ट्र	1	—

1	2	3	4
	उड़ीसा	1	—
	उत्तर प्रदेश	3	1
	गुजरात	—	1
	मध्य प्रदेश	—	1
	राजस्थान	—	1
	पश्चिम बंगाल	—	2
	कर्नाटक	1	—
		9	6
1989	असम-मेघालय	1	—
	बिहार	1	—
	गुजरात	1	—
	पंजाब	1	—
	उत्तर प्रदेश	1	—
	संघ राज्य क्षेत्र	2	—
		7	—
1990	हिमाचल प्रदेश	2	—
	हरियाणा	1	—
	उत्तर प्रदेश	3	—
	संघ राज्य क्षेत्र	—	1
		6	1

विवरण-II

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों की राज्यवार संख्या जिनके विरुद्ध सतर्कता आयोग में पिछले तीन वर्षों के दौरान मामले दर्ज किये गये

वर्ष	राज्य	अधिकारियों की संख्या	
		भा०प्र०से०	भा०पु०से०
1988	पंजाब	1	—
1989	बिहार	1	—
	पंजाब	1	—
	महाराष्ट्र	1	—
	मध्य प्रदेश	1	—
	केरल	1	—
	उत्तर प्रदेश	2	—
		7	—
1999.	पश्चिम बंगाल	—	1
	संघ राज्य क्षेत्र	—	1
		—	2

विवरण-III

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों की राज्यवार संख्या जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालयों में मामले दर्ज किये गये हैं

वर्ष	राज्य	अधिकारियों की संख्या	
		भा०प्र०से०	भा०पु०से
1988	सिक्किम	—	1
	असम	—	1
	महाराष्ट्र	1	—
	उत्तर प्रदेश	1	—
		2	2
1989	बिहार	2	—
1990	हरियाणा	—	1
	केरल	1	—
		2	1

तालचेर में भारतीय खाद्य निगम की यूनिट

[अनुवाद]

2124. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस में "एण्ड आफ रोड फार एफ०सी० आई० यूनिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या ढेंकानाल जिले में तालचेर स्थित भारतीय खाद निगम एकक को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या उक्त एकक को बन्द किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) एफ०सी०आई० के तालचेर एकक को बन्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एफ०सी०आई० ने कम्पनी को पूंजी की पुनर्संरचना के लिये एक प्रस्ताव भेजा है। एफ० सी०आई० ने तालचेर एकक के पुनरुद्धार के लिये भी प्रस्ताव भेजा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, तालचेर एकक को कोयले की निर्बाध आपूर्ति जारी रखने के लिये कोयला विभाग तथा मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोलियरीज लि० के साथ सम्पर्क किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगाई गई शेयर पूंजी को वापस लेना

2125. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का पता लगाया है जिनमें लगाई गई शेयर-पूंजी को वापस लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेयरपूंजी को वापस लेने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाए जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंनन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की सूची, जिनमें लगाई गई शेयर पूंजी वापस लेने का विचार है, सरकार के विचाराधीन है और उसे अन्तिम रूप दिये जाने के बाद सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

जापानी सहायता से शहरों का विकास

2126. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ चुने हुए राज्यों में कुछ शहरों को जापान की सहायता से "आदर्श नगर" के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन चुनिंदा राज्यों में इस कार्य के लिए किन शहरों को चुना गया है;

(ग) क्या हरियाणा के किसी शहर को जापान की सहायता से "आदर्श नगर" के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) जापान की सहायता से औद्योगिक आदर्श नगरों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं, पूंजीनिवेश, प्रौद्योगिकी अन्तरण और व्यावहारिकता अध्ययनों सहित आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की गयी है। यह मामला अभी केवल पूर्व संभाव्यता की अवस्था में है।

सस्ती धन सम्बन्धी नीति

2127. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बिना और किसी विलम्ब के निर्यातोन्मुख और आयात प्रतिस्थापना क्षेत्रों के लिए सस्ती धन सम्बन्धी नीति का सुझाव दिया है, जैसा कि 28 अक्तूबर, 1991 के इकानोमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने अन्य क्या सुझाव/सिफारिश की है; और

(ग) इन सिफारिशों को सम्भवत: कब तक स्वीकार और कार्यान्वित किया जायेगा ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी [redacted]

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में महिलाओं को रोजगार

2128. **श्री जी० एल० कनोजिया** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग के पास उन महिलाओं को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव है, जिन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी०जे०कुरियन) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास उन महिलाओं को रोजगार देने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, जिन्होंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम पास कर लिया है। तथापि, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों एवं संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली खादी और ग्रामोद्योग योजना में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण महिलाओं सहित सभी श्रेणियों की महिलाओं की सहायता की जाती है। जिन योजनाओं से महिलाओं को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है वे इस प्रकार हैं :—

(क) खादी की कताई।

(ख) अनाजों एवं दालों का प्रसंस्करण।

(ग) पापड़ बनाना।

(घ) मसाला बनाना।

(ङ) कुटीर माचिस तथा अगरबत्ती बनाने में फ्रेम की भराई तथा डिपिंग का कार्य ।

(च) वन्य पौधों तथा फलों का चिकित्सा उद्देश्य के लिए संग्रह ।

(छ) अखाद्य तिलहनों का संग्रह ।

(ज) पनई ताड़ तथा ताड़ के रेशों से उपयोगिता वस्तुओं का निर्माण

(झ) फाइबर फैंसी वस्तुओं का निर्माण ।

(ञ) बेंत तथा बांस से बनी हुई वस्तुएं ।

(ट) कड़े हुए चमड़ा उत्पादों तथा फैंसी किस्म के चमड़े की वस्तुओं का निर्माण ।

(ठ) फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण एवं संरक्षण ।

(ड) चाक बनाना ।

(ढ) चूना उद्योग के अन्तर्गत फैंसी गैल आर्टवेयर, मारबल स्टोन आर्टवेयर, कौंच शेल आर्टवेयर का निर्माण । इन योजनाओं को सारे भारत में कार्यान्वित किया जाता है । अभी हाल में विकास के लिए सिलाई, सिले-सिलाये वस्त्रों को तैयार करना तथा हौजरी, बाटिक कार्य, धागे के गोले, ऊन के गोले बनाना, लच्छी बनाना, कढ़ाई, खिलौने तथा गुड़िया बनाना तथा शल्यचिकित्सकीय पट्टियों का निर्माण जैसे कार्य-कलाप आरम्भ किए गए हैं जोकि महिलाओं के लिए आदर्शतः उपयुक्त हैं तथा जिनके लिए वित्तीय सहायता का प्रतिमान पहले से ही मौजूद है । खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत महिलाओं की कुल भागीदारी 46 प्रतिशत है ।

खाद्य तेलों का आयात

2129. **डा० वसंत पवार :**

श्री साईमन मरांडी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान और अधिक खाद्य तेलों का आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों का कितना आयात किया जायेगा, यह आयात किन देशों से किया जायेगा और इस आयात पर होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने अब तक वर्ष 1991-92 के दौरान 1.5 लाख मी० टन पामोलीन का आयात करने का निर्णय किया है । इसमें से 66,000 मी० टन का पहले ही राज्य व्यापार निगम द्वारा मलेशिया तथा सिंगापुर के सप्लायरों के साथ 63.16 करोड़ रु० के लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर अनुबन्ध कर लिया गया है । शेष मात्रा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के तहत राज्यों द्वारा सीधे आयात के लिए रखी गयी है ।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

[हिन्दी]

2130. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सहरसा जिले में ऐसा कोई उद्योग स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी इस मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिनके अन्तर्गत उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों, सहकारी समितियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सहायता दी जाती है । अत: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का स्वयं बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उद्योगों की स्थापना

[अनुवाद]

2131. **श्री राम सागर** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से बाराबंकी में नये उद्योगों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में अब तक क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) 1988 से 1991 (31-10-91) तक उत्तर प्रदेश सरकार से बाराबंकी जिले में नये उद्योगों की स्थापना के लिए 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ख) ये प्रस्ताव मार्च, 1989 तथा जुलाई, 1989 में प्राप्त हुए थे ।

(ग) दोनों मामलों में आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं ।

"मुम्बई" के रूप में बम्बई

2132. **श्री मोहन रावले** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सरकारी राष्ट्रीय मानचित्र और सर्वेक्षण विभाग द्वारा हिन्दी में प्रकाशित मानचित्रों में बम्बई शहर का नाम मुम्बई के रूप में दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "यूनेस्को" द्वारा वर्ष 1981 में अपने प्रकाशन "एशिया का जलवायु सम्बन्धी मानचित्र" में रोमन लिपि में प्रामाणिक नाम के रूप में इस राष्ट्रीय नाम को स्वीकार करने से पूर्व देवनागरी से रोमन लिपि में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिपि के लिए परिवर्तन सारणियां तैयार की गई थीं और उन्हें मानचित्र कला में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के तौर पर भारत की ओर से भेजी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) बम्बई शहर के लिए स्वीकृत राष्ट्रीय नाम "बम्बई" है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन अपने मानचित्रों के हिन्दी संस्करण में बम्बई के नाम को प्रयोग में लाई जा रही "बम्बई" की मराठी और देवनागरी लिपि के आधार पर "मुम्बई" के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सरकार ने यूनेस्को को उसके 1981 के प्रकाशन "एशिया का जलवायु सम्बन्धी एटलस" के लिए देवनागरी से रोमन लिपि में किसी परिवर्तन सारणी को अन्तर्राष्ट्रीय लिप्यंतरण हेतु न तो तैयार किया है और न आपूर्ति की है।

केन्द्रीय परियोजनाओं के पूरा होने में देरी

[हिन्दी]

2133. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित लगभग 80 प्रतिशत योजनाएं/परियोजनाएं अपने निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हो पाती और इससे उनकी लागत में वृद्धि हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं/परियोजनाओं के नाम क्या है जिन्हें उनकी समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया और ऐसी प्रत्येक योजना/परियोजना के लिए प्रारम्भ में कितनी धन-राशि आबंटित की गई थी ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें किसी निश्चित समय-सीमा में पूरा करने तथा एक योजना से दूसरे में जारी रखने के लिए नहीं बनाई जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कागज उद्योग के लिए कच्चा माल

[अनुवाद]

2134. डा० पी० वल्लन पेरुमाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोतों के विषय में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो पी० जे० कुरियन) : (क) राष्ट्रीय वन नीति के कारण वन पर आधारित कच्चे माल की आपूर्ति में कमी हुई है। अतः कागज उद्योग के समक्ष आने वाली समस्याओं में से कच्चे माल की आपूर्ति की अपर्याप्तता भी एक समस्या है।

(ख) और (ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन गठित कागज, लुगदी और सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद समय-समय पर कागज मिलों के कार्यनिष्पादन की

समीक्षा करती है। सरकार कागज उद्योग की समस्याओं पर निरन्तर निगरानी रखती है और जहां तक सम्भव होता है इन समस्याओं के समाधान के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। सरकार कृषि अवशेषों, खोई और अन्य अपरम्परागत कच्चे माल के प्रयोग को बढ़ावा देती है। उक्त कच्चे माल से न्यूनतम 75 प्रतिशत लुगदी पर आधारित कागज एककों को अनिवार्य लाइसेंसीकरण से छूट प्राप्त है।

कर्नाटक में पश्चिमी घाट विकास योजना

2135. श्री बी० जयंजय कुमार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट विकास योजना के अन्तर्गत कितना क्षेत्र शामिल किया गया है;

(ख) इन विकास योजनाओं का प्रस्ताव करने वालों तथा इन्हें कार्यान्वित करने वाले प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक को वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत, क्षेत्रवार कुल कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) शामिल क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा स्कीमों को पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित तथा कार्यान्वित किया जाता है।

(ग) कर्नाटक को वर्ष 1991-92 के दौरान पश्चिमी घाट विकास योजना के लिए कुल आवंटित राशि 947.26 लाख रुपया थी। योजना आयोग द्वारा क्षेत्रवार आवंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

कर्नाटक में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल क्षेत्रों की सूची

क्रम सं०	जिले का नाम	तालुका का नाम
1.	बेलगांव	1. हुक्केरी
		2. बेलगांव
		3. खानापुर
		4. बैलहोंगल
		5. सौनदट्टी
2.	धारवाड़	6. धारवाड़

1	2
3. नार्थ कन्नड़ा	7. अंकोला
	8. भटकाल
	9. कुमटा
	10. होन्नावार
	11. सिरसी
	12. सिद्दापुर
	13. सुपा
	14. यल्लापुर
	15. कारवार
4. शिमोगा	16. होसंगार
	17. सागर
	18. शिकरीपुर
	19. थिरथाहिल्ली
	20. शिमोगा
5. चिकमगलूर	21. कोप्पा
	22. श्रंगेरी
	23. मुदीगेअर
	24. चिकमगलूर
	25. एन० बी० पुरा
6. हसन	26. अलूर
	27. बेलूर
	28. हसन
	29. साकलेशपुर
7. कन्नडा	30. बेल्थागडी
	31. कुन्दापुर
	32. करकल
	33. उडीपी

1	2
	34. पुट्टुर
	35. सुल्लिया
8. कोदागू	36. मरकेरा
	37. सोमवारपेट
	38. विराजपेट
9. मैसूर	39. एच० डी० कोटे
	40. गुन्डलुपेट

गुजरात में चीनी मिलों की स्थापना के लिए जारी किये गये लाइसेंस

[हिन्दी]

2136. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चीनी मिल स्थापित करने के लिए जनवरी, 1991 से अब तक जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की तथा उन आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी-कितनी है जिन पर कार्यवाही की जा रही है;

(ग) उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें इन मिलों को स्थापित किया जाना है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये; और

(ङ) लाइसेंस जारी करने के लिए अपनाये जा रहे मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) गुजरात राज्य में 1 जनवरी, 1991 के बाद मै० श्री निजार विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि० को वेलदा, तहसील निजार, जिला सूरत में नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है।

(ख) गुजरात राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से खाद्य मंत्रालय में 30-9-91 तक 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

शर्करा उद्योग में लाइसेंस नीति में अभी हाल ही में संशोधन किया गया है। गुजरात राज्य के उपरोक्त आवेदन पत्रों सहित सभी लम्बित आवेदन पत्रों पर संशोधित नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त आवेदन पत्र गुजरात राज्य के निम्नलिखित जिलों के लिए प्राप्त हुए हैं :—

क्रम सं०	जिले का नाम
1.	सूरत
2.	साबरकंठ
3.	वलसाड/वुलसार
4.	बडोदरा

(घ) शून्य

(ङ) चीनी उद्योग के लिए दिनांक 8-11-1991 के प्रेस नोट के तहत जारी लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति संलग्न विवरण में है।

विवरण

भारत सरकार

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

प्रेस नोट सं०—16

(1991 शृंखला)

विषय :—चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु लाइसेंस देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।

(क) इस मंत्रालय के दिनांक 23-7-90 के प्रेस नोट सं० 4(1990 श्रृंखला) के तहत नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए लाइसेंस देने हेतु जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई है। उपरोक्त प्रेस नोट का अधिक्रमण करते हुए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार बनाए गए हैं :—

(1) 2500 टन दैनिक गन्ना पेराई की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाने जारी रहेंगे। ऐसी क्षमता पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी।

तथापि भारत सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े घोषित और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि जलवायु आधार पर गन्ना विकास के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए गए क्षेत्रों में सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में 1750 टी० सी० डी० की प्रारम्भिक क्षमता की नई चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिए जाएंगे बशर्ते कि वे इकाईयां उत्पादन प्रारम्भ करने के 5 वर्ष के भीतर अपनी क्षमता में 2500 टी० सी० डी० तक विस्तार कर लें।

(2) नई चीनी फैक्ट्रियों को इस शर्त पर लाइसेंस जारी किए जाएंगे कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री तथा मौजूदा/पहले लाइसेंस दी गई चीनी फैक्ट्री के बीच की दूरी 28 कि० मी० होनी चाहिए। विशेष मामलों में जहां गन्ना पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, 25 कि० मी० की दूरी को कम करके 15 कि० मी० किया जा सकता है।

(3) नई चीनी इकाइयों के लिए लाइसेंस प्रदान करने का मूल मानदण्ड उनकी व्यवहार्यता होगा जिसमें मुख्य रूप से गन्ना उपलब्धता और गन्ना विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(4) सभी नए लाइसेंस इस अनुबद्धता पर दिए जाएंगे कि गन्ने की कीमत सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगी।

(5) अन्य बातों के समान रहने पर निजी क्षेत्र की तुलना में क्रमशः सहकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी।

किसी क्षेत्र से एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में पहले प्राप्त हुए आवेदन पत्र को वरीयता दी जाएगी ऐसे मामलों में क्रमशः सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा इसके बाद निजी क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी चाहे पहले क्षेत्रों के आवेदन पत्र बाद की तारीख में प्राप्त हुए हों।

(6) 2500 टी० सी० डी० से कम क्षमता वाली चीनी फैक्ट्रियों को उपर्युक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार के लिए वरीयता दी जानी जारी रहेगी।

(7) नई इकाइयों और विस्तार परियोजनाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात 1996-97 तक सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस प्रदान करते समय शीरे के प्रयोग अर्थात औद्योगिक अल्कोहल आदि के लिए डाउन स्ट्रीम इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस शीघ्रता से दिए जाएंगे।

(ख) लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों की सर्वप्रथम खाद्य मन्त्रालय की जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी। ऐसे आवेदन पत्रों की जांच करते समय सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के विचार भी मांगे जाएंगे। राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को अपनी टिप्पणी खाद्य मंत्रालय से प्राप्त पत्र के तीन मास के भीतर भेजनी होगी।

(ग) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों में विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र फार्म आई०एल० में सीधे औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को भेजे जाने चाहिए। इसके साथ 2500 रुपये की निर्धारित फीस भी भेजी जानी चाहिए। इसकी एक प्रति खाद्य मंत्रालय को भी भेजी जाये।

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों के ध्यान में सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए लाए जा रहे हैं।

ह०/-

(एस० भवानी)

उपसचिव, भारत सरकार

एफ० सं० 10(74)91-एल० पी० नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1991

उपरोक्त प्रेस नोट की विषय वस्तु व्यापक प्रचार के लिए प्रेस सूचना कार्यालय को अग्रेषित :

प्रधान सूचना अधिकारी,

प्रधान सूचना कार्यालय,

नई दिल्ली।

रोहिणी के अविकसित भूखण्डों को उत्तरी क्षेत्र के विकसित क्षेत्र में बदलना

[अनुवाद]

2137. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 1989 से अगस्त, 1991 तक रोहिणी के कितने अविकसित स्थानों को उत्तरी क्षेत्र के विकसित सेक्टर में कौन से परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) क्या रिठाला गांव में रहने वाले व्यक्ति, जिन्होंने अविकसित रोहिणी से अपने भूखण्डों को उत्तरी क्षेत्र के अन्य विकसित कालोनियों में परिवर्तन के लिये आवेदन दिया था, अभी तक स्थानों के परिवर्तन की प्रतीक्षा में हैं; और

(ग) यदि हां, तो रिठाला गांव के व्यक्तियों को उत्तरी क्षेत्र के विकसित कालोनियों में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित न करने के क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण अनुसार अविकसित रोहिणी से उत्तरी क्षेत्र के विकसित सेक्टर में कोई स्थान परिवर्तन नहीं किया गया है ।

(ख) रिठाला ग्राम का कोई भी व्यक्ति स्थान के परिवर्तन की प्रतीक्षा में नहीं है ।

(ग) रोहिणी आवासीय योजना में भू-खण्ड अर्द्ध-विकसित थे न कि अविकसित तथा रिठाला ग्राम के पात्र व्यक्तियों से रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटनार्थ धरोहर राशि और प्रीमियम जमा कराने के लिये कहा गया है ।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम सम्बन्धी समिति

2138. **श्री अम्मा जोशी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष और मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) हाल ही में नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिकतम, 1976 के विधान कार्यकलापों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में जिला उद्योग केन्द्र

[हिन्दी]

2139. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में स्थापित जिला उद्योग केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर जिला उद्योग केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(ग) इन जिलों में शीघ्रातिशीघ्र जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रयास किये गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) बिहार के 39 जिलों में स्थापित किये गए जिला उद्योग केन्द्रों सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ग्यारह नए गठित जिलों अर्थात पूर्वी सिंघभूम, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई, भाभूआ, घरवा, बोकारो, सुपौल, बक्सर तथा चत्रा में अलग से जिला उद्योग केन्द्र नहीं है। तथापि, ये जिले विद्यमान जिला उद्योग केन्द्र के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) भारत सरकार का इस समय बिहार राज्य में कोई नया जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1. औरंगाबाद
2. भागलपुर
3. भोजपुर (आरा)
4. चम्पारन (बेतिया)
   (पश्चिमी मोतिहेरी)
5. दरभंगा
6. गया
7. चम्पारन (पूर्वी मोतिहेरी)
8. कटिहार
9. मधुबनी
10. मुजफ्फरपुर
11. नालंद
12. नवादा
13. पलामू (डाल्टनगंज)
14. पटना
15. पूर्णिमा
16. रांची
17. समस्तीपुर

18. संथाल परगना (दुमका)

19. रोहतास

20. सारन

21. सीवान

22. गोपालगंज

23. वैशाली

24. सीतामढ़ी

25. मुंगेर

26. बेगु सराय

27. सहरसा

28. हजारीबाग

29. गिरडीह

30. धनबाद

31. सिंघभूम

32. केंझीपुरा

33. खगड़िया

34. देवगढ़

35. गोड्डा

36. [illegible]

37. गुमला

38. लोहारडग्गा

39. [illegible]

खुली बिक्री वाली चीनी जारी करना

[अनुवाद]

2140. श्री रमेश चेन्निथला : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी महीनों में खुली बिक्री वाली चीनी अधिक मात्रा में जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्तरिक खपत के लिए कुल कितनी चीनी उपलब्ध है ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) आन्तरिक उपभोग के लिए मासिक खुली बिक्री चीनी के कोटे की मात्रा का निर्धारण उत्पादन की प्रवृत्ति, स्टाक, आवश्यकता, निर्यात, अन्य मीठा एजेंटों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। 1-10-91 को 32.84 लाख टन के अनुमानित पूर्वावशिष्ट स्टाक तथा 1991-92 के चालू मौसम के दौरान चीनी उत्पादन की अच्छी संभावनाओं को देखते हुये आन्तरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सरकारी और गैर सरकारी एकक

[हिन्दी]

2141. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कार्यरत सरकारी और निजी औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को रीवा जिले में नए उद्योग स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का ऐसा कोई पंजीकृत कार्यालय नहीं है जो रीवा जिले में कार्य कर रहा है। केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कार्य कर रहे निजी औद्योगिक एककों के सम्बन्ध में सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) से (घ) अधिसूचना सं० 477(ई) के तहत 24 जुलाई, 1991 को अधिसूचित नई औद्योगिक नीति के अनुसार सुरक्षा, सामरिक महत्व और सामाजिक महत्व के उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण समाप्त कर दिया गया है। इस समय सरकार के पास रीवा जिले में एक उद्योग लगाने के लिए केवल एक आवेदन पत्र है।

उत्प्रवास एजेंट

[अनुवाद]

2142. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता प्राप्त/प्राधिकृत उत्प्रवास एजेंटों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य से कितने-कितने प्रवासी किन-किन देशों में गये हैं;

(ग) क्या पंजीकरण योजना को कार्यरूप देने के समय से किसी उत्प्रवास एजेंटों को काली सूची में रखा गया है और यदि हां, तो इनके नाम और पते क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने भावी प्रवासियों को ऐसे एजेंटों से सतर्क रहने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवर) : (क) दिनांक 31-10-91 तक श्रम मंत्रालय

में पंजीकृत भर्ती एजेंटो की संख्या 1649 थी। भर्ती एजेंटों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश भर में 1990 और 1991 (31-10-91 तक) के दौरान जिन व्यक्तियों को उत्प्रवास अनुमति दी गयी है, उनकी संख्या विवरण-II के रूप में संलग्न है। दी गयी उत्प्रवास अनुमति की राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत भर्ती एजेंटों को काली सूची में रखने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम में दोषी भर्ती एजेंसियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित या रद्द करने का प्रावधान है। ऐसी भर्ती एजेंसियों के नाम उत्प्रवास संरक्षियों को सूचित किये जाते हैं और ऐसी एजेंसियों एजेंसिया कामगारों को रोजगार के लिए बाहर भेजने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पंजीकृत भर्ती एजेंटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	38
2.	बिहार	2
3.	चन्डीगढ़	35
4.	दिल्ली	380
5.	गोवा	5
6.	गुजरात	6
7.	हरियाणा	11
8.	जम्मू और कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	7
10.	केरल	37
11.	मध्य प्रदेश	1
12.	महाराष्ट्र	945
13.	उड़ीसा	4
14.	पंजाब	63
15.	राजस्थान	15
16.	तमिलनाडु	63
17.	उत्तर प्रदेश	28
18.	पश्चिम बंगाल	7
		1,646

विवरण-II

वर्ष	बहरीन	ओमान	सिंगापुर	यमन	यू० ए० ई०	कुवैत	सऊदी अरब	कतार	इराक	जोर्डन	लिबिया	अन्य	कुल
1990	6,782	34,265	6	—	11,962	1,077	79,473	3,704	1650	3	305	4336	143565
1991 (31 अक्तूबर, 1991 तक)	4,860	15,082	537	63	7,805	3,788	59,750	1,767	26	—	273	2450	96405

दवाओं का उत्पादन

2143. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यकताओं की तुलना में देश में उत्पादित दवाओं की प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) देश में निजी औषध उद्योगों द्वारा कुल उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत औषधियों का उत्पादन किया गया ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) 1989-90 में देश में औषध की कुल उपलब्धता के आधार पर यह पाया गया है कि कुल आवश्यकता का लगभग 70 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाता है।

(ख) इसी अवधि में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा किए गए कुल स्वदेशी उत्पादन का प्रतिशत लगभग 95 प्रतिशत है।

भारतीय खाद्य निगम की शाखाओं को बन्द करना

2144. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की कुछ शाखाओं को बन्द कर दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम को गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी हानि हुई है ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) आयातित उर्वरकों को हैंडल करने, राज्य सरकारों की ओर से खाद्यान्नों का वितरण करने, उपहार परेषणों को हैंडल करने आदि जैसी गतिविधियों पर भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार हानियां हुई थीं :—

1988-89	7.53 करोड़ रुपये
1989-90	11.10 करोड़ रुपये
1990-91	7.95 करोड़ रुपये

इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स लि० की नागो थाने परियोजना में उत्पादन

2145. **श्री राम नाईक** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स लि० (आई० पी० सी० एल०) की महाराष्ट्र स्थित अपनी नागो थाने परियोजना से किस तिथि से उत्पादन प्रारम्भ करना था;

(ख) अब उत्पादन किस तारीख तक प्रारम्भ होगा;

(ग) उत्पादन प्रारम्भ होने में विलम्ब के कारण ब्याज पर हानि सहित हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विलम्ब के कारण क्या हैं और विलम्ब को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) आई० पी० सी० एल० के नागोथाणे काम्पलैक्स में उत्पादन जनवरी, 1990 में शुरू होना था । यद्यपि काम्पलैक्स में गैस क्रेकर सहित चार परियोजनाएं चालू कर दी गई हैं और उत्पादन शुरू हो गया है, लेकिन दो परियोजनाएं जैसे लीनियर लो-डेन्सिटी पाली-इथाइलीन और वायर एण्ड केबल प्रोजैक्ट क्रमशः जनवरी, 1992 और फरवरी, 1992 में शुरू होनी हैं ।

(ग) और (घ) आई० पी० सी० एल० के अनुसार उत्पादन में 477.00 करोड़ रुपए मूल्य की हानि का अनुमान है । जिसमें ब्याज की मद में 118.00 करोड़ रुपए शामिल हैं । यह देरी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं ओ० एन० जी० सी० से फीडस्टॉक जैसे सी० 2/सी० 3 सप्लाई में देरी की वजह से 2 महीने तक कार्य में बाधा पड़ने और उस औद्योगिक दुर्घटना के कारण हुई जो 5-11-90 को काम्पलैक्स में घटी थी जिसके फलस्वरूप काम्पलैक्स बन्द हो गया था, के कारण हुई थी । आई० पी० सी० एल० द्वारा गैस क्रेकर और डाउनस्ट्रीम प्लांटों को शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं । ओ० एस० बी० एल० यूनिट की क्षतिग्रस्त भंडारण सुविधा का पुनर्निर्माण किया जा रहा है ।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा मार्किटों में सुधार करना

2146. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने अपनी कुछ मार्किटों को सुधार के लिए चुना है;

(ख) यदि हां, तो उन चुनी हुई मार्किटों का ब्यौरा क्या है, और इन चुनाव के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका की सभी मार्किटों की हालत बहुत खराब है और उनकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं की जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार नई दिल्ली नगर पालिका की सभी मार्किटों ने सुधार करने का विचार रखती है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या आई० एम० ए० मार्किट के दुकानदारों ने काफी हद तक सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि नई दिल्ली नगर पालिका बाजारों की सामान्य स्थिति बहुत खराब नहीं है और नेमी अनुरक्षण कार्य आवश्यकतानुसार किये जाते है ।

(च) और (छ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बाजार में 42 दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की सूचना दी है । अतिक्रमणों को हटाने के लिए दुकानदारों को नोटिस जारी किए जा रहे है ।

मुम्बई में सरकारी भूमि पर गंदी बस्तियां

1247. **श्री राम नाईक** : क्या शहरी विकास मंत्री 15 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या-128 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में सरकारी भूमि पर गंदी बस्तियों के बारे में अब तक सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है ।

(क) बृहत्तर मुम्बई में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर बसी गंदी बस्तियों के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है;

(क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1980 तक की गई जनगणना के अनुसार बृहत्तर बम्बई में केन्द्र सरकार के विभागों की भूमि पर 149 गंदी बस्तियां बसी हुई थीं। 1980 के बाद बसी गंदी बस्तियों की गणना नहीं की गई है। 149 गंदी बस्तियों की सूची अनुलग्नक-I, के रूप संलग्न है।

(ख) ऐसी गन्दी बस्तियों का क्या ब्यौरा है जिनमें नागरिक सुविधायें देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं; और

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने बम्बई में केन्द्र सरकार की भूमि पर बसी निम्नलिखित गन्दी बस्तियों को छोड़कर शेष में केन्द्रीय मन्त्रालयों के परामर्श से शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार को राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने का निर्णय किया है :—

(i) रनवे के समीपस्थ पक्षियों से उत्पन्न खतरे वाली बम्बई एयरपोर्ट के रनवे के दोनों तरफ बसी गन्दी बस्तियां, तथा (ii) रक्षा भूमि, जहां महत्वपूर्ण स्थापनायें स्थापित करनी है, तथा (iii) भूमि, जिसकी केन्द्र सरकार के विभागों को तत्काल उपयोग हेतु आवश्यकता है।

(ग) ऐसी गन्दी बस्तियों का क्या ब्यौरा है जिनके लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण है ?

36 गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु केन्द्र सरकार के विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। 36 गन्दी बस्तियों की सूची अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

अनुलग्नक-I

बृहत्तर बम्बई में उन स्थानों, जहां संघ सरकार की भूमि पर गंदी बस्तियां बसी हैं, के नाम दर्शाने वाला विवरण।

1. जगशेत नगर
2. साबू सिद्दीक रोड
3. आजाद नगर
4. नेवी नगर तथा वांचमैन और माली क्वार्टर
5. सुन्दर नगर तथा कम्जूर एरिया
6. डाकयार्ड झोपड़ पट्टी
7. महालक्ष्मी ईस्ट
8. चटाई चाल, काटन ग्रीन
9. सौरी बडाल पड़पट्टी
10. पीपुल वेलफेयर एसोसिएशन
11. भारत झोपड़पट्टी सेवा संघ
12. गांधी नगर
13. इन्दिरा सेवा संघ
14. जय भवानी नगर
15. कामराज नगर किंग सर्कल रेलवे स्टेशन
16. सुन्दर नगर का कमल नगर
17. रफी अहमद किदवाई रोड
18. रवाली कैंप
19. राज जंक्शन
20. जनता कालोनी
21. कामीनाथ क्वॉर्टर्स
22. मंजरेकर कंपाउंड
23. नवजीवन कंपनी
24. सदानंद वाड़ी
25. भारत नगर
26. महात्मा गांधी नगर

27. महात्मा गांधी नगर
28. कुन्द नगर
29. वंदन अवांको
30. कमला नगर माटुंगा
31. डावरी नगर
32. गोलीबार मैदान
33. गोलीबार नवजीवन सोमा
34. मानुमन टेकडी गेट नं० 2/4
35. लोकमान्य तिलक नगर
36. मराठा कालोनी, गोलीबार
37. नव विकास मण्डल गोलीबार
38. पटेल नगर गोलीबार
39. संजीवनी हाउसिंग सोसार
40. सुभाष नगर
41. अब्बास एस्टेट
42. आशा नगर
43. आजाद नगर
44. डोमेलो कंमाउंड
45. इंदिरा नगर कालीना
46. जम्भाली पाड़ा
47. पी० एण्ड टी० गार्डन के सभी
48. नौ एग्रीपाड़ा
49. एयर इण्डिया के सामने
50. मेन गेट पेसल कंमाउंड
51. सांताक्रूज एयर पोर्ट
52. पेसल नगर
53. सुभाष नगर
54. वकोला गामदेवी उत्कर्षी
55. वकोला पारलारन

56. गोनदेवी नगर
57. रेलवे लाइन विले पाले
58. बगरी वाड़ा
59. पांडुरंग वकील वाडी
60. कंका नगर, सान्ताकुंज (ई०)
61. डपजी स्टाल (खेरवाडी)
62. नवरादा झोपर पाली
63. राजक चाल
64. वैस्टर्न गंगला झोपडपट्टी
65 सांताकज रेलवे स्टेशन
66. अम्बेवाडी
67. आजाद रोड विले पाले
68. ढ़सन पाड़ा
69. चिमटापाडा तथा नवपाड़ा
70. चर्च पवाडी
71. दाल वाडी
72. पराजी वाडी
73. संभाजी नगर
74. शास्त्री नगर
75. तलाव पखाड़ी
76. टैंक पखाडी
77. टैक्नीकल एरिया पाइप लाइन
78. वाल्मीकी नगर
79. विलेपाले मिस्किटा चाल
80. टैक्नीकल एरिया पाइप लाइन-II
81. अशोक नगर
82. सुतार पकाडी के पीछे पी० एण्ड टी०
83. संगीता सिनेमा, दत्ता मन्दिर रोड के पास
84. मलाद डिपो (नार्थ साइड) सूपलीना के पास

85. बधावन

86. बाम्बे टेलीफोन

87. बी० टी० एकसार डोरावली तथा शिम्पीवाडे गांव

88. दामत नगर झोपड पट्टी

89. इण्डियन इंस्ट्रीटयूट आफ पवई

90. धन्डूप स्टेशन धन्डूप, धन्डूप केबिन के पास

91. पोरूवान पवई

92. पासपट्टी विलेज, कोटडी पाडा

93. पासपट्टी पोरूलाग

94. बार्जी

95. गोलीबार मैदान राइफल घाटकोपरे

96. गोलीबार गनेश मैदान

97. शिवाजी चौक गोलीबार

98. शम्भाजी चौक गोलीबार

99. गोलीबार रोड घाटकोपर

100. इन्दिरा गांधी गोलीबार

101. नित्यानन्द नगर प्लाट नं० 108/109/110

102. हुतियाली विलेज

103. विद्या बिहार झोंपड़पट्टी

104. विखरोली स्टेशन

105. विखरोली ईस्ट

106. बी० एम० के०

107. गांधी नगर पाइप लाइन

108. इन्दिरा गांधी जरीमरी

109. बरीमरी कुर्ला अंधेरी रोड

110. जरीमरी तेनाली नगर

111. जवाहर नगर बेलबाजार

112. काजूपाड़ा

113. किस्मत नगर

114. कुर्ला सान्ताकुंज महाकाली एस्टेट
115. मीठा नदी झोपड़पट्टी
116. सन्देश नगर, बेलबाजार आर० ए० रोड
117. सेवक रोड, जरीवारी
118. शास्त्री नगर, बेलबाजार
119. सुभाष नगर
120. शिवाजी नगर
121. विजय नगर
122. कुर्ला कालोनी
123. चीकूवाड़ी
124. ट्राम्बे धोबीघाट
125. भारत नगर मनखुर्द स्टेशन
126. सेन्ट्रल रेलवे गोवन्दी
127 चेम्बूर रेलवे स्टेशन
128. चेम्बूर रेलवे स्टेशन-II
129. चेम्बूर कालोनी
130. गरीबासा संघ
131. इन्दिरा नगर मनखुर्द स्टेशन
132. गोवन्डी
133. गोवन्डी स्टेशन
134. टाटा नगर गोवन्डी
135. सामर्त आशिक नगर
136. वैस्टर्न रेलवे बालासित रो हरिजन नगर
137. संजय गांधी नगर झोपड़पट्टी
138. गुरुकृपा झोपड़ पट्टी रति बुन्देर
139. गुरुकृपा राहीवाशी संघ लखाडी बुन्देर
140. गुरुकृपा लीडर लेन
141. कौला बुन्देर
142. कोलता बुन्देर
143. राजकमल पटरी चाल

144. महेश्वर मन्दिर बसाहत
145. सैधान झोपड़पट्टी
146. नित्यानंद टी स्टाल झोपड़ पट्टी
147. सुख शांति नगर
149 विसुरोली रेलवे गेट के पास इन्दिरा नगर

अनुलग्नक-II

गंदी बस्तियों, जिन्हें मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए है, के विवरण

क्र० सं०	गंदी बस्ती का नाम
1.	2
1.	जमशेत नगर
2.	साबू सिद्दीक रोड
3	चटाई चोल, काटन ग्रीन
4.	पीपल वैलफेयर एसोसिएशन
5.	गोलीबार मैदान
6.	डावरी नगर
7.	गोलीबार नवजीवन सोसायटी
8.	हनुमान टेकडी गेट नं० 2, 4, 5
9.	लोकमान्य तिलक नगर
10.	मराठा कालोनी
11.	नव विकास मंडल गोलीबार
12.	पटेल नगर
13.	संजीवनी हाउसिंग सोसायटी
14.	सुभाष नगर
15.	अब्बास एस्टेट
16.	आशा नगर
17.	बापूजी स्टाल (खेरवाडी)
18.	नौपाड़ा झोपड़ पट्टी
19.	राजक चाल

1	2

20. वैस्टर्न बंगला झोपड़ पट्टी
21. अम्बेवाड़ी
22. देवूल वाड़ी
23. पारसी वाड़ी
24 दौलत नगर
25. प्रेरु बाग पेवई
26. पचपठी विलेज
27. पचपेटी पेरु बाग
28. गोलीबार मैदान राइफल रेज
29. गोलीबार गनेश मैदान
30. शिवाजी चौक गोलीबार
31. सभाजी चौक गोलीबार
32. गोलीबार रोड, घाटकोपर
33. इन्दिरा नगर, घाटकोपर
34. नित्यानंद नगर फ्लैट नं० 108,
35. चीकू वाडी
36. धोबी घाट, बम्बई

हुडको 1979, के अधीन एम० आई० जी० फ्लैटों का निर्माण

2148. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "कंसर्न एट पावर, वाटर शॉर्टाइ एक्सेट्रा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली की जनता, विशेषकर 1979 से दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास मध्यम आय वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत वर्ग लोगों की आवास सदस्या को हल करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण के असफल रहने और सामूहिक आवास समितियों को अब तक भूमि आबंटित न करने पर चिंता व्यक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो हुडको 1979, के अधीन मध्यमा आय वर्ग श्रेणी के फ्लैटों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और उन्हें पंजीकृत लोगों को आबंटित करने तथा सामूहिक आवास समितियों को भूमि आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण में प्राथमिकता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं

है, तथापि, भूमि और अर्धसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता की शर्त पर 8वीं योजना अवधि के दौरान न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के शेष पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आबंटन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ठोस योजनाएं तैयार की है।

सामुहिक आवास समितियों को भूमि के आबंटन का प्रश्न न्यायाधीन है।

अन्तरिक्ष शोध पर हुआ व्यय

2149. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक अन्तरिक्ष शोध पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उपलब्धियां किए गए व्यय के अनुरूप हैं;

(ग) अन्तरिक्ष शोध में प्राप्त नवीनतम उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्तरिक्ष शोध में कार्यरत वैज्ञानिकों को सम्मान देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक अन्तरिक्ष अनुसधान पर कुल 1409.41 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई है।

(ख) और (ग) आबंटित निधियों को राष्ट्रीय विकास के लिए अन्तरिक्ष अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों पर विवेकपूर्ण ढंग से खर्च किया जाता है। इस क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि में स्टेट-आफ-दी-आर्ट भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०-1बी०) का अगस्त 29, 1991 को सफलतापूर्वक प्रमोचन तथा तत्पश्चात कक्षा में इसका प्रचालनीकरण करना शामिल है। इस उपग्रह से प्राप्त की गई प्रतिबिम्बिकियां उच्च कोटि की है तथा इनको तुलना विश्व श्रेणी के सुदूर संवेदन उपग्रहों के उत्पादों से की जा सकती है। आई० आर० एस०—1बी० को, इसके पूर्ववर्ती आई० आर० एस०-1ए०, जो कि मार्च 17, 1988 को छोड़ा गया था, की जगह लेने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। आई० आर० एस०-1ए० अपनी तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद भी प्रचालन में रहेगा, तथा आशा की जाती है कि यह अपनी सेवायें एक वर्ष से भी अधिक समय तक प्रदान करता रहेगा, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आई० आर० एस०-1ए० उपग्रह द्वारा प्रदान की गई प्रतिबिम्बिकियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एन० एन० आर० एम० एस०) के भाग के रूप में बड़ी संख्या में सुदूर संवेदन उपयोगों को प्रचालित किया जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1) प्रणाली स्वदेशी संचार, टी०वी० प्रसारण, रेडियो नेटवर्क, मौसम विज्ञानीय प्रतिबिम्बन तथा आपदा चेतावनी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवायें प्रदान कर रहा है।

वर्षों में इसरो ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय परीक्षणों के लिए परिक्षापी राकेटों; कृत्रिम भू-उपग्रहों के प्रमोचन के लिए उपग्रह प्रमोचक राकेटों के डिजाइन और निर्माण की स्वदेशी क्षमता विकसित की है। इसरो ने अब संचार टी० वी० प्रसारण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध तथा आपदा चेतावनी जो कि राष्ट्रीय विकास में तात्कालिक महत्व की है, में उपयोग आने वाली अत्यन्त परिष्कृत स्टेट-आफ-दि-आर्ट उपग्रहों को डिजाइन तथा निर्मित करने की क्षमताएं अर्जित कर ली हैं। इसके अतिरिक्त,

राष्ट्रीय महत्व के विविध उपयोगों के लिए विविध भू-प्रणालियों, उ ग्रह और राकेट प्रचालन तथा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए क्षमताएं भी विकसित की गई हैं। इस प्रकार, भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए लागत-प्रभावी तथा तीव्र गति से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है ।

(च) और (छ) सरकार अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए वैज्ञानिकों को सम्मानित करती रही है और यह दृष्टिकोण आगे भी जारी रहेगी ।

हरियाणा की निर्माणाधीन परियोजनाओं में सहायता

[हिन्दी]

2150. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान अतिरिक्त सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां ।

केन्द्रीय सहायता का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित फार्मूले के आधार पर किया जाता है, हरियाणा को केन्द्रीय सहायता का आवंटन भी फार्मूले के आधार पर किया गया है ।

ग्रामीणों को आवासीय भू-खंड

[अनुवाद]

2151. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने बढ़े हुए "आबादी क्षेत्र" के गांवों के यथार्थ निवासियों को आवासीय भू-खंड देने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या है और यह निर्णय लेने के क्या कारण है; और

(ग) इस निर्णय से दिल्ली के प्रभावित गांवों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू करना

[हिन्दी]

2152. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग ने, अन्य बातों के साथ साथ आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहु-भाषा पद्धति को लागू करने तथा सभी परीक्षा में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र, जहां कहीं भी ऐसी व्यवस्था विद्यमान है, को समाप्त करने से सम्बन्धित प्रश्न की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, प्रोफेसर सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं जिसकी विस्तृत रूप से जांच की जा रही है।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे का विस्तार

[अनुवाद]

2153. श्री जित बसु : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कलकत्ता मेट्रो रेलवे का गड़िया तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दे दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुब्बा रामालिंगम) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा टालीगंज से गड़िया तक मेट्रो रेलवे का विस्तार प्रस्तावित किया गया है। जांच के पश्चात, यह देखा गया था कि उपर्युक्त परियोजना के सम्बन्ध में व्यवहार्यता रिपोर्ट को अद्यतन करना तथा परियोजना की वित्त पोषण पद्धति तैयार करना अपेक्षित था। अतः यह मामला पश्चिम बंगाल को वापस भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने मौजूदा व्यवहार्यता रिपोर्ट को अद्यतन करने का कार्य मैसर्स रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसिज लिमिटेड को सौंपा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी० डी० ए०) के फ्लैटों का आवंटन

2154. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री जीवन शर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्रमशः 11 और 13 अगस्त, 1991 को जनसत्ता और इण्डियन एक्सप्रेस में डी० डी० ए० "फ्लैटों के आवंटन के बारे में प्रकाशित समाचार" शीर्षकों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन रिपोर्टों में किन मुख्य मुद्दों को उठाया गया है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के सारे मामलों की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) डी० डी० ए० द्वारा नियमों का भारी उल्लंघन किए जाने के खिलाफ अन्य क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में उप-राज्यपाल, दिल्ली द्वारा चिंतित में उन लोगों, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं थे, सहित बिना बारी आधार पर किये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन का हवाला किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सरकार द्वारा बनाये गये नीति निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना बारी के आवंटन अनुमोदित किये गये थे।

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डी० डी० ए० द्वारा दर्ज किया जाने वाला हलफनामा

2155. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री जीवन शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक हलफनामा दर्ज करने का निर्देश दिया है जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि वर्ष 1990-91 के दौरान कितने फ्लैट बनाये जाने थे और कितने फ्लैटों का कब्जा दिया जाना था तथा इस अवधि के दौरान वास्तव में कितने फ्लैट बनाये गये, आवंटित किये गये और कब्जा दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायालय के आदेशों का पालन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम के योजना इन्जीनियर को भी निर्देश दिया है कि भूमि पर अतिक्रमणों, अवैध निर्माण कार्यों और आवासीय भवनों को वाणिज्यिक भवनों के रूप में प्रयोग करने के बारे में की गई कार्यवाही की जानकारी न्यायालय को दें;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम ने न्यायालय के इन निर्देशों का पालन किया है; और

(ङ) भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माणों और आवासीय भवनों को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उच्च न्यायालय ने दिनांक 23-8-91 के आदेश के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह 31-12-90 तक निर्माण के लिए लक्षित विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों की संख्या तथा उस तारीख तक वास्तव में निर्मित और वास्तविक रूप से कब्जा देने के फ्लैटों की संख्या को निर्दिष्ट करते हुए एक हलफनामा दाखिल करे।

(ख) न्यायालय को सूचित किया गया था कि 1966-67 से 2,10,456 फ्लैट निर्मित किए गए हैं तथा 31-3-91 तक 2,07,008 फ्लैटों का आवंटन किया गया है।

(ग) और (ङ) उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम के अधीक्षक इन्जीनियर को डिफेंस कालोनी वेलफेयर एसोसियशन द्वारा दायर की गई रिट में उल्लिखित 27 सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु निर्देश दिए थे। निरीक्षण के पश्चात इन सभी सम्पत्तियों का ब्यौरा दिल्ली नगर निगम द्वारा पहले से ही उच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही भी प्रारम्भ की गई है।

हलर मिलों की स्थापना

2156. **श्री सुधीर सावंत** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हलर मिलें (चावल परिष्करण के लिए) स्थापित करने की अनुमति के लिए शेलर्स स्थापना पूर्वापेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस नीति के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस नीति के कारण हलर मिलों के कई संचालक बेरोजगार हो गए है; और

(ङ) क्या पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में इस नीति का कार्यान्वियन सम्भव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन एवं लाइसेंस) नियमावली 1959 के अनुसार हलर मिल के लिए "रबर राल शेलर" "पेडी क्लीनर" और "पैडी सेप्रेटर" लगाना आवश्यक है।

(ख) अध्ययनों से यह पता चलता है कि बिना रबर राल शेलर्स वाले हलरों में आधुनिक चावल मिल की तुलना में चावल की प्राप्ति लगभग 6·6% कम होती है। इसके अलावा खाद्य तेलयुक्त ब्राम (चोकर) और हस्क (भूसी) जैसे सह-उत्पाद अलग से प्राप्त नहीं किए जा सकते और इनका लाभकारी उपयोग नहीं किया जा सकता।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए कारणों को देखते हुए प्राप्त प्रत्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

गढ़वाल क्षेत्र में भूस्खन्द

2157. **श्री साईमन मरांडी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गढ़वाल क्षेत्र को बार-बार आने वाले भूस्खन्द से बचाने के लिए कोई अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनायें तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) और (ख) गढ़वाल क्षेत्र ऐसे हिमाचल क्षेत्र में स्थित है जहां भूकम्प आने की अधिक सम्भावना रहती है। इस क्षेत्र में स्थानीय भूकम्पों की मानीटरिंग करने तथा इसमें निहित विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने के लिए भूकम्प प्रेक्षण सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। इन अध्ययनों से यह आशा की जाती है कि वे स्थानीय दशाओं के अनुकूल इमारती कोडों के लिए बहुमूल्य सूचना उपलब्ध करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और सफाई की समस्या

2158. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और सफाई को दोहरी समस्याओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों को लिखा है कि दोहरी समस्याओं के साथ प्रभावी ढंग से निबटने के लिए "समस्याग्रस्त गांवों" का पता लगाया जाए;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच पटेल) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिये लिखा है।

(ग) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की यह सलाह दी गई है कि ग्रामीण बस्तियों में पेयजल सप्लाई की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण किया जाये जिसमें मानदण्डों के अनुसार पेयजल की सप्लाई, आंशिक रूप से पेयजल सप्लाई के तहत कवर की गयी बस्तियों, इन बस्तियों में ग्रामीण लोगों के सामने आने वाली पेयजल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता से सम्बन्धित समस्याओं, ग्राम स्तर की संस्थाओं, पशुओं आदि के लिये पेयजल की आवश्यकता जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जाए।

(घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सर्वेक्षण करने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाई की गई है। इसके परिणाम मार्च, 1992 के अन्त तक दो चरणों में और जल गुणवत्ता के विश्लेषण से संबंधित परिणाम जून/जुलाई, 1992 तक उपलब्ध हो जाने की आशा है।

मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की कमी

[हिन्दी]

2159. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की अत्याधिक कमी को विश्व बैंक के ऋण से वित्त पोषण करके दूर करने की एक योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान के रेगिस्तान प्रवण और सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास

2160. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य के रेगिस्तान एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम में कुछ अन्य क्षेत्रों को शामिल करना

[अनुवाद]

2161. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उदयपुर, अजमेर, जयपुर और सिरोही जिलों को शामिल किये जाने हेतु योजना आयोग को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी इस प्रकार के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) राजस्थान सरकार ने मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उदयपुर, जयपुर, अजमेर और सिरोही जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करने के लिये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) का मूल्यांकन करने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति को एक ज्ञापन दिया है ।

(ख) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के लिये प्रस्तावित सीमावर्ती क्षेत्र उदयपुर जिले की भीम और देवगढ़ तहसीलें, जयपुर जिले की सांभर फुलेरा, कोटपूतली तथा दूदू तहसीलों के चुनिन्दा गांव, अजमेर जिले के पुष्कर और किशनगढ़ के चुनिन्दा गांव तथा सिरोही जिले की शिवगंज और रेवदार तहसीलों के कुछ गांव है ।

(ग) केन्द्र सरकार को ऐसे ज्ञापन सभी चौदह सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम वाले राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुए हैं।

(घ) राष्ट्रीय समिति ने 31-8-1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम को कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने की सिफारिश की गयी है। हस्तान्तरण के इस सुझाव में समिति का यह विचार था कि इन कार्यक्रमों की भावी कवरेज के लिये क्षेत्रों का चयन राज्य स्वयं करेंगे।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रों को शामिल करना

[हिन्दी]

2162. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर ने राजस्थान में ऐसे कई क्षेत्रों का पता लगाया है जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या इन रेगिस्तानी क्षेत्रों का विस्तार हो सकता है क्योंकि ये मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को मरुभूमि विकास कार्यक्रम में शामिल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार के अनुरोध पर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर, राजस्थान ने ऐसे शुष्क क्षेत्रों जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, का पता लगाने के लिये सिरोही, अजमेर तथा जयपुर जिलों के जलवायु संबंधी आंकड़ों की जांच की है। परिणाम नीचे दर्शाए गए हैं :—

जिले	जिले के शुष्क क्षेत्र का प्रतिशत
सिरोही	14.15
अजमेर	12.46
जयपुर	3.13

(ग) सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट के अनुसंधान निष्कर्षों से यह पता चलता है कि मरुभूमि का विस्तार नहीं हो रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लि० द्वारा प्रौद्योगिकी का आयात

[अनुवाद]

2163. **श्री गुरुदास कामत** :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अक्तूबर, 1991 के इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में रिलायंस आस्कड टू सीस फ्री हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स ओवर इनवाईसिस टैकोलाजी इम्पोर्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार मद की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या हल्दिया पेट्रो केमिकल्स लि० ने पोलि पोपीलिन बनाने के लिये प्रौद्योगिकी के प्रस्तावित आयात के लिए इटली की टेक्नीमोन्ट हिमोन्ट एन्ड कम्बाइन को भारतीय गैस प्राधिकरण से अधिक राशि का भुगतान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति ली गयी थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) सरकार ने प्रश्नाधीन समाचार देखा है।

(ख) से (ङ) हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड ने अपने पालीप्रापिलीन परियोजना के लिए सरकार की स्वीकृति के लिए एक मिश्रित आवेदन (विदेशी सहायोग और पूंजीगत सामान का आयात) प्रस्तुत किया है। ऐसे आवेदनों पर अन्य ऐसे ही मामलों में अनुमत्य भुगतान की शर्तों आदि पर विचार करने के बाद निर्णय लिए जाते हैं।

शीतागारों का निर्माण

2164. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिकूल बाजार भावों के समय किसानों को व्यापारिक फसलों के भण्डारण की सुविधा प्रदान करने हेतु आंध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले में कहीं पर शीतागार बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) 1990 और 1991 में शीत भाण्डागारों की स्थापना के लिए दो फर्मों को अनुमति दी गई है।

कर्नाटक के मांड्या जिले में छोटे और मझोले कस्बों की समन्वित विकास योजना का क्रियान्वयन

2165. **श्री जी० माडेगौडा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में मांड्या जिले के किन-किन छोटे और मझोले कस्बों को "छोटे और मझोले कस्बों की समन्वित विकास योजना" के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) 1990-91 के दौरान प्रत्येक कस्बे को कितना धन स्वीकृत किया गया; और

(ग) 1991-92 के दौरान मांड्या जिले में किन-किन कस्बों को,उक्त योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) शून्य।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नगरों का अन्तिम चयन भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिए गए वार्षिक बजटीय नियतनों और राज्य सरकारों से नगरों की प्राथमिकता सूची तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के प्राप्त

हो जाने पर निर्भर करता है। कर्नाटक सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है कि मांड्या जिले के नलवेली नगर को 1991-92 में छोटे तथा मझोले आकार के नगरों का एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाएगा।

उत्प्रवास स्वीकृति नियमों में संशोधन

2166. **श्री ए० चारलेस** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्प्रवास सम्बन्धी नियमों में इस आशय का संशोधन किया गया है कि उत्प्रवास हेतु स्वीकृति के लिये प्रलेख भर्ती एजेंसियों की मार्फत भेजने होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या संशोधित प्रक्रिया के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) और (ख) यह तथ्यपरक नहीं है कि उत्प्रवास नियमावली, 1983 को हाल ही में संशोधित किया गया है। छः महीने की अवधि के लिए "उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं" के अन्तर्गत कर्मकारों के छः और वर्गों को शामिल करके 4-10-91 को उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ उपरोक्त छः वर्गों से अन्तर्गत आने वाले उन व्यक्तियों, जो विदेश में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, को प्राधिकृत एजेन्टों के माध्यम से ऐसे अनुमोदन के लिए उत्प्रवास संरक्षी, पासपोर्ट प्राधिकारियों के पास जाना जरूरी है। ऐसा भारतीय कर्मकारों को विदेश में रोजगार के लिए जाने को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

(ग) और (घ) ऊपर निर्दिष्ट प्रक्रिया सरलीकरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है प्रक्रियात्मक पहलुओं से सम्बन्धित प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा तथा समुचित कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

2167. **श्री जार्ज फर्नाण्डीज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत छह महीनों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने मामले की जांच की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध 20 मामले दर्ज किए हैं। मामलों का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

"इन मामलों में सरकारी विभागों के 10 अधिकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 19 अधिकारी लिप्त हैं।"

(ख) गत छह महीनों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 434 मामले दर्ज किए गए तथा उनकी जांच की गई। इनमें 670 सरकारी कर्मचारी लिप्त थे।

पत्रकारों को पेंशन

2168. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह चामलिंग) : (क) और (ख) सरकार ने समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना तैयार करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया था। इस दल द्वारा सिफारिश की गई दो वैकल्पिक पेंशन योजनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 1990 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न दरों पर मासिक अंशदान की अदायगी आधार पर विचार किया गया था। प्रस्तावित योजना की विशिष्टताओं और साथ ही साथ योजना की व्याप्ति में सुधार के उद्देश्य बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत शामिल सभी कर्मचारियों पर लागू एक नई पेंशन योजना तैयार करने के लिए एक उप समिति का गठन किया। इस उप समिति द्वारा प्रस्तावित नयी पेंशन योजना को बोर्ड ने अनुमोदित किया और उसके लिए सरकार के पास सिफारिश की है।

जमाखोरी करने वालों को गिरफ्तार करना

2169. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वाले कितने-कितने जमाखोरों को गिरफ्तार किया है;

(ख) उनसे कुल कितनी धनराशि जब्त की गई है; और

(ग) सरकार ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए विभिन्न नियन्त्रण आदेशों के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर वर्ष 1991 के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और मारे गए छापों के परिणामस्वरूप जब्त की गई आवश्यक वस्तुओं के राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त 30-11-91 तक के राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से देश में प्रवर्तन सम्बन्धी कार्रवाइयों में तीव्रता लाने की जरूरत पर बल देती रही है और उनसे जमाखोरी अथवा अन्य कदाचारों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

विवरण

वर्ष 1991 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई (30-11-91 तक प्राप्त सूचना के अनुसार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त माल का मूल्य (लाख रु० में)
1.	आंध्र प्रदेश	839	179.54
2.	असम	4	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
4.	बिहार	73	131.90
5.	गुजरात	28	218.00
6.	गोवा	5	2.03
7.	हरियाणा	81	0.09
8.	हिमाचल प्रदेश	2	—
9.	जम्मू व कश्मीर	112	1.00
10.	कर्नाटक	525	6.53
11.	केरल	—	1.58
12.	मध्य प्रदेश	66	36.31
13.	महाराष्ट्र	724	114.80
14.	मणिपुर	4	—
15.	मेघालय	—	—
16.	मिजोरम	5	0.57
17.	नागालैंड	—	—
18.	उड़ीसा	21	37.55
19.	पंजाब	19	7.28
20.	राजस्थान	7	20.94
21.	सिक्किम	11	—
22.	तमिलनाडु	318	130.81
23.	त्रिपुरा	16	0.86

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	667	823.20
25.	पश्चिम बंगाल	743	242.31
26.	अण्डमान तथा निकोबार समूह	1	—
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दादरा तथा नगर हवेली	7	15 29
29.	दिल्ली	136	2.95
30.	दमन व दीव	—	—
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	49	0.12
	योग	4463	1972.86

एल० डी० सी० सुविधा

2170. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल० टी० सी० की सुविधा सरकारी कर्मचारियों को केवल दो बच्चों के लिए देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब से कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सामाजिक/संस्थागत वानिकी के बारे में दिशा-निर्देश

2171. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास में सामाजिक वानिकी और संस्थागत वानिकी के बारे में जारी किए गए दिशा-निर्देश क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान सामाजिक/संस्थागत वानिकी पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया और प्रति ब्लाक में औसतन इसमें कितना परिव्यय रखा गया है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी एजेंसियों द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों के लिए राज्य-वार कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(घ) इसी अवधि के दौरान गैर-सरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों को निःशुल्क अथवा रियायती

दरों पर पौधों और लघु वृक्षों की सप्लाई करने के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटस्वामी) : (क) नवीनतम मार्गदर्शिकाएं विवरण I में दर्शायी गई है।

(ख) 1991-92 के दौरान सामाजिक/संस्थागत वानिकी के लिए राज्यवार परिव्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण II में दिया गया है। प्रति खण्ड औसतन परिव्यय नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए वार्षिक लक्ष्य दो परस्पर विशेष मान-दण्डों के अनुसार निर्धारित किया जाता है (1) मार्वजनिक भूमि जिसमें वन भूमि शामिल है, को कवरेज के लिए क्षेत्र तथा (2) पौधों का वितरण पौधों का वितरण अन्य एजेंसियों के साथ लोगों को भी अपनी भूमि पर लगाने के लिए किया जाता है। पौधों के वितरण के नियम जिसमें नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर वितरण भी शामिल हैं, राज्य स्तर पर तय किये जाते हैं। 1991-92 के लिए पौधों के वितरण तथा कवर किये जाने वाले क्षेत्र के राज्यवार लक्ष्य विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शिकाएं (1-4-1991 से प्रभावी)

सामाजिक वानिकी कार्य

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी कार्यों के कार्यान्वयन का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार का है कि इसके लाभ ग्रामीण समुदायों तथा विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों को पहुंच सकें।

सामाजिक वानिकी कार्यों में पौधों को जीवन्तता बनाए रखने के लिए शुरू किए गए भूमि तथा जल संरक्षण उपाय शामिल होंगे ·

सामाजिक वानिकी कार्यों के लिए स्थान

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामजिक वानिकी के कार्यों को सरकारी तथा सामुदायिक भूमि तथा सड़क के किनारे, नदियों के तट पर तथा रेलवे लाइन के किनारे की भूमि पर शुरू किया जा सकता है। ऐसे कार्य निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निम्नीकृत वन भूमि पर भी शुरू किए जा सकते हैं।

(क) यदि उपयुक्त सामुदायिक भूमि उपलब्ध न हो; तथा

(ख) राज्य सरकार के एक आम अथवा विशेष आदेश के अन्तर्गत ऐसी भूमि को समस्त उपज सामुदायिक उपयोग के लिए उपलब्ध की जाये।

लगाए जाने वाले वृक्ष

कार्यक्रम के अन्तर्गत फल, चारा तथा ईंधन सभी प्रकार के वृक्ष उगाए जायेंगे। तथापि, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/ग्राम पंचायतों को क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा उसकी भू-जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष पौधों का चयन करना चाहिए। स्थानीय किस्म के फलदायक पौधों

सहित ईंधन के शीघ्रता से बढ़ने वाले चारा तथा छोटे इमारती लकड़ी के पेड़ों को विदेशी किस्म के पेड़ उगाने से अधिक महत्व दिया जाए।

पौधशालाएं

किसानों, विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के वास्तविक अथवा सम्भावित लाभार्थियों को अपने खेतों अथवा पिछवाड़े में पौधशालायें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

वृक्ष पट्टा

वृक्ष पट्टा योजना के माध्यम से सामाजिक वानिकी कार्यों के लाभ प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण गरीबों को मिल सकते हैं जिसके अन्तर्गत वृक्षारोपण परमिट प्राप्त व्यक्ति/वृक्ष पट्टा प्राप्त व्यक्ति को वृक्षों का भोगाधिकार प्राप्त होगा। वृक्षारोपण परमिट/वृक्ष पट्टा के अन्तर्गत भोगाधिकारों में शामिल सूखी शाखायें इकट्ठी करना, शाखाओं को टहनियों तथा कतरन लेना, फल, फूल, बीज, पत्ते, लाख आदि उत्पाद एकत्र करना, वृक्ष पर आधारित गतिविधियों जैसे मधुमक्खी पालन, मोगा अथवा टसर सिल्क कीड़ पालन, लाख का उत्पादन आदि करना, वृक्षों की गुल्मी, वित्तीय संस्थाओं में वृक्षारोपण परमिट/वृक्ष पट्टा जमा कराकर ऋण के लिए केवल वृक्षों को गिरवी रखना तथा पट्टाधारी की मृत्यु होने पर वृक्षारोपण परमिट का हस्तांतरण शामिल हैं। लगाए जाने वाले पौधों की लागत तथा वृक्ष-रोपण परमिट/वृक्ष पट्टा प्राप्त व्यक्ति द्वारा मजदूरों को दी गई मजदूरी तथा पौधों के स्वयं बढ़ने की स्थिति आने के समय तक ऐसे पौधरोपण के रख-रखाव की लागत को जवाहर रोजगार योजना की निधियों से प्राप्त किया जाए।

फार्म वानिकी

फार्म वानिकी निम्नलिखित वर्गों के चयन किए गए ग्रामीण गरीबों की भूमि पर शुरू की जाए जिनके नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सर्वेक्षण रजिस्टर दर्ज हों :

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति;

(2) मुक्त बंधुआ मजदूर; तथा

(3) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि/बंजर भूमि/सरकारी भूमि के सभी आवंटी बशर्ते उनकी भूमि जोतें लघु किसानों की जोतों से बड़ी न हों तथा उक्त भूमि के अलावा वृक्ष पट्टा प्रदान कर दिया गया है।

पौधों का रख-रखाव

जहां कहीं सामुदायिक भूमि पर सामुदायिक लाभ के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम वानिकी के अन्तर्गत पौधरोपण शुरू किया है, ऐसे पौध रोपण जब तक कि वे पेड़ स्वयं बढ़ने के स्थिति में न हों अथवा रोपण के वर्ष से 3 वर्षों की अवधि तक जो भी पहले हो, के रख-रखाव की लागत को जवाहर रोजगार योजना की निधियों से प्राप्त किया जाए।

गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) को शामिल करना

सामाजिक वानिकी से सम्बन्धित सभी गतिविधियों में जिनमें ग्रामीण गरीबों की मार्फत नर्सरी

से लेकर पौधरोपण तक के सभी कार्य शामिल हैं, में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जा सकता है। गैर-सरकारी संगठनों के लिए वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा सीधे हो अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की मार्फत किया जा सकता है।

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मार्गदर्शिकाओं 1991-92) के अनुसार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के लिए आवंटन
1.	आंध्र प्रदेश	699.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.04
3.	असम	184.12
4.	बिहार	1384.80
5.	गोआ	12.86
6.	गुजरात	291.26
7.	हरियाणा	69.36
8.	हिमाचल प्रदेश	40.87
9.	जम्मू व कश्मीर	58.01
10.	कर्नाटक	434.14
11.	केरल	230 26
12.	मध्य प्रदेश	950 49
13.	महाराष्ट्र	735.25
14.	मणिपुर	15.75
15.	मेघालय	17.85
16.	मिजोरम	7.52
17.	नागालैंड	9.13
18.	उड़ीसा	471.41
19.	पंजाब	60.32
20.	राजस्थान	460.99
21.	सिक्किम	6.96

1	2	3
22.	तमिलनाडु	620.05
23.	त्रिपुरा	19.81
24.	उत्तर प्रदेश	1839.35
25.	पश्चिम बंगाल	784.32
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	5.63
27.	चण्डीगढ़	1.39
28.	दादरा व नगर हवेली	3.05
29.	दमन व द्वीव	6.63
30.	दिल्ली	1.80
31.	लक्षद्वीप	2.82
32.	पांडिचेरी	5.51
	कुल :	9443.28

विवरण-III

1991-92 के दौरान पौधों की सप्लाई तथा कवर किए जाने वाले क्षेत्र का राज्यवार लक्ष्य

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पौधों का वितरण (निजी भूमि पर उगाने के लिए) (लाख)	वार्षिक क्षेत्र सार्वजनिक भूमि जिसमें वन भूमि शामिल है) (हैक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	1600.00	30000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	10000.00
3.	असम	100.00	42000.00
4.	बिहार	700.00	50000.00
5.	गोआ	50.09	1200.00
6.	गुजरात	2400.00	73000.00
7.	हरियाणा	300.00	45000.00

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	150.00	57500.00
9.	जम्मू व कश्मीर	150.00	10000.00
10.	कर्नाटक	900.00	50000.00
11.	केरल	250.00	41000.00
12.	मध्य प्रदेश	600.00	95000.00
13.	महाराष्ट्र	1230.00	125000.00
14.	मणिपुर	25.00	13000.00
15.	मेघालय	150.00	18000.00
16.	मिजोरम	100.00	11000.00
17.	नागालैंड	50.00	11000.00
18.	उड़ीसा	500.00	57000.00
19.	पंजाब	150.00	13000.00
20.	राजस्थान	350.00	82500.00
21.	सिक्किम	50.00	8000.00
22.	तमिलनाडु	800.00	54000.00
23.	त्रिपुरा	50.00	11000.00
24.	उत्तर प्रदेश	3400.00	90000.00
25.	पश्चिम बंगाल	850.00	45080.00
26.	अण्डमान निकोबार	5.00	3600.00
27.	चण्डीगढ़	0.00	300.00
28.	दादरा व नगर हवेली	20.00	1000.00
29.	दमन व द्वीव	1.00	200.00
30.	दिल्ली	50.00	500.00
31.	लक्षद्वीप	5.00	100.00
32.	पांडिचेरी	4.00	100.00
	कुल :	15000.00	1050000.00

मध्य प्रदेश में फल प्रसंस्करण

[हिन्दी]

2172. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोई फल प्रसंस्करण संयंत्र कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव अनुमोदनार्थ केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां, मध्य प्रदेश में 86 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट हैं जिन्हें फल उत्पाद आदेश के अधीन लाइसेंस दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं। इस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास स्थलों का आबंटन

[अनुवाद]

2173. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने आवास स्थलों का विकास और अवंटन किया गया तथा 1991-92 के दौरान कितने आवास स्थलों का और आबंटन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आवासीन एककों का निर्माण किया गया, कितने आबंटित किए गए और कितने मकानों का वास्तविक रूप में कब्जा दिया गया था 1991-92 के दौरान कितने आवासीय एककों का निर्माण करने आबंटन करने और कब्जा देने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आबंटियों द्वारा कराया गया परिवर्तन

2174. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० के आबंटियों ने उन्हें आबंटित फ्लैटों में अतिरिक्त निर्माण कराया है और परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(ग) कितने लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया है;

(घ) क्या ऐसे मामलों पर समझौता कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के कुछ आवंटितियों ने अनधिकृत रूप से अपने फ्लैटों में परिवर्धन/परिवर्तन किया है। जब भी ऐसे मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के नोटिस में आते हैं, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कार्यवाई की जाती है।

(ग) लगभग 1033 मामले न्यायालय में लम्बित हैं।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनधिकृत निर्माणों को नियमित करना

2175. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1988 तक दिल्ली में किए गए अनधिकृत निर्माणों को नियमित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो राजधानी में किस वर्ष तक किए गए अनधिकृत निर्माणों को नियमित कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का 1990 तक किए गए अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) अनधिकृत निर्माण का नियमितीकरण दो प्रकार का है नामतः :—

(i) अनधिकृत कालोनियों में अनधिकृत निर्माणों का नियमितीकरण, और

(ii) स्वीकृत नक्शों से विचलन के रूप में अनधिकृत निर्माण।

जहां तक उपर्युक्त (i) का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन ने 513 अनधिकृत कालोनियां, जो 30-6-1977 तक मौजूद थीं, नियमित की हैं। तथापि, इन कालोनियों में निर्मित ढांचे लाभग्राहियों द्वारा विकास शुल्क प्रभारों का भुगतान करने पर नियमित किए जाते हैं।

जहां तक दूसरी श्रेणी के अनधिकृत निर्माण का सम्बन्ध है, स्वीकृत नक्शों में विचलन एकीकृत भवन उप-नियम, 1983 और बृहद्र योजना के प्रावधानों के अनुसार शमनित/नियमित किए जाते हैं।

उपभोक्ता मदों का अतिरिक्त कोटा जारी करने के लिए मानदंड

2176. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं का अतिरिक्त कोटा जारी करने के लिए भिन्न-भिन्न मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली

की वस्तुओं का आबंटन राज्य सरकारों की मांग, केन्द्र पूल में उपलब्ध माल, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता और मौसमी कारकों इत्यादि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु लेवी चीनी का आबंटन 1-10-1986 को अनुमानित जनसंख्या हेतु प्रति व्यक्ति 425 ग्राम प्रतिमाह उपलब्धता के एक समान मानदण्ड के आधार पर किया जाता है। इन आबंटनों में अगस्त से दिसम्बर, 91 तक 5% वृद्धि की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका उद्देश्य राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मकानों का आबंटन

[हिन्दी]

2177. **श्री छेदी पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 8000 मकानों को आबंटित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आबंटन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चंडीगढ़ में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान

[अनुवाद]

2178. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चंडीगढ़ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को मकान आबंटित किए गए; और

(ख) इस सम्बन्ध में आगामी तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इन्दिरा आवास योजना, जो कि पूर्णतया अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों के लिए बनाया गया कार्यक्रम है, के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान चण्डीगढ़ के संघशासित प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई मकान बनाए जाने/उन्हें आबंटित किए जाने की सूचना नहीं है।

(ख) आगामी तीन वर्षों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

चण्डीगढ़ में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा परियोजना की स्थापना

2180. श्री पवन कुमार बंसल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग ने चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कोई परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किए गए निवेश और अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितने व्यक्ति लाभीकरण हुए ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो ०पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कोई विशेष परियोजना नहीं चलाई है । तथापि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित श्रेणी के उद्योगों को चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र में बढ़ावा देने के वास्ते खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तीय तथा अन्य सहायतायें दे रहा है :—

1. ग्रामीण चमड़ा उद्योग ।
2. कयर उद्योग के अलावा अन्य फाइबर ।
3. कुटीर बर्तन उद्योग ।
4. चूना पत्थर, चूने के शैल और चूना उत्पादों के अन्य उद्योग ।
5. प्रसंस्करण पैकिंग और अनाजों, दालों, मसालों और मिर्च मसाले तथा चटनी आदि का विपणन ।
6. घानी तेल उद्योग ।
7. बढ़ईगीरी और लौहारगीरी के उद्योग ।
8. फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण, परिरक्षण करना तथा उन्हें डिब्बा बंद करना जिसमें अचार भी शामिल हैं ।
9. गैर-पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत (बायो गैस) ।
10. वस्त्र और सेवा उद्योग ।

वर्ष 1990-91 के दौरान चंडीगढ़ में दी गई धन राशि, बहाए हुए उत्पादन और रोजगार के अवसर निम्नलिखित हैं :—

दी गई धन राशि (रु० लाख में)		रोजगार (संख्या में)	उत्पादन (रु० लाख में)
अनुदान	ऋण		
0.02	11.80	762	396.07

चण्डीगढ़ आवास निर्माण बोर्ड द्वारा मकानों का आवंटन

2181. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ आवास निर्माण बोर्ड के सदस्यों का विवेकाधिकाराधीन कोटा समाप्त कर दिया गया है और मकानों के आवंटन के मामले में केवल प्रशासक को ही विवेकाधिकार प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, प्रशासक द्वारा पिछले दो वर्षों में वर्ष वार कितने मकान आवंटित किए गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान चण्डीगढ़ आवास बोर्ड द्वारा पात्र व्यक्तियों को आवंटित आवास इकाईयों की संख्या इस प्रकार है :—

नवम्बर, 1989 से अक्तूबर, 1990	49
नवम्बर, 1990 से अक्तूबर, 1991	62

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2182. **श्री पोरेश्वर साबे** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में वीरार-वासई क्षेत्र के आर-पार की पट्टी में प्रचुर मात्रा में फलों का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र से फलों का उपयोग करने के लिए वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) महाराष्ट्र के वीरार-वासई क्षेत्र के आर-पार की पट्टी में आम, केले और काजू फल उगाए जाते हैं ।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय का स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी इस मन्त्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिनके अंतर्गत उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों, सहकारी समितियां, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सहायता दी जाती है । वीरार-वासई क्षेत्र में फलों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

औरंगाबाद में एच० एम० टी० का विस्तार

2183. **श्री पोरेश्वर साबे** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औरंगाबाद (महाराष्ट्र) स्थित वर्तमान एच० एम० टी० एकक का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) औरंगाबाद स्थित डेयरी मशीनरी एकक में एच० एम० टी० की बड़ा विस्तार करने की कोई तात्कालिक योजना नहीं है । तथापि, इसके विद्यमान उत्पादों के प्रौद्योगिकी उन्नयन का कार्य इस एकक द्वारा किया जा रहा है ।

उड़ीसा सैंड काम्प्लेक्स से फैलाने वाली बीमारियां

2184. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गोपालपुर स्थित उड़ीसा सैंड कम्प्लेक्स के कारण उस क्षेत्र के निवासियों में कैंसर तथा अन्य अनेक खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सैंड कम्प्लेक्स से होने वाले प्रदूषण के कारण स्थानीय लोग इन बीमारियों से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं;

(ग) क्या इस बारे में कतिपय विशेषज्ञों ने भी अपनी राय व्यक्त कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जांच करने हेतु कोई दल वहां भेजा है; और

(च) यदि हां, तो उस दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) समाचार-पत्रों में छपी कुछ रिपोर्टों में यह कहा गया है कि गोपालपुर में, जहां उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह स्थापित है, कैंसर के मामलों में वृद्धि हुई तथा पेड़-पौधों के विकास में कमी आई है । ये रिपोर्टें गुमनाम चिकित्सकों और गुमनाम कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगाए आरोपों पर आधारित हैं, वैज्ञानिक तथ्यों पर नहीं । उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह के प्रचालन से पर्यावरण रेडियो सक्रियता से प्रदूषित नहीं होता ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

पारादीप फास्फेट लिमिटेड में तथाकथित अनियमितताएं

2183. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में पारादीप फास्फेट लिमिटेड के कार्यकरण में अत्यधिक अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) पारादीप फास्फेट लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) पारादीप फास्फेट्स लि० (पी० पी० एल०) में अनियमितताओं के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं । उनमें से कुछ को सी० बी० आई० द्वारा और कुछ को पी० पी० एल० के सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी जा रही

है। दो मामलों में सी० बी० आई० ने अभियोग चलाने को कार्यवाही के लिये लक्ष्य नहीं पाया है और मामले को फिर से जांच कराई जा रही है। अनियमितताओं के दोषी पाये गये कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गयी है।

(घ) अनियमितताओं को रोकने के लिए उपाय किये गये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्ति।

(2) कम्पनी में संवेदनशील क्षेत्रों में विरोधी सतर्कता के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाना।

(3) निविदाओं, ठेकों, खरीद आदि के सम्बन्ध में कमियों को रोकने के लिए नीतियों और पद्धतियों की समीक्षा, और

(4) आंतरिक लेखा परीक्षण पद्धति को मजबूत बनाना।

पी० पी० एल० के वास्तविक निष्पादन में सुधार के लिए उपाय किये जा रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे मालों की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करना, संयंत्र और मशीन से की बिक्री रख रखाव उत्तरदायित्व तथा लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सभी स्तरों पर उचित निगरानी व्यवस्था का सूत्रपात तथा कार्यान्वयन अनुशासन लागू करना आदि शामिल है। इन उपायों के परिणाम-स्वरूप चालू वित्तीय वर्ष के पिछले आठ महीनों के दौरान निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और क्षमता उपयोग लगभग 96 प्रतिशत हो गया है।

उड़ीसा में विकास दर

[हिन्दी]

2186. श्री मृत्युंजय नायक : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में विकास दर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा में विकास दर में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) वर्ष 1989-90 के लिए उड़ीसा राज्य की विकास दर (स्थिर कीमतों पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद पर वार्षिक प्रतिशत वृद्धि के मामले में) 6.03 प्रतिशत है। यह असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब तथा त्रिपुरा की विकास दर से कम और आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल की विकास दर से अधिक है।

(ख) विभिन्न कारणों से राज्यों के बीच विकास दर अलग-अलग है जिनमें से कुछ कारण हैं :—आधारभूत संरचना, उद्योग तथा उद्यम शीलता के एतिहासिक रूप से असमान विकास संवर्धन उपाय तथा किए गए प्रोत्साहन एवं साल दर साल वर्षा इसके फलस्वरूप बाढ़ तथा सूखा आदि।

(ग) विकास दर में वृद्धि के लिए उड़ीसा राज्य विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं में, आधारभूत संरचना के विकास, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए निवेश/परिव्यय तथा गरीब लोगों की आय बढ़ाने के लिये सीधे रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम शामिल हैं।

उड़ीसा में उद्योग विहीन जिले

2187. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उद्योग विहीन जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) इन जिलों में उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजना बनाई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) बालासोर, फूलबनी और बोलंगीर उड़ीसा के "उद्योग रहित जिले" हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1983 में "उद्योग रहित जिलों" में मूलभूत सुविधाओं के विकासार्थ चालू की गयी केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने उड़ीसा की राज्य सरकार की सिफारिश पर निम्नलिखित विकास केन्द्र अनुमोदित किये हैं :—

जिला	विकास केन्द्र
बालासोर	बालासोर
फूलबनी	मनमुण्डा
बोलंगीर	बोलंगीर

केन्द्र सरकार के अंश के रूप में अब तक राज्य सरकार को 250 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। अब यह योजना प्रभावी नहीं है, फिर भी योजना के अधीन राज्य सरकारों से जो वायदे किये गये हैं उन्हें राज्य सरकारों के दावे प्राप्त होने पर अवश्य पूरा किया जाएगा। वर्ष 1988 में चालू की गयी विकास केन्द्रों की नयी योजना के अधीन उपर्युक्त तीन जिलों में कोई विकास केन्द्र नहीं हैं।

उड़ीसा के लिए विकास योजनाएं

2188. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इसके लिए नई विकास योजनाएं बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) इन योजनाओं पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) किसी भी राज्य के विकास की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार की होती है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए विकास स्कीमों को राज्य सरकार द्वारा ही तैयार किया जाता है तथा योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तावित किया जाता है ।

कन्याकुमारी में टायर निर्माण करने वाली परियोजनाएं

[अनुवाद]

2189. **श्री एम० डेनिस** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में टायर निर्माण करने वाली परियोजना शीघ्र ही आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार के पास तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में टायर विनिर्माण करने वाले एकक की स्थापना के वास्ते कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है । नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत, ऐसे एकक की स्थापना के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है ।

झुग्गी झोंपड़ी शिविरों में डी० डी० ए० तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा कराये गए सर्वेक्षण

2190. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 दिसम्बर, 1989 से लेकर 31 अक्तूबर, 1991 की अवधि के दौरान डी० डी० ए० और दिल्ली प्रशासन ने झुग्गी झोंपड़ी शिविरों और क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में मूल सुविधाएं प्रदान की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सिविल आपूर्ति विभाग दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना और दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम स्कंध द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के विभिन्न भागों में 929 झुग्गी-झोंपड़ी समूह हैं ।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन में "झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में पर्यावरणीय सुधार" नाम की एक योजना चल रही है जिसके अन्तर्गत स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से पेयजल, पथ प्रकाश, नालियां, गलियों को पक्का करना और कूड़ादान तथा तालाब जैसी मूलभूत सेवाएं पात्र-समूहों को मुहैया कराई जाती है ।

केरल को चावल, गेहूं, चीनी आदि की सप्लाई

2191. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को जनवरी, 91 से नवम्बर, 1991 तक कितनी मात्रा में चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेल सप्लाई किया गया है;

(ख) केरल को जनवरी, 91 से नवम्बर, 1991 तक कितनी मात्रा में सेला और कच्चा चावल सप्लाई किया गया;

(ग) क्या केरल सरकार ने केरल को और अधिक चावल और सेला चावल सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) केरल द्वारा जनवरी, 1991 से नवम्बर, 1991 तक चावल, गेहूं और खाद्य तेलों का निम्नानुसार उठान किया गया है :—

		(हजार मीटरी टन में)	
चावल	—	1574.1	
गेहूं	—	302.9	27-11-91 तक
खाद्य तेल	—	3.46	अक्तूबर, 91 तक

इस अवधि के दौरान राज्य के लिए कुल 1,37,475 मीटरी टन चीनी आवंटित की गई थी। चूंकि यह राज्य सीधा अलाटी राज्य है, इसलिए केन्द्रीय सरकार के पास वास्तविक उठान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) केरल को जनवरी, 1991 से नवम्बर, 1991 (27-11-91 तक) 1009.42 हजार मीटरी टन सेला चावल और 564.1 हजार मीटरी टन कच्चे चावल की आपूर्ति की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) यद्यपि स्टाक स्थिति और नई फसल की आमद को ध्यान में रखते हुए अधिकांश राज्यों के लिए चावल के खुले आवंटनों में कमी कर दी गई थी, लेकिन भारतीय खाद्य निगम केरल को पर्याप्त मात्रा में सेला चावल की आपूर्ति करने की कोशिश करता है।

त्रिवेन्द्रम में प्रौद्योगिकी पार्क

2192. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में प्रौद्योगिकी पार्क शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम, कालीकट और कोचीन में तीन प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। त्रिवेन्द्रम में प्रौद्योगिकी पार्क का काम पहले ही शुरू हो चुका है। त्रिवेन्द्रम पार्क के लिए राज्य सरकार ने 32 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। भारत और विदेशों से 25 कम्पनियों ने इस पार्क में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए स्थान के आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया है।

इलैक्ट्रानिकी विभाग ने त्रिवेन्द्रम प्रौद्योगिकी पार्क में तीन मुख्य कार्यकलापों का, नामतः सॉफ्ट-वेयर प्रौद्योगिकी पार्क, बड़े आई० बी० एम० मेनफ्रेम वाला साफ्टवेयर प्रशिक्षण और विकास केन्द्र तथा इलैक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का प्रस्ताव रखा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कृतक बल

2193. श्री चित्त बसु : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस समय अपनाए गये विकास माडल की पुनरीक्षा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु वैकल्पिक नीति तैयार करने हेतु एक कृतक बल की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भुखमरी उन्मूलन कार्यक्रम

2194. श्री चित्त बसु :

श्री समत कुमार मण्डल। क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूख सम्बन्धी परियोजना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक और सामाजिक परिषद के रोस्टर पर एक गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं, की हाल ही की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के एक तिहाई भूखे रहने वाले लोग भारत में रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कौन से विशेष कार्यक्रम बनाए है अथवा बनाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) "एण्डिंग हंगर—एन० आडडिया हूज टाइम हैज कम" (1985) के प्रकाशन में यह कहा गया था कि यदि भारत में भूख को दूर करना है तो विश्व की एक तिमाही भूख समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक दृष्टिकोण है जहां भूख की घटना को अल्प-पोषण तथा शिशु मृत्युदर के बीच कल्पित संबंधों के आधार

पर अनुमानित किया गया था। परन्तु भूख की कोई भी सहमत परिभाषा नहीं है। भूख सम्बन्धी परियोजना रिपोर्टों के प्रकाशन से विश्व में लगातार भूख से पीड़ित लोगों की संख्या के विभिन्न अनुमान 0.3 बिलियन से 2.5 बिलियन तक है जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि पर्याप्त भोजन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने अपने सर्वेक्षण में एक सीधा प्रश्न किया है कि "क्या किसी परिवार के सभी सदस्यों को सम्पूर्ण वर्ष में किसी एक दिन दो वक्त का खाना मिलता है अथवा नहीं" ? इस प्रतिक्रिया के आधार पर भूखे लोगों का अनुपात उक्त वर्ष में भारत की जनसंख्या का 16 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) भूख की समस्या मुख्यतः गरीबी से जुड़ी है। गरीबी को दूर करने के लिए अनेक स्वरोजगार और मजदूरी पर रोजगार कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आदि जिन्हें विशेष रूप से गरीबों के लिए बनाया गया हैं, को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन उपायों और सामान्य विकास प्रयासों के फलस्वरूप गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत 1977-78 में लगभग 48 प्रतिशत से गिरकर 1987-88 में लगभग 30 प्रतिशत हो गया है।

उद्योगों का क्षेत्रीय संतुलन

[हिन्दी]

2195. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक नीति 1980 के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने, महानगरों में भीड़-भाड़ की समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त नीति के अन्तर्गत गुजरात में स्थापित किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जुलाई 1980 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी व्यक्तव्य के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना तथा महानगरों की भीड़-भाड़ को हटाना था। यह कार्य विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं तथा नीति सम्बन्धी मानदण्डों के माध्यम से किया जाता था जिनसे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाता है। 24 जुलाई, 1991 को सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के अधीन 18 उद्योगों की छोटी सी सूची को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में उनकी स्थापना न करनी हो। उद्योगों के छितराव को बढ़ावा देने और उनकी स्थापना विशेषरूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में हो तथा शहरों में भीड़-भाड़ घटे इसके लिए उचित प्रोत्साहन देकर मूलभूत सुविधाओं के विकास में निवेश किया जाएगा।

गुजरात में उद्योगों की स्थापना हेतु वर्ष 1989 और 1990 के दौरान 87 औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं जिनमें से 31 लाइसेंस पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं।

गुजरात में जिला उद्योग केन्द्र

2196. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राज्य में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) "गुजरात राज्य में 19 जिले हैं जिनमें से 18 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र (डी०आई०सी०) स्थापित किये जा चुके हैं। जिला डांग में जिला उद्योग केन्द्र (डी०आई०सी०) नहीं है परन्तु डांग जिले का कार्य जिला उद्योग केन्द्र, बलसाड द्वारा देखा जाता है। सरकार के पास इस समय डांग जिले में एक अलग जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

न्यू पैटर्न स्कीम के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आबंटन हेतु पात्रता की शर्तें

[अनुवाद]

2197. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू पैटर्न के फ्लैटों के पंजीकरण योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले फ्लैटों के आबंटन हेतु पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवेदकों ने इन शर्तों को ध्यान में रखते हुये पंजीकरण कराया था;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत प्राधिकरण के पास गैर पंजीकृत व्यक्तियों को बिना बारी के फ्लैटों का आबंटन करने के लिए पात्रता की शर्तें बदलने के क्या कारण हैं जिसके कारण पंजीकृत आवेदकों को जल्दी फ्लैटों का आवेदन नहीं करके उन्हें 13 वर्षों की लम्बी अवधि तक प्रतीक्षारत रखा गया;

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत गैर पंजीकृत व्यक्तियों को बिना बारी के कितने फ्लैटों का आबंटन किया गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) इस योजना के अन्तर्गत गैर पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों के आबंटन को बन्द करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) 4 न्यू पैटर्न 1979 योजना के अन्तर्गत पंजीकरण के लिये पात्रता के आधार में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(i) आवेदक के पास संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में अपने/अपनी पत्नी/अपने पति अथवा किसी आश्रित बच्चे/नाबालिग बच्चे अथवा आश्रित बहनों और भाइयों के नाम पर फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड आधार पर कोई मकान अथवा पूरा प्लाट अथवा उसका कोई भाग नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि आवासीय योजना के अन्तर्गत संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले प्लाट अथवा भूमि पर आवेदक का व्यक्तिगत हिस्सा 76 वर्ग गज से कम है तब

फ्लैट के आबंटन के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। आबंटन हो जाने की दशा में फ्लैट का उपयोग आबंटी द्वारा अपने ही रिहायश के लिए किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित कोई मकान अथवा प्लाट है और यहां तक कि उस मकान अथवा प्लाट का क्षेत्र 75 वर्ग गज से कम है तब भी वह पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(ii) आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(iii) आवेदक को व्यस्क होना चाहिए।

(iv) मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के बारे में आय की वार्षिक सीमा का मानदण्ड 27900/रुपये है जबकि निम्न आय वर्ग/जनता फ्लैटों के लिए आय के मानदण्ड को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड के उल्लंघन में बिना बारी के आधार पर डी०डी०ए० फ्लैटों का कोई आबंटन नहीं किया गया है। इस प्रकार के आबंटन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किये जाते हैं -

(ङ) मार्गदर्शी नीति के अनुसार, एक वर्ष के दौरान आबंटित फ्लैटों की कुल संख्या का $2\frac{1}{2}\%$ का आबंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना बारी के आधार पर पंजीकृत/गैर पंजीकृत व्यक्तियों को किया जा सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1987-88 से 1990-91 तक गैर पंजीकृत व्यक्तियों को बिना बारी के आधार पर 329 फ्लैट आबंटित किए गए।

(च) बिना बारी के आधार पर फ्लैटों के आबंटन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल

2198. **श्री जीवन शर्मा** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सक्षम कार्यकरण गड़बड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी कब से हड़ताल पर हैं और उनकी मांगों का ब्योरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) यद्यपि खाद्यान्नों के संचलन पर कुप्रभाव पड़ा था लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामान्य रूप से कार्य करती रही।

(ख) और (ग) कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस, बलराम समिति द्वारा यथा अभिस्तांवित संवर्गों को विलय करने, आदि के लिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए 26-8-91 से आन्दोलन का रूख अपना लिया, जिसमें 16-9-91 को सांकेतिक हड़ताल करना शामिल है। भारतीय खाद्य निगम और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण हुए अन्तरिम समझौते के परिणामस्वरूप आन्दोलन वापस ले लिया गया है।

अर्जित अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश का नकद भुगतान

2199. **श्री जीवन शर्मा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र और अनिवार्य संचार योजना के अन्तर्गत गठित पंचाट बोर्ड ने अर्जित अवकाश और अर्द्धवेतन अवकाश के नकद भुगतान के सम्बन्ध में पंच निर्णय दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पंच-निर्णयों को कब दिया गया और इन्हें अब तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विवाचन बोर्ड द्वारा ये अधिनिर्णय क्रमशः 31 मार्च, 1989 और 19 दिसंबर, 1986 को दिये गए थे। इन पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है।

शिक्षा एवं विकास कार्यों के लिए राज्यों को निधियां

[हिन्दी]

2200. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग शिक्षा एवं विकास कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को निधियां देते समय क्या मानदण्ड अपनाता है;

(ख) क्या हरियाणा राज्य को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निधि देते समय भी यही मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो योजना आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) (क) से (घ) हरियाणा सहित सभी राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं : (1) जनसंख्या आकार, (2) प्रति व्यक्ति आय (3) विशेष विकास समस्यायें इत्यादि। योजना प्राथमिकताओं, संसाधनों की उपलब्धता चल रही परियोजनाओं को जल्दी पूर्ण करने की आवश्यकता, लाभों को अधिकतम करने, पर्यावरणीय विचारों, क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने इत्यादि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और ग्रामीण विकास सहित विकास के सभी शीर्षों/उप-शीर्षों के लिए आबंटन हरियाणा सहित सभी राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों तथा ग्रामीण विकास सहित विकास के किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्रक लिए आबंटन करते समय सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा समग्र अनुमोदित परिव्यय के भीतर ही अलग-अलग स्कीमों के लिए प्रावधान किया जाता है।

इण्डियन वैक्सीन कारपोरेशन लि० द्वारा एन्टी रेबीज औषध का विपणन

[अनुवाद]

2201. **श्री मोहन सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन वैक्सीन कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली, सरकारी उपक्रम ने फ्रांसिसी के सहयोग से अपने फील्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नई एन्टी-रेबीज वैक्सीन "वैरोरेब" का विपणन प्रारम्भ किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इण्डियन वैक्सीन्स कारपोरेशन ने इसके लिए राज्यवार/क्षेत्रवार किन-किन शर्तों पर क्या-क्या विपणन/वितरण प्रबन्ध किए हैं;

(ग) सहयोग समझौते के बाद इस प्रकार के कुल कितने वैक्सीनों का आयात किया गया है और उन पर लागत बीमा भाड़ा कीमत और सीमा शुल्क आदि सहित कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) कम्पनी ने इस पर कुल कितने कर्मचारी लगाए है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां। इण्डियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड के विपणन सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यकलापों के भाग के रूप में मैसर्स पास्चर मेरियू सीरम्स एण्ड वैक्सीन्स (पी०एम०एस०वी०), फ्रांस से तैयार माल के रूप में आयातित अलर्क रोग रोधी नये टीके "वैरोरेब" का भारतीय बाजार में सूत्रपात सितम्बर, 1991 में किया गया था। इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड के निर्धारित कार्यक्रमानुसार स्वदेश में उत्पादित इस टीके का विपणन 1993 के मध्य से शुरू किया जाना है। इस "प्रारम्भिक कार्यक्रम" का उद्देश्य भारतीय चिकित्सकों में इस नए टीके को लोकप्रिय बनाना है।

(ख) इण्डियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड ने खुले बाजार में उत्पादों के विपणन एवं वितरण के लिए पी०एम०एस०वी० तथा एलिडैक जेनेटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, अहमदाबाद के साथ त्रिपक्षीय करार किया हैं। एलिडैक जेनेटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स की संस्थापित अवसंरचनात्मक सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुये, इनका राज्यवार एवं क्षेत्रवार विपणन/वितरण किया जायेगा। ज्यों-ज्यों मांग बढ़ेगी, त्यों-त्यों यह उत्पाद व्यापक रूप से उपलब्ध होगा।

प्रतिरक्षण कार्यक्रमों एवं प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के लिये बिक्री सीधे इण्डियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जाएगी।

(ग) नवम्बर, 1991 तक वैक्सीन की 1,19,973 खुराकें आयात की गयी है जिनकी लागत 6,30,594 डालर अर्थात लगभग 1,63,95,000 रुपए है।

(घ) निगम में फिलहाल 43 कर्मचारी सेवारत हैं तथा कुछ और वैज्ञानिक भर्ती किये जा रहे हैं।

मानवित कारों का निर्यात

[हिन्दी]

2202. **श्री मोहन सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने वर्ष 1991 में नवम्बर तक के दौरान कितनी कारों का निर्यात किया और ये कारें किन-किन देशों को निर्यात की गयीं;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) वर्ष 1991 के शेष महीनों में और अगले वर्ष के दौरान कितनी कारों के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) नवम्बर, 1991 में मारुति उद्योग लिमिटेड ने भूटान, इटली, माल्टा, नामीबिया, नेपाल, पोलैंड, सेनेगल और श्रीलंका को (माने गये निर्यात सहित) 989 वाहनों का निर्यात किया।

(ख) इससे 3.13 मिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

(ग) दिसम्बर, 1991 के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा लगभग 2000 वाहनों का निर्यात करने की सम्भावना है। वर्ष 1992 के दौरान 25000 से 30000 वाहनों के निर्यात की सम्भावना है।

औद्योगिक निवेश

[अनुवाद]

2203. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कौन-कौन से अनुसूचित उद्योग आते हैं;

(ख) 1 जनवरी, 1985 से कितने उद्योग अनुसूची से अलग कर दिये गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जनवरी, 1985 से विनियामक कार्य क्षेत्र और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में अन्य कौन-कौन से परिवर्तन किये गये हैं; और

(घ) योजनागत प्राथमिकताओं के अनुसार और एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विकास में लाइसेंस मुक्त प्रक्रिया और आनुषंगिक परिवर्तनों से निवेशों की पूर्ति और अपेक्षित चैनलों में औद्योगिक पूंजी निवेश की मात्रा की प्राप्ति में कितनी सहायता मिली है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 1 जनवरी, 1985 की स्थिति के अनुसार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में दी गई उद्योगों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) 1 जनवरी, 1985 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में शामिल उद्योगों की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 29 "ख" के उपबन्धों के अधीन उद्योगों की कुछ श्रेणियों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा कुछ शर्तों के अधीन अन्य उद्योगों को भी औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से छूट दे दी गयी थी। किन्तु उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने और उद्योगों को छूट देने की ये योजनायें 24 जुलाई, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अधीन समाप्त कर

दी गई हैं। नई औद्योगिक नीति के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन 18 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

(ब) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उदार औद्योगिक नीति का उद्देश्य यह है कि उद्यमी अपने स्वयं के वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर निवेश करने के सम्बन्ध में फैसला कर सकें किन्तु औद्योगिक नीति विवरण के अनुबन्ध 3 में सूचित उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी और अनिवासी निवेश और प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा दिया जाता है।

विवरण

पहली अनुसूची

कोई उद्योग जो निम्नलिखित शीर्षकों या उपशीर्षकों में से प्रत्येक के अधीन वर्णित वस्तुओं में से किसी के विनिर्माण या उत्पादन में लगा है, अर्थात

धातु कर्म उद्योग :

क. लोह :

(1) लोहा और इस्पात (धातु)

(2) लौह मिश्र धातुएं;

(3) ढालकर और पीटकर बनाई गई लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं;

(4) लोहे और इस्पात की संरचनाएं;

(5) लोहे और इस्पात के पाइप;

(6) विशेष इस्पात; और

(7) लोहे और इस्पात के अन्य उत्पाद।

ख. अलौह :

(1) मूल्यवान धातुयें जिनके अन्तर्गत सोना और चांदी और उनकी मिश्र धातुएं हैं;

(1क) अन्य अलौह धातुएं और उनकी मिश्र धातुएं; और

(2) अर्द्ध-विनिर्माण और विनिर्माण।

2. ईंधन :

(1) कोयला, लिग्नाइट, कोक और उनकी व्युत्पत्तियां;

(2) खनिज तेल (कच्चा तेल), मोटर और विमान-स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध हाइड्रोकार्बन तेल और उनके सम्मिश्र जिनके अन्तर्गत संश्लिष्ट ईंधन, स्नेहक तेल और वैसे ही अन्य हैं; और

(3) ईंधन गैसें—(कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और वैसी ही अन्य गैसें)।

3. बायलर और वाष्प उत्पादन संयंत्र :

बायलर और वाष्प उत्पादन संयंत्र।

4. मूल गति उत्पादक (वैद्युत उत्पादकों से भिन्न) :

(1) वाष्प इंजिन और टरबाइन; और

(2) अन्तर्दहन इंजिन।

5 विद्युत उपस्कर

(1) विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए उपस्कर जिनके अन्तर्गत ट्रांसफार्मर भी हैं;

(2) विद्युत मोटरें;

(3) विद्युत पंखें;

(4) विद्युत लैम्प;

(5) विद्युत भट्टियां;

(6) विद्युत केबल और तार;

(7) एक्सरे उपस्कर;

(8) इलेक्ट्रानिक उपस्कर;

(9) घरेलू साधित्र जैसे विद्युत इस्त्री, हीटर और वैसी ही अन्य;

(10) संचायक बैटरियां; और

(11) शुष्क सेल।

6. दूर-संचार :

(1) टेलीफोन;

(2) तार उपस्कर;

(3) बेतार संचार यंत्र;

(4) रेडियो रिसीवर जिनके अन्तर्गत प्रवर्धन और ध्वनि प्रवर्धक यंत्र भी हैं;

(5) टेलीविजन सेट; और

(6) टेलीप्रिन्टर।

7. परिवहन :

(1) वायुयान;

(2) पोत और शक्ति द्वारा चालित अन्य जलयान;

(3) रेल-इंजन;

(4) रेल चल-स्टाक

(5) आटोमोबाइल (मोटरकार, बस, ट्रक, मोटर साइकिल, स्कूटर और वैसे ही अन्य);

(6) बाइसिकल; और

(7) अन्य, जैसे फोर्क लिफ्ट ट्रक और वैसे ही अन्य ।

8. औद्योगिकी मशीनरी :

(क) विनिर्दिष्ट उद्योगों में प्रयुक्त विशिष्ट उपस्कर की प्रमुख मदें :

(1) कपड़ा मशीनरी (जैसे कताई, फ्रेम, कार्डिंग, मशीन पावरलूम और वैसे ही अन्य जिनके अन्तर्गत कपड़ा मशीनरी के उपांग भी हैं;)

(2) जूट मशीनरी;

(3) रेयन मशीनरी;

(4) चीनी मशीनरी;

(5) चाय मशीनरी;

(6) खनन मशीनरी;

(7) धातुकर्म-मशीनरी;

(8) सीमेंट मशीनरी;

(9) रासायनिक मशीनरी;

(10) भेषज मशीनरी; और

(11) कागज मशीनरी ।

(ख) विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त मशीनरी की साधारण मदें, जैसे विभिन्न "यूनिट प्रक्रियाओं" के लिए अपेक्षित उपस्कर ।

(1) आकार घटाने का उपस्कर-दलित्र, बाल-मिल और वैसे ही अन्य;

(2) प्रवहन-उपस्कर—डोल उत्थापक, स्किप उत्तोलक, क्रेन, डेरिक और वैसे ही अन्य;

(3) आकार पृथक करण यूनिट-छन्ने, संभाजक और वैसे ही अन्य;

(4) मिकसर और रिएक्टर-गूंधने की मिल, टर्बो-मिक्सर और वैसे ही अन्य;

(5) निस्पादन-उपस्कर—दाब-निस्पंदक, रोटेरी निस्पंदक और और वैसे ही अन्य;

(6) अपेन्द्री यंत्र;

(7) वाष्पित्र;

(8) आसवन उपस्कर;

(9) क्रिस्टलाइजर;

(10) शुष्कक;

(11) शक्ति चालित पम्प—प्रत्यागामी, अपकेन्द्री और वैसे ही अन्य;

(12) वायु और गैस संपीडक और निर्वात पाइप (वैद्युत भट्टियों से भिन्न);

(13) औद्योगिक प्रयोग के लिए प्रशीतन संयंत्र; और

(14) अग्नि-शामक उपस्कर और साधिक जिनमें अग्नि-शामक इंजिन भी है।

ग. अन्य मशीनरी की अन्य मदें :

(1) बाल, रोलर और टेपरित बेयरिंग;

(2) रफ्तार घटाने वाले यूनिट; और

(3) पेषण चक्र और अपघर्षक;

9. मशीनी औजार :

मशीनी औजार।

10. कृषि-मशीनरी :

(1) ट्रेक्टर, हार्वेस्टर और वैसे ही अन्य।

(2) कृषि उपकरण।

11. मिट्टी हटाने वाली मशीनरी :

बुलडोजर, डम्पर, स्क्रेपर, लोडर, शावल, कर्षण लाइनें, बाल्टीचक्र खनित्र, सड़क रोलर और वैसे ही अन्य।

12. विविध यांत्रिक और इन्जीनियरी उद्योग :

(1) प्लास्टिक की ढली वस्तुएं;

(2) हाथ के औजार, छोटे औजार और वैसे ही अन्य;

(3) उस्तरे के ब्लेड;

(4) प्रेषर कुकर;

(5) कटलरी; और

(6) इस्पात फर्नीचर।

13. वाणिज्यिक कार्यालय और घरेलू उपस्कर :

(1) टाइपराइटर;

(2) परिकलन यंत्र;

(3) वातानुकूलन और रेफ्रीजरेटर;

(4) निर्वात क्लीनर;

(5) सिलाई और बुनाई मशीनें; और

(6) हरिकेन लालटेन।

14. चिकित्सा और शल्य साधित्र :

शल्य उपकरण — रोगाणुहर, इन्क्यूबेटर और वैसे ही अन्य ।

15. औद्योगिक उपकरण :

(1) पानी के मीटर, वाष्प-मीटर, विद्युत मीटर और वैसे ही अन्य;

(2) दबाव, तापमान, प्रवाह की गति, वजन, तल और वैसी ही अन्य बातों के लिए संकेतन अभिलेखन और विनियमन युक्तियां; और

(3) तोलने के यन्त्र ।

16. वैज्ञानिक उपकरण :

वैज्ञानिक उपकरण ।

17. गणितीय, सर्वेक्षण और आरेखन उपकरण :—

गणितीय, सर्वेक्षण और आरेखन उपकरण ।

18. उर्वरकों :

(1) अकार्बनिक उर्वरक;

(2) कार्बनिक उर्वरक; और

(3) मिश्रित उर्वरक

19. रसायन (उर्वरकों से भिन्न) :

(1) अकार्बनिक भारी रसायन;

(2) कार्बनिक भारी रसायन;

(3) सूक्ष्म रसायन जिनके अन्तर्गत फोटोग्राफिक रसायन भी है;

(4) संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक;

(5) रंग, रोगन और एनैमल;

(6) संश्लिष्ट रबर;

(7) कृत्रिम फाइबर जिसके अन्तर्गत पुनर्योजित सैलुलोसरेयन, नइलोन और वैसे ही अन्य हैं;

(8) कोक भट्टी के उपोत्पाद;

(9) नैप्थेलीन, एर्थेसीन और वैसे ही कोलतार आसवन के उत्पाद;

(10) विस्फोटक, जिनके अन्तर्गत बारूद और सुरक्षा फ्यूज भी हैं;

(11) कीटनाशी, कवकनाशी, अपतृणाशी और वैसे ही अन्य;

(12) कपड़ों से सम्बन्धित वस्तुएं;

(13) चिक्कणन पदार्थ जिनके अन्तर्गत स्टार्च भी हैं; और

(14) विविध रसायन।

20. फोटोग्राफी की कच्ची फिल्म और कागज :

(1) सिनेमा फिल्म;

(2) फोटोग्राफी की अव्यवसायिक फिल्म; और

(3) फोटो मुद्रण कागज।

21. रंजक द्रव्य :

रंजक द्रव्य।

22. औषधि और भेषज :

औषधि और भेषज।

23. कपड़ा (जिसके अन्तर्गत रंजित, मुद्रित या अन्यथा प्रसंस्कृत कपड़ा भी है) :—

(1) पूर्णतः या भागतः सूत से बना जिसके अन्तर्गत सूती धागा, हौजरी और रस्सी भी है;

(2) पूर्णतः या भागतः जूट से बना, जिसके अन्तर्गत जूट की डोरी और रस्सी भी है;

(3) पूर्णतः या भागतः ऊन से बना जिसके अन्तर्गत ऊन की लच्छियां, ऊनी, धागा, हौजरी, गलीचे और ड्रगेट भी हैं;

(4) पूर्णतः या भागतः रेशम से बना, जिसके अन्तर्गत रेशमी धागा हौजरी भी है;

(5) पूर्णतः या भागतः संश्लिष्ट कृत्रिम (मानव-निर्मित) फाइबर जिसके अन्तर्गत ऐसे फाइबर का धागा और हौजरी भी हैं।

24. कागज और लुगदी जिसके अन्तर्गत कागज के उत्पाद है :

(1) कागज—लिखने, मुद्रण करने और लपेटने वाला;

(2) अखबारी कागज;

(3) कागज का गत्ता और स्ट्रा गत्ता;

(4) पैकेज का कागज (लहरदार कागज, क्राफ्ट कागज, कागज के थैले, कागज आधान और वैसे ही अन्य); और

(5) लुगदी—लकड़ी की लुगदी, यांत्रिक, रासायनिक लुगदी जिसके अन्तर्गत द्रविक लुगदी भी है।

25. चीनी :

(1) चीनी।

26. किण्वन उद्योग :

(1) एल्कोहल; और

(2) किण्वन उद्योगों के अन्य उत्पाद ।

27. खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योग :

(1) डिब्बा बंद फल और फल उद्योग उत्पाद;

(2) गुप्त-खाद्य;

(3) माल्टित खाद्य;

(3) आटा; और

(5) अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ ।

28. वनस्पति तेल और वनस्पति :—

(1) वनस्पति तेल, जिनके अंतर्गत विलायक निष्कर्षित तेल भी है; और

(2) वनस्पति ।

29. साबुन, प्रसाधन सामग्री और प्रसाधन निर्मितियां :

(1) साबुन;

(2) ग्लिसरीन;

(3) प्रसाधन सामग्री;

(4) सुगंधित सामग्री; और

(5) प्रसाधन निर्मितियां ।

30. रबड़ की वस्तुएं :

(1) टायर और ट्यूब;

(2) शल्य और औषधीय उत्पाद जिनके अन्तर्गत रोग-निरोधक भी है;

(3) जूते; और

(4) रबर की अन्य वस्तुएं ।

31. चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर :

चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर

32. सरेस और जिलेटिन :—

सरेस और जिलेटिन ।

33. कांच :

(1) खोखले पात्र;

(2) शीट और प्लेक कांच;

(3) प्रकाशीय कांच;

(4) कांच तंतु;

(5) प्रयोगशाला पात्र; और

(6) विविध पात्र।

34. मृत्तिका शिल्प :—

(1) अग्निसह ईंटें;

(2) रिफैक्टरी;

(3) भट्टी अस्तर ईंटें—आम्लीय, मूल और निष्प्रभावी;

(4) चीनी मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन;

(5) सैनिटरी पात्र;

(6) रोशनी;

(7) खपरैल; और

(8) ग्रेफाइट मूषा।

35. सीमेंट और जिप्सम उत्पाद :

(1) पोर्टलैंड सीमेंट;

(2) एस्बेस्टास सीमेंट;

(3) रोधक बोर्ड; और

(4) जिप्सम बोर्ड, दीवार बोर्ड और वैसे ही अन्य।

36. काष्ठ उत्पाद :

(1) प्लाइवुड;

(2) हार्ड बोर्ड जिनके अन्तर्गत फाईबर बोर्ड, चिपबोर्ड और वैसे ही अन्य हैं;

(3) दियासलाई; और

(4) विविध (फर्नीचर घटक, बाबिन, शटल और वैसे ही अन्य)।

रक्षा उद्योग :

(1) आयुध और गोला-बारुद।

38. विविध उद्योग :

(1) सिगरेट;

(2) लिनोलियम चाहे उसका आधार नमदे का हो या जूट का;

(3) जिप कसनी (धात्विक और अधात्विक)

(4) तेल स्टोव; और

(5) मुद्रण जिसके अन्तर्गत लिथो मुद्रण उद्योग भी है।

स्पष्टीकरण 1—शीर्ष सं० 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 13 में से प्रत्येक के अधीन विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अन्तर्गत उनके घटक और सहायक अंग भी होंगे।

स्पष्टीकरण 2—शीर्ष सं० 18, 19, 21, और 22 में से प्रत्येक के अधीन विनिर्दिष्ट वस्तुओं के अन्तर्गत उनके विनिर्माण के लिए अपेक्षित मध्यक भी हैं।

वाशिंग पाऊडर का उत्पादन

2204. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1988, 1989 और 1990 में सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और धुलाई के साबुन आदि वाशिंग उत्पादों की कितनी मांग थी;

(ख) इन वर्षों में धुलाई उत्पादों और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और धुलाई के साबुनों का कुल कितना उत्पादन हुआ था;

(ग) देश में सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और धुलाई के साबुनों के तीन शीर्ष उत्पादकों के नाम क्या-क्या है और राष्ट्रीय उत्पादन में उनका क्रमशः कितना हिस्सा (प्रतिशत) है;

(घ) क्या वे सभी अथवा उनमें से कुछ एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत प्रमुख उपक्रम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तेलों सम्बन्धी कार्य दल द्वारा अनुमानित सिंथेटिक डिटरजेंट्स, साबुन और डिटरजेंट्स की वास्तविक मांग इस प्रकार थी :—

		(मी० टन लाख में)
1988	—	9.15
1989	—	10.50
1990	—	11.75

उपर्युक्त कार्य दल द्वारा 1990 तक कपड़े धोने के साबुन की अनुमानित मांग 8.90 लाख मी० टन थी।

(ख) संगठित क्षेत्र में 24 एककों में से 17 एककों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सिंथेटिक डिटरजेंट्स का कुल उत्पादन इस प्रकार है :—

		(मी० टन लाख में)
1988	—	1.83
1989	—	2.39
1990	—	2.47

कपड़े धोने का साबुन, जो केवल लघु क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित है, के उत्पादन आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) 1990 के दौरान संगठित क्षेत्र में सिंथेटिक डिटरजेंट्स का उत्पादन करने वाली तीन प्रमुख कम्पनियां ये थी : —मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, मै० गोदरेज सोप्स लि० और टाटा आयल मिल्स लि०। सरकार ने लघु क्षेत्र में सिंथेटिक डिटरजेंट्स और धुलाई के साबुनों का निर्माण करने वाले एककों सहित विभिन्न एककों के बाजार के हिस्सों का अलग से अनुमान नहीं लगाया।

(घ) और (ङ) सिंथेटिक डिटरजेंट्स के निर्माण में कोई भी एकक प्रमुख उपक्रम के रूप में पंजीकृत नहीं है।

मैसर्स निरमा कम्पनी समूह

2205. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक एकक में कर्मचारियों की संख्या द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि किसी विशेष एकक उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं;

(ख) क्या 100 से अधिक कर्मचारियों वाले एकक को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आना पड़ता है और यदि इसके द्वारा उत्पादित वस्तु उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में आती हो, तो इसको चलाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है;

(ग) क्या बिजीनेस वर्ल्ड 29 जुलाई, 2 अगस्त, 1988 के अंक में बताया गया है कि निरमा कम्पनी समूह में 10,000 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तथा इसकी छः प्रमुख इकाइयों में प्रत्येक में कर्मचारियों की संख्या 100 से अधिक है; और

(घ) क्या इन छः इकाइयों ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस लिया हुआ है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी०जे०कुरियन) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंसीकरण प्रावधान केवल उन औद्योगिक उपक्रमों पर लागू होंगे जो उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन आने वाली मदों के उत्पादन में संलग्न है और जिस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 50 और 100 अथवा उससे अधिक है और जो फैक्टरी क्रमशः बिजली से और बिजली के बिना चलती है किन्तु उन औद्योगिक उपक्रमों के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं होगा यदि इनमें 50/100 कर्मचारी काम कर रहे हों और निर्माण की मद को अन्यथा लाइसेंसीकरण के उपबन्धों से छूट मिली हुई है।

(ग) और (घ) मै० निरमा प्रा० लि० के छः एककों को औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र मंजूर कर दिये गये हैं कम्पनी के विद्यमान एककों/फैक्टरियों में कर्मचारियों की कुल संख्या 5000 से अधिक बताई गयी है।

नई औद्योगिक नीति को कार्यान्वित करना

[हिन्दी]

2206. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई औद्योगिक नीति को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या जिला औद्योगिक केन्द्रों के मामले में भी पंजीकरण से सम्बन्धित नई नीति कार्यान्वित की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कबसे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) नई औद्योगिक नीति के अनुसार अनिवार्य लाइसेंसीकरण में न आने वाली वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्यमी को उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में निर्धारित फार्म में सिर्फ एक ज्ञापन देना होता है । परन्तु छोटे/सहायक एकक सम्बन्धित राज्य सरकार(रों) के उद्योग निदेशालय के पास स्वयं को पंजीकृत कराते रहेंगे ।

स्ववित्त पोषण योजना के आवासों के लिए आबंटन की प्रक्रिया

[अनुवाद]

2307. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत आवास आबंटित करने और किश्तें प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है;

(ख) स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत आवासों को रद्द करने और पुन: बहाल करने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) विभिन्न कालोनियों में स्ववित्त पोषण योजना के कितने आवास रद्द किए गए हैं उनका कालोनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी विषमतायें होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) स्व: वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत फ्लैट का नियतन, प्रत्येक योजना में पंजीकृतों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए तथा स्व-वित्त पोषित फ्लैटों के नियतन के लिए पंजीकृतों द्वारा आवेदन पत्रों में इंगित कालोनी की पसन्द के आधार पर फ्लैटों की प्रत्येक अलग रिलीज के लिए लाटरी के द्वारा किया जाता है ।

सफल पंजीकृतों को भुगतान करने और उनकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मांग तथा नियतन पत्र जारी किये जाते हैं ।

फ्लैटों को पूरा हो जाने के पश्चात उन आबंटियों पर फ्लैटों के विशिष्ठ नियतन हेतु विचार किया जाता है जिन्होंने भुगतान कर दिया है और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं ।

(ख) आबंटियों द्वारा समय पर किस्तों का भुगतान न करने और निर्धारित प्रावधानों/औपचारिकताओं का पालन न करने के कारण आबंटन निरस्त किये जाते है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आबंटन की पुन: बहाली के लिए प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता हैं। तथापि, सामान्य अवस्था में, आबंटी द्वारा पांचवीं तथा अन्तिम किस्त का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर करने में विफल रहने के मामले में आबंटन पुन: बहाल नहीं किया जा सकता।

(ग) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिविल सेवाओं में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की वरीयता

2208. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे अभ्यार्थियों के लिए क्या विकल्प है जो सिविल सेवा परीक्षाओं में पहले ही उत्तीर्ण हो चुके हैं, लेकिन आगामी वर्ष की परीक्षा में अपनी स्थिति में सुधार करना चाहते हैं;

(ख) क्या सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 1990 में बैठे उम्मीदवारों को भी यह विकल्प प्राप्त होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परिवीक्षाधीन अधिकारियों की वरीयता किस आधार पर निर्धारित की जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) किसी ऐसे परिवीक्षाधीन, जिसे अगली सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा प्रशिक्षण में भाग न लेने की अनुमति दे दी गई हैं, को वरिष्ठता निर्धारण में कोई नुकसान नहीं होगा।

विवरण

सिविल सेवा परीक्षा के नियम 4 के दूसरे परन्तुक में दिये गए उपबन्धों के अनुसार ऐसा कोई उम्मीदवार जिसे पूर्व परीक्षा के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "क" में आबंटित किया हो अगली परीक्षा में बैठ सकता है यदि वह अन्यथा पात्र है तो प्रशिक्षण में प्रवेश न लेने की अनुमति लेकर परीक्षा में बैठ सकता हैं। ऐसा उम्मीदवार अगली परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के साथ प्रशिक्षण में प्रवेश लेगा। यदि वह अगली परीक्षा में भी सफल हो जाता है तो वह नियम 17 के परन्तुक में दिए गए उपबन्धों के अध्यधीन किसी सेवा में आवंटन का पात्र है। उस स्थिति में उसे अगली परीक्षा के आधार पर पहले से ही आबंटित सेवा में बने रहने का विकल्प होगा। ये उपबन्ध वर्ष 1990 की परीक्षा के सफल उम्मीदवारों पर भी लागू होंगे।

2. उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 13-9-91 के निर्णय सी० ए० संख्या 5439-52/90 मोहन कुमार सिंघानिया तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य में ऊपर उल्लिखित उपबन्धों की वैधता को कायम रखा है।

आवासीय भवनों को वाणिज्यिक केन्द्रों में बदला जाना

2209. **डा० सी० सिलबेरा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में डिफेंस कालोनी और दिल्ली के अन्य क्षेत्र में वाणिज्यिक केन्द्रों में बदले गये काफी संख्या में आवासीय भवनों को सील कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सम्पत्तियों को सील किए जाने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का इसी आधार पर ऐसे और अधिक भवनों को भी सील करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ऐसे अवैध भवनों के निर्माण के समय कोई कार्यवाही नहीं करती है;

(च) यदि हां, तो उसके कारण क्या है; और

(छ) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे अवैध वाणिज्यिक केन्द्रों के निर्माण के लिए फील्ड कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, हां। 1 जनवरी, 1991 से अब तक सील किए गए कुल 165 भवनों में से 12 भवन डिफेंस कालोनी क्षेत्र में स्थित हैं। अनधिकृत निर्माण; स्वीकृत भवन-निर्माण योजना का संयोजनीय सीमा से अधिक उल्लंघन; तथा रिहायशी भवनों को वाणिज्यिक परिसरों में रूपांतरित करने के कारण इन संपत्तियों को दिल्ली नगर निगम द्वारा सील किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) निर्माण के दौरान भी दिल्ली नगर निगम अधिनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जाती है।

(छ) फील्ड कर्मचारियों की ओर से कोई चूक होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

रुग्ण मत्स्य एककों को अर्थक्षम बनाना

2210. **श्री के० वी० तंगकाबालू** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण मत्स्य एककों ने अपनी स्थिति अर्थक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान वस्तुतः ऐसे कितने एककों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) क्या शिपिंग क्रैडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड ने जितनी कार्यकारी पूंजी लगाने का वायदा किया था उसे दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी से जिन 52 रुग्ण मात्स्यिकी कम्पनियों ने पहले ऋण लिया था अब

पुनर्स्थापन स्कीम के अन्तर्गत सहायता के लिए शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को आवेदन किया है। इन 52 प्रस्तावों में से प्राप्त हुए 20 प्रस्ताव अधूरे हैं।

(ग) 52 प्रस्तावों में से 30 प्रस्ताव जो सभी प्रकार से पूर्ण हैं, चालू वित्तीय वर्ष में पुनर्स्थापन के लिए मंजूर कर लिये गये हैं। इन कम्पनियों को अभी ऋण के कागजातों की औपचारिकता पूरी करनी है।

(घ) और (ङ) शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि पुनर्स्थापन सहायता के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी की सुविधा का वायदा नहीं किया गया है।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण

2211. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने में अवैध कब्जा तथा उस पर अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। अतिक्रमण तथा अनधिकृत निर्माण एक सतत समस्या है।

(ख) और (ग) सम्बन्धित विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी बचत की प्रवृत्ति

2212. **श्री रवि राय** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में सरकारी बचत को निरुत्साहित करने वाली गड़बड़ियों पर योजना आयोग ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जैसाकि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में बताया गया है कि 1985-86 में सरकार की बचतें सकल घरेलू उत्पाद का 0.04% से गिरकर वर्ष 1989-90 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.74% हो गयी। यह एक चिंता का विषय है।

(ग) सरकार की अबचतों को कम करने हेतु वर्ष 1991-92 के केन्द्रीय बजट में प्राप्तियों में सुधार लाने तथा व्यय को कम करने के लिए अनेक सुधारों को अपनाया गया है। इसमें शामिल है :—

(i) गैर-योजना व्यय में विशेष कटौती द्वारा सरकारी व्यय में और अधिक किफायत;

(ii) निर्यात के लिए नकद प्रतिपूरक सहायता को समाप्त करना;

(iii) इमदादों में कटौती;

(iv) रक्षा व्यय में बचत;

(v) मोटर स्पिरिट, घरेलू एल० पी० जी० तथा एविएशन टर्बाइन ईंधन की कीमतों में वृद्धि; तथा

(v) कर दरों को परिवर्तित करके अतिरिक्त संसाधन जुटाना।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति

2213. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति तैयार करने और उसे लागू करने की अत्यन्त आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का शहरी परिवहन प्रणाली में व्यापक संशोधन करने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु योजना तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) शहरी परिवहन के क्षेत्र में भारत सरकार का सीधा उत्तरदायित्व बिना विधान सभा वाले संघ राज्य-क्षेत्रों तक समिति है। दिल्ली में शहरी परिवहन प्रणाली के सुधार हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन फिलहाल, एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार प्रत्येक शहरी केन्द्र के स्वरूप और आवश्यकता पर निर्भर करते हुए स्थान विशेष के अनुसार किया जाना है।

भौमिकी और पर्यावरण प्रबन्ध विषयक संगोष्ठी

2214. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भौमिकी और पर्यावरण प्रबन्ध विषय पर अक्तूबर, 1991 में एक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगोष्ठी में हुई मुख्य चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़े जलाशयों के नजदीक भूमि के दबाव पर और जल के बहाव पर निगरानी रख कर वहां आने वाले भूकम्प के बारे में पूर्व जानकारी प्राप्त करना सम्भव पाया गया है;

(घ) क्या समतल और पर्वतीय क्षेत्रों में भी भूकम्प की पूर्व जानकारी पाना सम्भव हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) पारिस्थितिक तलावचन, पर्यावरणीय प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण, हिमाचल क्षेत्र में भूकम्पीय खतरे, भूमि उपयोग को प्रभावी आयोजना, मृदाक्षरण एवं भूमिगत जल प्रबन्ध से सम्बन्धित मुद्दों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में भू-वैज्ञानिकों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अब तक संसार में कहीं भी भूकम्पों का पूर्वानुमान लगाने वाली कोई भी वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है।

बेरोजगारी की समस्या

[हिन्दी]

2215. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :**

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रोजगार कार्यालयों में राज्यवार इन्जीनियर्स, डाक्टर, डिप्लोमाधारी, स्नातकोत्तर, स्नातक, अशिक्षित कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज किए गए;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यवार ऐसे कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(ग) बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) और (ख) वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना संलगन विवरण I से VI में दी गई है। यह अनिवार्य नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

(ग) बेरोजगारी को सुलझाने के लिए सामान्य दृष्टिकोण विकास की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार सृजित करना है जिसकी अनुपूर्ति विशेष रोजगार कार्यक्रमों, जैसे शहरी ग्रामीणों के लिए स्व: रोजगार कार्यक्रम (सेपप) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व: रोजगार प्रदान करने की योजना (एस० ई० ई० यू० वाई०) नेहरू रोजगार योजना (एन० आर० वाई०) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) द्वारा की जाती है। रोजगार आठवीं पंचवर्षीय योजना का केन्द्रीय लक्ष्य भी है।

विवरण-I

वर्ष 1987 के अन्त में देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(आंकड़े हजारों में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31-12-87 को चालू + + रजिस्टर पर संख्या					
		इन्जीनियर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डाक्टर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डिप्लोमाधारी +	स्नातकोत्तर	स्नातक (स्नातकोत्तरों *को छोड़कर)*	अशिक्षित (अनपढ़ों सहित मैट्रिक से नीचे)
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य							
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.3	4.2	40.2	22.6	200.1	1275.6
2.	अरुणाचल प्रदेश × ×	—	—	—	—	—	—
3.	असम	0.6	0.1	1.9	4.2	57.1	383.0
4.	बिहार	2.5	1.4	16.0	4.5	230.9	1202.3
5.	गोवा	0.1	0.2	0.8	0.4	6.4	34.0
6.	गुजरात	2.6	0.7	5.3	7.6	51 9	324.2

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हरियाणा	0.5	0.9	3.7	5.3	41.2	294.4
8.	हिमाचल प्रदेश	0.6	0.3	1.1	6.1	20.5	133.4
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.6	@	1.0	3.2	11.6	81
10.	कर्नाटक	8.8	0.8	16.8	9.5	91.6	409.5
11.	केरल	5.2	1.8	15.8	13.7	113.8	1273.5
12.	मध्य प्रदेश	4.5	1.3	10.8	39.2	148.8	742.1
13.	महाराष्ट्र	3.7	3.9	16.3	21.1	156.0	1108.8
14.	मनीपुर	0.9	0.1	1.8	1.9	27.0	125.3
15.	मेघालय	@	@	0.1	0.1	1.1	10.3
16.	मिजोरम	@	—	—	0.2	1.3	27.4
17.	नागालैंड	@	—	1.3	0.1	0.6	12.1
18.	उड़ीसा	1.7	1.1	3.8	8.1	94.5	366.8
19.	पंजाब	0.4	0.3	4.1	10.5	63.3	303.4
20.	राजस्थान	1.9	1.0	3.2	14.2	100.2	378.8
21.	सिक्किम*						
22.	तमिलनाडु	5.2	2.4	33.4	48.3	182.2	1182.1
23.	त्रिपुरा	@	@	0.1	0.3	6.3	70.8
24.	उत्तर प्रदेश	2.3	1.7	35.6	67.8	348.8	1209.4

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	पश्चिम बंगाल	2.4	2.6	20.6	23.4	411.0	2237.3
	संघ शासित प्रदेश						
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.1	@	0.1	0.1	0.9	11.6
2.	चण्डीगढ़	0.4	0.7	—	2.0	17.7	92.5
3.	दादर व नगर हवेली × ×						
4.	दिल्ली	2.3	4.0	13.8	14.7	93.8	200.2
5.	दमन और द्वीव**						
6.	लक्षद्वीप	—	@	—	@	@	5.5
7.	पांडिचेरी	0.3	0.3	0.6	4.4	6.2	44.1
	केन्द्रीय रोजगार कार्यालय योग	57.0	29.7	248.2	330.4	2488.7	13511.9

टिप्पणी :—1. × इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. × × आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

3. + इन्जीनियरी/प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित हैं।

4. @ 50 से कम आंकड़े।

5. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

6. * डाक्टर और इन्जीनियर शामिल हैं।

7. ** यह अनिवार्य नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी नौकरी चाहने वाले व्यक्ति बेरोजगार हों।

विवरण-II

वर्ष 1988 के अन्त में देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(आंकड़े हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	31-12-88 को चालू रजिस्टर पर संख्या + +					
	इन्जीनियर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डाक्टर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डिप्लोमाधारी +	स्नातकोत्तर	स्नातक (स्नातकोत्तरों* को छोड़कर)*	अशिक्षित (अनपढ़ों सहित मैट्रिक से नीचे)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1. आंध्र प्रदेश	9.9	3.0	40.5	20.2	201.8	1181.1
2. अरुणाचल प्रदेश	—	××	××	××	0.1	4.3
3. असम	0.4	0.1	2.6	4.1	53.3	434.8
4. बिहार	1.9	1.4	14.9	5.6	265.5	1026.8
5. गोवा	0.2	0.2	0.7	0.3	4.7	31.5
6. गुजरात	3.5	0.7	6.2	6.5	51 8	353.0
7. हरियाणा	0.6	0.7	4.5	6.2	47.7	263.5

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	0.5	0.2	1.1	7.5	22.3	136.5
9.	जम्मू और कश्मीर	0.3	××	0.7	3.6	10.8	82.2
10.	कर्नाटक	10.2	0.8	19.0	10.5	94.6	419.3
11.	केरल	5.6	1.4	15.8	16.7	105.8	1188.6
12.	मध्य प्रदेश	2.6	1.1	11.8	39.0	154.8	671.9
13.	महाराष्ट्र	4.8	3.8	20.1	22.5	174.4	1036.5
14.	मणीपुर	0.9	0.1	2.2	2.5	20.5	106.3
15.	मेघालय	××	××	0.1	0.1	1.3	11.0
16.	मिजोरम	××	××	—	0.2	1.3	27.4
17.	नागालैण्ड	××	—	1.8	0.1	1.1	12.1
18.	उड़ीसा	1.5	1.2	5.0	8.8	93.0	315.3
19.	पंजाब	0.4	0.2	4.3	10.2	60.8	278.0
20.	राजस्थान	2.4	1.2	4.9	16.7	107.5	384.7
21.	सिक्किम*						
22.	तमिलनाडु	6.7	1.9	47.6	50.2	198.9	1144.4
23.	त्रिपुरा	××	××	0.1	0.3	6.3	88.9
24.	उत्तर प्रदेश	2.3	1.5	45.6	76.5	369.4	1080.6
25.	पश्चिम बंगाल	3.2	2.6	19.1	26.6	390.4	1949.9

13 अग्रहायण, 1913 (शक)

1	2	3	4	5	6	7	8
	संघ शासित प्रदेश						
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.1	××	0.1	0.1	0.9	10.7
2.	चण्डीगढ़	0.4	0.7	—	2.0	15.5	54.4
3.	दादर एवं नगर हवेली	××	××	××	××	0.2	0.6
4.	दिल्ली	4.8	4 1	28.9	14.0	92.6	191.0
5.	दमन और द्वीप**						
6.	लक्षद्वीप	—	××	—	××	××	6.1
7.	पांडिचेरी	0.2	0.3	0.9	1.2	6.9	45.9
	केन्द्रीय रोजगार कार्यालय योग :	63.5	27.3	298.5	352.2	2557.0	12538.4

टिप्पणी : 1. × इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ×× आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

3. + इन्जीनियरी/प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित हैं।

4. @ 50 से कम आंकड़े।

5. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

6. * डाक्टर और इन्जीनियर शामिल हैं।

7. ** यह अनिवार्य नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में दर्ज सभी नौकरी चाहने वाले बेरोजगार हों।

विवरण-III

वर्ष 1989 के अन्त में देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टार पर दर्ज नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(आंकड़े हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	31-12-1989 को चालू राजिस्टर पर संख्य + +					
	इंजीनियर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डाक्टर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डिप्लोमाधारी	स्नातकोत्तर	स्नातक (स्नातकोत्तरों* को छोड़कर)*	अशिक्षित (अनपढ़ों सहित मैट्रिक से नीचे)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1. आन्ध्र प्रदेश	9.2	2.5	43.0	15.8	215.6	1178.2
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	@	@	0.1	4.7
3. असम	0.9	0.2	3.2	4.2	60.7	454.5
4. बिहार	3.4	1.3	23.4	13.7	297.1	1203.7
5. गोवा	0.2	0.2	0.8	0.4	6.3	22.2
6. गुजरात	4.2	0.6	6.4	7.0	57.5	369.0
7. हरियाणा	0.5	0 9	4.1	7.0	46.7	273.3
8. हिमाचल प्रदेश	0.6	0.2	1.4	11.3	25.0	141.9

1	2	3	4	5	6	7
9. जम्मू और कश्मीर	0.3	@	0.7	3.6	12.1	74.2
10. कर्नाटक	12.2	0.8	24.3	11.9	106 4	478.8
11. केरल	8.5	2.2	17.9	25.6	119.7	1250 6
12. मध्य प्रदेश	4.3	0.7	12.9	42.8	174.6	738 9
13. महाराष्ट्र	6 2	3.8	85.0	22.4	197.8	1054.8
14. मणिपुर	0.4	0.1	2.6	2.6	21.9	108.2
15. मेघालय	@	@	0.1	0.1	1.5	12.7
16 मिजोरम	@	@	—	0.1	1.4	31.0
17. नागालैंड	@	@	2.3	0.1	1.3	11.6
18. उड़ीसा	2.5	1.4	6.1	6 2	106.6	363.1
19. पंजाब	0.4	0.3	4.2	11.5	63.9	268.5
20. राजस्थान	3.4	1.9	5.4	16.4	120.5	381.7
21. सिक्किम*						
22. तमिलनाडु	9 6	3.7	48.0	40.6	236.7	1459.7
23. त्रिपुरा	@	@	0.1	0.3	6.3	101.2
24. उत्तर प्रदेश	2.7	1.3	39.2	82.9	413.5	1094.3
25. पश्चिम बंगाल	8.7	3.4	21.5	29.7	426.4	2173.8

1	2	3	4	5	6	7
संघ शासित प्रदेश						
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.1		0.1	0.2	1.4	7.6
2. चण्डीगढ़	0.4	0.7	—	2.5	19.4	69.8
3. दादर और नागर हवेली	@	@	@	@	0.2	0.9
4. दिल्ली	0 8	4.0	14.5	16.9	101.8	254.9
5. दमण और दीव**						
6. लक्षद्वीप	—	@	—	@	@	3.3
7. पांडिचेरी	0.4	0.4	1.2	1.3	7.6	50.1
केन्द्रीय रोजगार कार्यालय						
योग	80.2	30.9	368.6	377.5	2849.7	13628.9

टिप्पणी : 1. × कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ×× आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

3. + इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित हैं।

4. @ 50 से कम आंकड़े।

5. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

6. * डाक्टर और इंजीनियर शामिल हैं।

7. ** यह अनिवार्य नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में दर्ज सभी नौकरी चाहने वाले व्यक्ति बेरोजगार हों।

विवरण-IV

वर्ष 1987 के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार में लगाए गए नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(आंकड़े हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1987 के दौरान रोजगार में लगाए गये व्यक्तियों की संख्या					
	इन्जीनियर (स्नात्कोत्तरों सहित स्नातक)	डाक्टर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डिप्लोमाधारी	स्नातकोत्तर	स्नातक (स्नातकोत्तरों* को छोड़कर)*	अशिक्षित (अनपढ़ो सहित मेट्रिक से नीचे)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1. आन्ध्र प्रदेश	1	@	6	1	21	151
2. अरुणाचल प्रदेश						
3. असम	@	@	@	1	3	43
4. बिहार	@	@	2	—	2	176
5. गोवा	@	—	@	@	1	5
6. गुजरात	1	@	3	2	12	46
7. हरियाणा	@	@	1	1	12	98
8. हिमाचल प्रदेश	@	@	1	2	7	34

1	2	3	4	5	6	7
9. जम्मू एण्ड कशमीर	@	—	@1	1	@	20
10. कर्नाटक	@	@	5	@	3	54
11. केरल	2	1	3	3	24	12
12. मध्य प्रदेश	@	@	2	3	13	153
13. महाराष्ट्र	1	1	5	4	22	139
14. मणीपुर	—	—	1	—	1	—
15. मेघालय	—	—	@	@	@	1
16. मिजोरम	@	@	—	@	2	7
17. नागालैंड	@	—	1	—	@	2
18. उड़ीसा	@	@	1	1	17	51
19. पंजाब	@	@	@	1	5	57
20. राजस्थान	2	@	@	6	55	57
21. सिक्किम	—	—	—	—	—	—
22. तमिलनाडु	3	@	11	10	50	241
23. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	20
24. उत्तर प्रदेश	1	@	2	4	19	206
25. पश्चिम बंगाल	@	@	2	2	15	61

1	2	3	4	5	6	7
20. संघ शासित क्षेत्र						
1. अंडमान एण्ड नीकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	10
2. चण्डीगढ़	@	1	—	1	3	100
3. दादर एण्ड नागर हवेली						
4. दिल्ली	@	2	1	6	22	373
5. दमन एण्ड द्वीप**	—	—	—	—	—	—
6. लक्षद्वीप	—	@	@	—	—	@
7. पांडिचेरी	—	—	—	@	@	2
योग=	12	7	47	48	312	2023

टिप्पणी :—1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ** आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

3. + इन्जीनियरी/प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित हैं।

4. @ 50 से कम आंकड़े।

5. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

6. + डाक्टर और इन्जीनियर शामिल हैं।

विवरण-V

वर्ष 1988 के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार में लगाए गए नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(आंकड़े हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1988 के दौरान रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या					
	इंजीनियर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डाक्टर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डिप्लोमाधारी	स्नातकोत्तर	स्नातक (स्नातकोत्तरों को छोड़कर)*	अशिक्षित (अनपढ़ों सहित मैट्रिक से नीचे)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1. आन्ध्र प्रदेश	4	1	7	1	18	139
2. अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
3. असम	**	**	1	**	5	48
4. बिहार	—	**	**	**	4	154
5. गोवा	**	**	2	**	2	10
6. गुजरात	5	**	9	2	15	29

1	2	3	4	5	6	7
7. हरियाणा	**	**	1	2	9	74
8. हिमाचल	**	**	1	9	9	26
9. जम्मू कश्मीर	**	**	**	1	1	11
10. कर्नाटक	1	**	3	1	7	54
11. केरल	1	1	4	3	36	21
12. मध्य प्रदेश	**	**	3	3	12	177
13. महाराष्ट्र	**	1	3	3	24	90
14. मणिपुर	—	**	2	**	1	—
15. मेघालय	—	—	**	**	**	2
16. मिजोरम	**	**	—	**	2	10
17. नागालैंड	**	—	1	—	**	2
18. उड़ीसा	**	**	2	1	16	26
19. पंजाब	**	—	1	1	8	60
20. राजस्थान	2	1	1	4	52	31
21. सिक्किम*						
22. तमिलनाडु	6	**	14	12	66	235
23. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	17
24. उत्तर प्रदेश	1	**	3	6	29	207
25. पश्चिम बंगाल	**	**	2	2	18	79

1	2	3	4	5	6	7
26. संघ शासित प्रदेश						
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	14
2. चंडीगढ़	**	1	—	1	2	8
3. दादरा व नगर हवेली	**	—	**	**	**	**
4. दिल्ली	**	2	3	7	20	281
5. दमन और दीव**						
6. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	**
7. पांडिचेरी	1	—	2	**	3	7
योग	24	9	65	53	362	2815

टिप्पणी :—1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते।

3. +इंजिनियरिंग व प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित है।

4. **50 से कम आंकड़े।

5. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

6. *डाक्टर व इंजिनियर शामिल हैं।

विवरण-VI

वर्ष 1989 के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार में लगाए गए नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या

(आंकड़े हजारों में)

राज्य/संघ शासित राज्य	1989 के दौरान रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या					
	इंजीनियर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक	डाक्टर (स्नातकोत्तरों सहित स्नातक)	डिप्लोमाधारी	स्नातकोत्तर	स्नातक (स्नातकोत्तरों *को छोड़कर)	अशिक्षित (अनपढ़ों सहित मैट्रिक से नीचे)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1. आन्ध्र प्रदेश	2	@	8	1	6.3	173
2. अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	—
3. असम	@	@	@	@	6	35
4. बिहार	0	0	3	@	3	113
5. गोवा	@	@	@	@	1	1
6. गुजरात	2	@	4	1	13	45
7. हरियाणा	@	1	@	1	8	41
8. हिमाचल प्रदेश	1	0	1	4	9	26

1	2	3	4	5	6	7
9. जम्मू और कश्मीर	@	0	0	@	@	3
10. कर्नाटक	1	1	2	1	7	49
11. केरल	1	3	3	10	33	18
12. मध्य प्रदेश	@	@	2	2	12	199
13. महाराष्ट्र	1	1	3	4	32	95
14. मणिपुर	@	@	@	@	3	—
15. मेघालय	0	0	@	@	@	2
16. मिजोरम	@	1	0	@	3	2
17. नागालैंड	0	0	@	@	@	—
18. उड़ीसा	@	@	2	@	14	43
19. पंजाब	@	—	@	1	11	—
20. राजस्थान	@	1	2	2	37	9
21. सिक्किम*						
22. तमिलनाडु	4	1	9	5	65	243
23. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	11
24. उत्तर प्रदेश	3	@	3	6	24	169
25. पश्चिम बंगाल	1	0	1	2	21	55

1	2	3	4	5	6	7
संघ शासित प्रदेश						
1. अंडमान और निकोबार दीपसमूह	@	@	@	@	3	1
2. चण्डीगढ़	@	1	—	1	4	7
3. दादर और नागर हवेली	0	0	—	@	@	@
4. दिल्ली	@	@	1	2	20	161
5. दमन और दीव**						
6. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	2
7. पांडिचेरी	@	@	1	@	1	7
योग :	17	11	47	45	397	1514

टिप्पणी : 1. * कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ** आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

3. + इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित हैं।

4. @ 50 से कम आंकड़े।

5. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

6. * डाक्टर और इंजीनियर शामिल हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में संयुक्त उद्यम

[अनुवाद]

2216. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने के सम्बन्ध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनाओं में संयुक्त उद्यमों के लिए विशिष्ट रूप से मानदण्ड निर्धारित नहीं करती। परन्तु, सरकार द्वारा 1986 तथा बाद में मार्च 1991 में घोषित गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीतियों में विदेशी मात्स्यिकी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम करने/भारतीय समुद्र में चलाने के लिए विदेशी मात्स्यिकी जलयानों को पट्टे पर लेने और परीक्षण मात्स्यिकी की स्वीकृति दी गई है। संयुक्त उद्यमों के लिए कुल 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 5 प्रस्तावों को मन्जूर कर लिया गया है। अन्य प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

गुजरात में विकास केन्द्र

[हिन्दी]

2217. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कितने विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं और कितनों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या स्थापित किए गए विकास केन्द्रों को सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्रत्येक विकास केन्द्र को शेष सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना के तहत गुजरात को तीन केन्द्र आवंटित किए गए हैं। गुजरात सरकार ने विकास केन्द्रों के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट मूल्यांकन हेतु भेजी हैं। योजना के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन करने के पश्चात ही केन्द्रीय सहायता का अंश जारी किया जाता है।

आवास समितियों द्वारा आवंटित भूमि को बेचा जाना

[अनुवाद]

2218. श्री जनार्दन मिश्र : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कुछ आवास समितियों ने, जिन्हें भूमि आवंटित की गई थी, सारी भूमि को कालानाइजरों को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने अब तक ऐसी समितियों के बारे में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आवास पर राष्ट्रीय सेमिनार

2219. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 29 सितम्बर, 1991 को आवास पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान आवास नीति तथा आवास विकास को नियंत्रित करने वाले कानून की किन खामियों का सेमिनार में उल्लेख किया गया; और

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 29 सितम्बर, 1991 को नई दिल्ली में आवास सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने की सूचना नहीं मिली है। तथापि, सितम्बर, 1991 के अन्तिम सप्ताह में नई दिल्ली में दो गैर-सरकारी निकायों द्वारा निम्नलिखित कार्यशाला/सेमिनार आयोजित करने की सूचना मिली है :—

1. सोशियो-इकोनोमिक रिसर्च फाउन्डेशन, नई दिल्ली द्वारा 25-27 सितम्बर, 1991 को आयोजित आवास आवश्यकताएं, वित्त, कानून तथा नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय अधिवेशन ।
2. नेशनल कैपेन फारहाउसिंग राइट्स द्वारा 24-25 सितम्बर, 1991 को आयोजित भारत में संरचनात्मक समाधान नीतियों तथा रहन-सहन की दशा पर कार्यशाला ।

(ख) और (ग) सरकार को सेमिनारों की कार्यवाहियां अथवा सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार ने आवास की सप्लाई बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आवास नीति के मसौदे के एक तथा अन्य पूर्ववर्ती प्रयासों के रूप में, अनेक उपाय आरम्भ किए हैं।

इसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(I) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन निर्धनों तथा कारीगरों के लिए मकानों के निर्माण हेतु निर्धारित परिव्यय; केन्द्र द्वारा प्रवर्तित इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त किए गए बन्धक मजदूरों को निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना; नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय योजना के माध्यम से शहरी निर्धनों के लिए रैनबसेरों का निर्माण तथा आश्रय उन्नयन ।

(II) आवास में और अधिक संसाधनों के चैनलीकरण तथा आवास वित्त संस्थानों के पुनः वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रयास ।

(III) आवास हेतु बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम से संसाधनों की अधिक आपूर्ति ।

(IV) निर्धनों की आश्रम आवश्यकतायें पूरी करने तथा शहरी आधारभूत सेवाओं हेतु हुडको के

कार्यक्षेत्र का विस्तार।

(V) कम लागत की भवन-निर्माण सामग्रियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, तथा प्रौद्योगिकी अन्तरण और श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु निर्मित केन्द्रों की स्थापना।

(VI) आवास में व्यक्तिगत निवेश को प्रोत्साहित करने तथा आवास वित्त संस्थानों द्वारा और अधिक निधियां उपलब्ध कराने हेतु कर लाभ का विस्तार।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

2220. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु कितने आशय पत्र जारी किए गए जिनके लिए नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं है; और

(ख) प्रति वर्ष उत्पादित सामान के मूल्य के रूप में इनका कुल उत्पादन कितना है तथा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया गया?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो पी० जे० कुरियन) : (क) वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नई औद्योगिक लाइसेन्स नीति की घोषणा से पहले स्वीकृत आशय पत्रों की संख्या के अनुसूचित उद्योग-वार ब्यौरे की समेकित सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इसमें उन उद्योगों के आशय पत्र भी शामिल हैं जिन्हें अब लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

स्वीकृत सभी आशय पत्रों के नाम तथा उपक्रम का पता, स्थापना स्थल, विनिर्माण की मद (दें) तथा क्षमता जैसे विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मासिक समाचार पत्र" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जा रही हैं।

केन्द्र सरकार ने नयी औद्योगिक नीति की अधिसूचना सं० का० आ० 477(ई) के तहत 25 जुलाई, 1991 की घोषणा की थी। इस अधिसूचना के अनुसार, अनुसूची-1 औ अनुसूची-2 में उल्लिखित उद्योगों, जिनके लिए लाइसेंस अनिवार्य है, के अतिरिक्त उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ख) आशय पत्र को स्वीकृति की आरम्भिक वैधता तीन वर्ष होती है। वैधता अवधि के भीतर अपनी शर्तें पूरी कर लेने पर आशय पत्र औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित हो जाता है। औद्योगिक लाइसेंस की आरम्भिक वैधता अवधि दो वर्ष होती है, जिसके भीतर उद्यमी से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की आशा की जाती है। तथापि, आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता अवधि बढ़ाने की स्वीकृति सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा न्यायोचित आधार पर की जाती है। जबकि किसी परियोजना की परिपक्वता अवधि उद्योग-दर-उद्योग अलग-अलग होती है, लेकिन सामान्यतः इसमें एक औद्योगिक परियोजना को उत्पादन शुरू करने में चार से पांच वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार इस स्थिति में, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत आशय पत्रों में सम्मिलित कुल वास्तविक उत्पादन, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, विभिन्न प्रकार के विनिर्मित उत्पादों की मात्रा बताना संभव नहीं है।

विवरण

वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान स्वीकृत आशय पत्रों का अनुसूचित उद्योग-वार ब्यौरे का विवरण

अनुसूचित उद्योग		1988	1989	1990
1.	धातुकर्मी उद्योग	130	141	112
2.	ईंधन	3	2	1
3.	बायलर तथा भाप उत्पादक संयंत्र	3	1	—
4.	प्रणोद मूवर्स (इलैक्ट्रिक जनरेटर के अलावा)	2	5	1
5.	वैद्युत उपकरण	175	151	136
6.	दूरसंचार	58	47	15
7.	परिवहन	15	19	9
8.	औद्योगिक मशीनें	19	18	16
9.	मशीनी औजार	5	5	5
10.	कृषि मशीनें	—	—	1
11.	अर्थ मूविंग मशीनें	3	1	2
12.	विविध यांत्रिक तथा इन्जीनियरिंग उद्योग	28	18	13
13.	वाणिज्यिक, कार्यालयों के तथा घरेलू उपकरण	9	7	5
14.	चिकित्सकीय व शल्यचिकित्सकीय उपकरण	12	19	1
15.	औद्योगिक औजार	5	5	4
16.	वैज्ञानिक औजार	1	1	2
17.	गणितीय सर्वेक्षण एवं रेखाचित्र सम्बन्धी औजार	—	—	—
18.	उर्वरक	4	1	—
19.	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	163	222	155
20.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्में व कागज	1	1	—
21.	रंग सामग्री	1	1	—

1	2	3	4	5
22.	औषधि तथा भेषज	41	59	36
23.	वस्त्र (रंगी, छपी अथवा प्रसंस्कृत वस्त्रों सहित)	75	82	82
24.	कागज उत्पादों सहित कागज और लुगदी	7	5	8
25.	चीनी	61	87	72
26.	फरमैंटेशन उद्योग	10	31	17
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	47	35	32
28.	खाद्य तेल तथा वनस्पति	33	47	13
29.	साबुन, कास्मेटिक और टायलेट सम्बन्धी सामग्री	1	—	2
30.	रबड़ का सामान	96	76	5
31.	चमड़ा, चमड़े का सामान और पिकर्स	32	43	49
32.	गत्ता तथा सिलेटिन	2	—	—
33.	कांच	—	5	3
34.	सिरेमिक्स	3	—	6
35.	सीमेंट और जिप्स उत्पाद	10	15	10
36.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	18	9	3
37.	रबड़ उद्योग	—	—	—
38.	विविध उद्योग	10	23	9
	योग :	1083	1182	825

ईंधन की कम खपत करने वाली छोटी कारों का निर्माण

2221. श्री अचल कुमार पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन की कम खपत करने वाली छोटी कार जिनकी इंजन की क्षमता 800 सी० सी० से अधिक न हो, के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्ध में भारतीय निर्माताओं से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो ०पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) यात्री कारों की घरेलू बाजार में सम्भावित मांग और पहले से सृजित क्षमता को देखते हुए, इस क्षेत्र में इस समय किसी नई क्षमता की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

केरल में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता

2222.. **श्री टी० जे० अन्जलोज** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू योजना में केरल में औद्योगिक विकास के लिए और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) राज्यों को वित्तीय सहायता राज्य योजनाओं का वित्त-पोषण ब्लाक ऋण और अनुदानों के रूप में करने हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती है । न कि स्कीमवार आधार पर । 1991-92 के लिए केरल राज्य योजना हेतु सामान्य सकल केन्द्रीय सहायता 301.00 करोड़ रु० के लिए अनुमोदित थी इसमें बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें शामिल नहीं हैं । ग्राम और लघु उद्योगों सहित वर्ष 1991-92 के लिए राज्य के औद्योगिक सैक्टर का अनुमोदित परिव्यय 84.15 करोड़ रु० है । सरकार केरल में औद्योगिक विकास हेतु चालू योजना (1991-92) में और अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है ।

केरल के लिए विकास योजनाएं

2223. **श्री टी० जे० अंजलोज** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा केरल राज्य के लिए मन्जूर की गई विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा केरल के लिये स्वीकृत विकास स्कीमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं ।

	स्कीम का नाम	स्वीकृति की तारीख
1.	चिमोनी सिंचाई स्कीम	7-3-91
2.	पोरिंगलकुथू एल० बैंक एक्सटेंशन एच०ई०पी० (1 × 16 मेगावाट)	9-5-89
3.	वझीकडवू डाइवरशन स्कीम	30-5-89
4	कुट्टियाडी तेलरेस स्कीम (2 × 1.25 मेगावाट)	30-5-89
5.	अनक्कायम एच०ई०पी० (8 मेगावाट)	26-2-91

सहायक उद्योगों को बढ़ावा देना

2224. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगपतियों को अपने मुख्य एककों के साथ सम्बद्ध सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कुछ गांवों को अपनाने के लिए उनसे सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के सन्दर्भ में 22 अगस्त, 1988 का राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3224 और तारीख 26 मार्च, 1990 को राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 199 के उत्तर में कहा गया था कि सरकार ने उद्योगपतियों की एक बैठक बुलाई थी। उद्योगपतियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे विचारार्थ विशेष प्रस्ताव रखें।

कुछ उद्योगपतियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें बहुत सीमित सम्भावना थी और इनमें कुछ प्रोत्साहनों की शर्तें भी जुड़ी थी। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नई दिल्ली में जनपथ क्षेत्र में खाली पड़े भूखण्ड

2225. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली, जनपथ क्षेत्र में कई वर्षों से खाली पड़े भूखण्डों के बारे में कोई विधिक नियम विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जहां तक भूमि और विकास कार्यालय द्वारा पट्टे पर दिए गए भूखण्डों का सम्बन्ध है, आबंटन पत्रों/करार के ज्ञापन में यह अनुबद्ध करते हुए एक प्रावधान निहित है कि आबंटिती कब्जा लेने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर निर्माण पूरा करेगा अथवा पूरा करने के निमित कार्य करेगा। करार के ज्ञापन में, सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अर्थदण्ड लगाने और निर्माण को पूरा करने की समय-सीमा से सम्बन्धित शर्त सहित आबंटन की शर्तों के उल्लंघन/करार के ज्ञापन के भंग होने की स्थिति में, सरकार द्वारा सम्पत्ति के पुनराधिकार का भी प्रावधान है।

उड़ीसा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्ता

2226. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवारों को सहायता दी गई तथा चालू वर्ष के दौरान कितनों को सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार धनराशि जारी करते समय, सम्बन्धित क्षेत्रों के संसद सदस्यों द्वारा रखी गई योजनाओं के सम्बन्ध में, विभिन्न मांगों पर ध्यान देती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उड़ीसा राज्य

में 1989-90 के दौरान 1.86 लाख और 1990-91 के दौरान 1.45 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी। वर्ष 1991-92 के लिए 1.08 लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य है।

(ख) हालांकि, सरकार संसद सदस्यों के सुझावों पर सदैव पूरा ध्यान देती है, जहां तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) का सम्बन्ध है, सम्बन्धित राज्य को निधियों की रिलीज राज्य में व्याप्त गरीबी की स्थिति के आधार पर की जाती है।

(ग) चूंकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार गरीबी की स्थिति के आधार पर निधियों के आबंटन को सर्वाधिक उचित तरीका समझा जाता है।

बिहार से श्रमिकों का बाहर जाना

[हिन्दी]

2227. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से, विशेष रूप से छोटा नागपुर और संथाल परगना से जनजातीय, हरिजन समुदायों तथा कमजोर वर्गों के बहुत बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा अन्य राज्यों में जाते हैं;

(ख) क्या उन्हें समुचित वेतन दिए बिना निर्धारित कार्य समय से अधिक समय तक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है और उनका हर प्रकार से शोषण किया जाता है; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इन निर्धन लोगों को उचित वेतन दिया जाए और उनका शोषण न हो ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में कागज मिलें

[अनुवाद]

2228. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितनी कागज मिलें स्थापित की गई हैं;

(ख) ये मिलें कहां-कहां स्थापित की गई हैं;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश मिलें घाटे में चल रही हैं;

(घ) क्या इन कागज मिलों में उत्पादन भी घट गया है;

(ङ) यदि हां, तो इन मिलों के उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(च) इन मिलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तकनीकी विकास महा-निदेशालय (डी०जी०टी०डी०) में पंजीकृत उड़ीसा में सात कागज मिलें हैं।

(ख) इन कागज मिलों के नाम और स्थापना-स्थल इस प्रकार हैं :—

1. मै० ओरिएन्ट पेपर मिल्स, ब्रजराज नगर ।

2. मै० टीटागढ़ पेपर मिल्स लि०, चौधवार ।

3. मै० स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०, रायगादा ।

4. मै० कोणार्क पेपर एण्ड इंड०लि०, मयूरभंज, निकट बस्ता ।

5. मै० इमामी पेपर मिल्स लि०, बालासोर ।

6. मै० सेवा पेपर लि०, जयपुर, जिला कोरापुट ।

7. मै० स्पा स्ट्रा बोर्ड इंड० प्रा० लि०, चोरामरा पी०ओ० बीजापुर, बालनगिर ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सात मिलों में से, मै० टीटागढ़ पेपर मिल्स लि०, और मै० सेवा पेपर लि० कुछ समय से उत्पादन नहीं कर रही हैं ।

(ङ) और (च) मै० टीटागढ़ पेपर मिल्स लि० बन्द पड़ी है । बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति, कच्चे माल की कमी, पुराने उपकरण और मशीनरी, श्रमिक असन्तोष तथा प्रबन्ध सम्बन्धी समस्यायें इत्यादि इस मिल के बन्द होने के मुख्य कारण हैं । औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ० आर०) ने दिनांक 21-12-1990 के अपने आदेश द्वारा मिल के लिए एक पुन:स्थापना योजना स्वीकृत की है ।

जहां तक मै० सेवा पेपर लि० का सम्बन्ध है, यह रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1) (0) के प्रभाव क्षेत्र के भीतर एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी है । शुरू से ही इस परियोजना के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण इस कम्पनी कार्य अत्यन्त असंतोषजनक रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र के कुछ भागों में असंतुलन, विपणन समस्यायें, प्रबन्धकीय कमियां इत्यादि उत्पन्न हुई है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्टाफ कार का उपयोग

2229. **श्री जे० चौक्का राव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और सरकारी कम्पनियों के अधिकांश कार्यकारी अधिकारी वाहन भत्ता लेने के बावजूद स्टाफ कार का उपयोग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उपयोग में लाई जा रही सभी स्टाफ कारों को वापस लेने तथा केवल वाहन भत्ते का भुगतान करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मुख्य कार्यपालक, अंशकालिक अध्यक्ष, पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक केवल स्टाफ कार का प्रयोग करने के पात्र हैं जिसमें इसका निजी प्रयोग भी शामिल है । संघटक एककों में कार्यकारी निदेशकों/महाप्रबन्धकों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी केवल सरकारी प्रयोजनों के लिए स्टाफ कार का प्रयोग करने के पात्र हैं । अन्य वरिष्ठ कार्यपालक वाहन क्षतिपूर्ति/वाहन भत्ता प्राप्त करते हैं । पात्र कार्यपालकों से स्टाफ कार वापस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश का प्रभाव

2230. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश का स्वदेशी उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्वदेशी उद्योगों और उनके भावी विकास को किस प्रकार बचाया जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) पिछले 40 वर्षों में भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के उल्लेखनीय विकास, प्राप्त किए गए परिष्करण के आम लोचशील आकार एवं स्तर तथा विश्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी एवं निवेश दोनों दृष्टि से घरेलू एवं विदेशी उद्योग के बीच सम्बन्धों को पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। विदेशी निवेश के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी अन्तरण, विपणन विशेषज्ञता, आधुनिक प्रबन्धकीय तकनीकों का आगमन तथा निर्यात की वृद्धि के लिए नई सम्भावनाओं जैसे लाभ प्राप्त होंगे। पूंजी की गतिशीलता के कारण औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग की बदलती हुई विश्वव्यापी परिस्थितियों में यह विशेष रूप से आवश्यक है। सरकार की नीति विदेशी निवेश का स्वागत करने की है, जो कि देश के औद्योगिक विकास के हित में है।

तदनुसार, 24-7-1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में यह निर्धारित किया गया कि उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में बिना किसी अवरोध के 51% इक्विटी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मन्जूरी दी जायेगी। ऐसी स्वीकृति उस स्थिति में दी जायेगी यदि विदेशी इक्विटी में आयातित पूंजीगत माल के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपेक्षा भी शामिल हो। उल्लिखित मानदण्डों को पूरा न करने वाले 51% विदेशी इक्विटी वाले प्रस्तावों सहित अन्य विदेशी इक्विटी प्रस्तावों पर भी सरकार विचार कर सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए, प्रमुख रूप से निर्यात कार्यकलापों में कार्यरत व्यापारिक कम्पनियों के लिए 51% तक अधिक विदेशी इक्विटी धारिता की भी अनुमति दी जाएगी।

सरकार यह नहीं मानती कि भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा का सामना करने में अक्षम है।

महाराष्ट्र में रत्नागिरि में इलेक्ट्रानिक पार्क

[हिन्दी]

2231. **श्री गोविन्द राव निकाम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रत्नागिरि, महाराष्ट्र में एक इलैक्ट्रानिक पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सम्भवतः कब तक ले लिया जायेगा; और

(ग) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो सम्भवतः वहां अपने इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करेंगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों में इलेक्ट्रानिक मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना

2232. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इलैक्ट्रानिक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (घ) एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र को इस आशय की अनुमति प्रदान की जाएगी कि वह शुल्क-मुक्त इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए मूल संरचनात्मक सुविधायें जुटायें और भारत सरकार द्वारा केवल विनियामक कार्य ही सम्पादित किये जायेंगे। प्रस्ताव के ब्यौरे अभी तैयार किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रानिक नीति

2233. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हाल ही में बनाई गई नयी औद्योगिक नीति की तरह ही कोई इलेक्ट्रानिक नीति तैयार करने का है;

(ख) क्या इस नीति के अन्तर्गत लाइसैंसिंग प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस नीति की घोषणा सम्भवतः कब तक कर दी जायेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट इलेक्ट्रानिक घाटी स्थापित करने का प्रस्ताव

2234. **श्री गोविन्दराव निकाम** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट "इलेक्ट्रानिक घाटी" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लम्बन की कामनवैल्थ साइन्स सोसाइटी भी इस क्षेत्र में सी०ए०डी०/सी०ए०एम० केन्द्र स्थापित करने पर सहत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने और इसके पूरा होने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशिक्षुओं को डिप्लोमा दिया जाना

2235. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसायों में एक से चार वर्ष तक का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उसके बाद श्रम मन्त्रालय के विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार प्रशिक्षु प्रशिक्षण की परीक्षा पास करने वालों को डिप्लोमा प्रदान करती है;

(ग) क्या ये डिप्लोमा भी पालिटेकनिक स्कूलों द्वारा प्रदान किये गये डिप्लोमा की ही तरह हैं और क्या दोनों डिप्लोमाधारकों को समान वेतनमान दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबर) : (क) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान के अन्तर्गत शिक्षुता/शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन स्कूल छोड़ने वालों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रम मन्त्रालय द्वारा कोई और प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

(ख) जी, नहीं। सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा केवल राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को खाद्यान्नों के लिए राजसहायता

2236. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** :

कुमारी दीपिका चिखलिया : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के लिए कितनी धनराशि की राजसहायता दी गई; और

(ख) इस धनराशि में कितनी वृद्धि अथवा कटौती किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) भारत सरकार राज्यों को

खाद्यान्नों पर सीधे कोई राजसहायता प्रदान नहीं करती है। (1) खाद्यान्नों की इकनामिक लागत और उनके निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर, अर्थात उपभोक्ता राजसहायता; (2) बफर स्टाक रखने की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता अदा की जाती है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को अदा की गई वर्ष-वार खाद्य राजसहायता निम्नानुसार है :—

वर्ष	खाद्य राजसहायता की राशि
1988-89	2200
1989-90	2476
1990-91	2450 *
1991-92 (अब तक)	1681

(*चीनी पर राजसहायता सहित)

खाद्य राजसहायता की राशि वसूली की मात्रा, उठान, खाद्यान्नों के स्टाक भाड़ा, ब्याज प्रभारों आदि जैसे अन्य पहलुओं और खाद्यान्नों के वसूली/निर्गम मूल्य पर निर्भर करती है।

हरियाणा, नई दिल्ली पाकेट-बी में दूसरी मंजिल का अनधिकृत निर्माण

[अनुवाद]

2237. **श्री केसरी लाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवंटितियों और उनके फ्लैट नम्बरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अनधिकृत निर्माण के बारे में नोटिस जारी किये गये हैं तथा इन्हें किस-किस तिथि से नोटिस जारी किये गये हैं;

(ख) ऐसे फ्लैटों की दूसरी मंजिलों पर अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) भूमितल के आवंटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से भविष्य में दूसरी मंजिल पर इस प्रकार का अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, दखलकारों द्वारा हरिनगर के पाकेट-बी में 0 फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण किया गया है। इस प्रकार के निर्माण के बारे में नोटिस जारी करने का कार्य प्रक्रिया में है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों का उत्पादन/खपत

[हिन्दी]

2238. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या प्रधानमंत्री 24 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उर्वरकों के उत्पादन और उनकी खपत के बीच अन्तर को दृष्टिगत रखते हुए उर्वरकों की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) छोटे और सीमान्त किसानों को 40 प्रतिशत की राजसहायता पर और बड़े किसानों को 10 प्रतिशत की राजसहायता पर आसानी से उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। राज्यों में उर्वरकों के वितरण को उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं और राज्य अभिकरणों के निकट सम्पर्क से निगरानी की जाती है।

(ख) छोटे और सीमान्त किसानों सहित सभी किसानों को देश भर में सूचित एक समान दर पर रियायती उपभोक्ता मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराये जाते हैं। राज्यों को ऐसी व्यवस्थायें बनाने के लिए सुझाव दिये गये हैं जिससे कि छोटे और सीमान्त किसानों को 14 अगस्त, 1991 से अधिसूचित बढ़े हुए मूल्य के प्रभाव से मुक्त किया जा सके। भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए भी राज्यों को निर्धारित राशि आबंटित की है।

लक्षद्वीप का विकास

[अनुवाद]

2239. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप द्वीपसमूह के आस-पास विकास हेतु कोई योजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वहां विकास की सम्भाव्यता है और यदि कोई योजना नहीं बनाई गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (ग) इस कार्य में विभिन्न मन्त्रालय संलग्न हैं, इससे सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक इकाइयों के लिए "आदर्श पर्यावरण प्रबन्ध"

2240. **श्री पी० एम० सईद** :क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में फैक्टरी मालिकों से उनके कुशल कार्यकरण हेतु एक "आदर्श पर्यावरण प्रबन्ध" करने के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें दिये गये सुझावों और उनकी आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, उन्हें दिल्ली फैक्टरी मालिकों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दिल्ली प्रशासन ने, प्रदूषण

मुक्त पर्यावरण की ओर एक उपाय के रूप में एक नीति अपनायी है जिसमें केवल आधुनिक अ-प्रदूषणकारी उच्च तकनीक वाले लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है ।

उर्वरकों का आयात

2241. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री विकास मुत्तेमवार :

श्री के० वी० तंगकाबालू : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान आयात किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा और इसकी प्रत्याशित मांग क्रमशः कितनी-कितनी है;

(ख) उर्वरकों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) इन्हें किन-किन देशों से आयात किया जाना है; और

(घ) भारत उर्वरकों के मामले में कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) 1991-92 के दौरान उर्वरकों की अनुमानित खपत तथा वर्ष के दौरान नवम्बर, 1991 तक आयातित उर्वरकों की मात्रा, न्यूट्रिएन्ट्स के रूप में नीचे दी गई है :—

(आंकड़े लाख टनों में)

	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश
1991-92 के दौरान अनुमानित खपत	84.44	36.47	14.35
नवम्बर, 1991 तक आयात	4.61	8.50	9.23

(ख) वर्ष के दौरान नवम्बर, 1991 तक आयातित तैयार उर्वरकों की लागत और भाड़ा मूल्य 1513.97 करोड़ रुपये है ।

(ग) उर्वरकों का आयात यू०एस०ए०, यू०एस०एस०आर०, जर्मनी, कनाडा, जोर्डन, सऊदी अरब आदि सहित अनेक देशों से किया गया है ।

(घ) वार्षिक खपत के लगभग 87 प्रतिशत की सीमा तक नाइट्रोजन में स्वावलम्बन प्राप्त किया गया है । भारत में फास्फेटिक उर्वरक के अति सीमित स्रोत हैं और इसलिए इसका आयात तैयार उर्वरकों तथा कच्चे माल और मध्यवर्तियों दोनों के रूप में जारी रहेगा । देश में पोटाश के ज्ञात और वाणिज्यिक रूप से उत्पन्न योग्य स्रोत उपलब्ध नहीं है और इसलिए पोटासिक उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जा रही है । आठवीं योजना में शामिल किये जाने के लिए अनेक परियोजनाएं तैयार की गई हैं । इस समय कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं तथा जिनके आठवीं योजना में शामिल किये जाने की सम्भावना है, जब चालू की जाएगी तो उनसे स्वदेशी स्रोतों से उपलब्धि में सुधार होगा ।

नई दिल्ली नगर पालिका के बाजारों में पट्टा प्रणाली समाप्त करना

2242. **श्री पी० एम० सईद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में नई दिल्ली नगर पालिका के सभी बाजारों में पट्टा प्रणाली समाप्त करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। नई दिल्ली नगर पालिका ने भी सूचित किया है कि नई दिल्ली नगर पालिका मार्किटों में दुकानें लाइसेंस आधार पर आवंटित की जाती है तथा इसलिए लीज पद्धति को समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी कारखानों के लिए लाइसेंसों की मंजूरी के लिए समिति

[हिन्दी]

2243. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी कारखानों की स्थापना और उनके विस्तार को मंजूरी देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम और उनके निदेश पद क्या हैं; और

(ग) नए चीनी कारखानों के बारे में उक्त समिति द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ख) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी हो जाने के परिणामस्वरूप सरकार ने, नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा मौजूदा फैक्ट्रियों के विस्तार के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करने के लिए दस सदस्यों की एक नई जांच समिति गठित की है। इस सम्बन्ध में दिनांक 11-11-91 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा लाइसेंस देने के लिए क्षमता की चरण-बद्ध उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समिति लम्बित आवे-पत्रों की संवीक्षा करने के लिए समय-समय पर बैठक बुलाएगी।

विवरण

सं० 1-4/90-एस० पी० वाई० (डी०-11)
भारत सरकार
खाद्य मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 11-11-1991
कार्यालय ज्ञापन

विषय :—नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा के लिए जांच समिति का गठन।

चीनी वर्ष 1991-92 तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 — 1996-97) के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों के विस्तार हेतु लाइसेंस देने के लिए उद्योग मन्त्रालय के दिनांक 8 नवम्बर, 1991 प्रेस नोट सं० 16 के तहत जारी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था की गई है कि लाइसेंस के लिए सभी आवेदन-पत्रों की सबसे पहले खाद्य मंत्रालय में जांच समिति द्वारा जांच की जाएगी तदनुसार खाद्य मन्त्रालय ने ऐसे आवेदन-पत्रों की संवीक्षा के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1.	संयुक्त सचिव (शर्करा)	अध्यक्ष
2.	मुख्य निदेशक (शर्करा), शर्करा निदेशालय	सदस्य
3.	निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर	
4.	निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग	सदस्य
5.	मुख्य निदेशक (उद्योग) एन०सी०डी०सी०, नई दिल्ली	सदस्य
6.	निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	सदस्य
7.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8.	योजना अयोग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि	सदस्य
9.	औद्योगिक विकास विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10	निदेशक (शर्करा तकनीकी) शर्करा निदेशालय	सदस्य सचिव

2. जांच समिति द्वारा किसी आवेदन-पत्र पर विचार करते समय सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रतिनिधि को भी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

ह०/-
(आर० के० गंगर)
निर्देशक (शर्करा)
दूरभाष 382625

बंधुआ मजदूर

[अनुवाद]

2244 श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ मजदूरों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सरकार से बंधुआ मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाने का अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटोवर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या निम्नानुसार है—

वर्ष	बंधुआ मजदूरों की संख्या	
	पता लगाये गये	पुनर्वासित किये गये
1988-89	2,42,618	2,10,091
1989-90	2,45,636	2,18,028
1990-91	2,55,608	2,22,935

8वीं योजना अवधि के अन्त तक पता लगाए गए और उपलब्ध सभी बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) मार्च, 1991 में आयोजित अभिसमय तथा सिफारिशों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के 61वें सत्र की रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति ने भारत में बंधुआ श्रमिक प्रथा को समाप्त करने के विभिन्न पहलुओं के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। समिति ने राष्ट्रीय बंधुआ श्रम आयोग का गठन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दासता-उन्मूलन के सुझावों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य दल में हुए विचार-विमर्श को पूरी तरह ध्यान में रखा है। समिति ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना की इच्छा जाहिर की थी, जो कि उसको उपलब्ध करा दी गई है।

उर्वरक निर्माताओं को प्रोत्साहन

2245. **श्री मोहन सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजीकृत सिंगल सुपर-फास्फेट और ट्रिप्ल सुपर-फास्फेट (उर्वरक) के लघु निर्माताओं की मांगे क्या-क्या है और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन एककों को राजसहायता प्रोत्साहन, मूल्य प्राथमिकता, उत्पाद कर में छूट/रियायती दरों पर कच्चा माल दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) सिंगल सुपर फास्फेट के लघु क्षेत्र के उत्पादक राज्य सरकारों के पास पंजीकृत हैं। उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा जिन लघु क्षेत्र के एककों को राजसहायता दी जाती है, उनकी सूची तथा उनकी वार्षिक उत्पादन/लाइसेन्स प्राप्त क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने हाल ही में एस० एस० पी० उत्पादकों को देय राजसहायता की सीमा निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० (पी० पी० सी० एल०) के अमझोर एकक को छोड़कर, जो स्वदेशी निम्न ग्रेड पाइराइट्स से सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादित करता है, राजसहायता की सीमा 790/- रुपए टन थी जो 25-7-91 से 13-8-91 तक प्रभावी थी। पी० पी० सी० एल० के अमझोर एकक को छोड़कर एस० एस० पी० उत्पादकों के लिए राजसहायता 14-8-91 से 890/- रुपए प्रति टन होगी।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	पता	लाइसेन्स प्राप्त क्षमता (000 मी० टन)
1.	आंध्रा शुगर लिमिटेड (कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स डिवीजन)	वेंकटेरपुरम तानुकु, आंध्र प्रदेश	33.00
2.	अवध फर्टिलाइजर्स (प्रा०) लि०	11/336, सौतरगंज कानपुर-20800।	9.00
3.	आसाम स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	चन्दरपुर जिला नामरूप, आसाम-781150	33.00
4.	भारत फर्टि० इण्डस्ट्रीज-III	12-नानाभाई लेन, फोर्ट बम्बई-1	28.13
5.	ब्रिज फर्टि० (प्रा०) लि०	ए-6-7, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, शिकोहाबाद, (उत्तर प्रदेश)	11.88
6.	चारोत्तर एग्रो कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (प्रा) लि०	आदर्श अपार्टमेंट्स, नवावपाड़ा, रावपुरा, बड़ौदा	26.40
7.	दी बी एग्रो प्रोडक्ट्स लि०	89-ईस्ट हाई कोर्ट रोड़ रामदासपथ, नागपुर	23.10
8.	हिरराज फर्टि० एण्ड कैमि० (प्रा) लि०	इताह रोड, शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश	16.50
9.	गुजरात सुपर फोस० इण्डस्ट्रीज (प्रा) लि०	पहली मंजिल, अमर चैम्बर्स, रेड रोड़, अहदाबाद	16.37
10.	ग्रोमोर फर्टिलाइजर्स (प्रा) लि०	74/75, जी०आई०डी०सी० इण्ड० इस्टेट नन्द्रेसरी, बड़ौदा, गुजरात	33.00
11.	एच०एस०बी० फर्टिलाइजर्स (प्रा) लि०	गांव शानपुर, तहसील गोरहशंकर जिला होशियारपुर (पंजाब)	33.00
12.	काणी उर्वरक (प्रा) लि०	311, विनय पैलेस-III, अशोक मार्ग, लखनऊ	30.00
13.	मदन माधव फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्रा) लि०	जय नारायण वर्मा रोड़, फतेहगढ़-209601	26.50

1	2	3	4
14.	मधुवन कैमिकल्स एण्ड फर्टि० (प्रा) लि०	ए-4, मोतीलाल अटलहोड़, जयपुर-1	26.50
15.	नीरा कैमिकल्स एण्ड फर्टि० (प्रा) लि०	17-नवयोग मार्केट, तीसरी मंजिल, गाजियाबाद	33.00
16.	नोबल फर्टिलाइजर्स (प्रा) लि०	12/27, कासी सैयद स्ट्रीट, नवजीवन, दूसरी मंजिल बम्बई।	9.45
17.	प्रगति फर्टिलाइजर्स लि०	डोर नं० 7-20-बी, 37-ए, कीलामुडी लेआउट, विशाखापत्तनम-23	33.00
18.	राशि फर्टिलाइजर्स लि०	8-स्वास्तिक चैम्बर्स, चैम्बूर, बम्बई-71	27.00
19.	श्री बिहारीजी फर्टिलाइजर्स (प्रा) लि०	नवीन मार्केट, दूसरी मंजिल, फ्लैट नं० 25, कानपुर	24.00
20.	श्री कृष्णा फर्टिलाइजर्स (प्रा) लि०	के० एस०, प्रोफैसर्स कालोनी, कालमबाग रोड़, मुजफ्फरपुर, बिहार	33.00
21.	श्रुती कलर कैमिकल्स (प्रा) लि०	पो०बा० सं० 138, सरस्वती मार्ग, आउटसाइड सूरज पोल, उदयपुर-1	7 50
22.	तुलसी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्रा) लि०	एस०पी० वर्मा रोड़, पटना-800001 बिहार	9.90
23.	विजय फर्टिलाइजर्स (प्रा) लि०	बी-17, ईस्ट आजाद नगर, कान्ती नगर मार्ग, दिल्ली-51	33.00

गहरे समुद्रतल में खोज

2246 **श्री सुधीर सावंत** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्रतल में खोज करने के लिए किन-किन देशों को अग्रणी देशों का दर्जा दिया गया है;

(ख) क्या भारत ने बहु-धात्विक अयस्क-पिंडों (पोली-मेटेलिक नडूल्स) का खनन करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बहु-धात्विक अश्म-पिंडों का खनन करने तथा इनके संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा कितनी आर्थिक क्षमता तथा लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) भारत, सोवियत संघ, फ्रांस, जापान और चीन ऐसे देश हैं जिन्हें गहरे समुद्र संस्तर अन्वेषण में अग्रणी दर्जा दिया गया था।

(ख) और (ग) अन्य विकसित देशों के साथ कदम मिला कर प्रौद्योगिकीय विकास में, एवं कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार तुरन्त वाणिज्यिक प्रणाली में इसकी परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए भारत का एक गहन समुद्र संस्तर खनन परीक्षण प्रणाली विकसित करने का कार्यक्रम है। केन्द्रीय यांत्रिक इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर के साथ-साथ देश के उद्योगों का एक बड़ा समूह तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में एक गहन समुद्र संस्तर खनन परीक्षण परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। यह प्रणाली 5 कि० मी० की गहराई पर पूर्णतः संक्रियात्मक गहन समुद्र संस्तर खनन प्रणाली की भू-आधारित संकरी जल सुविधा से निम्न आयतन तक, विभिन्न चरणों में उत्तरोत्तर विकसित की जाएगी।

(घ) खनन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ बहुधात्विक पिंडिकाओं के संसाधन के द्वारा प्रत्यक्ष आर्थिक संभावना और लाभ का जो पूर्वाभास होता है वह विदेशी मुद्रा की बचत से सम्बन्धित है जो देश की कोबाल्ट और निकल की पूरी मात्रा को आयात करने तथा तांबा की लगभग आधी मांग को पूरा करने के लिए खर्च की जाती है। अतः बहुधात्विक पिंडिकाओं से इन धातुओं का उत्पादन करने से विदेशी मुद्रा की काफी बचत होगी। इस प्रौद्योगिकी के विकास में एक नये परिवर्तन की काफी संभावना भी है और इससे अन्य क्षेत्रों में भी काफी लाभ होगे।

उत्तर प्रदेश की विकास योजनाएं

[हिन्दी]

2247. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ विकास योजनाएं स्वीकृति के लिए योजना आयोग को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम और स्थान क्या हैं; और

(ग) योजना आयोग द्वारा प्रत्येक योजना पर क्या कार्रवाई की गई ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) राज्य सरकार द्वारा अभी योजना आयोग को इस सम्बन्ध में अपना आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप (1992-97) तथा वार्षिक योजना (1992-93) के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पेयजल परियोजना

2248. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से कोई पेयजल सप्लाई सम्बन्धी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना खर्च होगा और इसके किस वर्ष तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक की सहायता से बिहार में नलकूप लगाना

2249. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में विश्व बैंक की सहायता से बिहार में कितने नलकूप लगाये गये और उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने नलकूप काम कर रहे हैं और कितने खराब पड़े हैं;

(ग) इन खराब पड़े नलकूपों को कब तक ठीक किया जा सकेगा; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से इन जिलों में कितने नलकूप लगाये जायेंगे ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) बिहार में विश्व बैंक की सहायता से पेयजल सप्लाई की कोई योजना नहीं चल रही है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

निजी क्षेत्र के द्वारा रोजगार

[अनुवाद]

2250. **श्री धर्मण्णा सीदय्या साधुल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में उद्योगों को विस्तार की अनुमति देकर उद्योग क्षेत्र से उदारीकरण के बारे में लिए गए नीति संबंधी निर्णय को देखते हुए सरकार का देश के सम्मुख बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने हेतु निजी क्षेत्र से पर्याप्त रोजगार देने की अपील करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पवन सिंह चाटोवर) : (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, लाभकारी रोजगार में सतत वृद्धि को बनाए रखना होगा । सार्वजनिक, निजी या सहकारी क्षेत्र से संबंधित सभी छोटे, मध्यम या बड़े क्षेत्रों के उद्योगों को उनके कार्य-निष्पादन में वृद्धि और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

अधिक क्षमता वाली मेट्रो यातायात प्रणाली

2251. **श्री मुकुंदास कामत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजधानी के लिए एक अधिक क्षमता वाली मेट्रो यातायात प्रणाली के प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को कार्यान्वित करने की अनुमति दी थी; और

(घ) यदि हां, तो कब और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के तत्वाधान में मैसर्ज रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विसेस लि० (राइट्स) द्वारा किये गये तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन ने 1989 की कीमतों के अनुसार 5378 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक बहु-रूपीय द्रुतगामी नेटवर्क, जिसमें मैट्रो सिस्टम शामिल है, प्रारम्भ करने की सिफारिश की।

भारत सरकार ने उपराज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त निदेश समिति का गठन किया है जो कि विभिन्न पहलुओं, जिसमें एक एकल परिवहन प्राधिकरण की स्थापना भी शामिल है, के साथ-साथ परियोजना के निर्माण आदि हेतु निधियों के एकीकरण की जांच करेगी। इस प्रकार के महत्व को परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, अवस्थिति सर्वेक्षण के साथ-साथ निवेश हेतु निधि के संभव स्रोतों का एकीकरण भी अपेक्षित है। अतः कार्यान्वयन तथा इसे पूरा करने की तारीख के संबंध में निर्णय लेना असामयिक है।

खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य

[हिन्दी]

2252. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के दौरान खाद्य तेलों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : खाद्य तेल की उत्पादन मात्रा को, तिलहनों के उत्पादन लक्ष्य के आधार पर आंका जाता है। वर्ष 1991-92 के लिए मूंगफली, सरसों इत्यादि जैसे उगाये जाने वाले तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य 185 लाख मी० टन निश्चित किया गया है। बिनौले, चावल की भूसी इत्यादि जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले संभावित तेलों को ध्यान में रखने और सम्भावित निर्यात तथा औद्योगिक प्रयोग के लिए छोड़ देने के बाद वर्ष 1991-9 के लिए खाद्य तेलों की निवल देशीय उपलब्धता लगभग 53 लाख मी० टन निकलती है।

साकेत में भवनों का अनधिकृत निर्माण

2253. **श्री राजवीर सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साकेत, नई दिल्ली में भवनों के अनधिकृत निर्माण के किसी मामले का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान, साकेत में, अनधिकृत निर्माण के दस मामलों का पता चला था । इन अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 343 तथा 344(1) के अधीन नोटिस जारी किए गए हैं और एक मामले में सील करने की कार्रवाई की गई है ।

ट्रैक्टरों की बिक्री

[अनुवाद]

2254. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों की बिक्री में भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ट्रैक्टरों की बिक्री में कमी का प्रभाव किन-किन राज्यों पर पड़ा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं । ट्रैक्टर मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी-सितम्बर, 1991 के बीच बिक्री 1,11599 थी जबकि 1990 की इसी अवधि में 94,779 थी ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यक्तिगत कम्प्यूटरों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

[हिन्दी]

2255. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में व्यक्तिगत कम्प्यूटरों का निर्माण करने वाली कम्पनियां कौन सी हैं और उनमें से आई० एस० आई० चिन्हित कम्पनियां कौन सी हैं;

(ख) क्या व्यक्तिगत कम्प्यूटर बनाने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति और पंजीकरण आवश्यक हैं;

(ग) यदि नहीं, तो देश में निर्मित कम्प्यूटरों की वांछित गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए इन कम्पनियों पर नियंत्रण रखने के तरीके कौन से हैं;

(घ) आजकल व्यक्तिगत कम्प्यूटर बनाने के लिए आयातित उपकरणों का प्रतिशत क्या है और इस सम्बन्ध में पूर्ण स्वदेशीकरण कब तक होने की आशा है; और

(ङ) ऐसे उपकरणों के आयात पर वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) देश में 110 कम्पनियों वैयक्तिक कम्प्यूटरों का विनिर्माण कर रही है । वैयक्तिक कंप्यूटरों का विनिर्माण

करने वाली कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं। इस समय वैयक्तिक कंप्यूटरों के लिए भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) देश में वैयक्तिक कंप्यूटरों के विनिर्माण के लिए, बडे पैमाने तथा मझौले पैमाने की इकाइयों को उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के पास ज्ञापन दाखिल करने की आवश्यकता पड़ती है तथा लघु क्षेत्र की इकाइयों को राज्य सरकारों के उद्योग निदेशक से पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग के अंतर्गत आने वाले मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण निदेशालय ने वैयक्तिक कंप्यूटरों की उपप्रणालियों के लिए मानक निर्धारित किए हैं तथा देश की अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं में परीक्षण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वैयक्तिक कंप्यूटरों का विनिर्माण करने वाली कुछ इकाइयों ने इन मानकों को अपनाया है। किन्तु सरकार कोई नियन्त्रण नहीं किया जाता है।

(घ) इस समय वैयक्तिक कंप्यूटरों के विनिर्माण के लिए आवश्यक कुल उपस्करों में से 35% उपस्करों का आयात किया जा रहा है। ये उपस्कर विशिष्ट किस्म के हैं तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विनिर्मित किए गए हैं तथा देश मे इन सभी प्रणालियों की मांग बहुत थोड़ी है। देश में ऐसे उपस्करों की कुल मांग की तुलना में इन प्रणालियों के विनिर्माण में पूंजीनिवेश करना किफायतशारी की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। अतः इन उपस्करों का समूचा स्वदेशीकरण करना सम्भव नहीं है।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसे उपस्करों के आयात पर लगभग 50 लाख अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है।

विवरण

देश में वैयक्तिक कम्प्यूटरों का उत्पादन करने वाली कम्पनियां

1. एल्टॉस इंडिया लि०, नई दिल्ली
2. ए० ई० जी० सिस्टम्स प्रा० लि०, मद्रास
3. ए० एम० आई०—सनग माइक्रोमेशन (प्रा०) लि०, हैदराबाद
4. अरिहन्त कम्प्यूटर्स (प्रा०) लि०, मद्रास
5. अंजियक्या इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स, सतारान
6. एप्लाइड इलेक्ट्रोफ्रिक्स इन्स्ट्रूमेंटस, बम्बई
7. एरिस्टो कम्प्यूटर्स, नई दिल्ली
8. ओरेलेक डाटा प्रोसेसिंग, कोट्टाकम्पन
9. एडवांस माइक्रोनिक डिवाइसिज (प्रा०) लि०, बंगलौर
10. आरलेम इलेक्ट्रानिक्स, गोवा
11. कैडीट्रानिक्स प्रा० लि०, अहमदाबाद
12. कैल्स सिस्टम्स प्रा० लि०, नई दिल्ली

13. सी० एम० एस० कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, बम्बई
14. काम्पलिक, बम्बई
15. कान्सेप्ट कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, गांधीनगर
16. क्रोटेक सिस्टम्स प्रा० लि० नई दिल्ली
17. काम्प्टन ब्रिज्ज लि०, बम्बई
18. काम्प्टेक इलेक्ट्रादिक्स प्रा० लि०, मद्रास
19. कम्प्यूटर विजन लेबोरेटरीज (आई०) लि०, हैदराबाद
20. क्रिसेंट कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, नई दिल्ली
21. डी० सी० एम० डाटा प्रोडक्टस, नई दिल्ली
22. डिजिटल इन्नोवेशन्स प्रा० लि०, वाड़ोदरा
23. डेटा प्रो इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, पुणे
24. डायनालाग माइक्रोसिस्टम्स, बम्बई
25. डेमीबेल्म इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० पुणे
26. इफ्ट्रानिक्स, विजयवाडा
27. ईको कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, बंगलौर
28. इलेक्ट्रो सिस्टम्स एसोसिएटस प्रा० लि०, बंगलौर
29. इलेक्ट्रानिक सिस्टम्स पंजाब लि० चण्डीगढ़
30. इलीओटेक्स लेबोरेटरीज, बंगलौर
31. एसेन इलेक्ट्रानिक्स, गांधीनगर
32. फ्यूजीनोवा डाटा सिस्टम्स प्रा० लि०, बंगलौर
33. जी० ई० बी० बी० एस० माइक्रोसिस्टम (प्रा०) लि०, बम्बई
34. हारा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, हैदराबाद
35. एच० सी० एल० लि०, नई दिल्ली
36. इंटरफेस इलेक्ट्रानिक्स इंडिया कम्प्यूटर प्रा० लि०, मद्रास
37. इंडकेम इलेक्ट्रानिक्स लि०, मद्रास
38. इन्फोटेक लि०, मद्रास
39. इन्नोवेटिव डिजाइन्स प्रा० लि०, मद्रास
40. इंटिग्रेटिड डाटा सिस्टम्स लि०, हैदराबाद
41. इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इंडियन मैंयुफैक्चरिंग लि०, पुणे

42. इंटरनेशनल डाटा मैनेजमेंट लि०, बम्बई
43. इंटेक्स कम्प्यूसं प्रा० लि०, बम्बई
44. इन्फोकाम डिजिटल सिस्टम्स प्रा० लि०
45. जे० एण्ड वी० कम्प्यूटर (प्रा०) लि०, मद्रास
46 केयानिक्स मेरनाविजन कम्प्यूटर्स लि०, मद्रास
47. केरला स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, त्रिवेंद्रम
48. की प्लापी, हैदराबाद
49. कुरूगांटी कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, मद्रास
50. लेपेज कम्प्यूटर्स, बम्बई
51. लाजीट्रानिक्स प्रा० लि०, नई दिल्ली
52. मेकिमलन कम्प्यूटर लि०, बंगलौर
53. महेन्द्रा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० नई दिल्ली
54. मेगाबेयर कम्प्यूटर लि० बम्बई
55. मेक्सबाइट कम्प्यूटर मैंयुफैक्चरिंग एण्ड सिस्टम कंसलटेंट (प्रा०) लि०, बम्बई
56. मेल्ट्रान इन्स्ट्रमेंटेशन लि०, सिन्धुदुर्ग
57. माइक्रोसेंस कम्प्यूटर लि०, सिकन्दराबाद
58. मीरा कम्प्यूटर्स, गुड़गांव
59. मिनीकाम्प प्रा० लि०, बम्बई
60. माड्युलर सिटम्स (पूना) प्रा० लि०, पूना
61. मून कम्प्युटर्स मैंयुफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बम्बई
62. मैसकाम इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, बम्बई दिल्ली
63. मैक्सन्स इलेक्ट्रानिका प्रा० लि०, नई दिल्ली
64. नेप्टयून कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, बम्बई
65 नामटेक सिस्टम्स प्रा० लि०, बंगलौर
66. नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रानिक्स क० लि०, बम्बई
67. नितुल डेटा सिस्टम्स (प्रा०) लि०, गुडगांव
68. आप्ट्रोनिक्स सर्विसिज प्रा० लि०, कलकत्ता
69. प्रोम्पट कम्प्यूर सर्विसिज प्रा० लि०, बम्बई
70. प्रगति कम्प्यूटर प्रा० लि०, पांडिचेरी

71. पायकाम इंडस्ट्रीज, बम्बई

72. पी० ए० सी० सिस्टम्स, बम्बई

73. पास्कल कम्प्यूटर्स प्रा० लि० कलकत्ता

74. पी० सी० एस० डेटा० प्रोडक्ट्स लि०, बम्बई

75. प्राइम होम कम्प्यूटर प्रा० लि०, नई दिल्ली

76. प्रोसेसर सिस्टम्स (इंडिया) प्रा० लि०, बंगलौर

77. प्रोफेशनल इलेक्ट्रानिक प्रोडेक्ट स, मेरठ

78. पी० एस० आई० कलिंग लि०, भुवनेश्वर

79. रोहिणी इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, अहमदाबाद

80. सविक इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० अहमदाबाद

81. एस० आर० जी० कम्प्यूटर्स प्रा० लि० जयपुर

82. एस० पी० मशींस प्रा० लि०, चण्डीगढ़

83. श्रीनिवास कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, मद्रास

84. सिलिकान वैली कम्प्यूटर सिस्टम्स, दिल्ली

85. सांफिस्टिकेटिड टेक्नोलाजीज प्रा० लि०, बंगलौर

86. सारा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, बम्बई

87. साराभाई इलेक्ट्रानिक्स लि०, (ओ० आर० जी० सिस्टम्स डिवीजन) बड़ोदरा

88. सेलेकट्रो, अहमदाबाद

89. शिवम कम्प्यूटर्स सिस्टम्स प्रा० लि०, अहमदाबाद

90. श्याम कम्प्यूटर सिस्टम्स प्रा० लि०, नई दिल्ली

91. सीनर इलेक्ट्रानिक्स, हैदराबाद

92. साउथ एशियन कम्प्यूटर्स लि०, बंगलौर

93. सदर्न मैगनेटिक्स प्रा० लि०, मद्रास

94. स्टर्लिंग कम्प्यूटर्स लि०, मद्रास

95. सुजाता डिजीटल सिस्टम्स प्रा० लि०, बम्बई

96. सुम इलेक्ट्रानिक्स, बम्बई

97. सुमित इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि०, गांधीनगर

98. सर-रे कम्प्यूट रर्स प्रा० लि०, बंगलौर

99. थ्री-सी सिस्टम्स लि०, मद्रास

100. टाइ एण्ड डेटा सिस्टम्स (आई०) प्रा० लि०, बम्बई

101. अल्ट्रा बिजनेस मशीनस लि०, बंगलौर

102. यूनीकार्प कम्प्यूटर प्रा० लि०, नई दिल्ली

103. अट्रॉन इंडिया लि० (डिजीटल सिस्टम्स डिवीजन), लखनऊ

104. उर्वशी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०, बम्बई

105. उषा माइक्रोप्रोसेस कन्ट्रोल्स लि०, नई दिल्ली

106. वर्साबाइट डेटा सिस्टम्स (प्रा०) लि०, बंगलौर

107. विर्चयूल कम्प्यूटर प्रा० लि०, बम्बई

108. वेबेल जेनसन एण्ड निकाल्सन लि०, कलकत्ता

109. वाइप्रो इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी लि०, नई दिल्ली

110. जेनिथ कम्प्यूटर्स लि०, बम्बई

गवर्नमेंटस लैक्सिटी बेनिफिट्रस ड्रग कम्पनीज शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

2256. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्टूबर, 1991 के इंडियन एक्सप्रैस मे गवर्नटस लैक्सिटी बेनिफिट्स द्वारा कापनीज शीर्षक से छो समाचार की ओर दिलाया गया गया है;

(ख) क्या मेट्रोनिडेजोल औषध को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो कम्पनियों को इस औषध का अधिकतम कितना मूल्य रखने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या सरकार को हम औषध को नियन्त्रण मुक्त करने के विरूद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बल्क औषध निर्माताओं को लाइसेंस से मुक्त करना

2257. **श्री हरिन पाठक** । क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ औषधियों को मूल्य नियंत्रण से मुक्त रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और क्या देश में बल्क औषध निर्माताओं द्वारा तैयार की गई औषधियां तो डी० पी० सी० ओ० के सीमा क्षेत्र से अलग रखने का विचार है;

(ग) क्या बल्क औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा तैयार की जाने वाली औषधियों को लाइसेंस से मुक्त रखा जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) फिलहाल, डी० पी० सी० ओ०, 1987 की अनुसूची —I और अनुसूची —II में सूचीबद्ध 143 प्रपुंज औषधें मूल्य नियन्त्रण के अधीन है। अन्य सभी प्रपुंज औषधें मूल्य नियन्त्रण से बाहर हैं। प्रपुंज औषधों को मूल्य नियन्त्रण में शामिल करने/नियन्त्रण से अलग रखने के मामले पर विभाग में पहले गठित स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया है जिसकी सिफारिशें अब सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रपुंज औषधों को लाइसेंस देने/लाइसेंस मुक्त करने के मामले पर औषध नीति की वर्तमान में की जा रही समीक्षा में विचार किया जा रहा है।

विद्युत/बैटरी चालित कारों का निर्माण

[हिन्दी]

2258. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कम्पनियों को कार बनाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा बनाई गई कार पैट्रोल या डीजल से चलाई जायेंगी;

(घ) क्या सरकार के पास विद्युत या बैटरी से चलने वाली प्रदूषण रहित कारों के निर्माण के लिए बहुत से आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं, और यदि हां, तो इस प्रकार के लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ङ) इन कारों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहन न देने के क्या कारण है; और

(च) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस प्रकार की कारों के निर्माण की अनुमति देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री कारें बनाने के लिए किसी नई क्षमता की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(घ) से (च) विद्युत/बैटरी से चलने वाली कारों के निर्माण के लिए दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर मौजूदा नीति के अनुसार प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा काल बढ़ाना/पुनरोंजगार देना

[अनुवाद]

2259. **डा० असीम बाला** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के महानिदेशक ने सेवानिवृत्ति के बाद सेवाकाल बढ़ाए जाने/पुनर्रोजगार दिए जाने के बारे में 10 फरवरी, 1983 को सभी पब्लिक इंटरप्राइजेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के वर्ष 1983 के निर्देश अभी भी लागू हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेस द्वा 1 10 फरवरी, 1983 के पत्र के बाद कोई अन्य निर्देश/पत्र भेजे गए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या पत्र की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (घ) तत्कालीन सरकारी उद्यम कार्यालय के महानिदेशक ने 10-2-1983 को सभी केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे निदेशक मण्डल स्तर के नीचे के ऐसे सभी अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करने के लिए कहा गया था जिनका सेवाकाल बढ़ाया गया है/पुनर्रोजगार दिया गया उन्हें अपेक्षित नोटिस देते हुए उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किये जायें। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि प्रबंधक किसी विशेष कारणों से समझें कि पहले से अनुमोदित बनाये गये सेवाकाल/पुनर्रोजगार को इसकी पूरी अवधि तक चलने की अनुमति दी जाये तो इसके लिए निदेशक मण्डल का नये सिरे से विशेष अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिये। ये अनुदेश सेवानिवृत व्यक्तियों के सेवाकाल में वृद्धि करने/पुनर्रोजगार प्रदान करने की प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए जारी किये गये थे। सरकारी उद्यम कार्यालय ने इस मामले में सरकारी उद्यमों को कोई और अनुदेश जारी नहीं किये थे।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शहद का उत्पादन

2206. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा केरल में शहद प्रसंस्करण एकक प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन के पास एक बड़ा शहद प्रसंस्करण एकक लगाने का प्रस्ताव है जिसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता एक लाख कि०ग्राम शहद होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आपूर्ति की गई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

2261. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले चावल गेहूं, चीनी आदि का अद्यतन निर्गम मूल्य और अधिकतम खुदरा मूल्य क्या है; और

(ख) उपभोक्ताओं को चावल, गेहूं और चीनी की आपूर्ति के मामले में संघ सरकार द्वारा कितनी राज-सहायता वहन की जाती है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) बुनियादी आवश्यक वस्तुओं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित बुनियादी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य, आमतौर पर ढुलाई लागत, उचित दर दुकानों का लाभ, राज्य सरकार को राज-सहायता, यदि कोई हो, और अन्य प्रासंगिक खर्चों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करते हैं। इसीलिए अन्तिम खुदरा अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं।

(ख) 1990-91 में भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दी गई अमग्र राज-सहायता की राशि निम्नवत है :—

वस्तु	1990-91 में राजसहायता (संशोधित अनुमान) (करोड़ रु० में)
खाद्यान्न (चावल और गेहूं)	2142.4 रु०
लेवी चीनी	307.6 रु०

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित बुनियादी आवश्यक वस्तुओं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य

केन्द्रीय निर्गम मूल्य वस्तु	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	समेकित आदिवासी विकास परियोजना	(रु० प्रति क्विंटल) निम्नांकित तिथि से प्रभाव
चावल			
कामन	289.00	239.00	25-06-1990
फाइन	349.00	299.00	25-06-1990
सुपरफाइन	370.00	320.00	25-06-1990
गेहूं	234.00	184.00	01-05-1990
चीनी	6.10 रु० प्रति कि०ग्रा०		24-07-1991
आयातित खाद्य तेल	थोक में—16500 रु० प्रति मी० टन		26-01-1991
	15 कि० ग्रा०—19000 रु० प्रति मी० टन		26-01-1991
मिट्टी का तेल	2201.54 रु० प्रति कि० ली०		24/25-07-1991

लेवी चावल के लिए मशीन कटाई प्रभार

2262. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्यवार लेवी चावल के लिए चावल कुटाई करने के लिए कितना कुटाई प्रभार स्वीकृत किया गया है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में खरीदे गए लेवी चावल के लिए उतना ही कुटाई प्रभार दिया जाता है, जितना पंजाब के लिए स्वीकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार आने वाली खरीफ की फसल के समय से इसे समान करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें वे मूल्य (मिलिंग लागत शामिल है) दिए गए हैं जिन पर भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लेवी चावल की खरीदारी कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) वर्तमान वसूली मौसम देश भर में 1-10-1991 से आरम्भ हो चुका है। भारतीय खाद्य द्वारा जिन मूल्यों पर लेवी चावल की वसूली की जानी है, वे निर्धारित कर दिए गए हैं और ये मूल्य सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लागू हैं और इसलिए उनमें संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धान की खरीददारी पर सांविधिक करों/लेवी, मिलिंग प्रभारों सहित अन्य असांविधिक प्रभारों और धान की मिलिंग से प्राप्त चावल की वसूली प्रतिशतता में अन्तर होने के कारण आंध्र प्रदेश और पंजाब में लेवी मूल्य भिन्न है।

विवरण

विपणन मौसम 1991-92 के लिए लेवी चावल का वसूली मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	साधारण 1991-92	बढ़िया 1991-92	उत्तम 1991-92
1. आंध्र प्रदेश	387.55	403.30	419.05
2. असम	384.45	406.25	422.10
3. बिहार	368.20	392.80	408.10
4. गुजरात	358.55	373.05	387.55
5. हरियाणा/दिल्ली	396.65	425.20	445.10
6. कर्नाटक	369.10	384.05	399.05

1 2	3	4	5
7. मध्य प्रदेश	363.10	398.65	414.20
8. उड़ीसा	394.90	411.00	427.05
9. पंजाब	396.40	424.90	444.80
10. राजस्थान	389.45	414.50	437.15
11. उत्तर प्रदेश	377.90	393.00	417.45
12. पश्चिम बंगाल	370.25	389.15	404.30
13. महाराष्ट्र	377.90	393.15	408.45
14. पांडिचेरी	356.70	371.30	386.30
15. चण्डीगढ़	393.00	421.25	441.00

सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी

2263. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्योगों की कितनी भागीदारी थी और राष्ट्रीय आय में इनकी कितने प्रतिशत भागीदारी थी ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : कृषि तथा पशुपालन, और मत्स्य पालन से सकल घरेलू उत्पाद (स० घ० उ०) के उपलब्ध अनुमान तथा कुल सकल घरेलू उत्पाद में उनका अलग-अलग प्रतिशत अंश विवरण में दिया गया है। ये 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 से सम्बन्धित हैं।

ग्रामीण/शहरी ब्यौरों पर अन्ततम उपलब्ध सूचना के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योगों से सकल घरेलू उत्पाद 1980-81 में प्रचलित मूल्यों पर 6589 करोड़ रु० था तथा कुल सकल घरेलू उत्पाद में इसका अंश 5.4 प्रतिशत था।

4-12-1991 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2263 के उत्तर में संलग्न विवरण।

विवरण

सकल घरेलू उत्पाद (स० घ० उ०) पशुपालन सहित कृषि तथा मत्स्य पालन और कुल सकल घरेलू उत्पाद में उनका प्रतिशत अंश

(प्रचलित मूल्यों पर) (करोड़ रु०)

क्षेत्र	वर्ष 1987-88	1988-89*	1989-90**
1. पशुपालन सहित कृषि	845.94 (28.4)	104848 (29.8)	112196 (28.4)
2. मत्स्य पालन	2686 (0.9)	3055 (0.9)	3635 (0.9)
कुल सकल घरेलू उत्पाद (सभी क्षेत्र)	294266 (100.0)	351724 (100.0)	395143 (100.0)

*अनंतिम अनुमान। ** त्वरित अनुमान।

कोष्ठकों में दिखाए गए आंकड़े कुल सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्र का प्रतिशत अंश है।

लाइसेंस प्रक्रिया को उदार बनाना

[हिन्दी]

2264. **श्री यशवंतराव पाटिल** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और अधिक उदार बनाने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बनाया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योग को लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त करने या इसके लिए इस प्रणाली को उदार बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अधीन 18 उद्योगों की छोटी सी सूची को छोड़कर सभी उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। अन्य उत्पादों के साथ-साथ चीनी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का डिस्टीलेसन और ब्रूईंग, सिगार और सिगरेट जैसे तम्बाकू उत्पाद और लकड़ी पर आधारित उत्पाद इस सूची में शामिल हैं। इन उत्पादों को अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन रखने का कारण या तो सामाजिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी है अथवा जन-साधारण के स्वास्थ्य सम्बन्धी है। इन उत्पादों को लाइसेंसीकरण से निकालने के लिए सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है।

अव्यवहार्य परियोजनाओं को बन्द किया जाना

[अनुवाद]

2265. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अक्तूबर, 1991 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के आधार पर योजना आयोग ने निर्माणाधीन अव्यवहार्य परियोजनाओं को बन्द करने के लिए मार्गनिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि जिन प्रमुख परियोजनाओं का कार्य समाप्त होने वाला हो, उनको आठवीं योजना में शामिल किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो बन्द की जाने वाली अव्यवहार्य परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है; और

(घ) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जो इन सुझावों से सहमत हुए हैं और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय संभवत: कब तक कर लिया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी की नई लाइसेंस नीति

2266. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान चीनी मिलें स्थापित करने के लिए चीनी की नई लाइसेंस नीति के अन्तर्गत लाइसेंस मंजूर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों, विशेष रूप से हरियाणा सरकार, से राज्य-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान चीनी की मिलें स्थापित करने के लिये राज्य-वार कितने लाइसेंस मंजूर किए गए ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) दिनांक 8-11-91 के प्रेस नोट के तहत घोषित नए लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए कोई भी लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए नए लाइसेंस मंजूर करने हेतु 30-9-91 तक 642 आवेदन पत्र विचारार्थ लम्बित हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप के संलग्न है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए कोई भी लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है।

विवरण

नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग
के माध्यम से प्राप्त विचारार्थ लम्बित आवेदन पत्रों की
राज्यवार सूची

30-9-1991 को स्थिति

क्रम सं०	राज्य	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	202
2.	महाराष्ट्र	218
3.	आन्ध्र प्रदेश	68
4.	पंजाब	29
5.	उड़ीसा	2
6.	मध्य प्रदेश	7
7.	राजस्थान	2
8.	तमिलनाडु	18
9.	गुजरात	10

10.	हरियाणा	15
11.	बिहार	22
12.	कर्नाटक	48
13.	हिमाचल प्रदेश	1
	कुल	642

आई० आर० एस०-1 सी० का प्रक्षेपण

2267. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० आर० एस०—1 सी० के प्रक्षेपण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसका वर्ष 1993-94 में प्रक्षेपित करने का विचार है; और

(ग) इसके प्रक्षेपण के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) द्वितीय पीढ़ी के भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस० —1 सी०) से सम्बद्ध क्रियाकलाप निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रगति पर हैं । संरचनात्मक, तापीय और इंजीनियरी माडल (एस० टी० ई० एम०), जोकि डिजाइन की पुष्टि के लिए निर्मित किया गया है, को अब समाकलित और जांचा जा रहा है। अन्तरिक्ष यान के डिजाइन की विविध तकनीकी दृष्टि से समीक्षा की गई है तथा इसे मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त पाया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(ग) आई० आर० एस०-1 सी० का प्रमोचन, भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों, अर्थात राष्ट्रीय विकास से संबद्ध उपयोग के विविध क्षेत्रों में प्रयोग के लिए निरन्तर और सुनिश्चित आधार पर इन उपग्रहों से आंकड़ों को उपलब्ध कराने के उद्देश्यों सहित प्रचालनात्मक स्टेट-आफ-दी-आर्ट सुदूर संवेदन उपग्रहों का विकास तथा स्थापित करना, के अनुरूप है। विश्वभर में प्रौद्योगिकी विकास के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तथा 1990 दशाब्द की अवधि की प्रयोजना जरूरतों के लिए आई० वार० एस०-1 सी० अन्तरिक्षयान में बेहतर आकाशीय और संवर्धित स्पेक्ट्रमी विभेदन, अधिक पुनरागमन क्षमता, त्रिविम पर्यावलोकन तथा युगपत आंकड़ा रिकार्डिंग क्षमताएं हैं । देश में प्रयोक्ता समुदाय को सुदूर संवेदन आंकड़ा सेवाओं की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त यह भी आशा की जाती है कि आई० आर० एस०-1 सी० की संवर्धित क्षमताएं उपयोग के नवीन क्षेत्रों को विकसित करने में मदद करेगी ।

आपदा पूर्व सूचना प्रणाली

2268. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के चक्रवात ग्रस्त क्षेत्रों में कितनी आपदा पूर्व सूचना प्रणालियों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या अन्य राज्यों के तटीय क्षेत्रों में भी मौसम आपदा पूर्व सूचना प्रणालियां स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) आंध्र प्रदेश में 47, तमिलनाडु में 48 और संघराज्य क्षेत्र पांडिचेरी में 2 है। इस प्रकार कुल 97 हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) (1) 1992 के मध्य तक निम्नलिखित 50 और सेट स्थापित किए जाएंगे :—

पश्चिम बंगाल	:	15
उड़ीसा		15
आंध्र प्रदेश		10
गुजरात	:	10

(2) आठवीं योजनावधि (1992-97) में निम्नानुसार 100 और सेटों को स्थापित करने का विचार है :—

पश्चिम बंगाल		25
उड़ीसा	:	25
आंध्र प्रदेश	:	30
गुजरात	:	20

ए० एस० एल० वी० और पी० एस० एल० वी० का विकास

2269. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगमेंटेड सैटेलाइट लांच व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल के विकास का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक प्रक्षेपित किया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) **संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए०एल० एल० वी०)** : संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एल० एल० वी०) एक पांच चरण वाला राकेट है, जो कि निम्न पृथ्वी कक्षा में 150 कि०ग्रा० भार की श्रेणी के विस्तारित रोहिणी उपग्रह शृंखला (श्रोस) नीति-भारों को पहुंचाने में सक्षम है। ए० एस० एल० वी० की तृतीन विकासात्मक उड़ान (ए० एस० एल० वी०-डी० 3) की तैयारियां अग्रिम चरण में हैं। 1992 के पूर्वार्ध में इसके प्रमोचन के लिए प्रमोचन

अभियान दिसम्बर 1991 में आरम्भ किया जायेगा। ए० एस० एल० वी० डी० 3 राकेट मुख्य रूप से, आयनमण्डलीय परीक्षणों के आयोजन के लिए गामा किरण स्फोट संसूचक और मंदन विभव विश्लेषक नीतभारों सहित श्रोस-सी बस का प्रयोग करते हुए संवृत लूप मार्गदर्शक प्रणाली सहित, राकेट के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए है।

ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०)

ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। यह एक चार चरण वाला राकेट है, जोकि 1000 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रहों को 900 कि० मी० की ध्रुवीय कक्षा में प्रमोचित करने में सक्षम है। पी० एस० एल० वी० के अधिकतर माड्यूलों जैसे प्रथम चरणीय ठोस मोटर (विश्व में तीसरी सबसे बड़ी), द्वितीय द्रव चरण, तृतीय ठोस चरण और चतुर्थ द्रव चरण, उष्मा कवच, इलेक्ट्रानिकी प्रणालियों को प्राप्त किया गया और इन पर भू-जांचें सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं। पी० एस० एल० वी० प्रणालियों की अग्रिम अर्हता जांचें प्रगति में हैं। समाकलन जांच-परीक्षण और प्रमोचन के लिए विविध सुविधायें तैयार हैं। पी० एस० एल० वी० की पहली विकासात्मक उड़ान का प्रमोचन 1992 के उत्तरार्ध के लिये निर्धारित है।

अन्तरिक्ष अनुसंधान पर पुस्तकों का प्रकाशन

2270. **श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष विभाग ने स्कूल और कालेज के छात्रों को अन्तरिक्ष अनुसंधान की उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए पुस्तकों का प्रकाशन किया है;

(ख) क्या अन्तरिक्ष विभाग ने एन० सी० ई० आर० टी० और नेशनल बुक ट्रस्ट से अन्तरिक्ष अनुसंधान में विविध विकास कार्यों के बारे में पुस्तकें प्रकाशित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अन्तरिक्ष विभाग भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए अनेक तकनीकी और सामान्य प्रकाशनों को प्रकाशित करता रहा है। तकनीकी प्रकाशनों को देश भर के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है। भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के सामान्य प्रकाशनों में पुस्तिकाएं, पोस्टर, विवरणिकाएं और इसे स्वयं करें की किटें, शामिल हैं, को जन-सामान्य लोगों के बीच उनके निवेदन पर तथा देश के विभिन्न भागों में अन्तरिक्ष विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के दौरान भी परिचालित किया जाता है। यह विभाग एक त्रैमासिक प्रकाशन "अन्तरिक्ष भारत" का भी प्रकाशन करता है, जिसका विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा अन्य संगठनों में व्यापक प्रसार है। अन्तरिक्ष विभाग में अन्तरिक्ष पर एक मोबाइल प्रदर्शनी भी है, जिसे देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है।

अन्तरिक्ष विभाग ने विविध शैक्षिक स्तरों पर सुदूर संवेदन की जानकारी देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के परस्पर वरिष्ठ सहयोग से एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। अन्तरिक्ष विभाग ने अन्तरिक्ष के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भावी विज्ञान से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को अद्यतन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन० सी० ई० आर० टी०) को सहायता प्रदान की है। भारत में अन्तरिक्ष की उपलब्धियों से सम्बन्धित विविध पहलुओं पर हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में अब तक 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है।

नासिक और नागपुर में खाद्य प्रसंस्करण एकक

2271. **डा० बसंत पवार** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नासिक और नागपुर क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्याज और फल, जो महाराष्ट्र के नासिक/नागपुर क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पैदा होते हैं, के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक जिलों में शीरे-रहित पदार्थों से बीयर, माल्ट स्प्रिट और पेय एलकोहल तैयार करने के लिए कुल 14 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अन्य के साथ-साथ नासिक क्षेत्र के लिए अंगूरों की एकीकृत फसलोत्तर व्यवस्था परियोजना हेतु वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव भी राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ (नाफेड) ने जो प्याज के निर्यात के लिए एक "कैनलाइजिंग" एजेंसी है, प्याज की खेती और पैदावार में सुधार के लिए महाराष्ट्र में 10 गांवों को अंगीकृत किया है। इसने इतर-मौसम के दौरान निर्यात के लिए महाराष्ट्र के मुख्य प्याज उत्पादक क्षेत्रों में आधुनिक प्याज भंडार विकसित किये हैं, प्याज की क्वालिटी पर अनुसंधान करने और कार्य विस्तार के लिए एक संगठन स्थापित किया है और यूनिट मूल्य प्राप्ति में सुधार के लिए उपाय किये हैं। फलों के निर्यात को पूरी स्वतन्त्रता दी गई है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सूचना, उत्पाद संवर्धन, बाजार विकास आदि की सुविधायें देकर निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित फसलोत्तर व्यवस्था परियोजना सम्बन्धी राज्य सरकार का प्रस्ताव भी अंगूर निर्यात को बढ़ावा देने के लिये है।

सरकारी भूमि का अधिक्रमण

2272. **डा० बसंत पवार** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी भूमि तथा महानगरों में पटरियों पर अधिक्रमण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण राज्यों/संघ शासित राज्यों में सम्बन्धित नगर निकायों/स्थानीय निकायों के, भवन निर्माण उपनियमों से सम्बद्ध प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिये महानगरों में ऐसे लोगों और फुटपाथ अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना सम्बन्धित स्थानीय निकाय का उत्तरदायित्व है।

गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे श्रमिक

[हिन्दी]

2273. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, 1990-91 के दौरान श्रमिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया है और यदि हां, तो कुल कितने श्रमिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया; और

(ख) इस सम्बन्ध में श्रमिकों के कल्याण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) : (क) और (ख) गरीबी रेखा से ऊपर लाये गये श्रमिकों के वार्षिक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। सरकार श्रम बल के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये गरीबी रेखा से संबद्ध न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), ग्रामीण युवकों की स्वनियोजन का प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०), जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और वृद्ध एवं असहायों के लिये पेंशन योजना जैसी अनेक योजनायें चला रही है।

बिहार में सहरसा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

[अनुवाद]

2274. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या क्या है;

(ख) क्या ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में ऐसे संयंत्रों में विद्युत उत्पादन की लागत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का बिहार में सहरसा में किसी परमाणु संयंत्र की स्थापना का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) इस समय चार बिजलीघरों (तारापुर, राजस्थान, कलपाक्कम और नरोरा) में आठ न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं।

(ख) इन यूनिटों में परमाणु बिजली के उत्पादन पर आने वाली लागत कोयले से चलने वाले उन ताप बिजलीघरों में उत्पादित बिजली पर आने वाली लागत के जितनी ही बैठती है जो कोयले की खानों के मुहानों से दूर स्थापित हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पूर्वी विद्युत क्षेत्र जिसका बिहार भी एक हिस्सा है, में कोयले के भंडार उपलब्ध होने के कारण वहां पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बात को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जाती है।

बिहार के सहरसा जिले में प्रमुख परियोजना

2275. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तरी बिहार के सहरसा जिले में कोई प्रमुख परियोजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है/की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पिछड़े क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजना शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) योजना आयोग को उत्तरी बिहार के सहरसा जिले में किसी बड़ी परियोजना को शुरू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

रुग्ण लघु उद्योग एककों को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

2276. श्री जी० एस० वलोजिया : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रुग्ण लघु उद्योग एककों को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी धन राशि आवंटित की गई तथा कितने लघु उद्योग एककों को पुनर्जीवन प्रदान किया गया; और

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) उद्योग मन्त्रालय रुग्ण लघु एककों को फिर से चालू करने के लिए 1 जनवरी, 1982 से एक सीमांत धन योजना चला रहा है। इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा 31-3-91 तक स्वीकृत की गई कुल धन राशि 215.40 लाख रुपये बनती है।

(ख) चूंकि 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इस वर्ष इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले वर्ष 31-3-1990 के अन्त तक कुल 60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। 1991-91 के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस० आई० डी० बी० आई०) ने रुग्ण लघु उद्योग एककों की पुनः स्थापना के लिये अपनी पुनर्वित्त योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में चार एककों के सम्बन्ध में 20.8 लाख रुपये की सांकेतिक ऋण पुनर्वित्त सहायता दी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में संभावित जीव्य रुग्ण लघु एककों की संख्या 365 थी जिन पर सितम्बर, 1989, जिस अवधि के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं, के अन्त तक 37.90 करोड़ रुपये बैंक ऋण बकाया था। उपचार कार्यक्रम के अधीन रखे गये रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या 204 थी जिन पर सितम्बर, 1989 के अन्त तक 28.29 करोड़ रुपये बैंक ऋण बकाया था।

(ग) रुग्ण लघु उद्योग एककों को फिर से चालू करने के लिये वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने की कोई प्रणाली नहीं है। किन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि सामान्यतया बैंकों के लिये यह सम्भव होगा कि वे तीन महीनों की अवधि के भीतर

रुग्ण माने गये एककों को फिर से चालू कर सकते हैं अथवा न कर सकने के बारे में निर्णय ले और निर्णय लेने से तीन महीनों की अवधि पूरी होने के भीतर उपचार कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जाये।

तकनीकी मिशनों का कार्यकरण

[अनुवाद]

2277. **श्री जी०एल० कनोजिया** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर विशेषतौर पर छोटे तथा मध्यम स्तर के एककों तथा विकास गतिविधियों के अन्य केन्द्रों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु भारत में कुछ प्रौद्योगिकी मिशन कार्यरत हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यकरण तथा उपरोक्त एककों को उनके द्वारा प्रदान किये गये लाभों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को पामोलीन का आयात करने की अनुमति देना

2278. **श्री जी० माडे गौडा** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पामोलीन तेल और कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोगों को इसकी नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में इस तेल की कमी को पूरा करने के लिए उसे पामोलीन तेल आयात करने की अनुमति दी जाये;

(ग) क्या सरकार ने किसी अन्य राज्य को पामोलीन तेल आयात करने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक सरकार को यह तेल आयात करने के लिये अनुमति देने का है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) कर्नाटक सहित सभी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य तेल की आपूर्ति में रुकावट इसलिए आई थी, क्योंकि अप्रैल, 1991 से सितम्बर, 1991 की अवधि के लिए राज्यों को खाद्य तेल का आवंटन ही नहीं किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) अन्य राज्य जिन्हें अब तक पामोलीन का आयात करने हेतु अनुमति दी गई है, वे हैं— तमिलनाडु और केरल।

(ङ) कर्नाटक सरकार को पामोलीन के आयात के वास्ते पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

विभिन्न मंत्रालयों में आरक्षित पद

2279. **श्री राम शरण यादव** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा न भरने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) क्या इस कोटे को भरने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीधी भर्ती में आरक्षित रिक्तियों के कोटे को पूर्णतया भरे न जाने का मुख्य कारण, उक्त जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार, विशेषकर वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों वाले उम्मीदवार उपलब्ध न होना है। आरक्षित कोटे में पिछली बकाया उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं और बकाया रिक्तियों को और कम करने के लिए एक नए विशेष भर्ती अभियान पर विचार किया जा रहा है।

औषधों की कमी

2280. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अगस्त, 1991 के इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "ड्रग शार्टेज ग्रेव" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में तथ्य क्या है और उन पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ स्थानीय क्षेत्रों में कुछ बांड वाले सूत्रयोगों की कमी की कुछ घटनाओं को छोड़कर जिनके समतुल्य उपचारात्मक औषधें सामान्यतया उपलब्ध थी, किसी औषध की आम कमी की कोई सूचना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

जीवन रक्षक औषधों की कीमतें

2281. **श्री मोहन सिंह** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान जीवन रक्षक औषधों की कीमतों में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन औषधों की कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) आधार वर्ष 1981-82=100 के आधार पर औषधों और दवाइयों के लिये थोक मूल्य सूचकांक में कमी और वृद्धि वर्ष 1989-90 में 140.4 प्रतिशत की तुलना में 1990-91 में 149.6% थी।

आयोतित अन्तर्वस्तुओं पर आधारित दवाइयों की कीमतों में विनिमय दर समायोजन के कारण हाल ही में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है। फिर भी लगभग 200 सूत्रयोगों, जिनकी कीमतें विनिमय दर समायोजन के बाद संशोधित करके बढ़ा दी गई हैं, में से केवल 39 सूत्रयोगों की कीमतों में 20% या अधिक की वृद्धि हुई है।

(ख) अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि होने की स्थिति में दवाइयों की कीमतों में तदनरूपी वृद्धि होना अवश्यम्भावी है। सभी अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों की कीमतें सावधानीपूर्वक जांच के बाद एक फार्मूला एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नियत की जाती हैं ताकि इन दवाइयों की कीमतों पर उचित नियंत्रण रखा जा सके।

फसल कटाई के पश्चात खाद्यान्नों का नुकसान

2282. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल कटाई के पश्चात बर्बाद होने वाले खाद्यान्नों के मूल्य का आकलन करने के लिये कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्यान्नों का नुकसान रोकने के लिये फार्म स्तर पर उनके कुशल भण्डारण का प्रबन्ध करने हेतु अपनाई जाने वाली आधुनिक तकनीक का ब्यौरा क्या है और अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) खाद्यान्नों की कटाई-उपरांत हानियों का जायजा लेने के लिये इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, ऐसी हानियो को कम करने के लिये निम्नलिखित मुख्य तकनीकों का विकास किया गया है और अन्न सुरक्षा अभियान के जरिये इनका प्रचार किया जा रहा है।

(1) धात्विक बिनों और गैर-धात्विक भण्डारण ढांचों के कई डिजाइनों का विकास;

(2) कीट नियन्त्रण के लिये प्रधूमक मिश्रण अर्थात ई०डी०बी० प्लस का विकास;

(3) एल्यूमीनियम फास्फाइड एथीलीन डिब्रोमाइड, मेलाथियन और डी०डी०वी०पी० जैसी कीटनाशी दवाइयों की खुराकों का मानकीकरण;

(4) चूहा नाशक दवाइयों के कई नुस्खों की खुराकों का परीक्षण और मानकीकरण;

(5) खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डारण करने की पद्धतियों की कई एक संहिताओं का विकास;

(6) खाद्यान्नों का वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण करने के लिये किसानों, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं आदि को प्रशिक्षण; और

(7) रेडियो वार्ताओं, दूरदर्शन कार्यक्रमों, प्रैस रिपोर्टों, प्रदर्शनियों, फिल्म/स्लाइड शो के माध्यम से प्रचार और सूचना का प्रसार आदि एक विवरण संलग्न है जिसमें अन्न सुरक्षा अभियान की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण के रूप में है।

विवरण

सितम्बर, 1991 तक अन्न सुरक्षा अभियान की उपलब्धियां

क्रम सं०	कार्य की मद	उपलब्धियां
1.	वृत्तिका प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किए गए किसानों की संख्या	105546
2.	गैर-वृत्तिका प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किये गये ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं आदि की संख्या	522747
3.	गैर-वृत्तिका प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किए गए स्वयंसेवियों की संख्या	
4.	एसोसिएटिड प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या	141641
5.	प्रधूमित किए गए भण्डारण आधानों की संख्या (कीट नियन्त्रण)	811589
6.	खेत में प्रधूमित किए गए चूहों के बिलों की संख्या	188.66 लाख
7.	चरेलू मूषक नियन्त्रण के अन्तर्गत कवर किए गए घरों की संख्या	20.12 लाख
8.	किए गए रोग-निरोधी उपचारों की संख्या	165347
9.	निर्मित गैर-धात्विक भण्डारण ढ़ांचों की संख्या	17245
10.	स्वदेशी भण्डारण ढ़ांचों की संख्या जिनमें सुधार किए गए	56502
11.	तैयार कराए गए धात्विक बिनों की संख्या	617195
12.	राज्य सरकार के माध्यम से बेचे गए धात्विक बिनों की संख्या	607365
13.	दी गई रेडियो वार्ताओं की संख्या	3049
14.	दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या	623
15.	समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की संख्या	6179
16.	आयोजित किए गए फिल्म/स्लाइड शो की संख्या	17379
17.	आयोजित की प्रदर्शनियों और उन प्रदर्शनियों की संख्या जिनमें भाग लिया गया	12980
18.	दीवार पर की गई लिखाई (वाल स्टैंसिलिंग) (संख्या)	2038063
19.	जिन पत्रों/वैयक्तिक पूछताछ का उत्तर दिया उनकी संख्या	106795
20.	बांटे गए इश्तिहारों/पर्चों की संख्या	5421802

बिनौले के मूल्य

2283. **श्री काडम्बुर एन०आर० जनार्दनन** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेल निकालने में बिनौलों का उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या बिनौलों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण कपास उत्पादक प्रभावित होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो बिनौले के मूल्य स्थिर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) बिनौले के किसानों का मुख्य सम्बन्ध कपास के भावों से है। बिनौला एक गौण उत्पादन है। इसके मूल्य उनकी आमदनी पर कुछ सीमा तक असर डाल सकते हैं। तथापि, वर्तमान ऊंचे मूल्य स्तर को देखते हुए बिनौला उत्पादक लाभ की स्थिति में हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना उत्पादकों को देय गन्ने की बकाया राशि

2284. **श्री हरि केवल प्रसाद** :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान गन्ना उत्पादकों के देय गन्ने की बकाया राशि का राज्यवार विवरण क्या है; और

(ख) बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 15-9-91 तक या चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार 1990-91 मौसम के दौरान उन्ना उत्पादकों को देय गन्ने की बकाया राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) गन्ना कीमत का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है जिनके पास ऐसे भुगतान हेतु बाध्य करने के लिए आवश्यक अधिकार एवं क्षेत्रीय संगठन हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से गन्ना उत्पादकों को देय गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

विवरण

15-9-91 तक या चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार 1990-91 मौसम के दौरान गन्ना उत्पादकों को देय गन्ने की बकाया राशि की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार गन्ना कीमत का बकाया
1	2	3
1.	पंजाब	682.13
2.	हरियाणा	167.65

1	2	3
3.	राजस्थान	152.04
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	1833.89
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	3030.82
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	3295.20
	कुल उत्तर प्रदेश	8150.91
7.	मध्य प्रदेश	9.91
8.	दक्षिण गुजरात	83.28
9.	सौराष्ट्र	10.87
	कुल गुजरात	94.15
10.	दक्षिण महाराष्ट्र	79.04
11.	उत्तर महाराष्ट्र	325.63
	कुल महाराष्ट्र	404.67
12.	उत्तर बिहार	3270.92
13.	दक्षिण बिहार	104.87
	कुल बिहार	3375.79
14.	आसाम	0.75
15.	आन्ध्र प्रदेश	521.53
16.	कर्नाटक	575.57
17.	तामिलनाडु	522.75
18.	केरल	45.53
19.	उड़ीसा	0.00
20.	पश्चिमी बंगाल	0.49
21.	नागालैंड	42.39
22.	पांडिचेरी	0.00
23.	गोआ	0.00
	समस्त भारत	14755.26

सीमेंट की कीमतें

2285. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट औद्योगिक एककों को कीमतों की घटाने तथा वितरण का नया तरीका खोजने के लिए कहा है ताकि उसके कारखाना लागत मूल्य और खुदरा मूल्य में विसंगति को दूर किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इन सीमेंट एककों को और क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) इन एककों ने उन सुझावों को कहां तक लागू किया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) वित्त मन्त्री ने 7-10-1991 को सीमेंट विनिर्माताओं के साथ बैठक में उन्हें सलाह दी कि वे स्वेच्छा से मूल्यों को स्थिर रखकर सामाजिक दायित्व निभायें। उद्योग से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि डीलरों को केवल उचित लाभ की अनुमति दी जाए तथा उस स्तर पर कोई अनुचित मुनाफाखोरी ना हो।

(ग) अक्तूबर, 1991 के मध्य से विशेषत: उत्तरी क्षेत्र में प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों पर सीमेंट के मूल्यों में गिरावट की रिपोर्टें मिली हैं तथा सरकार सीमेंट के मूल्यों पर निरन्तर नजर रख रही है।

दिल्ली में पानी की कमी

2286. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

श्री पी० एम० सईद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पानी की कमी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या सरकार ने पड़ौसी राज्यों के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली में पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 50 गैलन की खपत के आधार पर इस समय मांग की तुलना में उत्पादन में वास्तविक कमी लगभग 125 से 150 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। यह कमी खासकर गर्मियों के दौरान विशेषकर अन्तिम छोर अथवा ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में महसूस की जाती है।

अतिरिक्त कच्चे पानी की आपूर्ति तथा मल निस्सार की अदला-बदली का मामला विभिन्न स्तरों पर हरियाणा सरकार के साथ उठाया गया है। कच्चे पानी की यह अतिरिक्त आपूर्ति मुख्यत: हैदरपुर में स्थापित किये जा रहे 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन क्षमता के द्वितीय जल संशोधन संयंत्र तथा नांगलोई और बवाना में स्थापित किये जाने वाले दूसरे जल शोधन संयंत्रों के लिए है।

दिल्ली को 300 क्यूसेक पानी टिहरी बांध के भण्डारण से आबंटित किया गया है जो मुरादनगर के समीप ऊपरी गंगा नहर को उपलब्ध किया जायेगा। इस समय निर्माणाधीन टिहरी बांध से इस

300 क्यूसेक पानी की रिलीज के आधार पर यमुना-पार क्षेत्र में 140 मिलियन गैलन प्रति दिन क्षमता का एक जल शोधन संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

नदी द्वारा सिंचित राज्यों के सिंचाई सचिवों के साथ एक अन्त: राज्य बैठक की गई थी जिसमें दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की पानी की आवश्यकता थर्मल स्टेशनों की शीतलन जल आवश्यकता सहित निर्विरोध रूप से 1.13 मिलियन एकड़ फुट (एस०ए०एफ०) मानी गई थी।

सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर यह मामला उठाया जा रहा है।

ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता देना

[हिन्दी]

2287. **श्री पी० एम० सईद** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जोड़ने के लिए एक आवश्यकता पर आधारित योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सातवीं योजना में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम को एक नियमित योजना कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में माइक्रो स्तर की क्षेत्र आधारित एकीकृत ग्रामीण योजनाएं तथा परियोजनाएं शामिल हैं जो जीवन निर्वाह के लिए ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्तिहेतु सर्वाधिक लागत प्रभाविता प्रदान करके ग्रामीण ऊर्जा को ग्रामीण विकास से जोड़ती हैं। आठवीं योजना में इस कार्यक्रम में ग्रामीण ऊर्जा तथा ग्रामीण विकास के बीच के सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

12.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, हमें बहुत ही परेशान कर देने वाली रिपोर्टें मिल रही हैं कि उड़ीसा के वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों से काफी संख्या में लोगों का आना जारी है। मैं विशेषरूप से बोलनगीर, कालाहाण्डी और कोरापुट जिलों की बात कर रहा हूं जहां आर्थिक स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। इस क्षेत्र की यह हर वर्ष की समस्या है और इससे निपटने के लिए भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने एक कार्यक्रम जिसे 'अडेप्ट' कहते हैं शुरू किया था इससे तात्पर्य है गरीबी उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण। इस कार्यक्रम के लिए दो वर्ष तक प्रधानमन्त्री राहत कोष 3.14 करोड़ रुपये के अलावा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय से

चलाया गया । दुर्भाग्य से इससे पहले कि उड़ीसा से गरीबी मिटाई जाती जून 1990 में इस परियोजना को ही खत्म कर दिया गया। क्या मैं सरकार से और विशेषरूप से प्रधानमन्त्री से जोकि यहां बैठे हैं पूछ सकता हूं कि क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इस 'अडेप्ट' कार्यक्रम को दुबारा शुरू किया जाए ताकि उड़ीसा के बोलनगीर, कालाहांडी और कोरापुट जिलों में लोगों को जिन आर्थिक परेशानियों एवं संकटों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस कार्यक्रम द्वारा दूर किया जा सके ?

इस कार्यक्रम के 12 घटक हैं । उनमें से दो महत्वपूर्ण घटक हैं कमजोर वर्गों के लिए पोषक भोजन और चलते फिरते स्वास्थ्य केन्द्र। इन बारह घटकों में से इन दो कार्यों के वास्ते प्रधान मन्त्री राहत कोष में से पैसा दिया गया। इस कार्यक्रम को केन्द्र, राज्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय के सहयोग से ही दुबारा चालू कर सकते है। यह कालाहांडी के 7 खण्डों और कोरापुट में 8 खण्डों से चल रहा था। प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने घोषणा की थी और वायदा किया था कि इसे बाद में और बढ़ाया जाएगा और बोलनगीर भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसे बोलनगीर तक बढ़ाने की बजाय पिछली सरकार ने इस परियोजना को पूरी तरह से बन्द कर दिया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उड़ीसा के इन वर्षा की कमी वाले जिलों की परेशानियों को देखते हुए, राजीव सरकार के किए वायदों को देखते हुए और इस कार्यक्रम की आवश्यकता को देखते हुए जोकि एक सकारात्मक कदम है तथा देश के लोगों के हित में है इस 'अडेप्ट' कार्यक्रम को उड़ीसा में पुनः शुरू करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा राज्य के बोलंगीर क्षेत्र मे हर साल सूखा और अकाल पड़ता रहता है। उस क्षेत्र के लोग अपना घर-द्वार और परिवार को छोड़कर पड़ोसी राज्यों में दो रोटी कमाने के लिये चले जाते हैं। उड़ीसा सरकार अभी तक उस क्षेत्र में कोई काम शुरू नहीं कर पाई है। जब इन्दिरा जी सत्ता में थीं तो उन्होंने कालाहांडी जिले में एडैप्ट प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा हैं कि जब जनता दल सरकार यहां सत्ता में आई तो उसी समय कालाहांडी जिले में एडैप्ट प्रोग्राम को बन्द कर दिया गया। उसके बाद जब राजीव जी बोलंगीर क्षेत्र में गये थे तो उन्होंने वहां आम सभा को सम्बोधित करते हुए बोलंगीर जिले में एडैप्ट प्रोग्राम शुरू करने के बारे में बोला था। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बोलंगीर जिले में राजीव जी ने जो आश्वासन दिया था, आम सभा में बोला था, उसे क्रियान्वित करने के लिये, तुरन्त उस जिले में एडैप्ट प्रोग्राम शुरू किया जाये, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मैं इस मांग का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि इस 'अडेप्ट' कार्यक्रम को तुरन्त शुरू किया जाए। इस कार्यक्रम से वास्तव में कालाहांडी और कोरापुट जिलों में जनजातीय लोगों को फायदा हो रहा था। जैसे कि आप जानते हैं इन दो जिलों के लोगों और बोलंगीर से भी लोग देश के विभिन्न भागों में जा रहे हैं क्योंकि वहां उनके लिए कुछ भी कार्य नहीं है और यहां तक कि वहां भूख के कारण मौतें भी हुई हैं जिनके बारे में इस सभा में चर्चा हुई थी। कोरापुट जिलों में तीन महीने में अन्दर लगभग 5000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मैं नहीं जानता कि इस कार्यक्रम को क्यों रद्द किया गया और इसके लिये पैसा क्यों नहीं दिया गया। मेरी मांग है कि

भारत सरकार तुरन्त 'अडेप्ट' कार्यक्रम' को शुरू करे और भारत सरकार द्वारा इसके लिए पर्याप्त पैसा दिया जाए ताकि इन जिलों के लोगों की सहायता की जा सके।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : इन तीन जिलों कालाहांडी, कोरापुट और बोलनगीर से लोगों का आना नियमित रूप से जारी है। उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार के पास इस विशेष परियोजनाओं के वास्ते एक प्रस्ताव भेजा था ताकि इस तरह की स्थिति दुबारा न आए। लेकिन पिछले 25 वर्षों में यह बार-बार होता आ रहा है। राज्य सरकार के पास धन नहीं है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार) : जनाब स्पीकर साहब, मैं निहायत गम और गुस्से के साथ अपने इन अहसासात को इस ऐवान के सामने जाहिर कर रहा हूं कि इसी महीने की 9 और 12 तारीख को सैनेगल में आर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कान्फरेंस के अरकान की मीटिंग होने जा रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं दिग्विजय सिंह जी, ऐसे नहीं चलेगा। सलीम साहब आप कन्टीन्यू रखें।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : अखबारों से यह पता चलता है कि इस मीटिंग में जो सैक्रेट्री जनरल हैं, उन्होंने जो एजेंडा मुरत्तब किया है, उसमें कश्मीर का सवाल आने वाला है। मैं ओ० आई० सी० के सैक्रेट्री जनरल के इस रवैये के खिलाफ पूरी ताकत से प्रोटेस्ट करना चाहता हूं।

जनाब स्पीकर साहब, गुजिस्तां 1990 की फरवरी के महीने में मैं जद्दे में मौजूद था। मैंने ओ० आई० सी० के सैक्रेट्री जनरल के साथ मुलाकात की थी और मैं डेढ़ घण्टे तक उनसे मिला था और मैंने अपनी उस मुलाकात में उनसे यह कहा था कि कश्मीर के मुआमले में पाकिस्तान की तरफ से जो मालूमात आपको दी जा रही हैं, वे निहायत मिसलीडिंग और गलत हैं। पाकिस्तान एकतरफा अपना केस आपके सामने पेश करता है और ओ० आई० सी० में हिन्दुस्तान के जो 15 करोड़ की तादाद में मुसलमान हैं, उनका कोई नुमाइंदा न होने की वजह से पाकिस्तान हमेशा एकतरफा केस आपके सामने रख देता है। मैंने सैक्रेट्री जनरल के सामने वे कागजात पेश किये, जिनमें मैंने उनको मुतमईन किया कि कश्मीर में प्लेबिसाइट का सवाल इस वक्त इर्रेलेवेंट हैं, इसलिए कि यू० एन० ओ० के जो रिजोल्यूशन्स हैं, उनकी रूह से पाकिस्तान पर लाजिम हैं कि पहले वह अपनी फौजें कश्मीर के तमाम हिस्सों से वापस ले, हिन्दुस्तान अपनी फौजें वापस ले। उसके बाद यू० एन० ओ० की नुमाइंदे की मौजूदगी में प्लेबिसाइट कराया जाएगा।

12.09 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पाकिस्तान ने कभी आज तक अपनी फौजें कश्मीर से वापस नहीं लीं। नतीजा यह है कि

पाकिस्तान ने अपने फर्ज को अदा न कर के हिन्दुस्तान को मजबूर किया कि वह कश्मीर में चुनाव कराए और आज तक वहां कई चुनाव हो चुके हैं, जिन्होंने कश्मीर की मुआफकत में अपनी राय का इजहार किया है। मौजूदा जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे पहले हबीब शती ओ० आई० सी० के सैक्रेट्री जनरल थे। उनसे भी मैंने इस मसले पर गुफतगू की थी और कहा था कि आप ओ० आई० सी० में मुस्लिम उम्माह की बात करते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, हिन्दुस्तान के पन्द्रह करोड़ मुसलमानों के बगैर ओ०आई०सी० में मुस्लिम उम्माह की नुमाइन्दगी कैसे हो सकती है ? आपको हिन्दुस्तान को उसमें नुमाइन्दगी देनी चाहिए। आपने तुर्की को, सेनेगल को नुमाइन्दगी दी है जो सेकुलर कन्ट्रीज हैं, इस्लामिक कन्ट्रीज नहीं हैं। आप मुसलमानों का ढोंग रचाकर हिन्दुस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, हिन्दुस्तान के पन्द्रह करोड़ मुसलमान इसको बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं।

पिछले अक्तूबर, के महीने में ईरान में एक कान्फ्रेंस हुई थी। वहां के जिम्मेदारों से भी मैंने गुफतगू की। मुझे पता चला कि उस कान्फ्रेंस में कश्मीर का सवाल उठाया जाने वाला है। मैंने गुफतगू की और उनको इस बात पर राजी किया कि कश्मीर का मसला इस फोरम पर न उठाया जाए। मुझे यह कहते हुये बहुत खुशी है कि ईरान के जिम्मेदारों के कश्मीर के ताल्लुक से दोस्ताना और हमदर्दाना रवैया इख्तियार किया और मेरे नुक्ता-ए-नजर से इतिफाक किया। इसी तरह से जब कोई इन्टरनेशनल फोरम होता है वहां पाकिस्तान अपना दांव खेलने के लिए हिन्दुस्तान को बदनाम करने के लिए लोगों को गैर मौअस्सर और गैर-सही वाक्यात पेश करता है। मैं ओ० आई० सी० से मतालबा करता हूं कि वह अगर कोई एजेंडा तैयार कर रहा है जिसमें कश्मीर का मसला आने वाला है तो उसमें हिन्दुस्तान के मुसलमानों को नुमाइन्दगी दी जाए ताकि हिन्दुस्तान के पन्द्रह करोड़ मुसलमान अपने जज्बात को ओ० आई० सी० से सामने पेश कर सकें। जहां तक कश्मीर के मसले का ताल्लुक है, सारे हिन्दुस्तान को और खासतौर से हिन्दुस्तान के मुसलमानों को उससे दुःख है। जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है उससे कोई मुसलमान, कोई हिन्दुस्तानी शख्स मुतमईन नहीं है। मुझे यह कहने में कोई भी पसोपेश महसूस नहीं हो रहा है कि कश्मीर के मामलात को कांग्रेस की हुकुमत और बाद की हुकुमतों ने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया है। कश्मीर के नौजवानों के मसले को हल किये जाने की जरूरत है और वहां जो कुछ जुल्म जाति हो रही है उससे हम सब नाखुश हैं, हम सब रंजीदा हैं। लेकिन इसके मायने यह नहीं हैं कि पाकिस्तान को हम खुली छूट दे दें कि वह इस मसले को इन्टरनेशनल फोरम पर लाकर गुफतगू करे। हम पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से चाहते हैं कि शिमला ऐग्रीमेंट की रोशनी में हमारे और उनके दरम्यान जो मामलात है वे तय हों। इस वक्त जो हाई कमीश्नर यहां पर मौजूद हैं उनको इस बात का इल्म है कि मैं जब जनरल जिया उल हक से मिला था तो मैंने गुफतगू की थी कि शिमला एग्रीमेंट की स्टेज को बरकरार रखा जाए और हिन्दुस्तान पाकिस्तान मिलकर अपने मामलात को तय करे। मैं इस ऐवान में पूरी ताकत के साथ हिन्दुस्तान के पन्द्रह करोड़ मुसलमानों की बात का इजहार करते हुए कहना चाहता हूं कि ओ० आई० सी० कश्मीर के मसले को सेनेगल में उठाने से परहेज करे वरना हिन्दुस्तान के मुसलमान उसके खिलाफ पूरी ताकत से एहतिजाज करेंगे।

جناب محمد یونس سلیم (کٹیہار) : جناب اسپیکر صاحب میں نہایت غم و غصے کے ساتھ اپنے احساسات کو اس ایوان کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں کہ اس مہینے کی نو اور بارہ تاریخ کو سینیگل میں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے ارکان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے ۔ ..

(انٹرپشن).....

ادھیکش مہودے : نہیں ٹنگو جے سنگھ جی، ایسے نہیں چلے گا ۔ سلیم صاحب آپ کنٹی نیو رکھیں ۔

جناب محمد یونس سلیم : اخباروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میٹنگ میں جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے جو ایجنڈا مرتب کیا ہے اس میں کشمیر کا سوال آنے والا ہے ۔ میں او آئی سی کے سیکریٹری جنرل کے اس ریویو کے خلاف پوری طاقت سے پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں۔

جناب اسپیکر صاحب، گذشتہ ۱۹۹۰ء کی فروری کے مہینے میں میں جدّہ میں موجود تھا ۔ میں نے او آئی سی کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ ملاقات کی تھی اور میں ڈیڑھ گھنٹے تک ان سے ملا تھا اور میں نے اپنی اس ملاقات میں ان سے یہ کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے جو معلومات ہم کو دی جا رہی ہیں وہ نسلیت مسلیڈنگ اور غلط ہیں ۔ پاکستان ایک طرفہ اپنا کیس آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور او آئی سی میں ہندوستان کے پندرہ کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہیں انکا

کوئی نمائندہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ہمیشہ ایک طرفہ کیس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ۔ میں نے سیکریٹری جنرل کے سامنے وہ کاغذات پیش کئے جن میں میں نے ان کو مطمئن کیا کہ کشمیر میں پلیبی سائٹ کا سوال اسوقت اِرریلیوینٹ ہے اس لئے کہ یو این او کے رینرولیوشنس ہیں ان کی رو سے پاکستان پر لازم ہے کہ پہلے وہ اپنی فوجیں کشمیر کے تمام حصّوں سے واپس لے ' ہندوستان اپنی فوجیں واپس لے ۔ اس کے بعد یو این او کی نمائندے کی موجودگی میں پلیبی سائٹ کرایا جائے گا ۔ پاکستان نے کبھی آج تک اپنی فوجیں کشمیر سے واپس نہیں لیں ۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے فرض کو ادا نہ کرکے ہندوستان کو مجبور کیا کہ وہ کشمیر میں چناؤ کرائے ' اور آج تک وہاں کئی چناؤ ہو چکے ہیں ۔ جنہوں نے کشمیر کی موافقت میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ۔ موجودہ جو جنرل سیکریٹری ہیں ' ان سے پہلے حبیب شکتی او آئی سی کے سیکریٹری جنرل تھے ۔ ان سے بھی میں نے اس مسئلہ پر گفتگو کی تھی ' اور کہا تھا کہ آپ او آئی سی میں مسلم امّہ کی بات کرتے ہیں ۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے پندرہ کروڑ مسلمانوں کے بغیر او آئی سی میں مسلم امّہ کی نمائندگی کیسے ہو سکتی ہے آپ کو چاہیئے کہ ہندوستان کو اس میں نمائندگی دیں ۔ آپ نے ترکی کو ' سینیگل کو نمائندگی دی ہے جو سیکولر کنٹریز ہیں ' اسلامک کنٹریز نہیں ہیں ۔ آپ مسلمانوں کا ڈھونگ رچا کر ہندوستان کو بدنام کرنا چاہتے

ہیں، ہندوستان کے پندرہ کروڑ مسلمان اس کو سرداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔

پچھلے اکتوبر کے مہینے میں ایران میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں کے ذمہ داروں سے بھی میں نے گفتگو کی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کانفرنس میں کشمیر کا سوال اٹھایا جانے والا ہے۔ میں نے گفتگو کی اور ان کو اس بات پر راضی کیا کہ کشمیر کا مسئلہ اس فورم پر نہ اٹھایا جائے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ ایران کے ذمہ داروں نے کشمیر کے تعلق سے دوستانہ اور ہمدردانہ رویہ اختیار کیا اور میرے نقطۂ نظر سے اتفاق کیا۔ اسی طرح سے جب کوئی انٹرنیشنل فورم ہوتا ہے وہاں پاکستان اپنا داؤں کھیلنے کے لئے ہندوستان کو بدنام کرنے کے لئے لوگوں کو غیر مؤثر اور غیر صحیح واقعات پیش کرتا ہے۔ میں او آئی سی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اگر کوئی ایجنڈا تیار کر رہا ہے جسمیں کشمیر کا مسئلہ آنے والا ہے تو اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کو نمائندگی دی تاکہ ہندوستان کے پندرہ کروڑ مسلمان اپنے جذبات کو او آئی سی کے سامنے پیش کر سکیں۔ جہاں تک کشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے سارے ہندوستان کو اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے دکھ ہے۔ جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے اس سے کوئی مسلمان کوئی ہندوستانی شخص مطمئن نہیں ہے۔ مجھے یہ کہتے میں کوئی بھی پس و پیش محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کشمیر کے معاملات کو کانگریس کی حکومت اور بعد کی حکومتوں نے اچھی طرح

سے ہینڈل نہیں کیا گیا ہے ۔ کشمیر کے نوجوانوں کے مسئلے کو حل کئے جانے کی ضرورت ہے' اور وہاں جو کچھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس سے ہم سب ناخوش ہیں ۔ ہم سب رنجیدہ ہیں ۔ لیکن اس کے معانی یہ نہیں ہیں کہ پاکستان کو ہم کھلے چھوٹ دیں کہ وہ اس مسئلہ کو انٹرنیشنل فورم پر لاکر گفتگو کریں ۔ ہم پاکستان سے چاہتے ہیں کہ شملہ ایگریمینٹ کی روشنی میں ہمارے اور ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے ہوں ۔ اس وقت جو ہائی کمشنر یہاں پر موجود ہیں انکو اس بات کا علم ہے کہ میں جب جنرل ضیاء الحق سے ملا تھا تو میں نے گفتگو کی تھی کہ شملہ ایگریمینٹ کی اسپیرٹ کو برقرار رکھا جائے اور ہندوستان پاکستان مل کر اپنے معاملات کو طے کریں ۔ میں اس ایوان میں پوری طاقت کے ساتھ ہندوستان کے پندرہ کروڑ مسلمانو کی بات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ او آئی سی کشمیر کے مسئلے کو سینیگل میں اٹھانے سے پرہیز کریں ورنہ ہندوستان کے مسلمان اس کے خلاف پوری طاقت سے احتجاج کریں گے ۔

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कल कई माननीय सदस्यों ने बोलने के लिए अपने हाथ खड़े किये थे। कई सदस्यों को अवसर नहीं मिला। इसी तरह कई माननीय सदस्यों को पिछले सत्र में एक भी शब्द बोलने का मौका भी नहीं मिला । इससे इन सदस्यों में थोड़ा क्षोभ है ।

इसलिए मेरे विचार में इस सम्बन्ध में प्रबन्ध किए गए हैं। मैं उसका प्रबन्ध इस तरह है कि जो नोटिस 10.00 बजे से पहले प्राप्त हो गये थे, उन्हें सूचीबद्ध किया गया हैं ? प्रश्नकाल के पश्चात अति जन महत्व के विषयों को उठाने के लिये 4-12-9। को दस बजे तक प्राप्त नोटिसों की सूची पहले ही उपलब्ध है । यह मेरे समक्ष है । उस सूची के अनुसार, मैं सदस्यों के नाम पुकारूंगा तथा जिन्हें अवसर न मिले, वे अपने आप को आहत अनुभव न करें । उन्हें कल अवसर मिल जायेगा ।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं। आज सदन का पहला दिन होने के कारण इसलिए कृपया आज कुछ रियायत दे दीजिए तथा भविष्य में हम इस प्रक्रिया का पालन करेंगे ।

श्री लोकनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कल आपने आश्वासन दिया था कि जिन सदस्यों के नोटिस कल प्राप्त हो गये थे, उन्हे अवसर दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल के लिए हमें कोई प्रणाली विकसित करनी होगी । आरम्भ से अन्त तक कुछ लोग खड़े होते रहेंगे लेकिन उनके नाम पुकारे नहीं जा सकेंगे हो सकता है उन्हें कोई अति आवश्यक मामला उठाना हो ताकि उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाया जा सके इसीलिए इस प्रणाली को अपनाया गया है । जो सदस्य 10.00 बजे से पहले नोटिस दे देते हैं, उनके नाम सूची में सम्मिलित किए जायेंगे तथा प्रश्नकाल के तुरन्त पश्चात उनके नाम पुकारे जायेंगे । मेरे विचार में यही सबसे न्यायोचित प्रणाली है ।

श्री बी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया बताईए मेरा नाम सूची में है या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहें तो मैं उन सदस्यों के नाम पढ़ देता हूं जिन्हें इस सूची में सम्मिलित किया गया है तथा जिन्हें अवसर प्रदान किया जायेगा । इस सूची में 30 नाम है । हमारे पास 45 मिनट का समय है । हम एक 1.00 बजे तक बैठ सकते हैं । इसलिए यह सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें ताकि बाद के वक्ताओं को भी अवसर मिल सके । आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव सारे सदन को मान्य होगा ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मैं सूची में सम्मिलित सदस्यों के नामों को पढ़ूंगा तो इसमें पांच मिन्ट का समय लग जायेगा । आपका पांच मिन्ट का समय व्यर्थ जायेगा । दूसरे हमें गणपूर्ति की कमी को भी नहसूस नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों के कारण यही बेहतर होगा कि नाम न पढ़े जायें ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : क्योंकि आप कार्यवाही का संचालन कर रहे है, इसलिए हमें यह मान्य है । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जैसाकि राज्य सभा में किया जाता है, आप भी अगर अनुमति हो तो प्रश्नकाल के तुरन्त बाद प्रपत्रों को सभा-पटल पर रखा जा सकता है, जिससे कि सभी को सुविधा होगी । राज्य सभा में ऐसा ही किया जाता है । यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन माननीय मंत्रियों को देखना चाहता है ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य सभा का उदाहरण दे रहे हैं, राज्य सभा में स्पेशल मैंशन रोज हो सकता है लेकिन हमारे यहां सबमिशन सप्ताह में एक बार ही होता है । आप सब को बोलने का एक-एक मिनट का समय दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्ता पक्ष से एक सुझाव मिला है तथा उसे स्वीकार या अस्वीकार करना सदन पर निर्भर करता है ।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना

चाहता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य श्री पी० सी० थामस संसद भवन के समक्ष अनशन कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैंने यह मुद्दा पहले भी उठाया था। प्राकृतिक रबड़ के मूल्य गिरने के कारण, केरल में रबड़ उत्पादक अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। मैंने एक सम्बन्ध में लिखित रूप में भी दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपने लिखित रूप में दिया है तो आपका नाम इसमें सम्मिलित होगा। और सभा भी सूची न पढ़े जाने के लिए सहमत हो गई है क्योंकि जो सदस्य बोलना चाहते हैं उनके नामों की सूची पढ़ने में पांच मिनट का समय तो लगेगा।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्निथला : यह एक गम्भीर मामला है। कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम कुछ नियमों का पालन करें। हमें कुछ नियमों के अनुसार कार्य करना होता है।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर) : भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोक तन्त्र होने का गौरव प्राप्त है। भारत के संविधान में धर्म, जाति या ऐसी अन्य किसी बात को मान्यता नहीं दी गई है। हम भारत के लोग, अभी भी युनूस सलीम साहब ने जो ओ० आई० सी० कांफ्रेंस होने जा रही है, उसके बारे में कहा है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं बाहर के जितने भी देशों के साथ हमारे डिप्लोमैटिक रिलेशन्स हैं, उन सब को यह बाज्ये कर देना चाहिए, वन्स-फार-आल, कि हिन्दुस्तान के भीतर हम सब एक हैं। यहां हिन्दू भी हैं, सिक्ख भी हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन जब हिन्दुस्तान के बाहर इण्डियन के बारे में सोचा जाए तो केवल इंडियन के बारे में सोचा जाए। किसी को भी यह हक नहीं है हिन्दुस्थान के मुसलमान के बारे में, सिक्खों के बारे में या हिन्दुओं के बारे में, कोई बाहर की शक्ति या बाहर की ताकत इस प्रकार से मसले को पेश कर सकती हैं।

[अनुवाद]

इस बारे में बहुत कम ही कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि ओ० आई० सी० न केवल कश्मीर के बारे में कुछ प्रस्ताव पारित करेगी बल्कि भारत में आतंकवाद के बारे में भी चर्चा करेगी। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह हमारा आंतरिक मामला है। भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व के सभी देशों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत में धर्मनिरपेक्ष सरकार है। हम किसी जाति, समुदाय अथवा धर्म को मान्यता नहीं देते हैं। भारत में सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है लेकिन भारत के बाहर किसी को भी भारतीयों के बारे में यह चर्चा करने का अधिकार नहीं है कि वह एक जाति का है या एक धर्म का है। इस बात को हमेशा के लिए स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कल ओ० आई० सी० में बाबरी-मस्जिद और राम जन्मभूमि का इशु उठाया जा रहा है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। यह हमारे देशवासियों का मसला है। राम-जन्म भूमि और बाबरी-मस्जिद के बारे में हम स्वयं फैसला करने के लिए समर्थ हैं, कोई दूसरा इसके लिए फैसला नहीं कर सकता है।

दूसरे, अभी-अभी मणिशंकर अय्यर जी ने उड़ीसा के लोगों के बारे में कुछ कहा है। मेरी पूरी सहमति उनके साथ है। पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर, जालौर, सिराही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर आदि क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। वहां पी० डी० एस० नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसको सूखाग्रस्त क्षेत्र डिक्लेयर करने वहां रिलीफ देने के काम को शुरू किया जाए। धन्यवाद।

श्री गंभीर सिंह (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भिवानी हरियाणा प्रदेश में पड़ता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने के बारे में केन्द्रीय सरकार सक्षम कदम उठाये।

उपाध्यक्ष महोदय, गांव चरखीदादरी की एक छात्रा के साथ कुछ सत्तारूढ़ बदमाशों ने ज्यादती की और उसका आपरण करने की चेष्टा की और उसको जान से मारने की धमकी दी। इस बात को जब उस लड़की ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बताने की हिम्मत की तो वहां के स्थानीय डी० एस० पी० ने रात को बारह बजे उस लड़की के मां-बाप को थाने में बुलाकर बुरी तरह से पीटा और उस लड़की को बेइज्जत किया और दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, उस लड़की के मां-बाप को यह कहा गया कि आपकी मुख्यमंत्री के सामने हमारे बारे में बोलने की कैसे हिम्मत हो गई। उस लड़की को मजबूर होकर अपने घर को छोड़ना पड़ा। पिछले महीने की 29 तारीख को वह लड़की यहां आल इंडिया विमेन्स कांफ्रेंस एण्ड होस्टल में आई हुई थी, जोकि भगवानदास रोड पर है। उस लड़की के मां-बाप को यहां से टेलीफोन किया गया कि आपकी लड़की की हालत बहुत ही नाजुक है और कोई ऐसी बात बताई गई। उसी रात को उस लड़की के मां-बाप ने खुदकुशी कर ली। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत उस लड़की को घर छोड़ना पड़ा? वे कोन सी परिस्थितियां थीं, जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत उसके मां-बाप को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, अपने अमूल्य जीवन को खोना पड़ा? मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार को बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज के अखबार में हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री, श्री भगवत दयाल शर्मा, ने चेतावनी दी कि भूतमाजरा गांव की दो लड़कियों का अपहरण किया गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। व्यवधान) मेरे क्षेत्र में एक हरिजन छात्रा के साथ बलात्कार किया गया। (व्यवधान) दिन-प्रति-दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री को तुरन्त बर्खास्त किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मैंने इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया हैं। सूची भी कार्यालय में बनाई गई है। सूची के अनुसार मैं सदस्यों के नाम पुकारूंगा। इसलिए कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें आपको निदेश नहीं देने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे निदेश दे सकते हैं लेकिन वे नियमों के अनुसार होने चाहिएं मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। अतः जो व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उन्हें संक्षेप में विचार व्यक्त करने चाहिएं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : एक माननीय सदस्य, श्री पी० सी० थामस, संसद भवन के बाहर

अनशन कर रहे हैं। हमें यह विषय उठाने की अनुमति दी जाए। वह सदस्य रबड़ से सम्बन्धित नीतियों के विरुद्ध संसद भवन के बाहर अनशन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब में सेना के दबाव के कारण वहां के जितने आतंकवादी और उग्रवादी हैं, ये विभिन्न राज्यों में जा रहे हैं और केन्द्र ने विभिन्न राज्य सरकारों को इस बारे में आगाह किया है, वे इस बात का ध्यान रखें कि उग्रवादी और आतंकवादी उनके राज्य में आ करके गडबड़ी पैदा कर सकते हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ने आज के समाचार-पत्र में यह छापा है :

[अनुवाद]

"यह समाचार प्राप्त होने के बाद कि पंजाब में सेना तैनात करने के बाद कुछ आतंकवादी राज्य से बाहर चले गए हैं और उन्होंने कहीं और शरण ले ली है केन्द्र ने उग्रवादी गतिविधियों के बढ़ने को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पड़ौसी राज्यों को सतर्क कर दिया है।"

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केन्द्र ने तो राज्य सरकारों को इस बारे में आगाह किया है, किन्तु क्या केन्द्र सरकार ने भी ऐसी कोई व्यवस्था की है जिसके कारण उन-उन राज्यों में जाकर के आतंकवाद या उग्रवाद की गतिविधियां और न पनपें और उसके कारण जो खतरे हैं उनको टाला जा सके।

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष जी, सिविल सेवा की परीक्षा में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री नीलम कुमार सिंह ने वर्ष 1985-86 की सिविल सेवा की प्रमुख परीक्षा दी थी, उक्त परीक्षा में हुई अनियमितताओं के कारण इनको अनुतीर्ण घोषित किया गया था। इन्होंने अपने साथ हुई धांधली के सम्बन्ध में बार-बार न्याय की मांग सहित संपूर्ण घटना की सी० बी० आई० से जांच के लिए कहा, निरन्तर प्रयास के बाद सी० बी० आई० से ज्ञात हुआ था कि वास्तव में नीलम कुमार सिंह के साथ धांधली की गई और इसलिए सी० बी० आई० द्वारा इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यह भी बताया गया कि सी० बी० आई० के सम्बन्धित अधिकारी श्री अशोक कुमार, एस० पी० द्वारा नीलम कुमार सिंह को सफल घोषित करने की रिपोर्ट भी अपने उच्च अधिकारियों को दी, परन्तु उक्त सन्दर्भ में आगे कार्यवाही नहीं हो पा रही है। निहित स्वार्थों के कारण कार्मिक विभाग इस प्रकरण को दबा कर समाप्त करना चाहता है। इस सम्बन्ध में कई बार न्याय दिलवाये जाने हेतु लिखा जा चुका है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सी० बी० आई० अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मंगवाकर देखें ताकि इस होनहार, प्रतिभावान छात्र के साथ न्याय हो सके। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दें।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष जी, मैंने हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए प्रश्न उठाया था और फिर पार्लियामेंट के सदस्यों का एक मेमोरेंडम ले करके रेल मन्त्री से मिला था, लेकिन आज पांच साल से बराबर भारत सरकार यह कह कर हजारीबाग जिला को रेलवे

लाइन से नहीं जोड़ना चाहती है कि वहां घाटा हो रहा है जब कि हजारीबाग जिला कोयला और अभ्रक से भरा हुआ है। (व्यवधान) इस तरह से अरबों रुपए की आमदनी हर साल केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को होती है। (व्यवधान) हजारीबाग को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ना, यह केन्द्र सरकार द्वारा सरासर उस क्षेत्र के साथ अन्याय होगा। वहां पर रेलवे संघर्ष समिति बना करके लोगों ने यह फैसला किया है कि अगर इस सदन में सरकार ने इस पर विचार नहीं किया तो हम जनवरी महीने से वहां पर कोयला और जो दूसरी चीजें निर्यात की जाती है और जो दूसरे राज्यों में जाती हैं हम उन चीजों को नहीं जाने देंगे।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि इस पर विचार करें और आठवीं पंचवर्षीय योजना में हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री बृजिश पटेल (सीवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान बिहार के सीवान शहर की ओर दिलाना चाहता हूं। सीवान रेलवे स्टेशन से 3 बजे सुबह जो इंटर-सिटी ट्रेन चलती है, यह छपरा, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, आदि स्थानों से होती हुई जाती हैं और इन स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारी इस रेल से सफर करते हैं। इसके चलने का समय 3 बजे है जोकि बहुत अरली हो जाता है, इसलिए इसका समय 4 बजे करना चाहिए। इसी तरह से सीवान के आगे पचरूखी स्टेशन पड़ता है, जहां पर शुगर मिल है और यहां की आबादी भी बहुत है। यहां से बहुत लोग पटना कार्य करने के लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम में केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पचरूखी स्टेशन पर इन्टर सिटी ट्रेन रुकनी चाहिए और इसका चलने का समय 3 के स्थान पर 4 बजे होना चाहिए। पहले भी यह चार बजे सुबह खुला करती थी।

श्री चनूभाई देशमुख (भड़ौच) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और अकाल मुंह फाड़ कर खड़ा है। अकाल ने अपने आने की खबर दे दी है। काफी बारिश होने के बावजूद भी गुजरात में कहीं-कहीं पहाड़ी इलाकों में 3 एकड़ जमीन में सिर्फ 20 किलो अन्न की प्राप्ति हुई है। गुजरात में छोटे-मोटे 142 बांध हैं, फिर भी सिर्फ पांच बांधों में ही पूरा पानी भरा हुआ है। गुजरात के कच्छ जिले के 3 लाख पशुओं ने स्थान परिवर्तन कर लिया है। गुजरात के 6000 गांव और 74 शहरों में पीने के पानी की कमी है। भरूच, अंकलेश्वर, जंबुसर, रांसोट, इंडियापाड़ा, सागबारा, वालिया, झगड़िया तहसीलों में भी पानी की विकट समस्या है। सूरत जिले के मांगरोल तहसील में मैं दौरा करने गया था और मैंने देखा कि मेरे आदिवासी भाई-बहन सड़ा हुआ गंदा, बदबू से भरा हुआ पानी पीते हैं। जिन पंचायतों को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, उनके इलाके में यह हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या को तुरन्त हल करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री भुवनचन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए अलग राज्य की मांग को उठाना चाहता हूं।

यह मांग इन पर्वतीय क्षेत्रों की लम्बे समय तक उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप की गई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक इन क्षेत्रों में विकास की अनेक समस्याएं हैं और यह अविकसित तथा अर्द्ध-विकसित रह गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले इन पर्वतीय क्षेत्रों में देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय होती थी। आज स्वतन्त्रता के 44 वर्ष बाद यहां प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और वास्तव में हमारे एक जिले में देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है।

आठ जिलों में से पांच अथवा छः जिलों में कोई उद्योग नहीं हैं।

इस कारण युवा वर्ग मैदानी इलाकों में आ गया है और पर्वतीय क्षेत्रों में केवल बूढ़े, पुरुष, महिलाएं और बच्चे ही रह गए हैं।

महोदय, (पर्वतीय क्षेत्रों) के लोग बहुत सीधे सरल, ईमानदार और वफादार होते है। हमारे यहां के लोग बड़ी संख्या में सेना में कार्य कर रहे हैं और वह विश्व में बेहतरीन सिपाही और लड़ाकू साबित हुए है। यह लोग शांतिपूर्वक अनुशासनबद्ध तरीके से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह लोगों को अलग राज्य की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लेने के लिए बाध्य न करे। मैं सभी राजनैतिक दलों से निवेदन करूंगा कि वह इस मांग को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के निकाल के लिए आवश्यक मानते हुए इसे एक वास्तविक मांग के रूप में देखें और उत्तर प्रदेश के पहाड़ों में एक अलग राज्य की स्थापना के लिए वह अपना समर्थन दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल की स्थापना के लिए सिफारिश की है। अतएव मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगा कि वह लोगों की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए अलग राज्य की स्थापना की मांग को स्वीकार करने की तुरन्त घोषणा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन लोगों से जो अपने हाथ खड़े कर रहे हैं यह निवेदन करूंगा कि वह अपने हाथ नीचे कर लें। मैं अपने पास उपलब्ध सूची के अनुसार ही चलूंगा। आज ही हम इस प्रयोग को कर लेते है। यदि कोई सूची नहीं होगी तो हम अपनी रूचि अनुसार बुला सकते है और उसमें कुछ गलतियां हो सकती है। अब श्री सैफुद्दीन चौधरी बोलेंगे।

श्री हस्नान मोल्लाह (उलबेरिया) : महोदय, पिछले तीन दिन से मैं नोटिस दे रहा हूं। आप मुझे बोलने के लिए नहीं बुला रहे है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कल श्री हस्नान मोल्लाह को लगभग यह आश्वासन दे दिया गया था। पिछले तीन दिन से वह मामले को उठाने का प्रयास कर रहे है। अध्यक्षपीठ द्वारा युवा सदस्यों को हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि उनका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है कि हमें माननीय सदस्यों का उत्साह बढ़ाना चाहिए और अध्यक्षपीठ भी उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहती है। लेकिन हमें ऐसे कुछ सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए जो सभी पर लागू हो।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ऐसा मामला उठाना चाहता हूं जिसका सदन के सभी माननीय सदस्यों से सम्बन्ध है। यह आइटम तीन दिसम्बर के इंडियन एक्सप्रेस के अंक में छपा था। यह दिल्ली में नजरबन्दी के दौरान हुई मौतों के बारे

में है। पिछले 23 महीनों से पुलिस की हिरासत में दस ऐसी मौतें हुई हैं। लोकतंत्र में जहां प्रत्येक व्यक्ति हमारे लोगों के मानवाधिकार के बारे में चिंतित है। पुलिस निर्दयता के साथ लोगों को पीट रही है और प्रताड़ित करने के लिए बहुत ही निर्दयी तरीके अपना रही है और इससे लोगों की मौतें हो रही है। नीचे ऐसे उदाहरण दिये गये हैं। जहां पुलिस की हिरासत में मौतें हुई हैं :

जनवरी 1990—सुभाष चंद—थाना गीता कालोनी

जून 1990—शम्मू खान—थाना सीलमपुर

अगस्त, 1990—योगेन्द्रपाल गुप्ता—थाना माडल टाऊन

फरवरी 1991—राम स्वरूप—थाना रामकृष्ण पुरम

मार्च, 1991—रेशना—थाना गोकुल पुरी

मई, 1991—जगन्नाथ—थाना लाहौरी गेट

जुलाई, 1991—ओम प्रकाश कौशिक—थाना तिमारपुर

अगस्त, 1991—जय राम—थाना पटेल नगर

नवम्बर, 1991—मुकेश कुमार—थाना कमला मार्कीट

नवम्बर, 1991—रघुनाथ कुमार—थाना गुरूतेग बहादुर एन्क्लेव

जब हमारे देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही हों तो हम किस तरह से चुप रह सकते हैं ? सदन के माननीय नेता यहां मौजूदा हैं। मैं विशेषतौर पर यह मांग करता हूं कि वह सदन को आश्वासन दें। विश्व समुदाय के आगे ऐसी बात इस राष्ट्र के सम्मान को घटाएंगी। उन्हें अब यह आश्वासन देना चाहिए कि वह इस मामले की जांच करायेंगे और उन अफसरों का पता लगायेंगे जो इस तरह के बर्ताव के लिए उत्तरदायी हैं। यह एक तरह की रुग्ण मानसिकता बन चुकी है कि जिन लोगों को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सजा दिये जाने से पूर्व थाने में ले जाया जाता है। उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हमारे देश में पुलिस राज्य नहीं है। यदि ऐसी घटनाएं राजधानी में होती हैं तो और कौन-सी जगह सुरक्षित है ? महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। इसकी जांच की जानी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो सदन को दोषियों का पता लगाने के बारे में विचार करना चाहिए और एक जांच बिठानी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल सरकार के ध्यान में महत्वपूर्ण मामलों को लाने के लिए होता है। और सरकार निश्चित रूप से उन पर ध्यान देती है। हम सरकार से तुरन्त जवाब देने की अपेक्षा नहीं कर सकते। सरकार उन पर ध्यान देती है।

दूसरे, यदि आप यह महसूस करते हैं कि यह वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है तथा अभी हाल ही में यह मामला उठा है तथा इस पर सभा में चर्चा करने की आवश्यकता है तब इसके लिए प्रक्रिया नियमों में विशेष प्रावधान किया गया है आप उसका उपयोग करके मामले को सभा के समक्ष ला सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके वक्तव्य के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता था कि हम इसकी

प्रशंसा करते हैं कि किसी भी मामले में सरकार तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकती है केवल कुछ है। अपवादस्वरूप मामलों को छोड़कर जिनमें कि अर्जुन सिंह जी का मिजाज अच्छा रहा है और उन्होंने उत्तर दिया है। परन्तु कल से वह भी उत्तर नहीं दे रहे है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। चाहे तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त न की जाए, परन्तु पीठासीन अधिकारी जिन मामलों को सभा में चर्चा करने की अनुमति देते हैं इसका अभिप्राय ही यही है कि वे महत्वपूर्ण मामले हैं। अब उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया है? सदस्यों को की जा रही कार्रवाई से अवगत नहीं जाता। कोई कार्रवाई की गयी है। कुछ भी कदम नही उठाये गए हैं। यहां तक कि नियम 377 के अधीन मामलों के सम्बन्ध में भी सदस्य के पास कोई औपचारिक पत्र भी नहीं भेजा जाता कि हमने इस मामले की जांच की है। इसमें क्या गलत है? मैं आपके अनुभव के बारे में नहीं जानता।

संसदीय कार्य मन्त्री श्री गुलाम नबी आजाद) : जहां तक 377 के अधीन मामलों का संबंध है, यह ठीक नहीं है। अऊ शून्य काल के बारे में मैं यह कहूंगा कि हम सदस्यों को सूचना देने में समर्थ नहीं है क्योंकि 40 सदस्य यहां पर बोलने हैं और मन्त्री जी सभा में वक्तव्य दे पाने की स्थिति में नहीं होते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे सार्थक बनाइये। अन्यथा इससे सदस्यों और पीठासीन अधिकारी में विवाद की स्थिति की आ जाती है क्योंकि पीठासीन अधिकारी ही इन मुद्दों को उठाने की अनुमति देता है। अत: कम से कम लोकतांत्रिक परम्परा का तो निर्वाह कीजिए। मैं जानता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा परन्तु कम से कम उन्हें उत्तर देना चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : शून्यकाल से अभिप्राय प्रश्न भी शून्य और उत्तर भी शून्य है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मानवता से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला रखा है। आप के अनुसार उन्हें उत्पीड़ित किया गया था। सरकार ने इसे नोट कर लिया है। सरकार काफी सजग है। सरकार पूरे मामले को ठीक करना चाहती है। चूंकि सरकार काफी सजग है अत: इस पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। शून्यकाल में सामान्यत: सदस्यगण महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं तथा इस जैसे मामले में जिसमें कि पुलिस की हिरासत में लोग मारे जा रहे हैं, सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी है और इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। दिल्ली में ही पुलिस हिरासत में दस व्यक्ति मारे गए हैं और सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगी। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम आशा करते हैं कि कम से कम दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस मामले में संसदीय कार्य मन्त्री अवश्य उत्तर देंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं गृह मन्त्री के नोटिस में इस मामले को लाऊंगा।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : जब वे सत्ता में नहीं थे तब उन्होंने पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु सम्बन्धी ऐसे ही एक मुद्दे पर काफी शोर-शराबा किया था। परन्तु अब वे भूल गए हैं। वे इसका उत्तर देने में इतना समय क्यों ले रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इस प्रकार आप दूसरे माननीय सदस्यों को शून्य काल में अन्य मुद्दे उठाने के अवसर से वंचित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री के० मुरलीधरन को बुलाऊंगा।

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, मैं कालीकट के पारपत्र कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा दिए गए हड़ताल के नोटिस की तरफ का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह प्रस्तावित हड़ताल कर्मचारियों की किसी भी मांग को लेकर नहीं की जा रही है बल्कि इसका मकसद पारपत्र कार्यालय की दयनीय स्थिति की तरफ सम्बद्ध अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना है।

फाइलें निपटाने के लिए इस कार्यालय के कर्मचारियों को एक दिन में 12 घंटे और छुट्टी के दिनों में भी कार्य करना पड़ता है। भवन के अन्दर जगह की कमी के कारण हर स्थान पर यहां तक कि क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी के कार्यालय कक्ष में भी आवेदनों के गठ्ठर पड़े हुए है। पारपत्र कार्यालय को इससे बड़े भवन में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव काफी लम्बे अर्से से लम्बित पड़ा है।

दिनांक 20-11-91 को होने वाली हड़ताल को कर्मचारियों ने मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया था। अतएव सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस कार्यालय को किसी बड़े भवन में स्थानान्तरित करने तथा और अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु तुरन्त कदम उठाये। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए सूची है। मैं सूची में परिवर्तन नहीं कर सकता।

श्री ई० अहमद : महोदय, केरल कांग्रेस (एम) के लोक सभा में एकमात्र निर्वाचित श्री पी०सी० थामस ने आज सुबह से संसद भवन के सामने मुख्य प्रवेशद्वार के समक्ष सत्याग्रह शुरू कर दिया है। उन्होंने यह हड़ताल प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में काफी गिरावट आने के कारण केरल के किसानों द्वारा झेले जा रहे गम्भीर संकट को सामने लाने के लिए की है।

मैं सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर उचित अधिकारी या मन्त्री द्वारा विचार किया जाए या वे उस स्थिति पर बताएं जिसके लिए श्री थामस ने सत्याग्रह किया है। मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं क्योंकि यह केरल का एक अत्यन्त गम्भीर मुद्दा है···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि क्या हम मुद्दा कर रहे हैं। यह शून्य चर्चा काल है। प्रत्येक सदस्य, अपने अनुसार महत्वपूर्ण विषय के बारे में एक पत्र द्वारा अपना नाम सूची में दर्ज कराता है और सूची के अनुसार हमें सदस्यों को बुलाना होता है। कोई चर्चा नहीं हो सकती···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप इस मामले पर चर्चा कराना चाहते हैं, तो इस विषय को कार्यसूची में सम्मिलित करने के और भी तरीके हैं। आप नोटिस दीजिए और जब विषय कार्यसूची में सम्मिलित हो जाए, तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुख्य बात यह है कि श्री थामस संसद भवन में सामने बैठे हैं। श्री अहमद के माध्यम से यह मामला प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी में लाया जा चुका है इसका उद्देश्य पूरा हो गया है। जहां तक अन्य कार्यों का सम्बन्ध है, यह हमारे ऊपर हैं कि हम सम्बन्धित मन्त्री को इसके लिए राजी करें और यह प्रयास करें कि मामला सुलझ जाए अगर आप चाहते हैं कि सभा में मामले पर चर्चा हो, तो आप प्रक्रिया नियमों में दिए गये तरीके अपना सकते हैं। वह हम हमेशा कर सकते हैं अब मैं श्री बन्डयार को बुला रहा हूं।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, आप सम्बन्धित मन्त्री से वक्तव्य देने के लिये कहें···
(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता यह सभी जानते हैं। अब एक बजने को है। अगर हम कार्यसूची से हट का कार्य करेंगे तो यह उनके साथ न्याय नहीं होगा जिन्होंने कार्यालय जाने का कष्ट किया और अपने नाम सूचीबद्ध कराए हैं। हमें धैर्य रखना होगा।

श्री ई० अहमद : महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय सदस्य सत्याग्रह पर बैठे हैं, अध्यक्ष कम से कम संगदीय कार्य मन्त्री को अभी या बाद में, इसका उत्तर देने का निर्देश तो दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, आप मन्त्री रहे है, जब भी ऐसा मामला आपके ध्यान में आता है तो निश्चय ही आप समस्या का समाधान करने उस स्थान पहुंच जाते होंगे। सत्ता पक्ष भी को समस्या सुलझना चाहता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं इसे वाणिज्य मन्त्री के ध्यान में लाऊंगा।

श्री के० तुलसिऐया वान्डायार (थंजावुर) : महोदय, सरकार के सीधे निरीक्षण में बने खादी और ग्राम उद्योग आयोग की इकाइयो को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि विभिन्न अधिकार द्वारा पंजीकरण के लिए परेशान किया जाता है और वे उनसे जुर्माने के तौर पर बड़ी राशि की मांग करते हैं।

चूंकि ये कुटीर उद्योग हैं और इनमें नियमित रोजगार भी नहीं है अतः उन पर इस प्रकार जुर्माना नहीं लगाना चाहिये। सरकार को तुरन्त इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये और सम्बन्धित सरकारों को निर्देश देना चाहिये कि वे इन अधिकरणों से कहें कि वे खादी ग्राम उद्योग आयोग और इसकी शाखाओं जैसे कुटीर उद्योगों को तंग करना बन्द करे। इसके बजाय उन अधिकरणों को इन उद्योगों का सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे मित्र देश नेपाल के प्रधानमन्त्री यहां आ रहे हैं। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति, भाषा और रक्त ने हमें एक सूत्र में बांधा है। पिछले कुछ दशकों से मैं अपने देश की बात कर रहा हूं इस प्रशासनिक स्तर पर और कभी कभी राजनैतिक स्तर पर नेपाल से एक प्रकार का 'जैसे को तैसा' व्यवहार कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमें नेपाल से मैत्रीपूर्ण एवं भ्रातृवत व्यवहार करना चाहिए और यह भी मानना चाहिए कि कई समस्याएं है जिनका समाधान अकेले नहीं हो सकता। विशेष रूप से नदी के पानी का इस्तेमाल बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं का निर्माण, व्यापार समझौते इत्यादि पर विचार होना चाहिए। हमें अपने छोटे पड़ोसी देश नेपाल की भावनाओं और संवेदनाओं का ध्यान रखना होगा और इनको ध्यान में रखते हुए इन मुद्दे को सुलझाना होगा। वर्तमान सरकार को प्रधानमन्त्री को सदन के नेता यहां बैठे हैं—उन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा और कोशी नदी पर बहु-उद्देश्यीय बांधों के मामले पर किसी निश्चित समझौते पर पहुंचना होगा, यह बांध अकेले ही 33 लाख किलोवाट पनबिजली उत्पन्न करेगा। 'करनाली', पंचेश्वर और भागमती पर समझौतों को अन्तिम रूप देना होगा। 1981 में परियोजना

रिपोर्ट भेजी गई थी। किन्तु अभी तक समझौता नहीं हो सका। मेरे विचार से दोनों ही देशों को हानि हो रही है। दोनों देशों के आपसी हित में इन सभी समझौतों को अन्तिम रूप देना होगा और कोई विवादास्पद बात नहीं होनी चाहिए और ना ही जैसे को तैसा व्यवहार होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह सभा हमारे भ्रातृवत देश नेपाल का स्वागत करती है।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मैं आभारी हूं कि आपने जो वादा किया था उसे निभाया है। मैं इस विषय को कल ही उठाना चाहता था क्योंकि माननीय गृह मन्त्री उस समय यहां बैठे थे। यह मेरे चुनाव क्षेत्र, लक्षद्वीप, से सम्बन्धित एक गम्भीर मामले के बारे में है। आपको उसका दौरा करने का अभी तक कोई समय नहीं मिला है। यह उद्योग-विहीन क्षेत्र है। लगभग 800 पद वहां रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासन कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वहां पर बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिल हो गई है और यह किसी भी समय विकराल रूप ले सकती है। हम जो इस सभा में हैं, हमें अवश्य कुछ करना चाहिए।

श्री तरित बरन तोपदार : इसके बारे में राज्य स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री पी० एम० सईद : पुलिस बल में नियुक्तियां करते समय, केवल 50 प्रतिशत पदों पर लक्षद्वीप के लोगों की नियुक्ति की जाती है और प्रशासन शेष 50 प्रतिशत पदों के लिये बाहर के लोगों की नियुक्ति करना चाहता है। इन मूल्य वृद्धि के दिनों में, ऐसी कार्रवाई से देश के विरुद्ध विद्रोह आरम्भ हो जायेगा। जब श्री गुलाम नबी आजाद राज्य मन्त्री थे, तो गृह मन्त्री की सलाहकार समिति इस सम्बन्ध में एक निर्णय लिया था। श्री एम० एम० जैकब ने भी मेरी बात का समर्थन किया था कि ऐसा फिर नहीं किया जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस महीने, 16 दिसम्बर से वे पुनः उसी पद्धति से भर्ती करने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में मुझे आतिवादी उपाय सभा में अध्यक्ष पीठ के समक्ष नीचे बैठ कर धरना देने जैसे कदम उठाने बाध्य न किया जाये। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री बकाया रिक्त पदों को तुरन्तु भरने के लिये लक्षद्वीप के प्रशासक को निर्देश दें और पुलिस बल में शत प्रतिशत भर्ती मुख्य भूमि से के लोगों में से नहीं वरन लक्षद्वीप के लोगों में से ही होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो जो होगा उसके बारे में सोच कर मैं यहां आता हूं। गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री केरल से हैं। यदि वे प्रशासक को ऐसा निर्देश नहीं देते तो शायद लक्षद्वीप और केवल के बीच जो सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मन्त्री तथा अन्य उपस्थित वरिष्ठ मन्त्री माननीय गृह मन्त्री महोदय तक यह बात पहुंचाएं जिससे कि वहां के प्रशासक के पास तुरन्त सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी और सतरह सदस्य बोलना चाहते हैं। कृपया अपनी बात को संक्षेप में कहें तथा अन्यों को भी बोलने का अवसर दें। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, मैं सार्वजनिक महत्व के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले को सभा तथा सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। यह माना जाता है कि हमारे महानगर में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लगभग पूरी तरह से असफल हो गई है। यहां तक कि आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं तथा चावल की भी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होती है और जो पूर्ति होती है वह भी बहुत अनियमित ढंग से होती है। कल के समाचार पत्रों में यह समाचार था कि इस समय जबकि हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग पूर्ण रूप से असफल हो गई है ऐसे समय में भारत सरकार लगभग छः लाख

टन गेहूं खुले बाजार में बेचने वाली है। महोदय, इस सरकार की नीति क्या है? मैं सरकार से इसे तुरन्त समाप्त करने के लिये कहना चाहता हूं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली असफल न हो जाये।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : महोदय आज के **इकानामिक टाईम्स** में यह समाचार छपा है कि विश्व हिन्दू परिषद ने राम जन्मभूमि सेवा समिति के साथ मिलकर यह योजना बनाई है कि वे 8 जनवरी, 1992 को अयोध्या में विवादास्पद पूजा-स्थल पर भगवा झण्डा फहराएंगे। महोदय, जैसी कि सूचना दी गई है, कि ऐसा उत्तर प्रदेश में भा०ज०पा० सरकार की सहमति से किया जाएगा और इस बीच सरकार से हर चरण पर परामर्श लिया जा रहा है। महोदय, यह खतरनाक बात है क्योंकि यह सम्पूर्ण स्थिति को एक बार फिर से साम्प्रदायिक रंग देने का जानबूझ कर किया गया प्रयास है और धर्मनिरपेक्ष देश की एक राज्य सरकार न्यायालय के विनिर्णय तथा संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्त के घोर उल्लंघन के इस साम्प्रदायिक कार्यक्रम से स्वयं को सम्बद्ध कर रही है। अतः, यह बहुत चिन्ता का विषय है और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, मन्त्री जी को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन्त्री जी को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की सरकार इस साम्प्रदायिक कार्यक्रम में पहली बार शामिल नहीं हुई है। अतः, वे अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, हमारे देश में दो करोड़ से अधिक निर्माण कार्य सम्बन्धी मजदूर हैं और वे अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं और सम्पूर्ण राष्ट्र को आवास उपलब्ध करा रहे हैं। महोदय, आप जानते हैं कि इनमें से 40 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। महोदय, उनके लिए आवास रोजगार तथा रोजगार-सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं है। उनके लिए कोई उचित कानून भी लागू नहीं है। महोदय, आप जानते है, कि याचिका समिति के बारहवें प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया था कि निर्माण-कार्य के मजदूरों के लिए कानून होना चाहिए और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने भी इसके लिये आश्वासन दिया था। इसके बारे में एक गोष्ठी की गई थी और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने यह घोषणा की थी कि वे कानून बनाएंगे और एक विधेयक का प्रारूप भी तैयार किया गया था।

महोदय, विभिन्न संगठनों ने इसके लिए मांग की थी, और आप जानते हैं कि न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने भी सरकार के सामने एक प्रारूप प्रस्तुत किया था। महोदय, यह सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग है, किन्तु उनकी सुरक्षा के लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अतः, मैं मांग करता हूं कि संसद को इस सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जाये, यदि इस सरकार को निर्माण कार्य के मजदूरों के लिए थोड़ी सी भी चिन्ता है तो वह ऐसा अवश्य करेगी।

महोदय, इसके साथ ही, मैं आपका ध्यान एक गम्भीर स्थिति की ओर भी दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं, कि पाकिस्तान में रहने वाले हमारे दर्जनों राजनायिकों को परेशान किया जाता है। पुलिस उनका पीछा कर रही है, उन्हें नजरबन्द रखा जा रहा है तथा उन्हें हर तरह से परेशान किया जाता है। हमारी सरकार ने इसका हलका सा विरोध किया है, किन्तु हमारे राजनायिक गम्भीर तनाव

में काम कर रहे हैं। इसके बारे में भी पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत की जानी चाहिए। सरकार इस पर अवश्य प्रतिक्रिया व्यक्त करे।

महोदय, सबसे पहले इस सत्र में निर्माण श्रमिक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मैं संसदीय कार्य मन्त्री से इसकी मांग करता हूं।

श्री सी० एम० सी० बालायोगी (अमलापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में हाल ही में हुई भारी वर्षा और बाढ़ से समुद्रतटीय क्षेत्र एवं गरीब लोगों को बड़ी क्षति हुई है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इन क्षेत्रों का दौरा किया और पाया कि कमजोर वर्ग के लोगों और मछुआरों की बड़ी तबाही हुई है। उनकी नावें समुद्र में बह गई हैं कि जिसके कारण उनका जीविकोपार्जन का साधन खत्म हो गया है तथा उनके घरेलू साज-सामान और खाद्य सामग्री को भी भारी नुकसान हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग बेघर हो गये हैं। चूंकि राज्य सरकार ने उचित राहत आज तक नहीं पहुंचाई है। अतः वे लोग प्रधानमन्त्री एवं आवास मन्त्री से सभी पीड़ितों के लिए राहत प्रदान किए जाने की अपेक्षा कर रहे हैं। मैं माननीय शहरी विकास मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के कमजोर वर्ग के बेघर लोगों के लिए अधिक आवास के आवंटन की स्वीकृति दें।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, पुणे स्थित केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ अनुसंधान निकाय केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र ने भूगर्भीय क्षेत्र में प्रशंसनीय अनुसंधान कार्य किए हैं। केन्द्रीय जल और विद्युत केन्द्र के भूगर्भशास्त्रियों और भूकम्पविदों ने उत्तरकाशी में हुए भूकम्प की भविष्यवाणी कर दी थी। भविष्यवाणी अवस्थिति घनत्व और सम्भावित प्रभावशील क्षेत्रों के सम्बन्ध में लगभग खरी उतरी है। इन अनुसंधानकर्त्ताओं ने उचित माध्यम से यानी सी० डब्ल्यू० पी० आर० एस० के निदेशक के माध्यम से जून 1990 से लेकर सितम्बर 1990 तक के अपने पत्रों से सरकार को अपने निष्कर्षों की सूचना दे दी थी।

फिर भी सरकार ने इन भविष्यवाणियों को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर थे। हजारों निर्दोष लोगों की रक्षा की जा सकती थी और बर्बादी को कम किया जा सकता था। सरकार की लापरवाही के कारण ही अनुसंधान निकायों पर खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपये निर्दोष जीवनों को नहीं बचा पाये।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सी०डब्ल्यू०पी०आर० एस० से प्राप्त इस प्रतिवेदन को उच्च स्तर पर गम्भीरता से क्यों नहीं लिया गया। इसकी जांच की जाए।...(व्यवधान)

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन तथा सरकार का ध्यान एक अत्यन्त ही गम्भीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि इण्डियन हिस्टारिकल कांग्रेस जो देश के सर्वाधिक सम्मानित निकाय है, को अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सामान्यतः इसके वार्षिक सम्मेलनों के खर्चों को मेजबान विश्वविद्यालय और तत्सम्बन्धी राज्य सरकार संयुक्त रूप से पूरा करती है। इस वर्ष यह सम्मेलन उज्जैन में होने वाला था जिसे अनुदान में मात्र 35000 रुपये की छोटी सी धनराशि मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई। जबकि उसी समय इण्डियन हिस्टरी एण्ड कल्चर सोसायटी, इतिहास संशोधक मण्डल जैसे अन्य हिन्दू हठवादी निकायों को भारी धनराशि प्रदान की गयी है। इन्हें 9 लाख रुपये की बड़ी धनराशि प्रदान की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि उज्जैन में होने वाले उक्त संस्थानों के सम्मेलनों में हिस्टारिकल कांग्रेस के

सम्मेलन को भी सम्मिलित कर लिया जाये। हमारी राय में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं विरुद्ध विचारों के इस मंच को हिन्दू हठवादी विचार मंच में परिवर्तित कर देने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

मेरे विचार से यह अत्यन्त खतरनाक है तथा इससे अन्य प्रकार के हठ प्रोत्साहित होंगे तथा समुचित अनुसंधान एवं शैक्षिक अखण्डता के मूल आधार को नजरअन्दाज कर दिया जाएगा। मैं सोचती हूं कि यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली सरकार को इस निकाय के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाना चाहिये ताकि इस तरह के वैचारिक हस्तक्षेप को कम किया जा सके।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : जो कुछ भी मान्य सदस्य ने कहा है उसके बारे में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अत्यन्त खेद के साथ उज्जैन में होने वाले इण्डिया हिस्टारिकल कांग्रेस के सत्र के रद्द होने सम्बन्धी स्थिति को नोट किया है। मैं माननीय सदस्या की इस बात से सहमत हूं कि इस तरह के सम्मेलनों में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जिनके कारण उनके सम्मेलनों के आयोजनों में अड़चनें पैदा हों।

राज्य सरकार अन्य संगठनों के साथ क्या व्यवहार करना चाहती है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यह पूर्णतया उनका अपना नजरिया है और वे जो चाहते हैं उसे करने को स्वतन्त्र है। किन्तु यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन है जो कई दशकों से आयोजित होता रहा है। इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसके लिए मुझे बहुत दुःख है।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने 3 लाख रुपये का विशेष अनुदान देने का निर्णय किया है और हमारा उससे अनुरोध है कि वे भारत में जिस स्थान में चाहे अपना सम्मेलन आयोजित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सूची में 17 अन्य व्यक्तियों के भी नाम हैं। मैं नहीं समझता कि प्रत्येक को बोलने का अवसर मिलेगा। यह पहला नम्बर है। दूसरा, मैं लगातार कह रहा हूं कि पूर्व वक्ताओं को जिन्हें एक अवसर मिल चुका है, उन्हें परवर्ती वक्ताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। यह सबसे अधिक आवश्यक है। प्रो० के० वी० थामस अन्तिम वक्ता होंगे।

प्रो० के० वी० थामस (एर्नाकुलम) : वर्तमान में, केवल में विद्युत का उत्पादन केवल पनबिजली परियोजना पर ही निर्भर है। जब कभी भी केरल में मानसून नहीं आता, उसे ऊर्जा के विकट अभाव का सामना करना पड़ता है। इसी सन्दर्भ में कैथनकुलम थर्मल ऊर्जा परियोजना का इतना महत्व है। इस प्रकार की विद्युत परियोजनाओं को केन्द्र सरकार से पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति लेनी पड़ती है। अभी तक सरकार द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति नहीं दी गई है।

इस परियोजना को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता रूस द्वारा प्राप्त हुई है। रूस की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें आशंका है कि रूस इस परियोजना को पूरी भी कर पायेगा या नहीं।

इस सन्दर्भ में मेरा सरकार से अनुरोध है, पहला यह कि इस परियोजना को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति दे तथा दूसरा इस महत्वपूर्ण थर्मल-ऊर्जा-परियोजना के लिए अन्य देशों से वैकल्पिक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पता लगाये।

1.07 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय यूरोनियम कारपोरेशन लिमिटेड, सिंह भूम के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) वर्ष 1990-91 के भारतीय यूरोनियम कारपोरेशन, लि० सिंहभूम, के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के सम्बन्ध में एक विवरण।

(2) वर्ष 1990-91 के भारतीय यूरोनियम कारपोरेशन लिमिटेड, सिंहभूम के बारे में महालेखा परीक्षक का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 803/91]

दिनांक 27 नवम्बर, 1991 को श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 100 के जवाब को सही करने वाली विवरण

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० कुरियन) : मैं 27 नवम्बर, 1991 को प्रो० मालिनी भट्टाचार्य द्वारा सी० आर० जी० ओ० सिलकन स्टील के उत्पादन और वितरण के सम्बन्ध में रखे गये तारांकित प्रश्न संख्या 100 पर दिए गए जवाब को सही करने वाली विवरण की प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 804/91]

रुण्ड्यूल एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता की वर्ष 1990-91 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1990-91 के रुण्ड्यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के सम्बन्ध में एक विवरण।

(2) वर्ष 1990-91 के रुण्ड्यूल तथा कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता की वार्षिक प्रतिवेदन तथा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक टिप्पणियों तथा परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 805/91]

याचिकाओ का प्रस्तुतीकरण

1.7½ म० प०

श्री दत्तात्रेय बंडारु (सिकन्दराबाद) : महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में, संविधान की अनुसूचि (अनुसूचित जन-जातियां) आदेश 1950 में आंध्र प्रदेश की जनजातियों (i) पारधी-प्रधान;

(ii) बडगाजंगम; (iii) वावेश और कुरमा/कुरमा गोल्ला को शामिल करने के बारे में सर्वश्री एम० किशोर राज, टरूप बाजार, हैदराबाद; एन० बाबूराव, भरत नगर हैदराबाद; जी० सायैहा, ओ० यू० कैम्पस हैदराबाद तथा वाई विरप्प, विकास नगर हैदराबाद द्वारा हस्ताक्षरित चार याचिकाओं को सभा में प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित होगी और पुनः हम 2.10 म० प० पर समवेत होंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इसके पश्चात ही चर्चा होगी।

1.08 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.15 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.15 म०म० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

[हिन्दी]

मनुष्यों द्वारा न खाये जाने योग्य खाद्य-पदार्थों का राजधानी में आंगनवाड़ियों के माध्यम से शिशुओं में वितरण के सम्बन्ध में करोड़ों रुपये का कथित घोटाला

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य और खेल तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"राजधानी में आंगनवाड़ियों के माध्यम से शिशुओं को दिये जाने वाले आहार, जो मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं है, की आपूर्ति में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : समेकित बाल विकास सेवा एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच संदर्भ सेवाएं, रोग-प्रतिरोधन और स्कूल-पूर्व शिक्षा सहित कई सामूहिक सेवायें प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवायें, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा की सेवायें प्रदान की जाती हैं। दिल्ली में कुल 26 आई० सी० डी० एस० परियोजनायें हैं। भारत सरकार पोषाहार को छोड़ आई० सी० डी० एस० के सभी

घटकों के लिए सम्पूर्ण धनराशि देती है। पोषाहार के लिए धन उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों का है, यद्यपि भारत सरकार केन्द्रीय प्रयोजित गेहूं आधारित पोषाहार योजना के माध्यम से तथा केयर और विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता के जरिये कुछ सहायता प्रदान करती है। परन्तु दिल्ली में सम्पूर्ण पोषाहार घटक पर धन खर्च करने तथा उसका प्रबन्ध करने का कार्य दिल्ली प्रशासन का है। भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ शिकायतें प्राप्त होने के परिणामस्वरूप दिल्ली प्रशासन ने पोषाहार की सप्लाई की सम्पूर्ण स्थिति की हाल ही में समीक्षा की थी और उन्होंने पोषाहार की गुणवत्ता में सुधार करने और सप्लाई प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. जो ऐजेंसियां कथित रूप से घटिया स्तर की सामग्री सप्लाई कर रहीं थीं, उनके सप्लाई सामग्री के नमूनों को गवर्नमेंट फूड लेबोरेट्री द्वारा जांच कराये जाने के बाद उनके नाम काली सूची (ब्लैक लिस्ट) दर्ज कर दिये गये और उनके माल की सप्लाई बन्द कर दी गई।

2. हाई प्रोटीन युक्त खाद्य मिक्स गंठा और मन्तू की सप्लाई भी लोगों द्वारा न पसन्द किये जाने के कारण और ठेकों में अनियमितताएं पाये जाने के कारण बन्द कर दी गई।

3. पोषाहार और कैलोरी के महत्व/मात्रा के बारे में मुख्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए खाद्य विशेषज्ञों के परामर्श से, विभिन्न आई० सी० डी० एस० केन्द्रों को सप्लाई की जा रही तैयार खाद्य सामग्री का पुनः चयन किया गया है। इस सम्बन्ध में लाभ प्राप्तकर्ताओं की पसन्द की ओर समुचित ध्यान दिया गया है।

4. संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में गठित पूर्ववर्ती क्रय समिति (पर्चेज कमेटी) को अद्यतन बना दिया गया है और आई० सी० डी० एस० योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त खरीददारी का निर्णय अब क्रय समिति द्वारा लिया जायेगा जिसके अध्यक्ष निदेशक/सचिव समाज कल्याण होंगे।

5. विचाराधीन संविदाओं को अब रद्द कर दिया गया है और नई संविदायें आमन्त्रित की गई हैं।

भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करें :—

(क) ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएं जिनके कारण ऐसी चूक हुई।

(ख) घटिया पाये गए सम्पूर्ण स्टाक को बदलना।

(ग) जब तक सप्लाई पुनः शुरू नहीं हो जाती विकेन्द्रीकृत स्थानीय खरीद की व्यवस्था करना ताकि पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना जारी रखा जाए और बच्चे वंचित न रहें।

दिल्ली प्रशासन ने अब सूचित किया है जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने घटिया खाद्य सामग्री को बदलने और व्यवधान की अवधि के दौरान पोषाहार में हुई कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध भी किये हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया के जवाब से बहुत निराश हूं और

निराश इसलिए हूं कि उनसे मेरी अपेक्षा कुछ और थी। उनका अपना काम करने का ढंग है, जिस तरह से जहां भी कोई गलत काम होता है, तो वे उसकी मुखालिफत करती हैं और लड़ाई लड़ती हैं। मुझे यह उम्मीद थी, इस प्रश्न पर आज संसद में बहुत ही खुलकर सरकार की तरफ से बयान देने का काम उनकी तरफ से हो जायेगा और निराश इसलिए हूं कि वह अपेक्षा मेरी पूरी नहीं हुई।

महोदय, मैं तीन बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह, जैसा मन्त्री महोदया ने बताया, कि यह काम पोषाहार देने का आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाता है, ऐसे बच्चों के लिए जिनको अपने घर में खुराक ठीक न मिलती हो। ऐसी गर्भवती महिलाओं को और उसके साथ-साथ ऐसी महिलाएं जो अपने शिशुओं का पालन-पोषण करने में अक्षम हैं, सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लगभग डेढ़ करोड़ ऐसे बच्चे, गर्भवती महिलायें और शिशुवती महिलायें हैं, जिनको इस कार्यक्रम से समूचे देश के पैमाने पर मदद मिलती है। यह लगभग दो लाख केन्द्रों के जरए, जिनमें तीन लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, दी जा रही है। कर्मचारियों का भी सवाल है, जिसको मैं इसमें लाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इन तीन लाख या उससे भी अधिक जो भी कर्मचारी हैं, उनका शोषण जिस प्रकार से पिछले एक साल में होता रहा है, अगर सरकार उस पर ध्यान देने का काम करती और उस शोषण को मिटाने का काम करती तो हो सकता है कि जिन बच्चों के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उन बच्चों को पूरी सुविधा उपलब्ध हो जाती। सौ-डेढ़ सौ रुपए के अन्दर उनसे दिन में आठ घण्टे काम लेकर यह सुविधा दी जाती है। उनकी मांग केवल पांच सौ रुपए की है और उस पर भी प्रदर्शन करो, जलूस निकालो, हड़तालें करो और इसमें पुलिस द्वारा लाठियों के जरिए उनकी पिटाई हो जाती है। इस समस्या का निदान अभी तक की सरकारों ने नहीं किया है। हमारी पार्टी सरकार में थी, तो उस वक्त भी निदान नहीं किया। हम चाहेंगे कि इस समस्या का हल करने का काम निश्चित हो।

आंगनबाड़ी द्वारा पोषाहार देने के काम में विदेशी पैसा भी है। यूनिसैफ का पैसा है और संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों का पैसा भी इसमें है। इस वर्ष के बजट में, जो आपने अभी पेश किया है, उसमें आपने कुल मिलाकर 439 करोड रुपए का इन्तजाम किया है, सारे देश के डेढ़ करोड़ बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं आदि के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह प्रावधान अत्यन्त गरीब, जिनका और कोई उपाय नहीं है ऐसे बच्चों के लिए और ऐसी महिलाओं के लिए है। इसमें जो प्रति बच्चा, दो महीने की उम्र से लेकर छ. साल तक की उम्र तक, खर्च होता है, वह 95 पैसे हैं। कुछ बच्चे ऐसे परिवारों के हैं, जहां उनकी खुराक बिल्कुल ही नहीं के बराबर है, तो उनके लिए 135 पैसे प्रति दिन और गर्भवती व शिशुवती महिलाओं के लिए 115 पैसे प्रतिदिन खर्च होते हैं। यदि आप इसका एवरेज निकालेंगे तो वह एक रुपया आकर बैठता है। इसमें प्रोटीन देना है, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए क्या-क्या काम करना है, यह सरकार का इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में रखा हुआ लक्ष्य है।

उपाध्यक्ष जी, दिल्ली में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन लाख बच्चे और महिलाएं हैं, जिनमें शिशुवती और गर्भवती दोनों शामिल हैं, तीन लाख लोग इसमें शामिल हो जाते हैं और तीन हजार आंगनवाड़ी दिल्ली में है। मेरी जानकारी के अनुसार इस साल के बजट में इस काम के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये हैं। अब मैंने कहा कि मैं बहुत निराश हूं मन्त्री जी के जवाब से, निराश होने का एक कारण यह है कि जो तथ्य इस विभाग से सम्बन्धित दिल्ली प्रशासन के अधिकारी, जिनका नाम है कुमारी नीता ..ाली, आपने जो तथ्य सार्वजनिक किये हैं मैं देखा रहा हूं कि उन तथ्यों को भी मन्त्री जी

ने इस बयान में देरी का काम नहीं किया है। यानी, आज देश में जहां भी हिन्दुस्तान के जिस शहर में, जिस व्यक्ति ने हिन्दू अखबार को पढ़ लिया, आज से 5-7 रोज पहले का, तो उस व्यक्ति को मालूम है कि यह मामला कितना गम्भीर है। लेकिन यह बयान जो अभी मन्त्री जी ने यहां पर पढ़ लिया, उसको पढ़ने पर ऐसा लगा कि कोई मामला नहीं है, ख्वामख्वाह सदन का समय खराब करने के लिए यहां पर खड़े हो गये हैं, हलका-फुलका कुछ गड़बड़ हुआ और हम उसकी जांच कर रहे हैं और जो शब्द मन्त्री जी ने प्रयोग किये हैं :

[अनुवाद]

जिन अधिकारियों से यह चूक हुई हैं, उनकी रेसपोंसिबिलटी फिक्स कर रहे हैं।

और रेसपोंसिबिलटी फिक्स करने के लिए हमने भी दिल्ली एडमिनिसट्रेशन को आदेश दिया और दिल्ली एडमिनिसट्रेशन ने कहा :

[अनुवाद]

रेसपोंसिबिलटी फिक्स करने के लिये उचित कारवाही की जा रही है।

यानी, कोई मामूली सी गड़बड़ हुई थी, व्यवहार में कुछ आगे-पीछे ठीक नहीं रहा तो हम उसको ठीक करने के लिये आदेश दे चुके हैं और एक कम्पनी को या जो कम्पनियां बहुत खराब चीजें दे रही थीं उनको हमने ब्लेकलिस्ट किया है और उनकी सप्लाई को हमने सस्पेंड किया है।

महोदय, मैं सदन के सामने वह तथ्य रखना चाहता हूं जो सार्वजनिक हो चुके हैं और मैं उनको पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि सम्पूर्ण रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, मैंने उनको हासिल करने की बड़ी कोशिश की, कल शाम से लेकर आज सुबह तक, लेकिन वह रिपोर्ट मेरे हाथ नहीं आई।

अन्त में, मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस पूरी रिपोर्ट को आपको इस सदन के सामने रखने का काम भी करना चाहिए ताकि सवाल की गंभीरता हम सब लोग समझ पाएं। मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लम्बी है। लेकिन जो काम की चीजें हैं उनको रखना चाहता हूं और इस संदर्भ में मन्त्री जी का बयान और तथ्य, ये दोनों सदन के सामने ठीक ढंग से, केवल बहस के लिए, इसलिए नहीं कि कोई आरोप करने के लिए, केवल तथ्यों की जानकारी हम लोगों को हो, इसलिये रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"कुमारी गीता बाली, विभाग की निदेशक···।"

अर्थात दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग की निदेशक।

"जिन्होंने युनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त पूरफ पौस्टिक कार्यक्रम की समीक्षा की है, ने बीज दी हिन्दू को बताया है···।"

यह 25 तारीख के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है।

"कि इस कार्यक्रम में अनियमितताओं के बारे में जानकर उन्हें गहरा आघात हुआ कि जिसके अन्तर्गत राजधानी में तीन हजार से भी अधिक आंगनवाडियों में 6 वर्ष की आयु तक के लगभग तीन लाख बच्चों को, गर्भवती महिलाओं तथा दुग्धपान कराने वाली माताओं को प्रति-

दिन 20 करोड़ की लागत पर उच्च प्रोटीन भोजन निशुल्क दिया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन को प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह संकेत किया है कि लगभग दो वर्षों से विभाग द्वारा अनुबंधित कम्पनियां या तो खाद्य पदार्थों की आपूर्ति ही नहीं कर रही हैं अथवा अनियमित आपूर्ति कर रही है, घटिया खाद्य पदार्थ दे रही हैं अथवा ऐसे पदार्थ दे रही हैं जोकि लाभभोगियों द्वारा अस्वीकार्य है अथवा मानव द्वारा उपभोग के अयोग्य है। कुमारी बाली ने यह भी पता लगाया है···।"

चूंकि उन्होंने इसकी जांच की है, तो यह परिणाम निकला है।

"कि कुछ फर्में तो ऐसी थी जोकि विभाग के साथ बिना किसी करार के पदार्थों की आपूर्ति कर रही थी।"

[हिन्दी]

आज दिल्ली में एडमिनिसट्रेशन भारत सरकार चला रही है, यहां पर गवर्नर है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, जिसको लेकर सदन में रोज हल्ला होता है।

[अनुवाद]

"वे ऐसे फर्में थी जो विभाग के साथ बिना किसी करार के पदार्थों की आपूर्ति कर रही थी अनुबन्ध प्रपत्र का वे स्थान जिस पर प्राधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं, खाली थे।"

उन्होंने यह पता लगाया कि पदार्थों की आपूर्ति कर रही कुछ फर्में ऐसी भी थी जोकि पदार्थों को बनाती ही नहीं है। परिणामस्वरूप उन्होंने दिल्ली की एक कम्पनी एम्बीमियस फूड प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक-लिस्ट कर दिया है व तीन अनुबन्ध रद्द कर दिये हैं तथा कुछ कम्पनियों को कहे गये खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने से मना कर दिया है क्योंकि ऐसा कोई अनुबन्ध नहीं है।

ब्लैक-लिस्ट की गई कम्पनी के उत्पादों की परीक्षक रिपोर्ट जोकि कृषि भवन स्थित सरकारी प्रयोगशाला द्वारा 30 सितम्बर, 1991 को इस विभाग को प्रस्तुत की गई है, में कहा गया है जिसे मैं उद्धृत करता हूं :—

"यह तीनों पदार्थ रस तथा मीठे तथा नमकीन बिस्कुट मानव उपभोग के योग्य नहीं थे।"

यह भी रिपोर्ट की गयी :

"बिस्कुट बनावट में बड़े खुरदरे थे, देखने में पूरे नहीं थे, चबाने में सख्त और स्वाद में अच्छे नहीं थे।"

सरकारी प्रयोगशाला की यह रिपोर्ट है। कुमारी बाली ने कहा है कि इस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर उन्होंने कम्पनियों के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कराया है। मैं पुनः उनके ही शब्दों को यहां उद्धत कर रहा हूं :

"नवजात शिशुओं और छोटे-छोटे बच्चों को ऐसे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करना एक घृणित अपराध है।"

एक प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मानव उपभोग के अयोग्य इस खाद्य पदार्थ से किसी की मृत्यु हुई हो। मैं इसके उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगा :—

"संभवत: ऐसी घटना नहीं घटी हैं क्योंकि या तो आपूर्ति मात्र कागजों पर ही थी, अथवा अनियमित थी; लाभभोगियों द्वारा ऐसे पदार्थ फेंक दिये गये क्योंकि वे देखने में अथवा स्वाद में अच्छे नहीं थे।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह तथ्य है, इस तथ्य के आधार पर मैं सदन के सामने आया और मन्त्री जी ने इन सारे तथ्यों की जानकारी सदन के सामने नहीं रखी, इसके लिए हम क्या कहें। यह बहस हम लोग ऐसे लोगों के बारे में कर रहे हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं और बात यहां पर बहुत स्पष्ट हो रही है। जो अधिकारी लोग हैं, जिन अधिकारियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाने की बात अभी तक चल रही थी, जांच होने तक चल रही थी, इन लोगों ने हिन्दुस्तान के गरीब से गरीब बच्चे, 6 साल की उम्र तक के बच्चे, उन बच्चों की माताएं, महिलाएं, उनके पेट की खुराक को छीनने का काम किया है और जिनकी चोरी को पकड़ने का काम इस निष्ठावान अधिकारी ने कर दिया है। यह बात बहुत स्पष्ट है और सरकार इतना ही कह रही है—

[अनुवाद]

"हमने उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहा है। उनमें से कुछ तो हमने ब्लैक-लिस्ट कर दी है और अधिकारियों पर भी रेसपोंसिबिलटी फिक्स कर रहे हैं।" अधिकारियों पर रेसपोंसिबिलटी फिक्स करने जैसे कोई बात नहीं है। अधिकारियों का तो पता चल ही जाता है।

[हिन्दी]

नई रिसपांसिबिलिटी क्या फिक्स करनी है, जब यह सारी जांच आपके सामने आई है कि कौन सा अधिकारी ठेका दे रहा था, कौन टेंडर खोल रहा था, कौन कांस्ट्रेक्ट पर दस्तखत नहीं कर रहा था और माल ले रहा था, कौन सी कम्पनियों से माल लेकर पैसा दिया जा रहा था, लेकिन पैसा कम्पनियों को नहीं गया, क्योंकि कम्पनियों ने कुछ दिया ही नहीं, लेकिन बिल दे दिया और वह पैसा दोनों के बीच बंट गया। बात बहुत साफ है, स्पष्ट है, इसलिए जो अफसर इससे सम्बन्धित हैं—

[अनुवाद]

रेसपोंसिबिलटी फिक्स करने का अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए; यह अपराधी हैं। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि वे सरकारी अधिकारी हैं। वे अपराधी हैं।

[हिन्दी]

आप इनके खिलाफ कार्यवाही करिए, इनको आप गिरफ्तार करवाइये और तत्काल गिरफ्तार करवाइये। एक क्षण के लिए भी ऐसे लोगों को सरकार के किसी विभाग या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी दफ्तार में नहीं बैठने देना चाहिए। ऐसे लोगों को बिठाकर हिन्दुस्तान के गरीब बच्चों के साथ इससे बड़ा जुल्म हम लोग नहीं कर सकते हैं।

उस गरीबी में उनको पड़े रहने का हम लोगों ने इस देश में आज तक का इन्तजाम बनाये रखा

है। जो थोड़ी बहुत विदेशी मदद होती है, यूनीसेफ वाले पता नहीं क्या इसके बारे में सोचेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में मुझे नहीं मालूम, लोग क्या इसके बारे में सोचेंगे कि हमारी सरकार में दिल्ली प्रशासन में ऐसे अधिकारी हैं, जो गरीब से गरीब के पेट से खुराक निकाल कर अपना घर बनाने का, अपना महल बनाने का काम कर सकते हैं। उनको गिरफ्तार करिए, ये क्रिमिनल्ज हैं, ये अधिकारी नहीं हैं। कांस्टीच्यूशन की धारा 311 की बात छोड़ दीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। तब हम कहेंगे कि सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही इस मामले में हुई है। दूसरा, उपाध्यक्ष जी, जिन कम्पनियों ने इस प्रकार से साजिश में हिस्सा लेने का काम किया उनको ब्लैक-लिस्ट करने की बात नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इण्डियन पीनल कोड है उसका इस्तेमाल करिये। यह कानून हम लोगों ने बनाया है, यह 1954 का कानून है--दि प्रीवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। इसमें से जो एक-एक चीज माननीय मन्त्री महोदया ने अपने बयान में दी है अथवा जो सार्वजनिक हो चुकी है, कुमारी बाली के बयान के चलते जो सार्वजनिक हो चुकी है, इसमें से एक-एक चीज, जो अपराध, एडल्ट्रेशन का अपराध इसमें आपने डिफाइन किया है, इसमें से एक-एक जुमला इसके अन्दर शामिल हो जाता और इस कानून के अन्तर्गत, धारा 16(ए) के अन्तर्गत स्पेशल कोर्टस बनाने का आपको अधिकार है। मुझे नहीं मालूम स्पेशल कोर्ट बनाया है या नहीं। जब कानून में उसके लिए प्रावधान है तो मेरा सुझाव है मन्त्री महोदया से कि तत्काल इस मामले को समरी ट्रायल के लिये दें।

क्योंकि ये विशेष अदालतें है जिन्हें दि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 16(ए) के अन्तर्गत समरी ट्रायल के लिये अधिकार प्राप्त है।

समरी ट्रायल के लिये, तमाम गलत माल को अपने विभाग को देने का, दिल्ली प्रशासन को देने का काम, आंगनवाड़ी को देने का काम जिन व्यापारियों ने किया या जिन कम्पनियों ने ऐसी चीजों को बनाया, जो खाने लायक नहीं, जानवरों के भी खाने लायक नहीं हैं, इन बच्चों के लिये आप दे रहे हो, इन महिलाओं को बना कर देने का काम कर रहे हो। ऐसे कारखाने इस दिल्ली में ये लोग चला रहे हैं। ये दिल्ली प्रशासन के अधिकारी और कारखाने तथा उसके साथ जुड़े हुये व्यापारी, दोनों मिलकर सरकार को लूटेंगे और लूटने के साथ-साथ उन बच्चों के पेट से खुराक निकालने का काम करेंगे। तो प्रीवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत आप कार्यवाही करने का इस सदन की आश्वासन दीजिये और अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करके उन पर मुकद्दमा चलाइये। कहीं न कहीं एक बार ऐसे काम को शुरू किया जाये जिससे लोग यह महसूस करें कि अब बहुत हो चुका है, इस तरह से लूट का राज्य हम लोग नहीं चलने देने वाले हैं। यह बात कम से कम लोगों को मालूम होनी चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जार्ज फर्नान्डीज साहब को बधाई देना चाहती हूं कि इन्होंने अच्छे अवसर पर अच्छा इश्यू हाउस के सामने रखा है और यह हाईलाईट भी हुआ है। मैं पहले आनरेबल सीनियर मैंबर को आश्वासन देना चाहती हूं, आपने जैसे पहले कहा है कि आपने बहुत इण्डस्ट्रीज के खिलाफ लड़ाई की थी, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं ? लेकिन मैं आज हाउस में आन रिकार्ड बोलना चाहती हूं कि इण्डस्टरी के खिलाफ लड़ाई करना जरूरी है, जो मैं अभी भी कर रही हूं, इसलिए कि इण्डस्टरी के खिलाफ लड़ाई करना जरूरी है। लेकिन जैसे आपने कहा, आप रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हैं। मैंने रिप्लाई दिया है, मैं आपके क्वेश्चन सुनने के लिए वेट कर रही थी, क्योंकि बाद में आपको रिप्लाई देना जरूरी था। आपने जो-जो प्वाइन्ट दिए हैं, मैं आपसे सहमत हूं। आई० सी० डी० एस० प्रोजैक्ट हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजैक्ट है। बच्चों के लिए यह प्रोजैक्ट है। जब यह प्रोजैक्ट

शुरू हुआ था तो केवल 33 प्रोजैक्टस थे, अब 2393 प्रोजैक्टस आपरेशनल हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि 2596 प्रोजैक्टस हो जाएं। बात यह है कि दिल्ली में जो स्कैंडल हुआ है, जो पेपर्स में आया है, आपको मालूम है दिल्ली में जो बिल्ली पावर्टी लाईन पापूलेशन है वह 3 लाख है।

लेकिन, हम लोग तीन लाख 26 हजार बच्चों और मदर्स को दे रहे हैं। इनको हम हैल्थ चैक-अप, इम्युनाइजेशन और रेफरल सर्विस दे रहे हैं। इसमें तीन हजार बहत्तर वर्कर्स और हैल्पर्स भी हैं। डिपार्टमेंट से हम लोग मेलेरी देते हैं। फूड देने का काम इम्पलीमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टैरीटरी के पास है। जब से यह बात पेपर में आई है तो हमने जांच करने के लिए आर्डर दे दिया। इसमें कोई इन्वाल्व होगा तो मिनिस्ट्री उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार है। इसके लिए हाई लेवल इन्वेस्टीगेशन हम डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी। यह काम डिपार्टमेंट के ज्वायंट सेक्रेटरी कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन, राज्य सरकार और यूनियन टैरीटरी को देखना चाहिए कि अच्छा खाना दिया जाता है या नहीं। यह जिम्मेदारी एक आदमी की नहीं बल्कि सभी की होनी चाहिए। मैं किसी एक आदमी को सपोर्ट नहीं करती हूं। यह कहा गया है कि यह काम दो वर्ष से हो रहा है, लेकिन हमारे पास इस बारे में कोई कम्पलेन्ट नहीं आई है। यह जानकारी सिर्फ अखबर में आई है। यह मालूम नहीं कि वाली की तरफ से दिया है या नहीं। मैं उसको सपोर्ट करना चाहती हूं। दिल्ली प्रशासन और भारत सरकार की फूड लेबोरेटरी ने सैम्पल चैक किया है। उसमें गलती निकालने के बाद उसका आर्डर कैंसल किया है, वह कंटीन्यु नहीं करेगा। उसको फ्रैश टैंडर का मौका देना जरूरी नहीं है। प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जो इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आयेगी तो उसके बाद जो भी कार्यवाही करनी होगी, वह अवश्य की जायेगी, मेरा कोई डिफरेंस नहीं है। जितनी मदद देनी चाहिए, वह देना बहुत जरूरी है। इसमें कोई इन्डीविजुअल इन्टरेस्ट काम नहीं करेगा। जब यह काम शुरू हुआ तो हमारी सरकार उस समय नहीं थी। आपने कहा है कि "यनिसेफ" का पैसा बहुत है। इसमें ज्यादा पैसा नहीं है, वह ट्रेनिंग देता है। दिल्ली प्रशासन सात करोड रुपया देता है और हम लोग तीन करोड सत्तर लाख रुपया देते है। इसमें दिल्ली प्रशासन और इसमें यूनिसेफ की ट्रेनिंग और इक्वीपमेंट वगैरह भी हैं। उसमें सौ आदमी जुड़े हुए हैं। मैं आश्वासन देती हूं कि हाई लेवल इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट आने के बाद हम कार्यवाही करेंगे। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्टस हैं उसमें आई० सी० डी० एस० भी हैं। अगर सैम्पल सर्वे के बाद कोई गलती मिल जाये तो हम अवश्य कार्यवाही करेंगे। इस तरह की कोई प्राबलम हो तो हमारे पास भेज दीजिए। कोई बन्दोबस्त होने से पहले हमको जानकारी होनी चाहिए। हमारे विभाग को बच्चों को और मदर्स को जितनी मदद देनी चाहिए, वह हम देते हैं। आप लोगों की भी मदद चाहिए।

14.45 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) बालाघाट, मध्य प्रदेश में तांबा स्मेलटिंग प्लांट स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : बालाघाट जिले में प्रचुर मात्रा में ताम्बा अयस्क प्राप्त होता है। वर्तमान में मजाजखण्ड माईन्स से तांबा अयस्क खनन कर खेतरी (राजस्थान) ले जाया जाता है जिससे भारी मात्रा में परिवहन व्यय होता है जिससे उत्पादन लागत अधिक होती है। बालाघाट जिला

उद्योगविहीन जिला है एवं यहां आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की बाहुलता है। वर्तमान में शासन द्वारा स्मेलटिंग प्लांट स्थापित करने हेतु विभिन्न स्थानों में सर्वेक्षण किया गया है। बालाघाट भूमि, विद्युत, पानी एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से उत्तम है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि बालाघाट स्मेलटिंग प्लांट स्थापित किये जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाये ताकि देश को तांबे की पूर्ति हो सके।

(दो) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17, में कालीकट, बाईपास मार्ग के दूसरे चरण के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण को स्वीकृती प्रदान करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : केरल में, कालीकट बाई-पास को बेगांलम से रमानाटुकारा तक अलग करने के लिए भारत सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी थी। इस बाई-पास की कुल लम्बाई 28.124 किलोमीटर है और इसका निर्माण कार्य चार चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। पहला पेंथीरेंकेव से रमानाटुकारा, दूसरा बेगांलम से मालापरम्बू, तीसरा कोट्टोली से पेंथीरेंकेव और अन्तिम मालापरम्बू से कोट्टोली है। अब यह सुनने में आ रहा है कि प्रथम चरण के लिए भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति हो गयी थी और सम्बन्धित भू-स्वामियों को हाल ही में इसका भुगतान भी कर दिया गया है।

तीसरे और चौथे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। दूसरे चरण में जो भूमि आती है, उसके लिए भूमि तथा मकानों के लगभग 1500 ऐसे मालिक है जिन्होंने अधिग्रहण अधीन अपनी भूमि की कीमत प्राप्त करनी है यद्यपि कुछ भू-स्वामियों ने इसके लिए उच्च-न्यायालय को भी सिफारिश की है। उच्च न्यायालय ने इस आशय का फैसला सुनाया है कि यदि वे चाहें तो वे भू-स्वामित्व बनाये रख सकते हैं। परन्तु लोक निर्माण विभाग के क्रियाकलाप रुक जानें और स्थानीय प्राधिरणों द्वारा लगाये गये पाबन्दी के कारण वे अपनी भूमि पर स्वामित्व बनाये रखने, अथवा उसे बेचने, या मरम्मत करवाने, अपनी मकानों को फिर से बनाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिये उनकी सम्पत्ति नष्ट हो रही है।

इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि दूसरे चरण के अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान की जाये और अविलम्ब मुआवजा वितरित किया जाये।

(तीन) महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों विशेषतया मराठवाड़ा तथा विदर्भ क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए पर्याप्त सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री अंकुशराव रामसाहिब टोपे (जालना) : महाराष्ट्र के बहुत से जिले विशेषकर मराठवाड़ा तथा विदर्भ भयंकर सूखे की चपेट में हैं। खरीफ की फसल नष्ट हो गई है क्योंकि इस वर्ष बरसात नहीं हुई। रबी की फसल भी सफल नहीं हुई। इसलिए बहुत से लोग रोजगार पाने के लिए मुम्बई भाग रहे हैं। इसलिए रोजगार गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत रोजगार प्रदान करने की अत्यन्त आवश्यकता है। यद्यपि महाराष्ट्र की सरकार कदम उठा रही है, केन्द्रीय सहायता की भी आवश्यकता है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त सहायता प्रदान की जाये।

(चार) मुम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों में अत्याधिक भीड़भाड़ से उत्पन्न हुई समस्याओं की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मुम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों के इस कदर अत्याधिक भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वहां पूरी व्यवस्था किसी भी समय ठप्प हो सकती है। नौ डिब्बों वाली उपनगरीय रेलगाड़ी जिसमें 862 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है, में अत्याधिक भीड़भाड़ वाली अवधि में 3408 यात्री सफर करते हैं जोकि इसकी स्वीकृत क्षमता से चार गुणा अधिक है। सितम्बर, 1990 में प्रकाशित रेल मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार "मुम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ इतनी अधिक है कि विश्व में इसका कोई सानी नहीं।" देश में हर रोज सफर करने वाले एक करोड़ यात्रियों में से मुम्बई में दैनिक यात्रिलों की संख्या 51 लाख है जोकि 50 प्रतिशत से भी अधिक है। रेल मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1990 में प्रकाशित परियोजना रिपोर्ट में भीड़भाड़ को कम करने के लिये 2000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की बात कही गई थी लेकिन इस परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति प्रदान करने तथा इसे लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं। इसलिए सरकार से मैं यह अनुरोध करता हूं कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जानी चाहिए। रेल मंत्री, वित्त-मंत्री, शहरी विकास मंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री, मुम्बई के नगर पालिका अध्यक्ष, थाने और मुम्बई के सांसद, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य होने चाहिये। समिति को इस सम्बन्ध में की जाने वाली परियोजनाओं के लिए जुटाई जाने वाली धनराशि, प्राथमिकताओं तथा इनके कार्यान्वयन के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें युद्ध स्तर पर प्रस्तुत करनी चाहिये।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि पश्चिम रेलवे के बोरीविली-विरार खण्ड में चार ट्रेक की व्यवस्था करने की पहली प्राथमिकता दी जाये, इसे दहानू तक बढ़ाया जाये और उपनगरीय रेल-यात्रियों के लिए वसाई-दिवा लाईन खोली जाये।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार में बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने तथा राज्य को और अधिक बिजली उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : आजादी के बाद पिछले 40 वर्षों में देश में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 1360 मैगावाट से बढ़कर करीब 64500 मैगावाट हो गयी है, इस प्रकार वार्षिक वृद्धि लगभग 9.5 प्रतिशत रही है। प्रति व्यक्ति बिजली खपत देश में 15 कि० वाट आवर से बढ़कर करीब 220 किलोवाट आवर हो गयी है लेकिन बिहार में विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि अपेक्षा-कृत बहुत कम रही है। वर्ष 1947 में राज्य में बिजली उत्पादन की क्षमता 150 मैगावाट थी जो 40 वर्षों में बढ़कर मात्र 1450 मैगावाट ही पहुंच सकी है। इस प्रकार बिजली उत्पादन की क्षमता में वार्षिक वृद्धि दर मात्र 5.4 प्रतिशत हो सकी जबकि इस अवधि में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत करीब 9.5 प्रतिशत है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति खपत की दृष्टि से भी देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार काफी पिछड़ा है। राज्य की प्रति व्यक्ति खपत करीब 104 किलोवाट आवर है जबकि राष्ट्रीय औसत खपत करीब 220 किलोवाट आवर है। उत्तर बिहार ऊर्जा की उपलब्धता एवं प्रति व्यक्ति खपत की दृष्टि से और भी पिछड़ा है। उत्तर बिहार का प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत मात्र 18 किलोवाट आवर है। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास के लिए जिन मूलभूत साधनों की आवश्यकता है उनकी उपलब्धता राज्य में काफी कम रही है।

राज्य की पन-बिजली ऊर्जा की संभावना करीब 538 मैगावाट आंकी गई है। इसके विरुद्ध पन-बिजली उत्पादन की 17 प्रतिशत क्षमता का ही विकास हो पाया है। इस तरह प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध होने के बावजूद भी राज्य में सुपर थर्मल पावर की स्थापना में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है।

राज्य के सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता को 1450 मैगावाट से बढ़ाकर करीब 2000 मैगावाट तक लाई जाये। इसके साथ-साथ केन्द्रीय क्षेत्र से राज्य को मिलने वाली ऊर्जा की उपलब्धता को भी कम से कम 850 मैगावाट तक बढ़ाई जाए।

[अनुवाद]

(छः) महंगाई भत्ते की अगली किस्तें बन्द करने आदि सरकार के प्रस्तावित वित्तीय उपायों की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : ऐसा पता चला है कि सरकार द्वारा अपनाए जा रहे वित्तीय उपायों में केन्द्रीय महंगाई भत्ते को जाम करना भी शामिल है तथा इस दिशा में आगामी दो वर्षों तक महंगाई भत्ते की किस्तें रोक देने का प्रस्ताव है।

यदि सरकार महंगाई भत्ते को रोक या जाम कर देती है तो इसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की पूरी कार्यरत श्रेणी के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाएगा।

विचाराधीन उपायों में डीजल और उर्वरकों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिकार क्षेत्र से अधिकांश मदों को हटा करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमी करना, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी में और अधिक पूंजी न लगाना भी शामिल है। यदि उपरोक्त उपायों को लागू किया जाता है तो इससे कर्मचारियों और कामगारों, किसानों और देश के आम लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः देश के कार्यबल के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से प्रस्तावित उपायों को तत्काल समाप्त करने का अनुरोध करूंगा।

(सात) हरियाणा में रोजगार के अवसर जुटाने की आवश्यकता

श्री बंगबीर सिंह (भिवानी) : हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है तथा वहां छोटी जोत वाले किसानों के लिये दो वक्त की रोटी जुटाना कठिन हो रहा है। श्रमिकों तथा शिक्षित वर्ग को भी अपनी जीविका के उपार्जन में कठिनाई हो रही है। लाखों की संख्या में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक रोजगार का प्रबन्ध करे। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी निवेदन करता हूं कि खाना पकाने की गैस मारुति कार स्कूटर्स आदि की एजेंसियां इन बेरोजगार युवकों को दी जायें जिससे कि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

(आठ) बंगलादेश को तीन बीघा का हस्तांतरण करने सम्बन्धी निर्णय की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : 'तीन बीघा क्षेत्र' बंगलादेश को पट्टे पर देने की कार्यवाही चल रही है। 'तीन बीघा' भारत का वो स्थान है जो पचास हजार भारतीयों की आबादी वाले कचलीवाड़ी स्थान को शेष भारत से जोड़ता है। वर्ष 1994 के इन्दिरा मुजीब समझौते के अनुसार स्थायी रूप से

तीन बीघा पट्टे पर दिया रहा जा है। यह समझ के बाहर है कि हमारी अपनी भूमि, दूसरों को पट्टे पर देने की क्या आवश्यकता है। भारत की सम्बंधौमिकता को अक्षुण्ण रखते हुए बंगलादेशियों को तीन बीघा के बहाकूराम व अंधारपोट के पारगमन अधिकार दिया जाना अधिक उचित होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इन्दिरा-मुजीब समझौते में उचित संशोधन करे तथा भारतीय स्वामित्व को सुरक्षित रखे।

2.55 म० प०

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) संशोधित विधेयक पर आगे विचार करेंगे। अब माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : श्रीमान्, हमने अपने नाम दिये हैं। हम भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए दो घण्टे नियत किये गये थे। पहले ही चार घण्टे और चौदह मिनट ले लिए हैं, जोकि इस चर्चा के लिए आबंटित समय से दुगुना है।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : हमने भी अपने नाम दिये हैं। छोटे ग्रुपों को इस विषय पर बोलने का कोई अवसर नहीं दिया गया। आपको छोटे ग्रुपों को भी कुछ समय देना चाहिए। आप प्रत्येक को दो या तीन मिनट दे सकते हैं। आर० एस० पी० के किसी भी सदस्य ने इस विषय पर कुछ नहीं बोला है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : आप हमें कम से कम पांच मिनट दीजिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : हमारे क्षेत्र की अनेक इकाईयां बन्द होने वाली हैं।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : किसी भी इकाई को बन्द नहीं किया जाएगा।

श्री पीयूष तीरकी : आप मुझे दो मिनट दीजिए।। श्रीमान, छोटे ग्रुपों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैंने भी अपना नाम दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा कल यह निर्णय लिया गया था कि आज चर्चा पूरी हो जाएगी और माननीय वित्तमन्त्री जी इसका उत्तर देंगे।

श्री पीयूष तीरकी : श्रीमान, मंत्री जी को हमसे सहमत होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ देर इंतजार करेंगे?

श्री मनमोहन सिंह : मैं इसे जल्दी समाप्त करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई इस बात की है कि इस विषय पर हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। इसका कोई अन्त नहीं होगा। अतः कृपया हमारा साथ दीजिए।

श्री पीयूष तीरकी : मंत्री जी को सदस्यों की कठिनाइयां समझनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : उपाध्यक्ष महोदय, कल यह निर्णय लिया गया था कि दो विषयों पर वाद-विवाद होंगे। नियम 193 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर एक चर्चा होगी और दूसरी चर्चा आर्थिक नीति पर होगी। इस विधेयक के लिए हमने पहले से ही ढाई घण्टे बढ़ा दिये हैं। इन चर्चाओं में छोटे ग्रुपों को अवसर दिया जाएगा। कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए दो घण्टे नियत किये थे और हमने पहले ही उस अवधि से अधिक समय ले लिया है। अब, ऐसा नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आशंका ये हैं कि कुछ कारखाने बन्द किये जाएंगे और श्रमिकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।

सदन ने इन दो विषयों पर विस्तार से चर्चा की है और कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वे इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा। मगर फिर भी, हमारे कुछ मित्रों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं और हो सकता है कि संसद में अब कहने के लिए नया कुछ भी न हो। दूसरे अन्य विषयों पर आपको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

3.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष जी, हम लोगों का भी नाम है, इसलिए इस बिल पर हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। हमें तो बोलने का अवसर ही नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य को सदन में बोलने का अधिकार है और उसे छीना नहीं जा सकता।

अब हम माननीय वित्तमंत्री जी से वाद-विवाद का उत्तर देने का अनुरोध करते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उन सभी सदस्यों को बड़ी रूचि से सुना है जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। यह एक बड़ा ही साधारण विधेयक है तथा मुझे यह कहते हुए खेद है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसके कई अर्थ निकालने की कोशिश की है; मैं आरम्भ में ही यह कहना चाहूंगा कि ये विधेयक सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी अथवा श्रमिक विरोधी नहीं है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द कराना नहीं है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त रूग्णता का समाधान करना है तथा इस समस्या का समाधान न करने से सार्वजनिक क्षेत्र का भी अहित होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को चर्चा में लाने की कोशिश की है परन्तु में उन्हें सादर यह कहना चाहूंगा कि ये ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना हमें संसदविद् के रूप में करना पड़ेगा, तथा ये वे समस्याएं हैं जिनका सामना दूसरे विकासशील देश कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, चीन में घाटे में चल रहे उपक्रमों के सम्बन्ध में आजकल गहन चर्चा चल रही हैं। चीन के प्रधानमंत्री ने अगस्त में यह बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की 40 प्रतिशत ईकाइयां रूग्ण हैं, वे इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। अगर हम रूग्णता से जुड़े इन मुद्दों को दबा देंगे तो सार्वजनिक क्षेत्र अपनी

[श्री मनमोहन सिंह]

महत्वपूर्ण भूमिका निभा नहीं पाएगा तथा हम आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे विचार में कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र लाभ कमाने के लिए नहीं हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम द्वारा लाभ कमाना आवश्यक नहीं है। परन्तु आप समाज सेवा के नाम पर सालों साल तक ऐसी स्थिति नहीं बनाए रख सकते जब सार्वजनिक क्षेत्र की हानि एक बड़ा रूप धारण कर ले। सार्वजनिक क्षेत्र के शुभचिन्तक के रूप में हम सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदा स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हो सकते। मैं श्रमिकों पर आरोप नहीं लगाना चाहता, हम सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं, प्रबन्धन हो या सरकार हो, इसके लिए सभी संयुक्त रूप से जिम्मेवार हैं तथा इसके लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए किसी निष्पक्ष तन्त्र का सूत्रपात करना होगा। अगर हमें इसमें सुधार के उपाय ढूंढने हैं तो वे क्या हैं—यही इस विधेयक का उद्देश्य है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र को उसकी सम्पूर्णता में देखें तो हमारे पास 244 के लगभग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं और उनमें एक लाख एक हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है। वर्ष 1989-90 में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल लाभ 4 48 प्रतिशत रहा। अब अगर आप इसमें से लाभकारी तेल क्षेत्र का लाभ निकाल दें तो यह लाभ बहुत ही कम रह जाता है। इसलिए आप इस प्रक्रिया को हमेशा के लिए नहीं अपना सकते। अगर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक न भी हों, तो भी हम इन उपक्रमों के लिए धन कहां से उपलब्ध कराएंगे? इसके बहुत से रास्ते हैं। इस साल के बजट में हम लगभग पांच हजार करोड़ की सहायता सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के द्वारा करने का प्रयास करेंगे; पिछले वर्षों में करीब एक हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रुग्ण इकाईयों तथा घाटे में चल रही इकाइयों की सहायता के लिए किया गया है। इसके लिए वित्त उपलब्ध कराने का क्या तरीका है? या तो आप विदेशों से ऋण प्राप्त करके इस घाटे को पूरा कीजिए, जिसके लिए सीमा निर्धारित करनी होगी। अगर आप यह विश्वास करते हैं कि कोई भी ऐसे देश को ऋण देगा जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त कर रहा है तथा इसका उपयोग सालों-साल घाटे में चल रही इकाईयों का घाटा कम करने के लिए कर रहा है तो मेरे विचार से यह एक बहुत बड़ी भूल होगी।

दूसरा रास्ता यह है कि हम घरेलू बाजार से ऋण प्राप्त करें अस्सी के दशक में हमने यह रास्ता भी अपनाकर देखा अगर इतना घाटा जमा हो जायेगा, यदि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश साधारणतया लगभग 45 प्रतिशत रहता है तथा राष्ट्रीय बचत में सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का 8 प्रतिशत हिस्सा है तो सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश को बनाये रखने का एकमात्र रास्ता और अधिक ऋण प्राप्त करना ही है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र लाभ नहीं कमा रहा है तो आप देश में व्याप्त ब्याज दर पर ऋण कैसे प्राप्त कर पायेंगे? इसके लिए एक और रास्ता घाटे की अर्थव्यवस्था है; जिस स्थिति में अत्यधिक मुद्रा स्फीति होगा। जिससे कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर गरीब लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे।

इसलिए, मेरा इस सदन से विनम्र निवेदन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की उन्नति कोई दलगत मुद्दा नहीं है बल्कि इस मुद्दे की ओर तो इस सदन के सभी पक्षों का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए तथा यह विधेयक इसी दिशा में एक प्रयास है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह एक पूर्ण नीति है। यह तो सार्वजनिक इकाईयों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करवाने का छोटा सा प्रयास है। यह तो एक बात थी, जो मैं स्पष्ट करना चाहता था।

इसके अतिरिक्त, इस चर्चा के दौरान बी० आई० एफ० आर० की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में

बहुत से प्रश्न उठाये गए हैं। मैंने यह कहा है कि बी० आई० एफ० आर० की कार्यप्रणाली का पुनरावलोकन करने की मेरी इच्छा है। बी० आई० एफ० आर० की कार्यप्रणाली के सरलीकरण के बारे में एक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करने का मेरा प्रस्ताव है। परन्तु इस सदन में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि बी० आई० एफ० आर० में मजदूर मूल संघों के हितों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया थया है। वास्तव में बी० आई० एफ० आर० के सदस्यों में भूतपूर्व मजदूर नेताओं को भी शामिल किया गया है। उदाहरणार्थ, श्री ए० टी० भौंसले, जोकि एक भूतपूर्व मजदूर नेता हैं, इस समय बी० आई० एफ० आर० के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, बी० आई० एफ० आर० जब भी पुनर्वास के लिए किसी विशेष मामले को लेती है तो वह अपनी जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक रूप से प्रकाशन करवाती है, विज्ञापन जारी करवाती है तथा प्रत्येक व्यक्ति को बी० आई० एफ० आर० के समक्ष अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए, यह सच नहीं कि सब कुछ चुपचाप हो जायेगा। ब० आई० एफ० आर० साधारणतया एक मामले की जांच के लिए 9 महीने से लेकर दो वर्ष तक का समय लेती है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि रुग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही करने के लिए जल्दबाजी से काम नहीं लिया जायेगा। सरकार एक स्वामी तथा संस्थापक के रूप में मजदूर नेताओं तथा श्रमिकों से बातचीत करेगी तथा हम इकट्ठे बी० आई० एफ० आर० के समक्ष जायेंगे और कहेंगे कि अगर बी० आई० एफ० आर० के निजी क्षेत्र के साथ बर्ताव में कुछ खामियां हैं तो उनका प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र पर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि निजी क्षेत्र की इकाईयों के मामले में कई बार बी० आई० एफ० आर० एकमुश्त प्रस्ताव प्रस्तुत करती है और इसे तत्पश्चात् संस्थापक, शेयरधारकों तथा वित्तीय संस्थाओं की सहमति भी प्राप्त करनी होती है तथा बहुत बार वे सहमत नहीं होते। इसी कारण एकमुश्त प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने के बावजूद, तुरन्त कार्यवाही करना कठिन है। परन्तु वर्तमान मामले में सरकार संस्थापक तथा मुख्य शेयर धारक है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके कारण रुग्ण सार्वजनिक उपायों की समस्या से निपटने के लिए सुधारात्मक उपाय ढूंढने की प्रक्रिया तेज होगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है कि इन उपायों को बन्द करना सर्वोत्तम विकल्प नहीं है। बन्द करना केवल अन्तिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए जबकि और सभी रास्ते बन्द हो गए हों तथा यह कोई दयाभावना का प्रश्न नहीं है। किसी भी सुसंस्कृत देश में सरकार का यह प्रथम उत्तरदायित्व है तथा मैंने और हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को कई बार दोहराया है तथा मैं इसे फिर दोहरा रहा हूं कि हम इस समस्या से इस प्रकार से निपटेंगे कि सक्रिय अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन की इस प्रक्रिया का भार कामगार वर्ग को न झेलना पड़े।

अब श्री इन्द्रजीत गुप्त मुझ से पूछते हैं: "आप यह सब क्या कह रहे हैं। यह राष्ट्रीय नवीकरण राशि क्या है, आपने अभी तक इसे स्पष्ट नहीं किया"।

यह सच है कि हम राष्ट्रीय नवीकरण निधि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आरम्भ में हमने इस वर्ष के लिए केवल 200 करोड़ रुपए रखे हैं। पुनर्वास प्रस्तावों के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार करने के लिए काफी समय है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि में वर्ष प्रतिवर्ष संसाधनों की वृद्धि करने की मेरी आकांक्षा है। इस निधि का उद्देश्य श्रमिकों को उस काम के लिए पुनः प्रशिक्षण प्रदान करना है जहां उन्हें फिर से नियुक्त किया जा सके। अगर कुछ तकनीकी जानकारी की प्रोन्नति की आवश्यकता होगी, अगर अच्छी तकनीक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को बचाना संभव होगा तो उसके लिए संसाधनों का प्रबन्ध करना भी

[श्री मनमोहन सिंह]

राष्ट्रीय नवीकरण निधि का कर्तव्य होगा। अगर किसी मामले में किसी इकाई को चालू रखना सम्भव नहीं होगा तथा जहां किसी इकाई के द्वारा किए जाने वाले उत्पाद की कोई मांग नहीं होगी, उस मामले में हम एकमुश्त मुआवजा देने का प्रबन्ध करेंगे जोकि बिल्कुल उचित होगा। श्रमिकों की सलाह से इस अन्तिम रूप दिया जायेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे। प्रत्येक इकाई के सम्बन्ध में गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। यही इस विधेयक का मूल उद्देश्य है। सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाईयों की समस्या का हम व्यापक तौर पर कार्यवाही के द्वारा समाधान नहीं कर सकते।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रबन्धन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है तथा कुछ दूसरों ने अन्य लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मेरे विचार में समय आ गया है जब हमें आज चर्चा से हट कर विशिष्ट कारणों पर गौर करना होगा। इन समस्या को दलगत दृष्टिकोण से नहीं परखा जाना चाहिए। इसलिए वास्तविक स्थिति के आकलन तथा रुग्ण इकाईयों की रुग्णता के कारणों का पता लगाने के लिए हमें बी० आई० एफ० आर० जैसी निष्पक्ष संस्था की आवश्यकता है। अगर हम एक समस्या से निपटने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं तो हम रुग्ण इकाईयों की समस्या से प्रभावकारी तरीके से निपट सकते हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना हूं कि वे इस विधेयक के अलग-अलग अर्थ न निकालें। मेरा यह कहना है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी विधेयक नहीं है। वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय पुनरुत्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को और सुदृढ़ करना है।

मेरे विचार में मेरे सहयोगी श्री चव्हाण ने इसका बड़ा सुन्दर निष्कर्ष निकाला है। श्री दिवे ने भी इसका उल्लेख किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के वर्तमान ढांचे की कमजोर नींव पर आप जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र का वास्तविक निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए रुग्ण इकाईयों की रुग्णता के कारणों को समाप्त करने के प्रभावकारी उपाय ढूंढना हम सबका संयुक्त उत्तरदायित्व है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : पूरे देश में यह भावना व्याप्त है कि यह सरकार सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध है लेकिन इसका विरोध किया जायेगा। आपने अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं की है आप सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, और इनमें जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे। आप इस बात को स्पष्ट करें। आपकी सरकारी क्षेत्र के लिए क्या नीति है? हम यही जानना चाहते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आंतरिक स्रोतों को उत्तरोत्तर बढ़ाने वाला सुदृढ़ सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शक्ति का स्रोत है और सरकारी क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने हेतु आंतरिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करना करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरु का यही स्वप्न था। उनका विचार था। कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ का समाजोपयोगी कार्यों में उपयोग करने से दो उद्देश्य पूरे होंगे; एक तो इससे संचय की प्रक्रिया तेज होगी और दूसरे आय तथा संपत्ति में विषमताएं कम होंगी। लेकिन यदि इनसे कोई लाभ नहीं होता है और इनमें केवल घाटा है तथा यह घाटा गरीबों पर कर लगाकर एवं घाटे की अर्थव्यवस्था से पूरा किया जाता है तब सार्वजनिक क्षेत्र पंडित जी द्वारा निर्धारित कार्य नहीं कर पाएगा। अब मैं इन भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं उन माननीय सदस्यों की भावनाओं को चुनौती नहीं दे रहा हूं जिन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं मानता हूं कि हम ऐसी समस्याओं का सामना पहली बार कर रहे हैं। इस बारे में कुछ भय और आशंकाएं हैं। लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि प्रधानमन्त्री जी ने

सभा में जो कहा है अथवा जो मैंने कहा है उसके विरुद्ध हम कोई नीति नहीं अपनाएंगे। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि कि श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा की जावे। प्रत्येक एकक की जांच की जाएगी तथा एकमुश्त पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। यदि किसी विशिष्ट एकक के बारे में किसी माननीय सदस्य के कुछ विशिष्ट विचार हैं तो उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : एक बार किसी उपक्रम का मामला बी० आई०आर०एफ० को सौंप दिया जाता है तब यह माना जाता है कि वह रुग्ण हैं अन्यथा उसे इस बोर्ड को न सौंपा जाता। निदेशक मण्डल अपनी समझ के अनुसार इसे रुग्ण उपक्रम मानता है। मेरा यह कहना है कि जब तक ऐसा अमल आए, उससे पहले ही सरकार को यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि उस उपक्रम विशेष में रुग्णता के क्या कारण हैं और इस कारण श्रमिक संघों और अन्य लोगों की सहायता क्यों न लें? श्री संगमा ने जांच समिति गठित करने का आश्वासन दिया है जिसके बारे में हमने अभी तक कुछ नहीं सुना है। इसका स्वरूप क्या होगा? बी० आई० एफ० आर० को सौंपे जाने अथवा इसे रुग्ण घोषित करने से पहले रुग्णता और घाटे का पता लगाकर उसकी रोकथाम की जा सकती है तथा सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है आप इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि त्रिपक्षीय तन्त्र की उपेक्षा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यदि वह तन्त्र सरकारी क्षेत्र के एकक को पुनः चालू करने का सुझाव देता है तब सरकार उसे भी बी० आई० एफ० आर० के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : जांच का क्या अर्थ है? (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : इन मामलों पर चर्चा हो चुकी है। रुग्णता कोई नया विषय नहीं है। कुछ लोग इसके लिए श्रमिकों को दोषी ठहराते हैं और कुछ प्रबन्धकों को। अतः इन मामलों से निपटने के लिए अब आपको कोई व्यवस्था करनी ही होगी। मेरे विचार से बी० आई० एफ० आर० ऐसी ही एक व्यवस्था है। लेकिन मैं माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त को यह आश्वासन देता हूं कि यदि त्रिपक्षीय प्रबंधन द्वारा कोई सुझाव दिए जाते है तब सरकार एकमुश्त पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए बी० आई० एफ० आर० से निवेदन करेगी कि इन्हें भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन हम ऐसी स्थिति सदा बनाये नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष दर वर्ष चर्चा चलती रहती है और उसके कोई निष्कर्ष नहीं निकलते। लेकिन बजट में घाटा उठा रहे इन एककों को राजसहायता देने के कहा जाता है। मुझे खेद है कि इसे स्थायी बनाये नहीं रखा जा सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि यह व्यवस्था बनाकर हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक पक्ष द्वारा रुग्ण एकक की समस्या का शीघ्र प्रभावी समाधान करने का प्रयास किया जाये। यदि हम ऐसा नहीं करते तो रुग्णता बढ़ती रहेगी और इससे वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाएगी जैसाकि श्री दिघे ने कल कहा था।

सरकारी क्षेत्र के एककों में हम जिस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसके कारण अनेकों देशों विशेषरूप से पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम उनके जैसी स्थिति यहां पैदा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र सुदृढ़ और कुशल हों। हम महसूस करते हैं कि यह विधेयक सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा। यह सरकारी क्षेत्र विरोधी विधेयक नहीं है और न ही यह श्रमिक विरोधी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए इस माननीय सभा से अपील करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह :

"कि औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन, सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

तृतीय वाचन में आपत्ति है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, केवल कुछ ही सदस्यों ने अपने नाम दिए है, सभी सदस्यों ने नहीं अतः तृतीय वाचन एक स्वीकार्य अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सुस्थापित सिद्धांतों और परम्पराओं का पालन करना है।

"आमतौर पर तृतीय वाचन में भाषण की अनुमति नहीं दी जाती है; केवल असाधारण स्थिति में ही अनुमति दी जाती है और यदि सदस्य समय से नहीं आते हैं तब उसे असाधारण मामला नहीं माना जा सकता है। स्थिति यह है कि तृतीय वाचन में चर्चा केवल उन संशोधनों अथवा परिवर्तनों पर ही की जाती है जो खंडवार वाचन के चरण पर किए गए थे।"

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, जब डा० मनमोहन सिंह बोलते हैं तब कोई कह सकता है कि**। समस्या यह है कि यदि हम साक्ष्य देखें तो हमें कुछ संदेह हो जाता है। ऐसा क्यों है ? उन्होंने आश्वासन दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों को सभा के समक्ष रखा जाएगा। अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि वह ** कहते हैं तो यह असंसदीय है। यह बात कि माननीय वित्त मन्त्री ** हैं, असंसदीय है और इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी असंसदीय है हम उसे हटा देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रत्येक व्यक्ति और विशेषरूप से माननीय वित्त मन्त्री को आश्वासन देता हूं कि हम उनकी ईमानदारी को चुनौती नहीं दे रहे हैं। बात केवल यह है कि वह गलत सहयोगियों से घिरे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, समस्या है कि सभी आश्वासनों के बावजूद हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के बारे में नहीं बताया गया है। दूसरे, किसी न किसी कारण से नरसिंहम समिति की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत नहीं की गई है। तीसरे, हमें पेनेवल कोष के बारे में जानना है जिसके बारे में सभा में अनेक बार कहा गया है। यह बिल्कुल सही है कि हमें यह बताया गया कि सरकारी क्षेत्र के प्रारम्भ करने का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं हैं बल्कि इसके अन्य अनेक कारण भी हैं। न केवल आत्म-निर्भरता बल्कि अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के अलावा समतावाद का मुद्दा था और समतावाद से और रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उत्पन्न होते हैं। हमने पहले भी इस बात का उल्लेख किया है कि पिछले अनेक वर्षों से सरकारी क्षेत्र ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र ने ये अवसर कम किए हैं। अब यह स्थिति बदली जा रही है। सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र का अनुसरण करेगा और दोनों साथ-मिलकर अब तक देश में रोजगार के जितने अवसर उपलब्ध हैं, उन्हें कम कर देंगे। हमें इसी बात का डर है।

हम उनके अनुरोध के बावजूद भी विधेयक पारित करने का विरोध कर रहे हैं। हमने पुरःस्थापन के समय ही कहा था कि वे जल्दी में क्यों हैं ? आप सहमत होंगे कि पिछले दस सालों में प्रत्येक मामले हमारी उदारीकरण की नीति की परिणति इसी तरह के विधेयक के रूप में हुई है। अर्थव्यवस्था में हमारी राशि निवेश की नीति अर्थात सभी अधिगृहित इकाईयों में श्रमिकों की मजदूरी चुकाने के अतिरिक्त हम किसी प्रकार का राशि निवेश कर रहे हैं और इसी कारण यह गतिरोध पैदा हुआ है।

श्री मनमोहन सिंह : आज देश में धन का अभाव है (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह कह रहा हूं कि पिछले बीस या दस सालों में इस तरह की नीतियों की वजह से आज आपको यह कहने का अवसर मिलता है कि आज धन का अभाव है। यही एक तथ्य मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले दस सालों ने सत्ताधारी दल की वजह से आज मजदूर वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कोई उपाय है ? मेरे विचार में एक उपाय हैं आखिर वह उपाय है क्या ? इस उपाय का मतलब इस विधेयक का आश्रय कतई नहीं है। सच्चाई यह है कि प्रत्येक इकाई में हमारी कई इकाई टेड यूनियनों से जुड़ी हुई हैं। साथ ही ये अन्य संस्थाओं से भी सम्पृक्त हैं—श्रमिक वर्ग की ओर से कई प्रस्ताव हैं, अर्थात उस वर्ग से, जो उत्पादन करता है और जानता है कि इकाई को सक्षम बनाने के लिए क्या गूढ़ रहस्य है। हमारा संदेह और भी पुख्ता होता है जब हम श्रमिक वर्ग से सलाह-मशविरा किए बगैर इकाई विशेष को मामले में हमें क्या करना चाहिए। उस मार्ग का अवलम्बन करते हैं जो फायदा नहीं दिलाता। हम सीधे बी० आई० एफ० आर० की ओर पहुंच जाते हैं। यही तो

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

इसें ताज्जुब है। वह स्वीकार भी करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि वह यह स्वीकारता है, तो इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए इस तरह के विधेयक पारित करने के पीछे आखिर उसकी मंशा क्या है ?

एक माननीय सदस्य : उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चक्रवर्ती : इसमें व्याख्या नहीं है। वह इन्तजार तो कर सकते थे। वह क्यों जीवे भाग रहे हैं इस विधेयक के, उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिये। आज जितना संशोधन उपलब्ध है उतने से ही यह सब सम्भव है और बिल्कुल सम्भव है। यदि 4 प्रतिशत सकारात्मक आंकड़े हैं, तो इसका समग्रतः प्रभाव यह होगा कि कुछ सार्वजनिक उपक्रमों की कुछ इकाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि हम कहते हैं कि प्रत्येक इकाई में मुनाफा कमाने के सूत्र को अमल में नहीं लाया जा रहा है, जो सार्वजनिक उपक्रम के अस्तित्व को तर्कसंगत बता सके। हमने निश्चय किया है कि एक निश्चित कीमत पर स्टील उपलब्ध कराने के लिए हमें हानि का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यही स्टील हमें आत्मनिर्भर बनायेगा।

लोगों को न्याय प्रदान करने और यह सुनिश्चय करने के लिए निजी क्षेत्र पर कुछ विशेष लोगों का वर्चस्व नहीं हो, शासन के इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इसमें घुसपैठ नहीं करने देनी चाहिए। यह एकदूसरी बात है। तीसरा, मैंने सार्वजनिक उपक्रमों में रोजगार और श्रमिकों की पारिश्रमिक के विषय में पहले ही कहा था कि हमें फख्र है इस बात पर कि श्रमिक वर्ग ने सार्वजनिक उपक्रम में मजदूरी बढ़ाने के लिए सरकार को मजबूर कर ही दिया। समें इसके लिए दुःख नहीं है। समस्या यह थी कि प्रबन्ध और सरकार दोनों ने श्रमिक वर्ग द्वारा मजबूर कर दिये जाने के बाद भी किसी इकाई विशेष के विकास हेतु श्रमिक वर्ग की आवाज सुनने से इन्कार कर दिया। अभी भी समय है। यदि सार्वजनिक उपक्रम समग्रतः मुनाफा कमाने लायक है तो जाहिर है कि हमें प्रत्येक इकाई को अर्थ सक्षम बनाना है और यह उद्देश्य प्राप्त हो जायेगा। श्रमिक वर्ग की आवाज को सुनकर हम सार्वजनिक उपक्रमों की इकाई को लाभकारी बना सकते हैं। हम बिल्कुल सहमत हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों को अर्थ-सक्षम बनाया जाए। इस मामले में कोई दो मत नहीं है। मतभेद इस बात को लेकर है कि इसे स्वस्थ करने के लिये हमें क्या करना चाहिए। आज हकीकत यह है कि जो श्रमिक वर्ग द्वारा प्रस्ताव किया जाता है उसे सरकार की ओर से डा० मनमोहन सिंह द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।

अतः इतना विलम्ब होने पर भी हमारा निवेदन यह है कि उन्हें इस विधेयक को आज पास नहीं करना चाहिये। इसके बदले आपको दूसरे मार्ग का अवलम्बन लेना चाहिए हम इस बात से सहमत हैं। (व्यवधान) तीन पक्षीय समिति मौजूद है। यह इस समिति का अनुभव है। ट्रेड यूनियन नेताओं के साथ हुई बैठक में उन्हें साफ कहा गया था कि छंटनी से किस तरह बचा जा सकता है और यदि छंटनी करने की आवश्यकता है भी तो इसका स्वरूप क्या होना चाहिए। वह ट्रेड यूनियन नेताओं का सुझाव लेने में अपना अपमान समझते हैं। इसलिये वह इकाई विशेष को विकसित करने के लिये उनका सुझाव लेने में रुचि ही नहीं दिखाते।

इन्हीं कारणों से आज इस चरण में विधेयक के आ जाने पर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाए और इस पर मतदान करने के लिए दबाव न डाला जाए। हम जनता का, श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिये हम उनके हित में हरसम्भव प्रयास करेंगे। (व्यवधान) ऐसी स्थिति में हम बस इतना ही कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के तीसरे वाचक के स्तर पर दो ही लोगों ने अपनी बात कहने की इच्छा जताई है। ये हैं—श्री निर्मल कान्ति चटर्जी और श्रीमती गीता मुखर्जी।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैंने भी नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पत्र तो नहीं भेजा है।

श्री भोगेन्द्र झा : नहीं महोदय, मैंने भेज दिया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी और श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस आशय के पत्र भेजे हैं कि वे विधेयक के तीसरे वाचन के स्तर पर शिरकत करना चाहते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने भी पत्र भेजा है। पत्र मौजूद है। **(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, जो इस विधेयक का समर्थन करते हैं उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, क्योंकि नियम के तहत विधेयक के समर्थन में किसी के बोलने की मनाही नहीं है। **(व्यवधान)** नियम के तहत इस तरह की मनाही नहीं है। जिन्हें बोलने की इजाजत दी जाती है वह बाकायदा बोल सकते हैं। मैं बोलने की इजाजत चाहता हूं। अतः मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मुझे इस विषय में कुछ बोलना है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, आपने दो मिनट का समय मांगा है। कृपया इसी समय में समापन कीजिये।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगी।

बी० आई० एफ० आर० की कार्यप्रणाली क्या है? उदाहरण के तौर पर बंगाल पोटरीज लिमिटेड का मामला लीजिए। 12 वर्ष से ज्यादा से मजदूरों को मजदूरी दी जा रही है। लेकिन चालू पूंजी में कमी आई है। हमने सभी यूनियनों की ओर से विस्तृत प्रस्ताव किया है जिसमें मजदूरों की संख्या कम करने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

'टाटा कनसलटेन्सी भाईवीली टी की रिपोर्ट' यहां मौजूद है। आपके मंत्रालय ने इस विषय में कुछ क्यों नहीं किया?

इसलिए, महोदय, मेरा पहला मुद्दा यह है कि पहले त्रिपक्षीय व्यवस्था बनाई जाए और तब यह देखा जाए कि किस तरह के विधेयक पास किये जाएं।

अन्तिम बात यह है। मनमोहन जी क्या आप यह बात बता सकते हैं कि सार्वजनिक उपक्रम की ओर आपके रुझान क्या हैं? आपने कलकत्ता रेल यात्री निवास को बेचा क्यों, जिसे सन् 1990 में ही खोला गया था और जो 123 प्रतिशत किराये के लिए आरक्षित होता है और यह लाभकारी इकाई है? और फिर आप, रेलवे की खान-पान सेवा का निजीकरण करने को सोच रहे हैं। क्या सार्वजनिक उपक्रम की ओर यही आपका रवैया है। इससे पहले कि कोई कदम इस मामले में उठाएं, आप इस पर आप पुनः सोचिए।

3.36 ब० प०

[राव रामसिंह पीठासीन हुए]

श्री ई० अहमद : महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री को इस विधेयक को पारित करने हेतु बधाई देता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप उन सार्वजनिक उपक्रमों की मदद करने के लिए इस विधेयक को लाये हैं जो घाटे में चल रहे हैं। अब उनके पास एक एजेंसी हैं। सरकार उपचारात्मक उपाय के तौर पर एक एजेन्सी से मदद ले सकती है।

सभापति महोदय : अहमद साहब, आपने अपना नाम नहीं भेजा है। लेकिन चूंकि आपने पहले ही बोलना शुरू कर दिया है अत: मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन कृपया आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री ई० अहमद : मात्र दो मिनट ही लूंगा।

सभापति महोदय : ये दो मिनट श्री भोगेन्द्र झा के समय में से कम हो जायेंगे।

श्री ई० अहमद : महाशय, इससे उन कई राज्य सरकारों को मदद मिलेगी जो अपनी इकाईयां बेचने पर आमादा थी, यदि खरीददार उपलब्ध होता तो। उदाहरण के तौर पर, उड़ीसा के मुख्यमन्त्री बीजू पटनायक ने जो कुछ भी कहा है उसे मैं उद्धत कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि वह उन सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए तैयार हैं जो घाटे में चल रहे हैं, और जिसके खरीददार उपलब्ध हैं। यहां मैं उस समाचार को उद्धत कर रहा हूं जो 6 अगस्त 1991 को 'बिजनस स्टेंडर्ड' में छपा था। इसमें कहा गया है :—

"मुख्यमन्त्री श्री बीजू पटनायक ने सोमवार को यहां कहा कि उड़ीसा सरकार प्रत्येक उस सार्वजनिक उपक्रम को बेच देगी यदि इसे उपयुक्त खरीददार उपलब्ध हो जाए।"

"मि० पटनायक ने कहा है कि वर्षों से कई उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और अब उन्हें मदद करना सम्भव नहीं है।"

"पूछे गए इस प्रश्न के जवाब में क्या इन बीमार इकाईयों को अर्थसक्षम किया जायेगा और इसके लिए व्यावसायिक रूप से कुशल लोगों को इसमें शामिल किया जायेगा, मि० पटनायक ने कहा कि इस तरह के कुशल लोगों का अभाव है।"

"उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले बड़ी-बड़ी मध्य निर्माण कम्पनियों से बात-चीत शुरू कर दी है ताकि मध्य निर्माणशालाओं की स्थापना की जा सके।"

अत:, महोदय, कुछ मुख्यमन्त्री तो इस स्थिति में नहीं हैं कि किसी एजेन्सी की मदद ले सकें। और वे इस इन्तजार में रहते हैं कि ये सभी बीमार इकाई बेच दिए जायें ज्योंही खरीददार मिल जाएं। मैं माननीय मन्त्री से आग्रह करूंगा कि बी० आई० एफ० आर० को पुनर्गठित किया जाए। इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। हाल ही इसके अध्यक्ष ने अपना वक्तव्य दिया था कि राष्ट्रीकृत बैंक बीमार उद्योगों का पुनरुद्धार करने में मदद देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय इस बात की भी जांच करायेंगे।

मैं वित्त मन्त्री जी को पुन: बधाई देता हूं कि वह इतना बड़ा व्यावहारिक विधेयक देश में सार्वजनिक उपक्रमों की रक्षा हेतु लाये हैं।

सभापति महोदय : मि० भोगेन्द्र झा।

(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके ध्यान में विधेयक के तीसरे वाचक सम्बन्धी नियम को लाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

"तीसरे वाचन के स्तर पर किसी भी वक्तव्य की सामान्यतः इजाजत नहीं है, असाधारण मामलों को छोड़कर।"

अब तक का जो अनुभव है उसके आधार पर मुझे यह कहने में खेद है कि किसी भी भाषण में किसी प्रकार की असाधारण स्थिति नहीं है। स्थिति यह है कि तीसरे वाचन का मामला उसी स्थिति संशोधनों और परिवर्तनों तक सीमित होता है जहां खण्डवार चर्चा की जाती है। मेरे विचार से विधेयक पर खण्डवार विचार के दौरान कोई संशोधन नहीं रखे जाते। सामान्य नियम यही है। परन्तु चूंकि माननीय उपाध्यक्ष जी ने दो माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है, अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि वह अपना भाषण संक्षिप्त रखें। हमें नियमानुसार चलना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : असाधारण स्थिति के कारण मैं इस अवसर का उपयोग कुछ मुद्दों को उठाकर करना चाहूंगा। सक्षम वित्त मन्त्री जी हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र से सम्बन्धित इस विधेयक में एक वाक्य के कुछ भाग का केवल थोड़े से अंश को इसमें सम्मिलित किया गया है। निजी क्षेत्र से सम्बन्धित अधिनियम में वह इसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी शामिल कर रहे हैं। पूरे देश में निजी क्षेत्र में एक भी ऐसा औद्योगिक घराना नहीं है जो अपने धन से उद्योग चला रहा हो। वे सार्वजनिक धन से निजी क्षेत्र को चला रहे हैं। निजी क्षेत्र इकाइयों के कई मालिक उस इकाई विशेष के धन को किसी दूसरी इकाई को दे देते हैं और जानबूझकर उस इकाई को रुग्ण बना देते हैं। उनका हित उन इकाइयों को रुग्ण घोषित करने में होता है। परन्तु यह सरकारी क्षेत्र का मामला है। इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। प्रधानमन्त्री और वित्त मंत्री जी के भाषण विधेयक के अंग नहीं हैं। अतएव मैं यह कहना चाहूंगा कि इस संशोधनकारी विधेयक पर जोर नहीं दीजिये। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरकारी क्षेत्र को बेहतर बनाने अथवा उसकी रुग्णता दूर करने अथवा आवश्यक कदम उठाने के लिए आप अलग से सरकारी क्षेत्र के लिए विधेयक प्रस्तुत करें। दो उद्योग समूहों के लिए दो अलग-अलग मानदण्ड हैं परन्तु आप इन्हें मिश्रित कर रहे हैं। सर्वाधिक खतरनाक बात यही है। यह सन्देहजनक है कि विश्व बैंक के दबाव के कारण अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों और यहां पर अनेक सदस्यों के संकेत को देखते हुए हमें विश्वास होने लगा है कि सरकारी क्षेत्र में हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता को खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं कहूंगा कि वह विशेषरूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही अलग से एक संशोधनकारी विधेयक लेकर आयें। अन्यथा यह एक असाधारण स्थिति है और सम्पूर्ण देश, पूरी सभा को गुमराह किया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कोई नया विधेयक लाया जा रहा है। मैं दूसरी तरफ बैठे अपने मित्रों से भी इसकी प्रशंसा करने का निवेदन करूंगा। आप स्मारक नष्ट मत कीजिये, आप उद्योग को नष्ट मत कीजिये।

आज के समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है कि विश्व बैंक ने बोकारो इस्पात संयंत्र को निदेश दिया है कि वह मशीनरी के लिये हैवी इन्जीनियरिंग कोरपोरेशन को आर्डर नहीं दे। यदि विश्व बैंक किसी एक

[श्री भोगेन्द्र झा]

उद्योग विशेष को आदेश देता है कि वह हमारे अपने देश के हैवी इन्जीनियरिंग कोरपोरेशन से कोई आर्डर न ले तब क्या हममें से कोई भी इसे सहन कर सकता है? इस स्थिति में आप केवल हमें इसका विरोध करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी अब इस संशोधनकारी विधेयक को वापस ले लें और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लिये ही अलग से एक विधेयक लेकर आयें।

सभापति महोदय : आप अपने निवेदन की असाधारणता के बारे में बताने की कोशिश कीजिये। श्री के० पी० रेड्डय्या यादव बोलेंगे।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : मुझे आपने दो मिनट का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

कल मैंने सभी असाधारण तथ्यों को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। परन्तु अभी भी उसमें कुछ असाधारण तथ्य शेष हैं। एक बात और है कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पूछे गये प्रश्न के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है।

किसी भी औद्योगिक इकाई को रुग्ण घोषित करने से पहले आपने इसके मुख्य कारण का पता लगाने के लिये अपने किसी तन्त्र की व्यवस्था की है? इसके लिए या तो ट्रेड यूनियनें जिम्मेवार हैं अथवा राजनीतिज्ञों से सहायता प्राप्त प्रबन्ध जिम्मेवार है। पहले ही महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ स्वार्थी तत्व कार्यरत हैं और जैसे ही विधेयक पारित होगा, हर रोज उनमें घाटा होना शुरू हो जावेगा। और केवल एक अथवा दो करोड़ रुपये का ही नहीं बल्कि प्रति माह हजारों करोड़ों रुपये को उन्हें घाटा होने लगेगा।

सभापति महोदय : रेड्डय्या जी, आपने जो कल कहा था, आज भी आप केवल वही कह रहे हैं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : छः माह के अन्दर ही सभी 240 इकाइयों की रुग्ण इकाई के रूप में घोषणा कर दी जायेगी और रिलायंस तथा अन्य स्वार्थी तत्व और जो व्यक्ति पहले से ही प्रबन्धकों और कार्यकारी निदेशकों के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे लोग ऐसी सभी इकाइयों पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपने किस तंत्र की व्यवस्था की है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके?

सभापति महोदय : जार्ज फर्नान्डीज जी, कृपया थोड़ा समय लीजिये गा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, आपके आदेश का पालन करते हुये मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात को रखना चाहूंगा। मैं वित्त मन्त्री की इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता हूं कि विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इस मामले में कोई दबाव नहीं है। यह हो सकता है कि यह दबाव सीधे तौर पर शब्दों में कहा गया हो, लेकिन जो विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, जैसा हम लोग कह रहे हैं कि गांवों में पहुंचने वाले अनाज पर जो सब्सिडी है उसको हटाओ, किसानों तक पहुंचने वाले खाद पर जो सब्सिडी है उसको हटाओ, यह सब विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्गार हैं। पब्लिक सेक्टर आज जिस हालत में हैं उसको बन्द करो जहां करना चाहिए

यह हो सकता है। यह बात नहीं कही हो और यह इशारा नहीं दिया, मैं इसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। वित्त मन्त्री ने एक बात कही कि एक लाख करोड़ रुपये हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हैं। वे यह भी बोले, जहां काफी मुनाफा है, उसको हम छोड़ें चार-आठ प्रतिशत मुनाफा है, एक लाख करोड़ में वह भी बताना मुश्किल होगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर के दो हिस्से हैं। एक वह है जिसको सरकार ने स्वयं विचार करके अपने-अपने क्षेत्र में नये उद्योगों का निर्माण किया। दूसरा वह सार्वजनिक उद्योग है जो बीमार कम्पनीज को सरकार ने अपने को अस्पताल के तौर पर निजी क्षेत्र से लेने का काम किया। जैसे नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन है उसका घाटा होगा तीन सौ करोड़ के करीब, अगर पिछले कुछ वर्षों का आप एक्यूमेलेटिव घाटा देखें तो वह 100 करोड़ रुपये से अधिक होगा। लेकिन नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन क्या है, वह बिड़ला, टाटा नाम लीजिये हिन्दुस्तान के उन पूंजीपतियों का जिन्होंने लूट-लूटकर जिस मिल को बीमार बनाकर वहां के मजदूरों को सड़क पर भेजने का इन्तजाम किया था, ऐसे मौके पर सरकार ने हस्तक्षेप करके इन बन्द की हुई मिलों को अपने हाथ में लेकर उसमें पैसा डालने का काम किया। एक कारखाने की बात क्या करूं। जैसेफ को लीजिए, ब्रेटवेट और रिचर्डसन को लीजिये। ये सारी मेनफक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसमें घाटा कैसे है? इसलिए कि ये निजी क्षेत्र के घराने थे, इन्होंने बीमार कर दिया, निजी मालिकों ने बीमार कर दिया बैंकों और शेयर होल्डर्स का पैसा खत्म किया और अन्त में कर्मचारियों की जान बचाने के लिए तथा थोड़ी-बहुत सम्पत्ति को बचाने की कोशिश करने के लिए उसको सार्वजनिक क्षेत्र में लेने का काम हुआ। इसलिए हम सदन में इस प्रकार की बात न करें कि सार्वजनिक क्षेत्र हिन्दुस्तान का जो अहम् क्षेत्र है वह बिगड़ा हुआ है। यह बात हमको अवश्य देखनी चाहिए और उसके बाद कोई बात हमें करनी चाहिए। वित्त मन्त्री जी ने जो तर्क रखा है, जो घाटे की चीजें हैं उसमें कैसे, आप तो गुस्से में आकर यह भी बोले कि यहां बैठे हुए लोग सार्वजनिक उद्योग के विरोधी हैं।

मैं वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि डी० टी० सी० हर रोज शायद 52 करोड़ के घाटे में चलती है, क्या आप इसको बन्द करेंगे? क्या इसको बी० आई० एफ० आर० के पास भेजेंगे? हिन्दुस्तान में 2-3 सूबों को छोड़कर हर सूबे में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्स घाटे में हैं, क्या उनको भी बीमार यूनिट्स या घाटे की कम्पनी दिखाएंगे? जितने भी रोडवेज कारपोरेशन्ज हैं, एकाध को छोड़कर, सभी घाटे में चल रहे हैं। जब मैंने डी० टी० सी० का नाम लिया तो स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्स की भी हालत वही है, क्या इन सबको बन्द करेंगे? मुझे डर लगता है कि आप बन्द करेंगे।

सभापति जी, मैं वित्त मन्त्री जी से एक बात विशेषरूप से रेल मजदूरों के बारे में कहूंगा, जो 15 रोज पहले अखबारों में पी० टी० आई० के हवाले से रेल भवन से निकली कि राईट्स में कार्यरत कर्मचारियों में से 40 प्रतिशत खत्म किए जा सकते हैं। मैंने तत्काल अपनी टिप्पणी दे दी। सन् 1981 की बात है श्री डेविड हपर, वाई प्रेजीडेंट आफ वर्ल्ड बैंक और बाद में एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसीडेंट आफ वर्ल्ड बैंक हुए, मुझसे मिले थे। इसलिए मुझे मिले कि मैंने कोका कोला बन्द की और आई० बी० एम० के बारे में बड़ी भूमिका ली जो हम करने जा रहे थे। उनका कहना था कि आई० बी० एम० हिन्दुस्तान में वापिस आयेगा क्योंकि आपके रेलवे बोर्ड ने हम लोगों से कर्जा मांगा है और हम कर्जा तब देंगे; जब आई० बी० एम० का कम्प्यूटर सरकार कबूल करेगी। उसके बाद जनवरी 1981 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बनायी गयी जिसमें बताया गया कि आपकी रेलवे साढ़े नौ लाख कर्मचारियों से चलायी जा सकती है जबकि आज इसमें साढ़े सोलह लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। तो किसी न किसी रूप से आज फिर वह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप धारण कर गयी और यह कह कर कि राईट्स की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है लेकिन मेरा कहना है कि इसमें वर्ल्ड बैंक हस्तक्षेप कर रहा है, यह बात हम इनकार नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जार्ज फर्नान्डीज जी, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, इसलिए मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि यदि ऐसी नीति अपनाते हैं और कल जैसाकि इस सदन में एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया था प्रधानमन्त्री जी से और सिविल एविएशन मिनिस्टर से कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन घाटे में है, इसलिए आपने इनके किरायों में वृद्धि की है और क्या इन किरायों के बढ़ाने से घाटा पूरा होगा तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का उत्तर था कि इसलिए हमको किराया बढ़ाना पड़ा कि रुपये का अवमूल्यन जो लगातार चलता रहा और उस अवमूल्यन के चलते इण्डियन एअरलाइन्स को चलाना मुश्किल हो जायेगा। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अन्य क्षेत्रों में ऐसा ही काम करेंगे और क्या इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा ?

चेयरमैन साहब, मेरा वित्त मन्त्री जी को सुझाव है कि विधेयक को वापिस लेने की मांग अन्य सदस्यों ने भी की है, मैं इसलिए उनकी बात का समर्थन करता हूं और वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि नौकरशाही से पब्लिक सैक्टर को छुटकारा दिलाइए क्योंकि इन्होंने ही बरबाद किया है और यही ऑटोनमी देंगे तो कैसे चलेगा ? इसलिए कर्मचारियों को सही किस्म का पार्टीसिपेशन दें और मैनेजमेंट का सही उपयोग होगा जिसमें वरकर्स के पार्टीसिपेशन को ईमानदारी से अगर जोड़ा जाता है तो आपकी समस्या का सही निदान हो जाएगा। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी कुछ बातों का स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, सरकार का समर्थन करना हमारा भी कर्त्तव्य है। आपको हमें भी अनुमति देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : जहां तक तृतीय वाचन का सवाल है, इसकी एक प्रक्रिया है। सामान्यतौर पर तीसरे वाचन में कोई सदस्य भाषण नहीं देता। इस समय जो हो रहा है, मुझे उस पर आपत्ति है। सामान्यतौर पर शिष्टाचार के कारण हम पीठासीन अधिकारी के प्रति आपत्ति नहीं उठाते।

सभापति महोदय : मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से केवल एक बात जानना चाहता हूं··· (व्यवधान) आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। कृपया कुछ धैर्य रखिए। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : आप जानते हैं कि कौन बर्बाद कर रहा है। **(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : वे दोहरे मानदण्ड अपना रहे हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही उड़ीसा के मुख्यमन्त्री जी ने उस पर बिना चर्चा किये सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को केवल बन्द कर दिया था जबकि यहां पर वह दूसरी ही बात कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : यदि इसका विरोध करना उनका कर्त्तव्य है तब इसका समर्थन करना हमारा कर्त्तव्य है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं केवल भारतीय लौह तथा इस्पात कम्पनी के बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं जोकि आधुनिकीकरण और इसे पुनः नवीन स्वरूप देने के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन के लिए प्रतीक्षारत है। अन्यथा इस पर सहमति हो गई है कि इसे पुनः तत्काल नवीन स्वरूप दिया जाना चाहिए। क्या मैं यह समझूं कि इस भारतीय लौह तथा इस्पात कम्पनी को इसके अध्ययन के लिए बी० आई० एफ० आर० के पास नहीं भेजा जायेगा क्योंकि इससे 'इसको' के आधुनिकीकरण के मामले में विलम्ब होगा ? अब मुझे प्रसन्नता है कि इस्पात मन्त्री जी यहां पर मौजूद है। कृपया इसे स्पष्ट कीजिए ताकि लोगों को इस सम्बन्ध में कोई आशंका न रहे। अन्यथा बी० आई० एफ० आर० के पास भेजी जाने वाली वह पहली कम्पनी होगी। **(व्यवधान)**

इस्पात मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं यह बताना चाहूंगा कि बी० आई० एफ० आर० के पास इसे भेजने में कोई विलम्ब नहीं किया जाता क्योंकि जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने पहले ही कहा है कि बी० आई० एफ० आर० का उद्देश्य किसी इकाई का विश्लेषण करना, उसकी जांच करना और उसका मार्गदर्शन करना है न कि उसे बन्द करना। यदि इसमें विलंब भी होता है तब वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ठीक से स्पष्ट न करने के कारण ही होता है।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : उन्हें अपने विचार व्यक्त करने दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : इस सभा में साम्यवादी दल के हमारे मित्र बार-बार बता रहे हैं कि सरकार निजीकरण करने का विचार कर रही है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बन्द करने की कोशिश कर रही है। मेरे पास दो दस्तावेज हैं। एक समझौते पर जनता दल शासित राज्य के मुख्यमन्त्री द्वारा लन्दन में केप्रो समूह के किसी व्यक्ति के साथ हस्ताक्षर किये गये हैं। बीजू पटनायक जी ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। परन्तु मैंने माननीय श्री रवि राय को निजीकरण के खिलाफ बोलते हुए सुना है। एक और पत्र जोकि श्री स्वराज पाल ने माननीय प्रधानमन्त्री जी को लिखा है जिसमें पैरा 2 में उन्होंने कहा है कि इस देश में उनके दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री द्वारा उन्हें परामर्श दिया गया है कि वह आयें और 'इसको' पर पूरी तरह से कब्जा करने के मामले की जांच करें। उन्हें अपनी बात पूरी कहने दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं वित्त मन्त्री जी से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्हें उसका उत्तर दे लेने दीजिए। यदि और कुछ भी कहा जा रहा है, तब मैं भी बोलने के लिए कोई अवसर चाहता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बीच में टोकिए नहीं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि इसी तरीके से सभा के समय का दुरुपयोग होगा, यदि यही उद्देश्य है, तब मुझे भी एक अवसर मिलना चाहिए। इसका उपयोग करने के लिए मुझे भी मौका मिलना चाहिए। आपको अवश्य ही मुझे अवसर देना चाहिए। आप वांछित राज्य सरकारों के काम-काज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैंने वित्त मन्त्री जी से एक विशेष प्रश्न पूछा था कि इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता कौन है। इस मामले को बी० आई० एफ० आर० के पास भेजा जा रहा है अथवा नहीं। इसका उत्तर 'हां' अथवा 'नहीं' में दीजिए। वह काफी लम्बा भाषण दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मेरे विचार से यह बहुत अनुचित है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे एक अवसर दिया जाना चाहिए। अन्यथा आप इनको कार्यवाही-वृत्तांत में से निकाल देते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रधान जी, कृपया बैठ जाएं। श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने इस्पात संयंत्र के बारे में अलग से एक प्रश्न पूछा है। यद्यपि इस विधेयक को वित्त मन्त्री प्रस्तुत कर रहे हैं, किन्तु क्योंकि इस्पात मन्त्री उपस्थित थे और जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि इस्पात मन्त्री जी यहां है, क्या वे कुछ कहना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने उसका उत्तर दिया। इसलिए, यह अब मन्त्री को सिर्फ उस विषय तक सीमित रखने का दायित्व मुझ पर नहीं है और मेरे विचार से उन्होंने जो बातें कहीं हैं वे पश्चिम बंगाल राज्य के प्रति कतई अपमानजनक नहीं हैं। आखिरकार राज्य को प्रगति करनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं उन्हें उत्तर देना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : मैंने जो कहा है, मैं उस पर स्थिर रहूंगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अगर श्री चटर्जी और श्री राधन राय की राय है कि मन्त्री ने कुछ अनुचित कहा है तो वे इसे पीठासीन अधिकारी के ध्यान में लाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं चाहता हूं कि आप मुझे उन्हें उत्तर देने का एक अवसर दें। उन्होंने जानबूझ कर सभा को भ्रमित किया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : महोदय, मैं वित्त मन्त्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपको मुझे अवसर देना होगा ताकि मैं उन्हें उत्तर दे सकूं। **(व्यवधान)** मैं पूरी विनम्रता एवं आदर सहित अध्यक्ष से कहूंगा कि कार्य करने का यह निष्पक्ष तरीका नहीं है। मैंने माननीय वित्त मन्त्री से एक सुस्पष्ट प्रश्न पूछा है··· **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया मुझे बाद में इस बारे में बताएं। अब वित्त मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : सभापति महोदय, आप उन्हें अनुमति नहीं दे सकते। अगर वे

बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उन्हें नियमानुसार हिस्सा लेना चाहिए। वे इस प्रकार भाग नहीं ले सकते। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने वित्त मन्त्री को कहा है। तृतीय वाचन के समय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर दें। वित्त मंत्री उत्तर देने के लिए खड़े हैं। अगर कोई अध्यक्ष पीठ का ध्यान किसी बात की ओर आकृष्ट करना चाहता है तो कृपया बाद में करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने वित्त मन्त्री से एक सुस्पष्ट प्रश्न पूछा है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चटर्जी, मैं आपसे कह चुका हूं कि उस समय मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी थी क्योंकि आप अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं आपको ना नहीं कर सका। इसलिए, मैंने आपको अनुमति दे दी। और आपने प्रश्न पूछा और आपने स्वयं चाहा कि इस्पात मन्त्री इसका उत्तर दें। उन्होंने इसका उत्तर दिया।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने सटीक उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दो राज्य सरकारों की निंदा करने वाला एक लम्बा भाषण दिया। क्या एक वरिष्ठ मन्त्री का यही काम है? यह क्या है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठे जाएं। मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दी जबकि किसी भी नियम के तहत उस चरण पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। कृपया शांत रहें। मैंने श्री चटर्जी को, जो इस सभा के एक अत्यन्त वरिष्ठ एवं आदरणीय सदस्य हैं, उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी, जबकि उस चरण पर किसी भी नियम के तहत प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है। किन्तु मैंने इसकी अनुमति दी। उन्होंने स्वयं इस्पात मन्त्री से कुछ बोलने के लिए कहा, अब मैं इस्पात मन्त्री को सिर्फ उसी प्रश्न पर बोलने की पाबंदी किस प्रकार लगा सकता हूं। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : मैं दस्तावेज सभा पटल पर रखूंगा। मैंने भी कहा है? मैं उस पर बुद्ध हूं।

सभापति महोदय : अगर इस्पात मन्त्री ने ऐसा कुछ कहा है जो श्री सोमनाथ चटर्जी, या श्री हरिधन राय या किसी अन्य माननीय सदस्य के अनुसार अनुचित है या संसदीय प्रक्रिया की परिधि से परे है, तो वे मुझे लिखित में दें और मैं इस पर अध्यक्ष का विनिर्णय लूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह समाचारपत्रों में आएगा, यह दूरदर्शन पर आएगा। तब प्रत्येक व्यक्ति इस भ्रामक वक्तव्य को जान जाएगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर उन्होंने जो कुछ कहा है? वह सत्य है तो इसे समाचारपत्रों में और दूरदर्शन पर आना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं भी ऐसा अवसर चाहता हूं। मेरी बात भी समाचारपत्रों में आनी चाहिए। किन्तु आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय : अगर उन्होंने जो कहा है वह सत्य नहीं है तो कृपया इसे मेरे ध्यान में लाएं और मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था और उसके सवाल पर यह उत्तर दिया गया है। इस तरह वे बचना चाहते हैं। इस सरकार का यही रुख है ? इस तरीके से वह देश को दिग्भ्रमित करना चाहते है।

सभापति महोदय : तृतीय वाचन के समय छूट देने का कोई दृष्टान्त नहीं है। मैंने ऐसी छूट की है।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे श्री निर्मल चटर्जी से पूछें जिन्हें मैंने रिकार्ड दिखाए हैं। उड़ीसा के बारे में श्री जेना बताएं कि क्या मैंने गलत बात कही है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने श्री सोमनाथ चटर्जी को एक स्पष्टीकरण पूछने के लिए अनुमति दी और माननीय इस्पात मन्त्री ने उसका उत्तर दिया। अब संकट उत्पन्न हो गया है। कोई भी पत्र के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, यह सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यह सच हो सकता है या यह झूठ भी हो सकता है। किन परिस्थितियों में किसी को किसी के पास जाना पड़ता है यह तो पता होना ही चाहिए अगर कोई समस्या वर्षों से यथातथ्य बनी है तो आपको श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना होगा। यह एक और मामला है। अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री ने कुछ किया है, तो हम उनका बचाव करने के लिए ही यही है। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि आई०एस०सी०ओ० को बी०आई०एफ०आर० को सौंपा जा रहा है या नहीं। किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप मन्त्रियों को सभा का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम यहां उनकी दया पर यहां नहीं है ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा है कि श्री संतोष मोहन देव को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अगर दिन में या रात में कभी भी मन्त्री से प्रश्न पूछ लिया जाता है और वह इसका उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं तो मैं उनसे सिर्फ अनुरोध ही कर सकता हूं। अगर वह उत्तर देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, मैं किसी मन्त्री पर उत्तर देने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, जब तक कि उन्हें पूर्वसूचना न दी गयी हो। आप इसे प्रश्नकाल में पूछें, उन्हें पूर्व सूचना दें जिसे वे आपको अवश्य उत्तर देंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तो मैं यह समझूं कि वह इसका उत्तर नहीं देंगे। तो ठीक है।

एक माननीय सदस्य : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या ई० आई०एस०सी०ओ० को बी०आई०एफ०आर० को सौंपा जा रहा है या नहीं ? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे विश्वास है कि आप स्वयं भी इस बात के इच्छुक हैं कि सदन का कोई वर्ग यह ना समझे कि आपके निर्णय से किसे कोई नाजायज फायदा उठा रहा है। मैंने स्पष्ट रूप

से एक प्रश्न पूछा। मैंने श्री कुमारमंगलम को इससे पहले एक सूचना भी दी थी कि मैं जानना चाहूंगा और एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी से बी०आई०एफ०आर० को सौंपा जाएगा या नहीं। क्योंकि हमारे पास ऐसी सूचना है कि सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। हालांकि, इसके आधुनिकीकरण का प्रश्न है···

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आप पहले प्रश्न पूछ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, अगर आप कुछ धैर्य दिखाएं, तो मैं एक या दो मिनट और लूंगा मन्त्री उत्तर देना चाहते थे। मन्त्री ने कोई आपत्ति नहीं की थी। जब मैंने उनसे पूछा, तो उसका समय श्री संतोष मोहन देव अन्दर आ सकते थे। अतः मैंने कहा "यह बहुत अच्छा हुआ कि इस्पात मन्त्री भी आ गए हैं, हमें अब वह सूचना मिल जाएगी।" किन्तु, इस प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर अनापशनाप कहा गया। उन्होंने उड़ीसा के बारे में कहा···(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, वे अपनी सीमा से बाहर चले गए हैं। वित्त मन्त्री उत्तर देने दीजिए, इस बीच मैं अपने कार्यालय जाऊंगा, दोनों दस्तावेज लाऊंगा और उन्हें सभा पटल पर रखूंगा। (व्यवधान) महोदय, मैं उन दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखूंगा, मुझे अवसर दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सन्तोष मोहन देव, वास्तव में यहां पर उन दस्तावेजों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बारे में प्रश्न पूछा है। किन्तु मैं आपको इसका जवाब देने के लिए नहीं कह रहा हूं। यदि आप अपनी इच्छा से जवाब देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। अन्यथा, मैं वित्त मन्त्री जी को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी, आप मुझ से सहमत होंगे कि मैं उन्हें जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, मैं वित्त मन्त्री को जवाब देने के लिए कहूंगा। अब इस पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : क्या मैं एक बात का उल्लेख करूं।

सभापति महोदय : नहीं, श्री सईद। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अीकान्त जेना (कटक) : महोदय, जिस पत्र का उल्लेख इस्पात मन्त्री कर रहे हैं, उस पत्र पर उड़ीसा के मुख्यमन्त्री और···द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ···(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसका अब और उल्लेख नहीं होगा। यदि आप सोचते हैं कि उन्होंने जो कहा है यह तथ्य नहीं है तो आप कृपया इसे लिखित में चुनौती दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जेना, कृपया बैठ जाइये। मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। अब, वित्त मन्त्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब उन पत्रों का और उल्लेख नहीं किया जाएगा। श्री जेना, मैं विनिर्णय दे रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको पुनः उन पत्रों का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है। जब उन्होंने उनका उल्लेख किया था, तब यह पहली बार था। अब, मेरे विचार में वे प्रासंगिक नहीं हैं और हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। यदि आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा है जो सत्य नहीं है तो आप लिखित में दीजिए। अतः, उन पत्रों का और उल्लेख नहीं किया जाएगा। अब मैं माननीय वित्त मन्त्री को बोलने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जेना, कृपया बैठ जाइये। आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री जेना जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जेना, कृपया नियमों का पालन करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप अनावश्यक रूप से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, मैं अनुगृहीत हूं कि आपने इस ओर ध्यान दिलाया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कोई व्यवधान नहीं हो।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मेरे विचार में, इस अन्तिम क्षणों में, यद्यपि काफी अधिक उत्तेजना हुई है, परन्तु कोई नई बात सामने नहीं आई है। किन्तु, श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा एक विशेष मुद्दा उठाया गया था जो आई०आई०एस०सी०ओ० से सम्बन्धित था। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं कि सरकार आई०आई०एल०सी०ओ० के आधुनिकीकरण के बारे में बहुत गम्भीर है। वास्तव में आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के लिये लोक निवेश बोर्ड के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा उनके द्वारा भी कहा जा सकता था। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : श्री निर्मल कान्ति चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मेरे विचार में, वह मेरी इस धारणा को पुष्ट करता है कि यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्णता जैसे किसी कठिन विषय को उठाते हैं तो आपको निष्पक्ष सदस्यों के दल द्वारा रुग्णता के कारणों की जांच करने तथा ऐसी कार्य-योजना बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जो सभी को स्वीकार्य हो। आप माने या न माने किन्तु हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध का राजनीतिकरण हो चुका है। मैं यह सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में कर्मचारी संघों का भी इस सीमा तक राजनीतिकरण हो चुका है कि संघों में फंसे हुए मुद्दों की दुरुहता के प्रति न्याय करने के लिए निष्पक्ष लोगों के एक दल की आवश्यकता पड़ती है। (व्यवधान)। अतः, मैं इसे किसी पक्षपातपूर्ण भावना से नहीं कह रहा हूं। मेरे विचार में, उन सभी लोगों को जो सार्वजनिक क्षेत्र के भविष्य में रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र ठीक प्रकार से कार्य करें, उन्हें हमारे प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें।

(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैं पुनः दुहरा रहा हूं कि यह विधेयक सार्वजनिक क्षेत्र की एककों को बंद करने के लिए नहीं है। यह विधेयक श्रमिक विरोधी नहीं है। मेरे विचार में, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो मुद्दे उठाये हैं वे सार्वजनिक क्षेत्र के भविष्य के बारे में, सार्वजनिक क्षेत्र की सक्षमता के बारे में, सार्वजनिक क्षेत्र की स्वायत्तता के बारे में बहुत अधिक महत्व रखते हैं।

वास्तव में, प्रधानमन्त्री जी इस बात से सहमत है कि सभा को इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए तथा आपके पास अगले कुछ दिनों में उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय होगा।

मेरे विचार में, श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने पुनः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रश्न को उठाया है। मैंने आपको आश्वासन दिया है तथा मैं पुनः यह बात दुहरा रहा हूं कि इस सत्र में, मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लिखा गया पत्र सभा पटल पर रखूंगा। अतः, यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं इस सभा से कुछ छिपा रहा हूं। मेरे विचार में, यदि मैं इस प्रकार की गतिविधि में शामिल रहूं तो मैं इस सरकार का हिस्सा बनने के योग्य नहीं होऊंगा। (व्यवधान) मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इस विधेयक का समर्थन करें।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है···

श्री श्रीकान्त जेना : हम सहमत नहीं हैं और इसके विरोध में हम बहिष्कार कर रहे हैं।

4.18 म० प०

तत्पश्चात् श्री श्रीकान्त जेना और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं ।

तत्पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4.19 म० प०

भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, श्री के० विजय भास्कर रेड्डी, की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय उत्तराधिकार विधेयक, 1925 में और संशोधन करने वाले राज्य सभा द्वारा पारित, विधेयक पर विचार किया जाये ।"

देश में तत्समय प्रवृत्त वसीयती व निर्वसीयती उत्तराधिकार के कानून को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 पारित किया गया था । इस अधिनियम के भाग V के अध्याय III में निर्वसीयती पारसी की सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून की व्याख्या की गई है । इस अध्याय की धारा 51 में पुरुष की निर्वसीयती सम्पत्ति को उसकी विधवा पत्नी, बच्चों तथा माता-पिता में बांटने सम्बन्धी कानून की व्याख्या की गई है । उस धारा की उप धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अनुसार, पुरुष की निर्वसीयती सम्पत्ति में पुत्र, पुत्री के भाग से दुगना प्राप्त करता है । तथापि, धारा 52 के अनुसार, स्त्री की निर्वसीयती सम्पत्ति में विधुर तथा प्रत्येक पुत्र/पुत्री को बराबर का भाग प्राप्त होगा, और यदि विधुर नहीं है, तो पुत्र और पुत्री को बराबर का भाग प्राप्त होगा । अतः, पिता की मृत्यु होने पर, पिता की सम्पत्ति में पुत्र को पुत्री के भाग से दुगना प्राप्त होता है । इसके विपरीत, माता की मृत्यु होने पर माता द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति में पुत्र तथा पुत्री, दोनों को बराबर का भाग प्राप्त होता है । पिता की सम्पत्ति के हस्तांतरण के मामले में पुत्रियों के मामले में भेदभाव है । भारत के विधि आयोग ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 सम्बन्धी अपनी 110वीं रिपोर्ट में यह कहा है कि आज के समय में पुत्रों व पुत्रियों के बीच यह भेदभाव उचित नहीं प्रतीत होता । उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना के विरुद्ध हैं । अतः, विधि आयोग ने सिफारिश की है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 51 को संशोधित किया जाये जिससे पुत्र और पुत्री दोनों को मृत-पिता की सम्पत्ति में बराबर का भाग प्रदान हो ।

इस भेदभाव को समाप्त करने तथा कानून में यह प्रावधान करने के लिए कि निर्वसीयती पिता

की सम्पत्ति में पुत्र तथा पुत्रियों को बराबर का भाग प्रदान किया जायेगा, हमें पारसी समुदाय का सर्व-सम्मत ज्ञापन प्राप्त हुआ है। पारसी समुदाय ने धारा 52 से 56 तथा अधिनियम की अनुसूची में भी तत्सम्बन्धी परिवर्तनों की मांग की है, जिसमें बराबरी के सम्बन्ध वाले पुरुष तथा महिला के बीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सम्पत्ति के उत्तराधिकारियों की सूची होती है। अतः, सदन के सामने इस वर्तमान संशोधनकारी कानून को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। यह विवाह, तलाक और उत्तराधिकार इत्यादि सम्बन्धी सामाजिक कानून का पुनरीक्षण करने के लिए सरकार की नीति के अनुरूप है जो महिला संगठनों व सभी सम्बद्ध समुदायों से परामर्श करके बनाए जाते हैं जिससे की इन मामलों में महिलाओं को समानता का अधिकार मिले और पैतृक सम्पत्ति में भी महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हों।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 118 के अन्तर्गत वसीयतकर्ता का कोई भतीजा, भतीजी अथवा कोई अन्य नजदीकी रिश्तेदार होने पर कुछ धर्मार्थ अथवा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए वसीयत करने के सम्बन्ध में कुछ रोक लगाई गई है। पारसी समुदाय ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि सम्पत्ति को धार्मिक अथवा पुण्यार्थ न्यासों को हस्तांतरित करने के रास्ते में यह एक बाधा है, अतः यह पारसियों के लिए लागू नहीं होनी चाहिए। अतः इस विधेयक में पारसी समुदाय के लिए धारा 118 के उपबन्धों को लागू न किए जाने का उपबन्ध किया गया है।

मैं विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश करता हूं तथा प्रस्तावित विधान पर सभा की अनुमति चाहता हूं क्योंकि यह पारसी समुदाय की आकांक्षाओं को साकार करने की भावना से लाया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में विचार किया जाए।"

महोदय, विधेयक के लिए स्पष्टतः एक घण्टे का समय आवंटित किया गया है। अतः मैं विभिन्न वक्ताओं से केवल अपने भाषण को 5 मिनट पर और आरम्भिक वक्ता को अधिक से अधिक 10 मिनट के बाद समाप्त करने का अनुरोध करूंगा ताकि वाद-विवाद में 10-12 वक्ता भाग ले सकें। इस मामले पर मैं आपके सहयोग के लिए अनुरोध करूंगा। श्री गुमान मल लोढा।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सभापति महोदय, इस बिल का समर्थन करने के लिए सदन में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 44 में संविधान बनाने वाले हमारे राष्ट्र के महान मनीषियों ने, जिन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में आहुति दी थी, यह निर्देश दिया था कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा—कामन-सिविल-कोड और संविधान की धारा 44 अब तक मृत है। विभिन्न कारणों से समय-समय पर कामन सिविल कोड बनाने के लिए कहीं-न-कहीं से आपत्ति आती है। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार हमारे मन्त्री महोदय ने और शासकदल ने यह साहसी कदम उठाया है। जो कानून हिन्दू समाज के लिए इंडियन सक्सैशन एक्ट है, वही कानून पारसी समाज के लिए हो। महोदय, परसी समाज के लिए यह एक काला धब्बा था, जिसमें महिलाओं के अधिकार पुरुषों के अधिकार के बराबर नहीं थे। यद्यपि, पारसी समाज हमारे देश के अन्दर पढ़ा-लिखा समाज कहलाता

[श्री गुमानमल लोढा]

है, प्रतिशील समाज कहलाता है। बहुत क्षेत्रों के अन्दर उन्होंने कई कीर्तिमान प्रस्थापित किए हैं। यह दुर्भाग्य है कि 1925 से लेकर अब तक उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए।

मैं चाहूंगा कि हमारे विधि मन्त्री और हमारे शासक दल के लोग इस बात पर बड़ी गहराई से विचार करें कि भारत की समस्त महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार क्यों नहीं दिये जाते हैं। आज प्रातःकाल इस बारे में प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हुई थी और बार बार यह कहा जा रहा था, हमारे यहां के अध्यक्ष महोदय ने भी यह कहा कि इस सदन में जो महिलाएं चुन कर आई हैं उनके कार्य, उनकी परफोरमेंस, उनके द्वारा सदन में भाग लेने की शैली, ये सब पुरुषों से बहुत अच्छी हैं। फिर क्या कारण है कि जब उत्तराधिकार का प्रश्न आए, सम्पत्ति का प्रश्न आए, जब डायवर्स का प्रश्न आए, तो महिलाओं के साथ में यह व्यवहार किया जाता है कि तलाक, तलाक, तलाक, तीन बार कहने के बाद में उनको हमेशा के लिए सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है।

सभापति महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज वह समय आ गया है, हमारे संविधान की धारा 44 के अनुसार देश टुकड़ों में नहीं देखा जाए। पारसियों के लिए हम सन् 1925 से लेकर 1991 में एक संशोधन करें, अन्य समुदाय के लिए एक संशोधन करें, लेकिन जो राष्ट्र की मूल धारा है इण्डियन सकसेशन एक्ट के अन्दर, हिन्दू सकसेशन एक्ट के अन्दर, हिन्दू गार्जियनशिप एक्ट के अन्दर और अन्य प्रकार के कानूनों में जो हमने महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिये हैं, उनसे दूसरे अधिकारों से उनको वंचित रखा जाए। यहां पर यह सामयिक होगा, इस राष्ट्र के अन्दर सबसे काला दिन और सबसे बड़ा धब्बा उस समय लगा जब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय करने के पश्चात भी महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए, उनको मेंटेनेंस के लिए अपना अधिकार है, उनको मेनटेनेंस दिलाई जाये। लेकिन शाहबानो के मुकदमें में मुझे यह कहते हुये दुख और खेद होता है कि इसी सदन के अन्दर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की तिलांजलि दे करके उसके प्रति किंचित मात्र भी आदर न रख करके, उस समय जबकि देश के कुछ भागों में धर्मान्धता से विवाद करके और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति चन्द्र चूड़ के पुतले को जलाया गया और यहां पर यह कानून पास किया गया कि उस महिला के आंसू पोंछने के लिए उसको किसी प्रकार का जीविका का अधिकार नहीं है, उसको मेनटेनस नहीं दी जायेगी।

सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत की महिला को केवल इसलिए मेनटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है कि वह मुस्लिम है। हिन्दू महिला मेनटेनेंस पायेगी, पारसी महिल मेनटेनेंस पायेगी, क्रिश्चियन महिला मेनटेनेंस पायेगी और अन्य सभी प्रकार की महिलाएं इस देश ने मेनटेनेंस पायेंगी, लेकिन मुसलमान महिला मेनटेनेंस नहीं पा सकती। शाहबानो के मुकदमे के पश्चात जो कानून बनाया गया, उस मुकदमे को, उस फैसले को समाप्त करने के लिए वह काला धब्बा, वह ब्लेक सपोट, वह स्टिग्मा हमारी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, हमारी मानसिक स्थिति की गुलामी के ऊपर, हमारे द्वारा तुष्टीकरण की नीति के कारण और राजनीतिकरण करके सामाजिक व्यवस्था को, केवल चंद धर्मान्धता से खिलवाड़ करके मुस्लिम वोट पाने के लिए जो अत्याचार और अन्याय किया गया, मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, मैं चाहूंगा कि हमारे मन्त्री महोदय, शासकीय दल इस पर विचार करें।

सभापति महोदय, यहां पर मैं आज यह भी कहना चाहूंगा कि यद्यपि हम यहां पर महिलाओं के प्रति आदर की बात करते हैं लेकिन जब नेशनल यूमेंस कमीशन की बात आती है तो जनता दल ने

पारित कर दिया और कांग्रेस दल आज तक उसको लेकर बैठा हुआ है, बार-बार आवाज उठाती है लेकिन वह कमीशन नहीं बनता। हमारे हिन्दू सक्सेशन एक्ट में हमने महिलाओं को समान अधिकार दिये, लेकिन आज मैं यहां पर यह जानना चाहूंगा कि यहां पर जो महिला सदस्य हैं, इस सदन के अन्दर, वह हाथ खड़ा करके कह सकती हैं, पुरुषों की तो बात छोड़िये क्या उन महिलाओं ने भी अपने लड़कियों को, अपनी बहनों को अपने घर के अन्दर उत्तराधिकार का समान अधिकार, सम्पत्ति का समान अधिकार बंटवारा करते समय दिया। यह दुख की बात है, आज स्थिति वही है जो राष्ट्रकवि मैथिली-शरण गुप्त ने कहा था कि "अबला जीवन हाय तेरी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी"। जिसको हमारे कवि हरियोध ने कहा था कि "नारी तुम केवल श्रद्धा हो और आंखों के पानी से मन का दुखड़ा रोना होगा। ये मन का दुखड़ा रोते-रोते हमारे देश की महिलाएं, जिनके लिए हम सती सावित्री, सीता, दुर्गा और न मालूल क्या-क्या उपाधियां देते हैं, लेकिन जब सम्पत्ति का प्रश्न आता है तो घू-घू करके कहीं दहेज के लिए, कहीं अन्य प्रकार से उनका उत्पीड़न किया जाता है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस समय इस बात की आवश्यकता है कि कि यूनिफार्म सिविल कोर्ट बनाने के लिए एक निर्णय लिया जाए।

राज्यसभा में जब यह पेश हुआ तो वहां पर विधि मन्त्री ने कहा कि यह अच्छी बात है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन वह समय अभी नहीं आया। मैं जानना चाहूंगा कि वह समय कब आएगा। उस समय के लिए कौन से अस्ट्रालाजर से पूछा जायेगा, कहां से नीति निकाली जायेगी। इक्कीसवीं सदी में जाने की बात की जाती है, हम इक्कीसवीं सदी में जा रहे है। सभापति महोदय, मैं 2 साल पहले मुम्बई गया था। वहां पर एक बड़ा सरकास्टिक बोर्ड लगा हुआ था। सरकास्टिक बोर्ड वहां के पुराने शरीफ हमेशा लिखा करते हैं, बड़ी इन्टेलीजेंट बात हैं। हमारी संसदीय व्यवस्था के द्वारा जो कानून पारित किया गया, मुस्लिम विमन बिल···।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं।

श्री गुमान मल लोढा : मैं सब्जेक्ट पर ही बोल रहा हूं। जब मुस्लिम विमन बिल पारित किया गया तो मुम्बई के मेरिड्राइव में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था—एंटरिंग टवंटीफर्स्ट सेंचुरी, उस पर लिखा हुआ था—मुस्लिम विमन बिल पास्ड बाई लोकसभा, और नीचे लिखा हुआ था—एंटरिंग टवंटी फर्स्ट सेंचुरी वाया एटीथ सेंचुरी, क्योंकि उस जमाने में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जाने की बड़ी चर्चा चल रही थी, तो उसके व्यंग्य के अन्दर लिखा हुआ था कि इक्कीसवीं सदी में जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता अट्ठारहवां सदी का अपनाना चाहते हैं। रास्ता यह अपनाना चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को किसी प्रकार का अधिकार न दिया जाए, मेंटीनेंस न दिया जाये, तलाक के मामले में उनका अधिकार केवल यह है कि वह तलाक स्वयं नहीं दे सकती, आसानी से छूट नहीं सकती, लेकिन पुरुष प्रधान उस कानून के अन्दर यह व्यवस्था है कि पुरुष क्रोध में आकर, आक्रोष में या गुस्से में आकर या किसी भी प्रकार से 3 बार तलाक-तलाक-तलाक कहे तो महिला को सड़क पर जाकर खड़ा होना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां मुस्लिम ला है और उसी मुस्लिम ला के अन्दर पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बनाया हुआ है।

सभापति महोदय : लोढा जी, यहां इण्डियन सक्सेशन एक्ट पर चर्चा हो रही है न कि डायवोर्स पर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह प्रश्न हमारे समाज के अन्दर जो विषमता है, उससे सम्बन्धित है। महिला-पुरुष की विषमता दूर करने के लिए, महिलाओं का शोषण समाप्त करने के लिए, महिला को पुरुष के बराबर आदर के साथ समाज में रखने के लिए, सामाजिक मान्यताओं में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुस्लिम कानून के अन्दर पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बना हुआ है, लेकिन हिन्दुस्तान में आपको पता होगा कि कुछ समय पहले हैदराबाद में बाहर के एक शेख आये और छोटी-सी बालिका को लेकर जाने लगे। जब उनको गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और उस पर विवाद चला तो कई लोगों ने कहा कि इस पर विवाद न किया जाये, यह हमारे मजहब का मामला है। क्या महिला का शोषण करना मजहब का प्रश्न है, महिलाओं मजहब के जीवन के साथ खिलवाड़ करना क्या मजहब का प्रश्न है, क्या कोई मजहब इस बात के लिए अधिकार देता है कि हमारी माता बहनों के साथ इस प्रकार का विषमता का व्यवहार हो, हमारी बालिकाओं को शेख चन्द चांदी के सिक्कों पर खरीद लें ?

सभापति महोदय : आप सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, कृपया सब्जेक्ट पर बोलिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, सामाजिक व्यवस्थाओं पर जब विचार होता है तो ये बातें आती है। यह विषमता की बात है, असमानता की बात है जो महिला और पुरुष के बीच है। मन्त्री महोदय बतायें कि यह जो कानून है, यह इसलिए बनाया गया है कि पारसी महिला को पहले आधा अधिकार था और पुरुष को दुगुना, उसको बराबर करने के लिए बनाया गया है, समानता लाई गई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं, पाइन्टेड क्लैरिफिकेट रिप्लाई चाहता हूं, पाइन्टेड क्वेश्चन है कि यदि पारसी महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है तो हमारी मुस्लिम महिला को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है, कौन इस बात के लिए रोक रहा है, क्या कारण है कि उसका शोषण किया जा रहा है। मैं इस चीज का उत्तर चाहता हूं।

सभापति महोदय, हम इस बिल का स्वागत करते हैं, अभिनन्दनीय है, इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपया वोटों की राजनीति में, वोट बैंक के लालच में आप इस बात को मत भूलिये कि महिला-महिला सब बराबर हैं, चाहे वह मुस्लिम हो हिन्दू हो, पारसी हो, ईसाई हो। मैं उस दिन का इन्तजार करूंगा जब संविधान की धारा 44 के अनुसार कामन सिविल कोड बनाकर सारे देश के अन्दर महिलाओं को पूर्ण और बराबर अधिकार दिए जायेंगे।

(व्यवधान)

सभापति जी, यदि आप महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हो, समानता की बात कर रहे हो तो फिर आप यह मत कहिये, मैं यह कहना चाहूंगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि मुसलमान महिलाओं के उत्थान की बात करें, मुसलमान महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करें तो हमारे कांग्रेस के दोस्तों को नाराजगी किस बात की है। मुझे एक शेर याद आ रहा है :—

हसरत में हर चीज इनको नजर आती है।
लैला नजर आती है, मजनूं नजर आता है॥

इनको हर चीज उल्टी दिखाई दे रही है। इस बिल को पारित किया जाए, लेकिन इसके साथ-साथ मन्त्री महोदय यह संकल्प करें कि आने वाले समय में संविधान की धारा 44 के अनुसार मुसलमान महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसको समाप्त किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक मौजूदा पारसी समुदाय के पर्सनल ला के दुर्भाग्यपूर्ण पहलू अर्थात जहां तक पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों का सम्बन्ध है, उसमें पक्षपात किया गया था, इसे समाप्त करता है। वर्तमान कानून भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का अंग है, विशेषत: उस अध्याय का सम्बन्ध पारसी समाज से है। अगर किसी पारसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है उसकी सम्पत्ति उसके बच्चों के पास चली जाती है। उसका पुत्र, पुत्री से दुगुना भाग प्राप्त करता है। जबकि जब एक पारसी महिला की मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारियों अर्थात उसके पुत्रों और पुत्रियों को सम्पत्ति का बराबर हिस्सा मिलता है। यह एक पुत्र और पुत्री में भेदभाव था। अत:, जहां तक उत्तराधिकार का सम्बन्ध है महिला और पुरुष को एक बराबरी के स्तर पर लाना और पक्षपात को समाप्त करना आवश्यक था।

मैं तत्कालीन विधि-मन्त्री, जिन्होंने यह विधेयक, 1990 में पुर:स्थापित किया था, का धन्यवाद करता हूं। मैं वर्तमान विधि मन्त्री को यह विधेयक लाने के लिए जो 1990 से निष्क्रिय पड़ा था, राज्य सभा और तत्पश्चात इस सभा के सामने लाने के लिए बधाई देता हूं। क्योंकि सामाजिक विधान लाना हमेशा ही आवश्यक होता है विशेषकर तब जबकि उस समुदाय ने उसकी मांग की हो।

इस मामले में, पारसी समुदाय ने स्वयं इस सुधार की मांग की है। अत: हमें हमेशा व्यापक परिवर्तनों की जबरदस्ती उन लोगों के जो अपने पर्सनल ला में परिवर्तन नहीं चाहते गले उतारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। अत: जब मेरे सहयोगी सदस्य सामान्य नागरिक संहिता के बारे में, जो संविधान के अनुच्छेद 44 के अन्तर्गत नीति निर्देशक सिद्धान्त है, बात करते हैं तो हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेकिन कोई भी सामाजिक विधान, विशेषकर जब वह इच्छा, उत्तराधिकार और विवाह इत्यादि से सम्बन्धित हो, जब तक कि उस समुदाय उसके लिए तैयार न हो और उस विधान की मांग न करे तब तक उसे नहीं लाया जाना चाहिये। जब तक हम उस सिद्धान्त का पालन नहीं करते, हम कोई भी उपयुक्त सामाजिक विधान पारित करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे।

इसीलिये, इस मामले में वह शर्त पूरी हो चुकी है तथा इसकी मांग भी स्वयं पारसी समाज ने की है और सरकार भी जवाबदेही के रूप में यह विधेयक लाई है। इससे भी अधिक यह विधान पुर:-स्थापित करने की विधि आयोग ने अपनी 110वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है।

उन्होंने अपनी सिफारिश में स्पष्ट कहा है कि ऐसा विधान लाया जाना चाहिये तथा उस रिपोर्ट के पृष्ठ 65, पैरा 10.5 में उन्होंने कहा है कि :—

> "पहली स्थिति में पुत्रों और पुत्रियों के मध्य भेद-भाव आज उपयुक्त नहीं जान पड़ता।
>
> "उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में यह उपबन्ध है कि वसीयत न करने वाले व्यक्ति की सम्पत्ति को इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारियों में, जिसमें उसके जीवित पुत्र और पुत्रियां (अन्तसम्बन्धित) शामिल हैं, बांट दी जायेगी और प्रत्येक उत्तराधिकारी को, लिंग पर ध्यान दिये बगैर एक हिस्सा प्राप्त होगा।"

[श्री शरद दिघे]

अत: हिन्दू कानून के अन्तर्गत भी हमें बिना लिंग पर ध्यान दिये बराबर हिस्सा प्राप्त होता है। अत: जहां तक पारसी कानून का सम्बन्ध है, जो भेदभाव है, वह उचित नहीं है और विधि आयोग की रिपोर्ट उसी पृष्ठ पर पैरा 10.6 में जो कहा गया है :—

"अगर पूरी तरह से नहीं तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में किया गया भेदभाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना के विरुद्ध जाता है।

उपरोक्त कारणों से, हम सिफारिश करते हैं कि धारा 51 को इस प्रकार से संशोधित किया जाये ताकि पुत्र और पुत्री दोनों को अपने मृत पिता की सम्पत्ति से बराबर का हिस्सा प्राप्त हो। यह धारा 51 को भी धारा 52 के उपबन्धों के अनुरूप बनायेगा। जिससे बच्चे अपनी मृत मां की सम्पत्ति से बराबर हिस्सा प्राप्त करें।"

विधि आयोग की इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार किया है।

तत्पश्चात, इसका संशोधन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 118 में, जिसकी मांग भी पारसी समाज द्वारा की गई है, भी किया गया है। धारा 118 में यह उपबन्ध है कि अगर आपके नजदीकी रिश्तेदार, भतीजी इत्यादि हैं और सम्पत्ति का वसीयतनामा करना है तो आप इसे किसी धर्मार्थ अथवा पुण्यार्थ कार्य हेतु दान नहीं कर सकते। अब पारसी समाज कहता है कि वे यह व्यवस्था नहीं चाहते। और इसीलिए इस संशोधन के द्वारा हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि यह उपबन्ध पारसी समुदाय के लिए अब लागू नहीं होगा। यह भी एक सराहनीय उद्देश्य है और इसे लाकर सरकार ने अच्छा ही किया है। जहां तक उस धारा का सम्बन्ध है, विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन ने पृष्ठ 136 के पैरा 17.14 और 17.17 में यह सुझाव दिया है; तत्पश्चात उन्होंने अनेक सुझाव दिये हैं; वास्तव में उनका कहना है कि धारा 118 का यह उपबन्ध समाप्त किया जाना चाहिये; अब हम इसे उस सीमा तक समाप्त कर रहे हैं जिस सीमा तक पारसी समुदाय इसे चाहता है। लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि विधि आयोग ने सिफारिश की है कि धारा 118 को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए व्यापक कदम उठाये जाने चाहिये। नि:संदेह यह हिन्दुओं के लिए लागू नहीं होता लेकिन यह अन्य समुदायों के लिए तो लागू होता है। यह न्यायोचित नहीं है कि किसी व्यक्ति को जिस प्रकार से वह अपनी सम्पत्ति की वसीयत चाहता है उसे उस प्रकार करने की अनुमति न दी जाए। इसमें अड़चन यह है कि अगर नजदीकी उत्तराधिकारी नहीं हैं, तो सम्पत्ति की वसीयत केवल धर्मार्थ अथवा पुण्यार्थ कार्य के लिए की जानी चाहिये और सबसे अधिक आश्चर्यजनक पहलू यह है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने तो नजदीकी उत्तराधिकारी में विधवा तक को सम्मिलित नहीं किया है और इसीलिए बहुत आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। नि:संदेह मुम्बई उच्च न्यायालय ने दूसरा रुख अपनाया है और उनका कहना है कि किसी भी नजदीकी रिश्ते में विधवा नहीं आती और इस प्रकार मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक अच्छी स्थिति उत्पन्न कर दी है। लेकिन मेरा अनुरोध, जैसाकि विधि आयोग ने सुझाव दिया है, यह है कि धारा 118 को पूरी तरह हटाकर संशोधित धारा 118 होनी चाहिये अथवा वैकल्पिक रूप में विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि अगर आप धारा 118 को पूरी तरह नहीं हटा सकते तो कम से कम जो उपबन्ध वहां किये गये हैं कि ऐसे मामले में मृत्यु से 12 महीने पहले अवश्य ही इच्छापत्र बनवा लेना चाहिये और इच्छापत्र की अवधि समाप्त होने से कम से कम छह महीने पहले प्राधिकारी के पास जमा कर देनी चाहिए; कम से कम ये मुश्किलें समाप्त होनी चाहिए। यही विधि आयोग की उस अध्याय में सिफारिश थी। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि पारसी समाज से सम्बन्ध रखने वाली कुछ सिफारिशों का हमने अनुपालन

किया है, धारा 118 से सम्बन्धित अन्य सिफारिशों को बाद में पालन किया जा सकता है। वह संशोधन भी इस सभा में लाया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री को यह सामाजिक विधान लाने के लिए, जो वर्ष 1990 से राज्य सभा के सम्मुख लम्बित पड़ा है, बधाई देता हूं। सरकार ने इस सभा में इसे पारित कराया इसलिए मैं एक बार फिर मन्त्री महोदय को यह सामाजिक विधान लाने के लिए बधाई देता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं पूरे हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तराधिकार के इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करती हूं। औरत के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं और रोज-ब-रोज कही जाती हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस विधेयक के अन्तर्गत न औरत को अबला कहा गया, न सबला कहा गया, बस इतना ही समझा गया कि वह देश के लिए, समाज के लिए बला नहीं है, बल्कि वह भी समान अधिकार प्राप्त एक नागरिक है और पारसी समुदाय इतना जागरूक समुदाय है, तब भी आजादी के इतने लम्बे अर्से के बाद चार दशक बीत जाने के बाद इस कानून में यह विषमता रह गई थी तो यह सरकार की और समाज की उपेक्षा का द्योतक है। देर से आये भले, लेकिन दुरूस्त आये। जिस कानून के तहत वारिस के मर जाने के बाद सम्पत्ति का दो अंश लड़के को दिया जाता था, एक अंश लड़की को दिया जाता था उसका अन्त इस विधेयक के आने के बाद से हो जायेगा। और अधिक खुशी तब होती है कि ऐसा सरकार के द्वारा यह विधेयक लाया गया है जो महिलाओं की बेहतरी के लिए बनाये गये वूमेन कमीशन को अपनी सत्ता में आने के बाद भी चार महीने से लटकाये हुए है। प्रतिदिन बहुत सारी महिला संस्थाओं के दबाव के बाद, हम लोगों के दबाव देने के बाद कभी आश्वासन दिया जाता है कि हम महिला कमिश्नर बहाल करेंगे, कभी कहा जाता है हम उनके बारे में अच्छी-अच्छी योजनायें बनाना चाहते हैं, आज सुनने में आया है वे कमीशन के साथ-साथ एक कमिश्नर भी देंगे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी बेहतरी के लिए जो कुछ भी होता है, उस पर अमल नहीं होता महिलाएं आज बड़ी इंटरेस्टिंग चेप्टर हो गया है। आज महिलायें जो कहती हैं सब लोग सुनने के लिये खड़े हो जाते हैं पर सोचते नहीं उस विषय पर खुले तौर से और स्पष्ट तरीके से कोई नहीं कह सकता है कि हम महिलाओं के प्रति कोई अत्याचार करना चाहतेहै लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है यह कानून लाया गया है यह बहुत ही छोटे से समुदाय के लिए लाया गया है जिनकी संख्या लाखों में नहीं हजारों में है फिर भी यह महिलाओं के लिए कल्याणकारी विधेयक है, इसको मैं मानने से इनकार नहीं करती हूं, लेकिन उसके साथ-साथ महिलाओं के प्रति जो सामाजिक मंशा है और सोच तथा चिन्तन लोगों के मन में व्याप्त है उसका नमूना है हमारा महिला कमीशन का न आना।

हम कानून मात्र पास कर देते हैं, मुझे लगता है यहां कोई भी विरोध करने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि इसके सम्बन्ध में अपने उदगार प्रकट करने के लिए बैठे हैं। हमें सामाजिक कल्याण के लिए सोचना है अपने में कि क्या हम अपने छोटे तबके को ही सहूलियत देना चाहते हैं। जो बातें यहां सदन में उठाई जाती हैं और बहुत सारी बातों पर विरोध हो जाते हैं, इसकी दिशा में भी सोचना है। तब इस कानून की मंशा को हम समझेंगे तथा यह पूर्ण है। यह हमने सही समझा कि किसी के मरने के बाद कोई विधवा होती है या कोई अनाथ होती है तो यह मात्र शाब्दिक अभिव्यक्ति है कि कोई विधवा होती है, कोई विधुर होता है, तो विधुर होना शब्द मात्र है। उसका विधुरपन तुरन्त समाप्त हो जाता हैं, किसी लड़की को सबसे अधिक धन की आवश्यकता होती है माता-पिता पति की मृत्यु के बाद, इन कानून से पहले ऐसी विषमता से जरूर इस समुदाय की लड़की को यातनायें सहनी पड़ी होंगी। अपने परिवार में रहकर बार

[श्रीमती गिरिजा देवी]

बार उन्हें अपने नम्बर दो के होने का अहसास भोगना पड़ा होगा । यह मुझे समझ में आ रहा है । लेकिन इस विधेयक के अन्तर्गत महिला को जो दर्जा दिया गया है, उसके लिए मैं विधि मन्त्री को धन्यवाद देना चाहती हूं और फिर एक बार इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करती हूं । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : माननीय सभापति जी, बहुत खूबसूरत बिल है अगर सिर्फ इसके समर्थन में इतना ही कह दूं तो बात खत्म हो सकती है क्योंकि इस बिल के विरोध में कुछ कहना बिलकुल फिजूल है । जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो बी० जे० पी० के मेरे काबिल दोस्त लोढ़ा साहब ने कुछ ऐसे सवाल उठाये जिस पर मैं समझता हूं कि एक दो बात कहना जरूरी है । सवाल है औरत का, सवाल है लड़की का । शाहबानो के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, और वे रो पड़े रूपकंवर के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, हैदराबाद की अमीना के बारे में उनके दिल में काफी अफसोस है लेकिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अपने लड़के की शादी जिस तरह से एक नाबालिग लड़की के साथ की है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा । तो सिर्फ मेरा इतना कहना है कि अगर कुछ लोग सही बात कहने से खामोश रह जाये तो···

श्री तारा सिंह (कुरुक्षेत्र) : यहां हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की बात ली गई है ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है ।

श्री तारा सिंह : हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम एक ही है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उन्होंने नाम नहीं लिया था ।

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : अगर नाम लिया है तो नाम लेने की कोई बात नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने नाम लिया है ।

सभापति महोदय : लेकिन रूपकंवर तो राजस्थान की थी ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : प्वांयट ऑफ इन्फारमेशन से केवल यह निवेदन कर दूं कि रूपकंवर के बारे में 100 पेज का जजमेंट मेरा है जिसमें प्रती प्रथा को कंडेम्न कर कांस्टीट्यूशन को बताया ।

[अनुवाद]

यह है । मैं आपको एक पति भेज दूंगा ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : लेकिन आज की डिबेट में यह बात नहीं आयी । तो मेरा कहना है कि अगर बी० जे० पी० के दोस्त कॉमन कोड के बारे में ज्यादा हल्ला करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के दिमाग में इसके बारे में कुछ वहम पैदा होगा । मैं अपनी पर्सनल जिन्दगी की बात कह सकता हूं ।

[अनुवाद]

मैं मुस्लिम स्वीय विधि से बाहर हूं ।

[हिन्दी]

आपको मालूम है कि हमारे यहां कॉमन कोड का लिमिटेड स्कोप है और वह है ही जिसे मैंने जानबूझकर अपनाया है । यदि सिविल मैरिज एक्ट के अन्तर्गत किसी ने शादी की तो लड़का-लड़की दोनों

को एडल्ट होना जरूरी है, कंडीशन फुलफिल किया, यदि कोई सिविल मैरिज एक्ट के अन्दर शादी करे तो तीन मर्तबा तो क्या 30 हजार मर्तबा भी अगर तलाक चाहे तो नहीं होगा और मेरी बेगम साहिब जब तक मौजूद हैं, चार तो क्या नम्बर दो पर भी नहीं आ सकती हैं। तो मैंने जानबूझकर इसे अपनाया। पहले तो मुस्लिम कम्युनिटी को मैंटली प्रीपेयर होने दीजिए, उनकी तरफ से यह कॉमन कोड आ जाये तो बहुत आसानी होगी। चूंकि मैंने अपनाया है, इसलिए मुझे कहने का हक है। मैं तो लोढा साहब से भी कहूंगा कि वे जो कॉमन कोड के बारे में कह रहे हैं—ठीक है। क्या आप सही दिल से कह रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी से कह रहे हैं लोढा साहब से कह रहे हैं। सिविल मैरिज ऐक्ट में शायद सेक्शन 15 में यह भी प्रोविजन है कि कोई भी कम्यूनिटी हो, अगर वह चाहे तो अपनी शादी के 20-25 या 40 साल बाद भी अपनी शादी की रजिस्ट्री कर ले सिविल मैरिज ऐक्ट के मुताबिक, तो वह भी अपने पर्सनल लॉ से बाहर आ जाएगा। वह भी उसी से गाइड होंगे। लोढा साहब शायद इस बात को एडमिट करेंगे। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और साथ-साथ यह भी मुझे कहना है कि इस देश में जब तक सामंतवाद रहेगा तब तक औरतों के ऊपर जुल्म होते रहेंगे। यह मुसलमान और हिन्दू या सिख-ईसाई का सवाल नहीं है। सिर्फ बराबर का हिस्सा देने से वह हिस्सा उन्हें मिल जाएगा, वह अगर कोई सोचे तो मैं समझता हूं कि जो खुद गुनाहगार है वह दुनिया से भी गुनाह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक सोशल मूवमेंट की जरूरत है। औरत को आगे बढ़ाने के लिए, उनका हक दिलवाने के लिए लड़ने की जरूरत है और यह काम हर कोने से होना चाहिए। यह किसी पर्टिकुलर पार्टी का सवाल नहीं है लेकिन यहां वुमेन कमीशन का सवाल बार-बार आ रहा है। इसमें कुछ लिमिटेड स्कोप है। मैं समझता हूं कि वुमेन कमीशन में भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुमारमंगलम जी शायद इधर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि क्या बात हो रही है, और वह नेशनल कमीशन कब आएगा वह मालूम नहीं है। (व्यवधान) आ गया है तो अच्छी बात है। आज ही उसको पास करा लो।

मैं इतना कहूंगा कि सवाल औरतों का है और सोशल स्ट्रक्चर जो है, इसको बदलना है और इस बात को किस ढंग से लाया जाए ताकि किसी के दिल में यह शक पैदा न हो कि जो अपना है, उस को छीनकर किसी दूसरे को देने की कोशिश की जा रही है, यह देखना है। अगर यह होगा तो गलत होगा मैं इतना कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय नवल पाटील : मुझे आपने समय दिया है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है कि इस विधेयक पर व्यापक बहस की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि माननीय मन्त्री महोदय को बधाई दी जाए, जिन्होंने इस मूल विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत किया है।

पार्सी समुदाय ने विधि आयोग के सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। दरअसल, इस तरह के परिवर्तन की बहुत पहले से जरूरत थी।

सभापति महोदय : आप कृपया अगली बार जारी रखना।

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा शुरू करते हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : इससे पहले कि हम किसी निर्णय पर पहुंचे, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में एक निर्णय लिया था कि इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर दो घण्टों की जगह तीन घण्टों की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सभा की बैठक का समय बढ़ा कर 7 बजे तक कर दिया जाए।

सभापति महोदय : क्या सभा सदन 6 बजे की जगह 7 बजे तक बैठना चाहेगा?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : नहीं साहब, 6 बजे तक ही आज करिये।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : नहीं, बी०ए०सी० में ऐसा तय हुआ है कि यह डिस्कशन आज ही कम्पलीट करना है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अब तो बाढ़ आ नहीं रही है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : हमारे यहां बाढ़ आयी हुई है, ऐसा मत करना, बहुत लोग मरे हैं।

सभापति महोदय : अगर टाईम नहीं बढ़ाया गया तो हमें टिल द काब्ज कम होम उस समय तक बैठना पड़ेगा। हाउस के सामने बिजिनेस इतना एक्सटेंसिव है, टाईम बहुत लिमिटेड है। यदि हम बिजिनेस को आगे टालते रहे तो न्यू ईयर, क्रिसमस, होली, दिवाली सब इधर ही हो जायेगा। इसलिए मन्त्री जी ने जो सुझाव दिया है, मेरा अनुरोध है कि आप उसकी अनुमति दें दे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नियम 193 के अधीन चर्चा तो कई वर्षों तक चलती रहती है। मैं तो इसी महीने में इसे करने का सुझाव दे रहा हूं। इस चर्चा को आप कल कन्टीन्यूट करिये।

सभापति महोदय : आप एक घण्टे और बैठने का कष्ट करिये, इसमें पब्लिक का सवाल है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सर, रात हो जाती है तो दिखाई नहीं देता है। घर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विजय नवल पाटील : सदन की कार्यवाही 7 बजे तक बढ़ा दी जाए।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि अधिसंकल्प माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही को 7 बजे तक बढ़ा देने के पक्ष में हैं।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : इस बहस के दौरान यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हुए भूकम्प पर भी बहस होगी।

सभापति महोदय : सदन के सामने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का प्रश्न है। इस में भूकम्प की कहीं चर्चा भी नहीं है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, मैंने अभी कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया है और प्रतिवेदन के अनुसार भूकम्प पर बहस 10 दिसम्बर, 1991 की सांय 3 बजे होगी।

श्री भवन चन्द्र खण्डूरी : धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही को 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब श्री के० वी० तंग्कावालू नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू करें।

17.02 बजे

नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा

बंगाल की खाड़ी में हाल में आए समुद्री तूफान के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति

[अनुवाद]

श्री के० वी० तंग्कावालू : महोदय, मैं बंगाल की खाड़ी में हाल ही में आए समुद्री तूफान के कारण उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति और सरकार द्वारा लिए गए राहत कार्यों के बारे में 29 नवम्बर, 1991 को इस सदन में कृषि मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करना चाहता हूं।

प्रत्येक साल, हम बाढ़ की चपेट में आते हैं और प्रत्येक वर्ष यह आती जाती है। पूरा राष्ट्र उत्तर-पश्चिम मानसून की प्रचण्डता से अवगत है जिसने दक्षिणी राज्यों को 12 से 15 नवम्बर के बीच भारी नुकसान पहुंचाया है। यह इतिहास में सबसे प्रचण्डतम मानसून था, जिससे भारी बर्बादी और तबाही मची, खासकर तमिलनाडु, पांडिचेरी और आन्ध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तथा केरल और कर्नाटक में भी।

हमने तूफान के चले जाने के बाद मची भयंकर तबाही को अपनी आंखों से देखा है और उस अनुभव की भयंकरता का मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि इस तरह की बर्बादी हमने अब तक अपने जीवन में नहीं देखी है।

12 नवम्बर को बंगाल की खाड़ी में दबाव बना। उसके बाद यह पश्चिम और उत्तर-पश्चिम की दिशा में बढ़ता गया और फिर नागापट्टीनम और कूड्डालोर के बीच तमिलनाडु के तट को पार कर कवैड-मिल्लेट और थानजभूर के क्षेत्र पर टूट पड़ा। इसके बाद पांडिचेरी के करैकल क्षेत्र को भी इसने अपने चपेट में ले लिया।

सामान्य वर्षात 864 मिली मी० होती है, जबकि इस तूफान के दौरान जो वर्षा हुई वह 2,814 मि० मी० थी। भारी वर्षा तमिलनाडु के इन जिलों में हुई नागापट्टीनम, कवैड-मिल्लेट जिला, चिंगलपट्टू

[श्री के० वी० तंग्कावालू]

एम०जी०आर० जिला मद्रास, धर्मपूरी, मदुराय, दिन्दूगल,-अन्नास जिला, पुडुकोट्टाई, निलगिरी, पेरियार, सालेम और तिरुवन्नमलाई-सम्बूवारयार ।

यह बिल्कुल सत्य है । दूसरी तरफ आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से तथा पांडिचेरी भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं । अनेकानेक लोगों की जानें गई हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं, जानमाल की भारी तबाही हुई है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, कई तालाबों में दरारें पड़ गई हैं और तीन लाख हेक्टेयर की जमीन में खड़ी फसलें पानी में पूरी तरह डूब गई हैं । राष्ट्रीय मार्ग और राज्य मार्ग तथा पंचायतों और गांवों को जोड़ने वाली सड़कें भी जगह-जगह टूट गयी है । जब केन्द्रीय कृषि मन्त्री, बलराम जाखड़ और संसदीय राज्य मन्त्री कुमारमंगलम के नेतृत्व में एक दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, तो उस समय भी प्रचन्ड ताण्डव का असर दृष्टिगोचर हो रहा था । भारत सरकार के एक दल ने आन्ध्र प्रदेश-कर्नाटक, पांडिचेरी और देश को अन्य हिस्सों का भी दौरा किया है ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि केन्द्रीय, सरकार, खासकर प्रधानमन्त्री कार्यालय, राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए थी । खासकर हमारी पार्टी के लोगों ने अपने को सरकार के सम्पर्क में रखा जिससे कि तूफान से उत्पन्न समस्याओं को दूर किया जा सके ।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रभावकारी कदम उठाए जाने के बाद भी इस तरह की घटनाओं की रोकथाम नहीं हो सकी क्योंकि प्राकृतिक विपदाओं पर किसका बस चला है ।

हमने पाया है कि सिर्फ तमिलनाडु में ही 3,920 गांवों से ज्यादा की तबाही हुई है । 3,65,115 से ज्यादा परिवार बेघर हो गए हैं और 185 जानें गई हैं । तटवर्ती क्षेत्रों में 2·3 लाख लोगों में से मात्र 175 लाख लोगों को ही हम निकाल पाए । सतर्कता बरते जाने के फलस्वरूप ही हम सैकड़ों-हजारों लोगों को बचा पाए । अन्यथा लाखों लोगों की जानें जातीं ।

17.00 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जैसाकि मैंने पहले कहा है कि चार दक्षिणी राज्यों में से सबसे ज्यादा प्रभावित तमिलनाडु और पांडिचेरी हुए है । मैंने पहले भी कहा है कि तमिलनाडु में ही 185 लोगों की जानें गयी हैं, 315 जानवर हताहत हुए हैं । मात्र 1,75,000 लोगों को ही निकाला जा सका । और प्रभावित झोंपड़ियों की संख्या 2·30 लाख है और यह सिर्फ तमिलनाडु में ही है । काबेरी, जो चढ़ाव पर थी, तमिलनाडु के तंजाबूर जिले में बढ़ती चली गई और इसमें 20 से 25 दरारें पड़ गई ।

तूफान के कारण कुल मिलाकर हमने 1,112 'वीच' नुकसान पहुंचा । केवल तमिलनाडु में ही 7,048 किलो मीटर सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी हैं । पानी के जमाव के विषय में मैं यह कहूंगा कि 1,40,550 हेक्टेयर भूमि केवल डूब ही नहीं गई है । बल्कि यहां फसलें पूरी तरह नष्ट हो गयी हैं । यह तूफान और भारी वर्षा का दुखरोधी नतीजा था ।

पांडिचेरी में 40,000 झुग्गी झोंपड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं । 20,000 एकड़ भूमि पानी में दब गयी है । यह पांडिचेरी के एक हिस्से की कहानी है, खासकर कराईकल क्षेत्रों की पांडिचेरी के तटवर्ती क्षेत्रों की भी यही कहानी है ।

महोदय, मैं पुनः तमिलनाडु पर आता हूं । जो लोग बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित हुए हैं वे

एकदम गरीब और कृषि मजदूर थे और दैनिक दिहाड़ी पर ही गुजारा कर रहे थे। इस तरह के गरीब तबके के लोग प्रभावित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सरकार और पार्टी की पूरी कोशिश के बाद भी आज हम इस स्थिति में नहीं है कि उचित ढंग से उनका पुनर्वास कर सकें। यही कारण है कि वे लोग निचले इलाके में रह रहे हैं और बगैर घरद्वार के ही। इतना ही नहीं उनके पास गुजर-बसर करने के लिए जीविकोपार्जन करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

इस सम्बद्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयत्नों की भी चर्चा करनी जरूरी है। प्रधानमन्त्री के कार्यालय से स्पष्ट निदेश जारी हो रहे हैं। रेडियो और दूरदर्शन की ओर से लोगो को बार-बार सलाह दी जाती रही है कि वे अपने अपने घरों को खाली कर दें और इस हादसे से बचने की कोशिश करें। इससे राज्य सरकार को इस विपदा के टल जाने के बाद प्रभावकारी कदम उठाने में मदद मिली। माननीय मुख्यमन्त्री कुमारी जयललिता जी ने प्रभावित क्षेत्रों में अपने मन्त्रियों को भेजा और उन्होंने केन्द्रीय प्राधिकारियों तथा जिला प्रशासन के प्राधिकारियों को सेना की नौकाएं मुहैया करवाई। सभी अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद थे और उन्होंने वह सब कुछ किया जो भी सम्भव था। इस प्रकार जितनी राहत प्रदान करने की उनकी क्षमता थी उन्होंने प्रदान की। मैं एक और तथ्य इस सभा और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। तमिलनाडु में ही 13,831 किलो मीटर राष्ट्रीय मार्ग और राज्य मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। यह एक बहुत ही दुःखदायी बात है। परिणामस्वरूप आज प्रत्येक जिलों के गांवों, खासकर उन जिलों के गांवों में जिनका उल्लेख मैंने किया है। के लोगों तक पहुंच पाना और उन्हें मदद करना आज भी सम्भव नहीं है। इस भयानक बर्बादी की वजह प्रचण्ड बाढ़ हैं। खासकर गांवों में 6,356 किलोमीटर पंचायत सड़कें और 9.552.27 किलो मीटर अन्दर की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। और खासकर सभी जिलों में कई स्थानों पर पुलिया, पुल अनुरक्षण दीवारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी तरह से 5,427 विद्यालय भवन, दोपहर भोजन केन्द्र तथा पंचायत कार्यालय भवन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।

महोदय, 1370 अतःस्रावी तालाब, लघु सिंचाई तालाब, अनेक नहरें भी भारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं। तन्जावुर और कायद-ए-मिल्लत ये दो जिले सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक पैदावार वाले क्षेत्र हैं इन्हीं दो जिलों से तमिलनाडु के लोगों को अन्न मिलता है। ये दो जिले पूरी तरह तबाह हो गए तथा अरिनियार, कुसाथलयार, पलार, वेल्लार, कोलरून आदि मुख्य नदियां भारी वर्षा और बाढ़ के कारण लबालब भरी हुई थी और बाढ़ में थी। सम्पूर्ण क्षेत्र तथा इसके चारों ओर पानी ही पानी था। कायद-ए-मिल्लत, तन्जावुर, और दक्षिणी अरकोट, ये तीन जिले पूरी तरह डूब गए जिससे हमें 2 लाख हेक्टेयर से अधिक की धान की फसल की हानि होगी जिनमें से 20,000 हेक्टेयर में धान की फसल कटाई के लिए तैयार थीं। वह भी बर्बाद हो गयी तीन लाख हेक्टेयर में खड़ी धान की फसल बाढ़ में बह गयी। संकट की इस घड़ी में तमिलनाडु के लिए केन्द्र सरकार की भूमिका सर्वाधिक खेदपूर्ण रही है जबकि हमें इस वर्ष अच्छे मानसून के कारण अच्छी फसल की आशा थी। किन्तु इस आकस्मिक आपदा के कारण हम इससे वंचित हो गए तथा केन्द्र सरकार ने दूसरा आघात पहुंचाया है। जब हम अपने राज्य को खाद्यान्न दे पाने की स्थिति में नहीं है, तब तमिलनाडु राज्य को चावल का केन्द्रीय आवंटन अचानक 81,090 टन से घटाकर 65,000 टन कर दिया गया। मेरी यह हार्दिक अपील है कि जब हम संकट में फंसे हैं तो केन्द्र को आगे आना चाहिए और तमिलनाडु के लिए चावल के कोटे में बढ़ोतरी करनी चाहिए। किन्तु इसके विपरीत केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु को संदेश भेजा है कि वह दिसम्बर माह से चावल का कोटा कम किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि अब क्या हुआ। सरकार से मेरा निवेदन है

[श्री के० वी० तंगकाबालू]

कि राज्य के खासतौर पर हमारे इस आग्रह पर विचार किया जाए। इस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए जिससे तमिलनाडु के लोग कठिनाई से न घिरे रहें।

महोदय, हमारे केन्द्रीय कृषि मन्त्री डा० बलराम जाखड़ तथा मान्य मन्त्री श्री रंगराजन कुमारमंगलम ने पांडिचेरी के मुख्यमन्त्री, तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री द्वारा नियुक्त मंत्री श्री तिरुनवुकरासु तथा अन्य लोगों के साथ क्षेत्र का दौरा किया है। यहां मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी व कांग्रेस अध्यक्ष ने सर्वश्री जनार्दन पुजारी, स्वयं मेरे, नारायणस्वामी, सांसद और मल्लम्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों का एक दल क्षेत्र का दौरा करने तथा असलियत का पता यह पता लगाने के लिए कि क्या किया जा सकता है और उससे उनमें लौटकर उससे उन्हें अवगत कराने हेतु भेजा था। हम लोगों ने पैदल, कार से और जो भी परिवहन साधन मिले उनसे उस क्षेत्र का पूरा दौरा किया हमने अपना भरसक प्रयास किया और लोगों से मुलाकात की उनकी दयनीय स्थिति को देखा तथा वहां की दुर्दशा को देखा। इस दुर्दशा अतिशयोक्ति नहीं थी, लेकिन इसे बेहतर ढंग से बताया जा सकता है हम भी गांवों से सम्बद्ध हैं जहां कृषि मुख्य काम धन्धा है। हमने उनकी दयनीय स्थिति को देखा। वे जैसी परेशानी में हैं इसका कोई अन्दाज नहीं लगा सकता। सरकार द्वारा वहां दी जा रही भारी सहायता एवं वहां किए जा रहे राहत कार्यों के बावजूद उन लोगों की स्थिति अभी भी अत्यन्त दुखद है। हम लोगों ने उन स्थान का दौरा किया है।

मुझे बताया गया है कि नवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को राहत जो प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है और जिसके द्वारा निधियों का आबंटन करते हैं के बारे में निदेश दिया है यह एक अच्छा कदम उठाया गया है। हमें नौवें वित्त आयोग को बधाई देनी चाहिए क्योंकि इसके बाद, जब और जैसे ही कोई आपदा आने पर राज्य सरकार या सम्बद्ध प्रभावित पार्टी को राहत के लिए अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु इसके विपरीत निधि पहले ही नियत कर दी गयी है और राज्यवार निधि का आबंटन कर दिया गया है। तदनुसार तमिलनाडु को 39 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। राज्य को चार किस्तें दे दी गयी हैं। उस पैसे को खर्च करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव निधि का उपयोग कर सकते हैं और पीड़ित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचा सकते हैं। यह एक अच्छा सुझाव है। साथ ही निधि सामान्य आधार पर आबंटित की गई हैं। इस वर्ष तमिलनाडु पर खराब प्रभाव पड़ा है, विगत वर्ष आन्ध्र प्रभावित हुआ था। अगले वर्ष उड़ीसा प्रभावित हो सकता है। हम नहीं जानते कि कब और कहां चक्रवात आ जाए। निधि आबंटित करते समय क्षति की मात्रा पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि केन्द्र सरकार के पास आंकड़े जुटाने एवं क्षति का हिसाब लगाने के लिए हर तरह का तन्त्र है। मैं महसूस करता हूं कि वे तमिलनाडु को किया गया आबंटन इन्द्र-देव की अपेक्षा के स्तर की अथवा चक्रवात से हुई क्षति के स्तर तक का नहीं है। क्योंकि चक्रवात भयंकर था। हमारे आकलन के अनुसार राज्य के लिए लगभग 390 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी होगी। अन्यथा तमिलनाडु में कुछ भी नहीं किया जा सकता। वहां स्थिति यह है। नदियों पर बने पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए है। सड़कें खराब हो गयी हैं। लोग कष्ट सह रहे हैं। इन सब बातों की प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों का पुनर्वास किया जा सके अकेले तमिलनाडु राज्य के लिए इतनी न्यूनतम धनराशि की आवश्यकता है जो हम लोग मांग कर रहे हैं। बाद में मैं दूसरे राज्यों की चर्चा करूंगा।

यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 1985 से 1990 तक की चक्रवात क्षति दर्शाने वाले

ग्राफ के अनुसार, इस देश में बाढ़ विभीषिका से केवल छः वर्षों की अवधि में लगभग 18922 करोड़ रु० की क्षति हुई है। किन्तु भारत सरकार ने नौवीं वित्त आयोग के पश्चात राज्य को 1991 तक जो राशि स्वीकृत की हैं वह 603 करोड़ रुपए है। एक अच्छी बात जो नवें वित्त आयोग ने की है जिसके लिए मैं बधाई देता हूं वह यह है कि यह राशि जो केन्द्र ने दी है वह ऋण के रूप में नहीं दी है। यह राशि भारत सरकार के हिस्से के रूप में दी गयी है। राज्यों को आपदा राहत निधि हेतु शेष राशि का 25 प्रतिशत ही वहन करना होगा और अनुपात के अनुसार उन्हें आपदा राहत पर धनराशि खर्च करनी होगी। जितनी क्षति हुई है उसकी तुलना में केन्द्र ने विगत छः वर्षों के लिए स्वीकृति दी हैं वो वह राशि का छठा भाग है। अभी तक केन्द्र सरकार ने राशि का छठा भाग मात्र दिया है। बड़े पैमाने पर क्षति होती है और इतनी धनराशि मददगार सिद्ध नहीं होती है। इसके साथ ही मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसे सतही तौर पर मत लीजिए। तमिलनाडु में हाल ही आयी बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति अकेले केन्द्र द्वारा की जाए। हम संसाधनों की कमी से अवगत हैं तथा राज्य को भी इसी समस्या का सामना करना पड रहा है। हम इन आघात से मुक्ति पाने में सक्षम नहीं है क्योंकि ऐसे आघात को केवल केन्द्र की मदद से ही ठीक किया जा सकता है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

सर्वाधिक गरीब लोग नीची भूमि पर रहते हैं। उनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार झोंपड़ियों के पुनर्निर्माण के लिए पांच सौ रुपए दे रही है। यह सोचा भी नहीं जा सकता लोग पहले ही संकट में हैं और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आज की मूल्य स्थिति के समय में 500 रुपए में घर नहीं बनाया जा सकता है। यह सामान्य बुद्धि की बात है। (व्यवधान) पहले 400 रुपए दिए गए थे। अब तमिलनाडु सरकार ने इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है पर तब भी 400-500 में क्षतिग्रस्त घरों की पूरी मरम्मत नहीं हो सकती। हम 500 रु० में एक बांस भी नहीं खरीद सकते। आज यह स्थिति है। (व्यवधान)

हमें स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा। इन गरीबों को अपने घर के पुनर्निमाण के लिए कम से कम 3000 से 5000 रुपए तक अवश्य मिलने चाहिए। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को तत्काल निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के गरीब लोगों की फिर से बसाया जा सके। इसी तरह अर्द्ध क्षतिग्रस्त घर अर्थात जिसकी एक या दो दीवार गिर गयी हो पानी और कीचड़ से भरे हुए हैं और कुछ वहां नहीं रह गया है। वहां केवल कुछ धल रह गई है। उन मकानों में गरीबों और आम आदमी का रहना मानवीय दृष्टि से सम्भव नहीं है हमें उनके हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। केन्द्र सरकार को निर्देश देने चाहिए कि अर्द्ध क्षतिग्रस्त घरों को कम से कम 3000 रुपए दिए जाएं ताकि वे अपने घरों की मरम्मत करवाकर उन घरों में रह सकें।

इसके विकल्प के रूप में सरकार को उन पीड़ित परिवारों और घरों के साथ प्राथमिकता आधार पर व्यवहार करने पर विचार करना चाहिए। इन लोगों को आई०आर०डी०पी० और आई०आर० वाई योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिए जाने चाहिए। तथा उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए ताकि वहां पुनर्वास कार्य तेजी से किया जा सके।

17 09 बजे

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वहां कृषि कार्य बिलकुल ठप्प पड़ गए हैं। वहां कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि तीन लाख हेक्टेयर भूमि में पानी का बहाव था और अभी भी वहां पानी जमा है। आज

[श्री के० वी० तंग्कावालू]

भी हमें सूचना मिली है कि एक लाख हेक्टेयर भूमि में पूरी तरह रेत जमा हो गया सामान्य कृषकों गरीबों के लिए यह एक साधारण कार्य नहीं है। वे विवश हैं। उसी कृषि कार्य से वे अपनी जीविका चलाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसने बैंक अधिकारियों से फसल बीमा वाले लोगों से सम्पर्क किया। हमने पूछा कि किस तरह के उपचारी उपाय वे लोग करने जा रहे हैं, हमें बताएं। उन्होंने हमें बताया कि फसल बीमा केवल उन्हीं किसानों के लिए है जो ऋण लेते हैं। जिन्हें उर्वरक एवं बीज के लिए ऋण मिलता हो उन्हें केवल 500 रुपए या 1000 रुपए या अधिकतम 3000 रुपए मिल सकते हैं यदि उनके पास दो एकड़ भूमि हो। सिर्फ वही राशि जो उन्हें बीजों, उर्वरकों के माध्यम से प्राप्त है उतना ही फसल बीमा किया जा सकता है। यही दुखद स्थिति में। मैं एक सामान्य गरीब कृषक परिवार से हूं।

मैं सच्चाई जानता हूं। उनका कहना है कि ऋण के बराबर क्षतिपूर्ति की रकम किसानों को मिलेगा वह भी तब जब फसल तैयार हो जाएगी। यह एक दो माह बाद होगा और खेती का क्षेत्रफल एक या दो एकड़ से अधिक नहीं होगा। और दस हजार रुपये मूल्य के फसल को फसल बीमा योजना के तहत नहीं रखा गया है। फसल बीमा नीति केवल सरकारी ऋण प्राप्त करने के लिये बनाई गई है। वे बैंकों को संतुष्ट करना चाहते हैं। वे केवल बैंकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं गरीबों का नहीं। ऐसी दुखद स्थिति व्याप्त है। गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को कोई विधान बनाना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि फसल बीमा योजना महज मजाक बनकर रह गया है। यह ठीक है कि फसल बीमा योजना है। हमने इस पर निचले स्तर के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। उनका कहना है: "हमें खेद है। आप सरकार से पूछें। सरकार को ही निर्देश देना होगा और हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। हम केवल इतना ही सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऋणों की वसूली हो जाए।"

अध्यक्ष महोदय : श्री के० वी० तंग्कावालू, यह मामला बंगाल की खाड़ी में उठने वाली समुद्री तूफानों और सरकार द्वारा जो राहत उपाय किये गये है, के बारे में हैं, यह पूर्ण रूप से कृषि से सम्बन्धित नहीं है। मेरे पास करीब दस वक्ताओं की सूची है। आप इस विषय पर बोलिए।

श्री के० वी० तंग्कावालू : मैंने अभी तक विषय पर बोलना शुरू ही नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने मुद्दे को शुरू करें।

श्री के० वी० तंग्कावालू : मैं केवल अपने मुद्दे की बात कर रहा हूं। मैं प्रभावित क्षेत्रों की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पूरे कृषि नीति के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री के० वी० तंग्कावालू : नहीं। मैं कृषि नीति के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं प्रभावित लोगों के बारे में बोल रहा हूं। मैंने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों को देखा है। मैंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने मुद्दे पर बात करें।

श्री के० वी० तंग्कावालू : मैंने तूफान ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। उनका कहना है कि फसल बीमा की रकम फसल प्राप्त होने के बाद मिलेगी। उसके बाद ही वे फसल की मात्रा का अनुमान लगायेंगे। इसमें एक दो माह लग जायेंगे। लेकिन तब तक प्रभावित क्षेत्र के प्रभावित लोगों को सहायता नहीं दी जायेगी। यह दुखद स्थिति है। तीन लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की फसल नष्ट हो गई और

उस क्षेत्र के लोग आंसू बहा रहे हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वह कुछ कारगर उपाय करे और इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के किसानों द्वारा लिए गए सारे ऋणों को माफ करे। साथ ही, सरकार अधिकारियों को यह भी निर्देश दे कि वह पूरे प्रभावित क्षेत्र को इसमें शामिल करे।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० वी० तंग्कावालू, मैं आपको अब अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि इस मामले के लिये दो घंटे निश्चित किए गए हैं। आपने अपनी बात पांच बजे शुरू की थी। आप 35 मिनट तक बोल चुके हैं। दस और सदस्यों को बोलना है। आप तरह नहीं कर सकते। इस तरह से काम नहीं चल सकता।

श्री के० वी० तंग्कावालू : मैं तुरन्त अपनी बात समाप्त कर दूंगा। कोई समस्या नहीं है। मैं केवल दस मिनट का समय और चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात एक मिनट में समाप्त करना होगा। आपने पहले ही 35 मिनट का समय ले लिया है।

श्री के० वी० तंग्कावालू : वास्तव में मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : दो घंटे में से 35 मिनट का समय आप ले चुके हैं।

श्री के० वी० तंग्कावालू : माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा है कि आप इसके लिए तीन घंटे का समय आवंटित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। समय का समायोजना माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के ऊपर नहीं है इसके अलावा और कौन बोलेंगे। इस पर चर्चा के लिए मेरे पास दो घंटे का समय है। आपने 35 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री के० वी० तंग्कावालू : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको एक मिनट में अपनी बात समाप्त करनी होगी। अन्यथा, मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री के० वी० तंग्कावालू : यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत खेद है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आवंटित दो घंटे में आपने 35 मिनट ले लिए।

श्री के० वी० तंग्कावालू : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं प्रभावित कृषकों की समस्या की चर्चा कर रहा था। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कृषकों के सारे ऋण माफ कर दे उन्हें प्रभावित क्षेत्र में फिर से फिर खेती करने और से फसल लगाने के लिए नये सिरे से ऋण दिए जायें। इसके अतिरिक्त उन क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए जो खर्च राज्य सरकार ने किया हैं उसका वहन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में बाढ़ की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उचित जल प्रबंधन नीति बनानी चाहिए। यदि नदियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो जल प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सकता है और इससे देश भी उन्नति करेगा। इसलिए हम सरकार से इसका अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही इस अभिशाप को रोकने के लिए सरकार को और अधिक वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। समाज में जो लोग सबसे गरीब हैं वे ही हमेशा प्रभावित होते हैं।

[श्री के० वी० तंगकाबालू]

इसलिए कृषकों, हरिजन मजदूरों, साधारण कृषि कामगार और अन्य ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तभी हम उनके साथ न्याय कर सकेंगे।

अन्त में, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र प्रभावित हैं। केन्द्र सरकार ने जो धनराशि आवंटित की है वह पर्याप्त नहीं है और तमिलनाडु को और अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। हमें अपने जलमार्गों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार और तमिलनाडु के लोगों की सहायता के लिए कम से कम 522 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। हम निवेदन करते हैं कि इस पर विचार किया जाये और इसे स्वीकार किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चर्चा का विषय है : "बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान और सरकार द्वारा किये गये राहत उपाय।" यह न तो सिंचाई, न जलमार्गों और न कृषि के सम्बन्ध में है। कृपया इसी मुद्दे पर चर्चा करें। हमारे पास दस सदस्यों की सूची है। यदि आप इसी मुद्दे पर अपनी चर्चा को केन्द्रित नहीं करेंगे तो हम अन्य सदस्यों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। निर्धारित समय केवल दो घंटे है और आपको इस पर दो घंटे के अन्दर ही चर्चा करना है। कृपया आप अपने भाषण के दौरान इस पर ध्यान दें।

अब श्री राला सिंह रावत बोलेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि बंगाल की खाड़ी में आये चक्रावात तूफान के कारण जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी राज्यों के अन्दर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी, भयानक तूफान आया उससे जन-जन की बहुत व्यापक हानि हुई, वह हानि राष्ट्रीय हानि थी। क्योंकि देश के किसी भी भाग में होने वाला नुकसान वास्तव में राष्ट्र का होने वाला नुकसान है। वैसे आजादी के बाद इस देश के अन्दर हम हर साल भव्य, पवित्र और महान सदन में कभी बाढ़ के बारे में, कभी भूकंप के बारे में और कभी अन्य प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, प्रस्ताव पास हो जाते हैं और उसके बाद सारी बातें बस्ते में बंद हो जाती है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्यों न एक प्रभावशाली और समग्र नीति का निर्माण किया जाए ताकि समय समय पर इस प्रकार की आने वाली आपदाओं का राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य भी अपने स्तर पर दृढ़ता के साथ मुकाबला कर सकें। हर बार जब बाढ़ की स्थिति आती है और बाढ़ आने के बाद राज्य सरकार केन्द्र से अनुरोध करती है, केन्द्र सरकार सर्वेक्षण दल भेजता है, वह सर्वेक्षण दल वापस आ कर अपनी रिपोर्ट देता है, उसके बाद में हवाई सर्वेक्षण होते हैं, केन्द्र सरकार की टोलियां जाती हैं, मंत्री जाते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं और सहानुभूति प्रकट की जाती है, यह किया वह किया, यह कहा जाता है। उसके बाद देने के लिए केवल यह कहा जाता है कि नवें वित्त आयोग ने जो संस्तुति की है, राष्ट्रीय आपदा कोष का निर्माण कर लिया है, उसमें 75 परसेन्ट केन्द्र का हिस्सा रहता है, 25 परसेंट राज्य का हिस्सा रहता है। केन्द्र अपने हिस्से का अधिकार राज्यों को दे देता है कि वे अपने यहां आने वाले मामलों में खर्च करें। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो भयानक चक्रवात

के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, इसके कारण तमिलनाडु के नाटपट्टनम, कायदेमिल्लत, तंजौर, साउथअरकाट, चिंगलपेट, मद्रास और पांडिचेरी के कराइकल क्षेत्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के नल्लोर और श्रीप्रकाशम, कर्नाटक के बंगलौर और मैसूर और उसके आस-पास के इलाकों के अन्दर जो भयानक तबाही हुई है, करोड़ों रुपयों की फसल बरबाद हो गयी, लाखों हैक्टेयर भूमि पानी के अन्दर डूब गयी है, फसल जो बोयी थी वह डूब गयी है, इसके अलावा 20-30 जानें गयी हैं, सैंकड़ों मवेशी मौत के शिकार हो गए हैं, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें बरबाद हो गयी हैं। कर्नाटक के अन्दर चट्टानें खिसकने से रेल दुर्घटना हुई और उसके कारण 28-30 जानें वहां पर दुर्घटना के अन्दर गयी । कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक प्रकोप था, इससे होने वाला जो नुकसान है उससे निपटने के लिए राज्यों के पास इतने संसाधन नहीं कि राज्य अपने संसाधनों के द्वारा उचित समय पर सारी सहायता कर सकें। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल में आया भूकम्प हो, चाहे राजस्थान में पड़ने वाला सूखा या अभाव की स्थिति हो, गुजरात या मध्य प्रदेश में हो, तमिलनाडु के अन्दर, केरल के अन्दर, कर्नाटक के अन्दर, पांडिचेरी के अन्दर या आंध्र प्रदेश के अन्दर आने वाले तूफान से पैदा होने वाला नुकसान हो, वहां पर जो निरन्तर बाढ़ें आती हैं, भौगोलिक स्थिति का अध्ययन कर के, पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन कर के कुछ ऐसे स्थाई कदम उठाए जाने चाहिए, समुद्र के किनारे कोई ऐसी ऊंची दीवारे खड़ी करनी चाहिए ताकि ऊंची-ऊंची लहरें आकर जो बरबादी का दृश्य उपस्थित करती हैं वह बरबादी का दृश्य बार-बार न हो।

वह बरबादी का दृश्य बार-बार न हो। भारत, आणविक देशों की श्रेणी के अन्दर आ गया है और विज्ञान-प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में हमने उन्नति कर ली। चक्रवात और तूफान के कारण बाढ़े आती हैं तो उनकी रोकथाम के लिए कोई वैज्ञानिक खोज करके तरीका निकालें जिससे प्राकृतिक प्रकोप से कम से कम नुकसान हो सके। इसके बारे में उर्दू के एक शायर ने कहा है :

"जिद है हालातों को बिजलियां गिराने की,
हमें भी जिद है, आशियां वहीं बनाने की।"

आप प्रकृति के सामने घुटने भी नहीं टेकने देंगे। लेकिन राज्यों के पास संसाधन कम है। अब तमिलनाडु को 390 करोड़ रु० की आवश्यकता है। उसको नौ करोड़ रु० की सहायता दी गई है। उसको अभी 390 की आवश्यकता है तो फिर तीन सौ करोड़ का क्या होगा। अभी पांडिचेरी का भी भयंकर नुकसान हुआ है। वहां की जनता इस खर्चे को वहन नहीं कर सकती है। वहां किसानों को कंपनसेट करने के लिए कृषि योग्य भूमि को खेती योग्य बनाया जाना चाहिए। टूटी हुई सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। उनके मकान भी टूट गए हैं। जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उनके घर के सभी रिश्तेदारों को सहायता दी जानी चाहिए। उनकी आखों में प्राकृतिक दृश्य के आंसूओं को पूंछकर केन्द्रीय सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर आपदा कोष का निर्माण करना चाहिए। जो राज्य आपदा से ग्रसित होते हैं तो उनकी सहायता के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। यह किस प्रकार से हो सकता है, यह केन्द्रीय सरकार के सोचने का विषय है। यह कहा जाता है कि आने वाले साल की अग्रिम राशि ले लो। एकदम ही खर्च हो जाने के बाद भगवान न करे कि फिर प्राकृतिक प्रकोप हो जाए। क्योंकि यह रामराज तो नहीं है। "दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज काहू न व्यापा"।

राजा पाप करता है तो प्रजा को उसके पाप भोगने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। अब प्रकृति में परिवर्तन पैदा हो गए है जिससे हमारी जनता को पराकाष्ठा का सामना करना पड़ता है मैं यह कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले संकटों के लिए रिजर्व रखें लेकिन विशेष आपदा कोष की स्थापना

[प्रो० रासा सिंह रावत]

की जाए। यह आकलन किया जाए कि राज्यों को कितनी सहायता दी जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि थिरू तंग्कावालू ने बताया है, हाल में हुए चक्रवातीय वर्षा और बाढ़ का अत्यधिक प्रकोप तमिलनाडु में हुआ और तमिलनाडु सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दुर्भाग्य से हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। करीब एक लाख दस हजार हैक्टेयर क्षेत्र गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। करीब पचास प्रतिशत धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। केला और नारियल की फसल भी बुरी तरह नष्ट हो गई।

थिरू तंग्कावालू ने अधिक केन्द्रीय सहायता, गरीबों को अपने मकानों के पुनर्निर्माण के लिए अनुदान, प्रभावित किसानों के ऋणों की माफी और भविष्य में ऐसी आपदाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय करने का जो निवेदन किया है, उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में मैं सरकार से तीन विशेष निवेदन करता हूं।

महोदय, सर्वप्रथम हमें अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र—कैव-ए-मिलथ जिल—जो तमिलनाडु में चावल का प्रमुख उत्पादक है उस सम्बन्ध में हमें कहना है।

[अनुवाद]

यह एक (एस० एफ० पी०) जिला है अर्थात विशेष खाद्य कार्यक्रम जिला। अभी हमारा लक्ष्य कृषि पैट्रन को पूर्ववत बनाये रखना होना चाहिए ताकि इससे तमिलनाडु तथा देश में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति तथा रोजगार प्रदान करने में भी सहायता मिल सके जो पुनर्वास और राहत प्रदान करने का एकमात्र उपाय है।

इस सम्बन्ध में, मैं सलाह दूंगा कि क्षेत्र में जिस सीमा तक सम्भव हो सके कृषि को बनाये रखने के लिए जो भी उपाय किये गए हैं, हमें लालफीताशाही समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि जितना जल्दी हो सके आवश्यक सहायता और राहत पहुंचाई जा सके। इस लालफीताशाही को समाप्त करने के लिए मैं समझता हूं कि विशेष परिस्थितियों में छोटे किसानों, सीमांत किसानों और बड़े किसानों में अन्तर करना अनुपयुक्त होगा। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो जिस किसी चीज की आवश्यकता है उसके वितरण में विलम्ब होगा। इन परिस्थितियों में हमारा लक्ष्य कृषि समुदाय के कमजोर और धनी वर्गों के बीच सामाजिक न्याय करने का उतना नहीं है जितना कि खाद्य उत्पादन को अधिकतम सीमा तक लाने का है तथा इस एक वर्ष की समय-सीमा में, जोकि एक ऐसा समय है जिसमें वेथ-ए-मिलेथ जिले में कृषिगत श्रम को पूरे साल भर के दौरान कृषि को पूर्वावस्था में लाने से अधिकतम रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके प्रकाश में, मैं केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय से कृषिगत सहायता का एक कार्यक्रम सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा जिसे छोटे, सीमांत और बड़े कृषकों में अन्तर करने के प्रयास में लालफीताशाही के बिना सभी प्रभावित कृषकों को शीघ्रता से पहुंचाया जायेगा।

मेरा दूसरा अनुरोध है कि केवल मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावित बड़ी सड़कों के 1084 किलोमीटर सड़क से कम मरम्मत न करने के सन्दर्भ में, पूर्व-पश्चिम सड़क परियोजना की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके अलावा, छोटी सड़कें, संयुक्त सड़कें और पंचायत सड़कें भी हजारों किलोमीटर तक जायेगी। इस तटीय क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, पूर्ववत् बनाये रखने और उनका पुन-

निर्माण करने के इस कार्यक्रम में, मेरे विचार में उन बड़े कारणों का पता लगाना महत्वपूर्ण होगा जिनकी वजह से वे बुरी तरह से नष्ट हुई है तथा शुरू से ही इतनी बदतर स्थिति में है। यह क्षेत्र ईस्ट कोस्ट रोड के अन्तर्गत आता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरी सिरे पर स्थित एक तटीय सड़क होने के कारण पूर्वी तटीय सड़क स्टाप की धारणा के सम्बन्ध में मेरे निर्वाचन क्षेत्र को पार करने के पश्चात पुनः एक तटीय सड़क बन गई है।

इसके परिणामस्वरूप हमारी पूर्वी तटीय सड़क जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर वास्तव में एक तटीय सड़क है, बनाने का विचार तक नहीं है अतः इस क्षेत्र की सड़क के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में मेरे विचार में यह अतिआवश्यक है कि हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि तट के साथ पुल और पुलियों सहित जो आवश्यक हो, एक बड़ा और महत्वपूर्ण राजमार्ग हो, ताकि यह इन समुद्री तूफानों की प्रचंडता को वहन कर सके, जोकि इस क्षेत्र की एक प्राकृतिक घटना है और जिससे बचा नहीं जा सकता तथा यह हमेशा ही बने रहने वाले हैं। अगर हम तटीय क्षेत्र के साथ उचित और मजबूत सड़क कार्य न करने की बात पर दृढ़ रहें तो फिर जब तूफान आते हैं तो, सड़क-कार्य पर जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा।

तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं कृषि मन्त्रालय और उनके माध्यम से राज्य सरकार को कहना चाहूंगा, वह यह है कि यह भारी क्षति इसलिए होती है कि पिछले, बीस वर्षों से कर्नाटक से कावेरी में जल की आपूर्ति के बारे में अनिश्चित है जिसके कारण सिंचाई व्यवस्था जल-निकास प्रणाली सहित बिना किसी मरम्मत के पड़ी है जिससे और भी अधिक नुकसान हो रहा है अब हमें मालूम है कि कर्नाटक से कावेरी नदी तंत्र के अन्तर्गत नियमित रूप से पर्याप्त पानी की आपूर्ति होने जा रही है, अगर हमें ऐसे समुद्री तूफानों से बड़ी मात्रा में जमा पानी को रोकना है, जैसा कि अभी हुआ है, 50% धान की फसल का नुकसान, यह जरूरी है कि हमें कावेरी-सिंचाई और जल-निकास प्रणाली का निचले स्तर तक पूर्ण रूप से तथा तेजी से सुधार करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करना चाहिए। इसके लिए हम कावेरी के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्या में अटके हुए हैं। इससे पहले कि इसे विश्व बैंक को भेजा जाए, कर्नाटक की अनुमति लेनी आवश्यक थी। अगर हम सम्पूर्ण कावेरी आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अनुमोदित होने और वित्त-पोषण के लिए विश्व बैंक को देने हैं तो इसके परिणामस्वरूप इस व्यवस्था में गिरावट और अधिक आयेगी। हमें जल संसाधन मन्त्रालय और निःसंदेह राज्य सरकार के साथ कृषि मन्त्रालय द्वारा परामर्श करके दीर्घावधि पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम का तत्काल आवश्यक है जो तत्काल ही लागू होना शुरू हो जायेगा ताकि आने वाले सेमलिया मौसम तक हम उसका कुछ ढूंढ निकालने में समर्थ हो सकें जो हम चालू कुडवई और तत्पादी के दौरान खो चुके हैं। अतः यह अतिमहत्वपूर्ण है कि हम कावेरी, सिंचाई-प्रणाली के निचले स्तर तक सिंचाई तथा साथ ही जल-निकास प्रणाली में सुधार के लिए समान गति से कार्य करें ताकि जो कुछ हमने खोया उसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि-ए-मिलेथ जिले को तमिलनाडु में कृषि क्षेत्र में शीर्ष स्थान दिलाने, लोगों का पोषण करने, खाद्य के मामले में उन्नति करने तथा कृषि के क्षेत्र में अपने देश को आगे लाने में समर्थ हो सकें। इन सभी उद्देश्यों के लिए यह अतिआवश्यक है कि कावेरी सिंचाई और जल-निकास प्रणाली को उतना ही महत्ता की जानी चाहिए जितनी कि क्षेत्र के सड़क-कार्यक्रम और विशेष खाद्य कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं को दी जाती है।

ये तीन अनुरोध कृषि मन्त्री महोदय और उनके सहयोगी सदस्यों के सम्मुख रखते हुए मैं, श्री तंग्कावालू द्वारा रखी गई मुख्य सिफारिशों का पुनः समर्थन करता हूं।

महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं मैं आपको मधुलवूतुरई निर्वाचन क्षेत्र के मिलियन निवासियों की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं।

श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991 के अक्तूबर और नवम्बर महीने में कर्नाटक में भारी वर्षा हुई थी। तीन जिले इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। ये कोलार, तुमकुर और बंगलौर हैं।

सड़कें नष्ट हो गई थी, फसलें बह गई, पशु मर गये और अनेकों घर ढह गए। 35,853 घर तुमकुर जिले में ढह गए। आठ मौतें हुयीं। 2,041 मवेशी बह गए, 5,060 हैक्टेयर की खड़ी फसल बह गई तथा लगभग 42,000 छोटे और सीमांत कृषक इससे प्रभावित हुए। इस वर्षा से बड़ी संख्या में स्कूल, बिल्डिंगें अस्पताल, सरकारी मकान, आंगनवाड़ी की बिल्डिंग बुरी तरह प्रभावित हुई। लगभग 36 मुख्य इमारतें नष्ट हो गई।

इन इमारतों की तत्काल मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है। भारी वर्षा में पुल और सड़कें भी बह गए। टैंकों में दरार पड़ गई अर्थात लगभग 400 टैंकों में दरार पड़ गई और कुछ टैंक इतनी तेजी से रिस रहे थे कि उनमें किसी वक्त दरार आ सकती है तुमकुर जिले के लिए केवल 20 करोड़ रुपये की राहत सहायता दी गई। कर्नाटक सरकार ने 1.17 करोड़ रुपये नकद रूप में तथा 2.8 करोड़ रुपये सामग्री के रूप में दी है।

इन तीनों जिलों में मरम्मत कार्य के लिए कर्नाटक सरकार को कम से कम 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर जिले में लगभग 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वहां अनेक ध्वस्त मकानों के पुनर्निर्माण की भी आवश्यकता है।

माननीय कृषि मन्त्री जी ने तुमकुर के कुछ भागों तथा कोलार का दौरा किया है। मेरा अनुरोध है कि इन तीनों जिलों में हुए नुकसान का गहन सर्वेक्षण करने के लिए एक टीम वहां भेजी जाये। प्रत्येक वर्ष कोलार तथा तुमकुर जिले सूखे की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन इस बार वे बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए है। इसलिये, केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। राज्य सरकार के पास संसाधनों की बहुत कमी है। इसलिए, मेरा विनम्र अनुरोध है कि केन्द्र सरकार उसे 200 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान करे और वहां हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक दल भेजा जाये। धन्यवाद।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 अक्टूबर, 1991 को दक्षिणी-पश्चिमी खाड़ी पर हवा का एक गहरा दबाव बना हुआ था जिसके 29 फरवरी को तमिलनाडु के तट को पार करने की सम्भावना थी। 28 अक्टूबर से 19 नवम्बर तक लगातार मूसलाधार वर्षा हुई जिससे निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ। लोक सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा। हाल की बाढ़ से चार राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा पांडिचेरी प्रभावित हुए हैं। तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित राज्य है तमिलनाडु में 6 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त मद्रास शहर भी प्रभावित हुआ है। मैं सरकार के विशेषकर प्रधानमन्त्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तमिलनाडु में एक केन्द्रीय दल भेजा जिसमें हमारे कृषि मन्त्री श्री बलराम जाखड़ तथा संसदीय कार्य राज्य मन्त्री श्री रंगराजन कुमारमंगलम थे।

तमिलनाडु में हमारी मुख्य मन्त्री जी ने भी मद्रास शहर के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

अन्य राज्य मन्त्री तमिलनाडु के अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गये । जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, हमारी मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद भी राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर बड़े प्रभावी ढंग से चलाया है ।

बाढ़ से अत्यधिक क्षति हुई है। लगातार वर्षा के कारण बहुत से क्षेत्रों में पानी जमा हो गया है । तमिलनाडु में 1½ लाख से अधिक झोंपड़ियां तथा मकान पूरी तरह से नष्ट हो गये हैं । फसलें बर्बाद हो गयी हैं । तीन लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि में खड़ी फसलें बर्बाद हो गयी हैं करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है । तालाब और सिंचाई की नहरें टूट गयी हैं। विद्युत पम्पसैट बाढ़ के पानी में डूब गये हैं । इस प्रकार, किसानों को किस रूप में इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है ?

जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, हाल की बाढ़ से वे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं । किसान तो पहले से ही —मुसीबतों का सामना कर रहे हैं : हम कृषि अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं । भारत में अधिकतर लोग अपनी आजीविका के लिए केवल कृषि पर निर्भर हैं । यदि हमारे देश ने प्रगति करनी है तो हमें अपनी कृषि अर्थव्यवस्था का विकास करना होगा । हमें हर समय किसानों के हित सुरक्षित रखने होंगे । बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के समय हमें किसानों को उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए फसल बीमा योजना अधिक प्रभावी ढंग से लागू की जानी चाहिए ।

हाल की बाढ़ में, तमिलनाडु की विद्युत-व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । तमिलनाडु पहले से ही बिजली की कमी का सामना कर रहा है । हाल की बाढ़ के दौरान प्रभावित विद्युत सप्लाई की बहाली के लिए हमें भरसक प्रयास करने होंगे ।

6.00 म०प०

हाल की बाढ़ से लगभग 185 व्यक्तियों की जानें गई हैं । राज्य सरकार के आकलन के अनुसार 390.93 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है । लेकिन जब भी सही आकलन हुआ तो यह 500 करोड़ तक पहुंच सकता है । नवें वित्त आयोग ने तमिलनाडु को आपदा राहत कोष के रूप में केवल 29 करोड़ रुपये आवंटित किये थे जिसमें से 9 करोड़ रुपये सूखा कार्यक्रमों के लिए हम पहले ही खर्च कर चुके हैं। इस प्रकार अब हमारे पास केवल 30 करोड़ रुपया ही शेष रह गया है । इस बाढ़ के बाद केन्द्रीय सरकार ने केवल 7 करोड़ रुपये ही जारी किये हैं जोकि बहुत ही अल्प राशि है इस राशि से पुनर्वास का कार्य किसी तरह से भी नहीं किया जा सकता । इस गम्भीर स्थिति में केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु के लिए चावल का कोटा कम कर दिया है । इस समय तमिलनाडु को एक लाख टन चावल की आवश्यकता है । लेकिन सरकार आज तक हमारे राज्य को केवल 81,000 टन चावल ही देती रही है और अब अचानक इन्होंने यह मात्रा घटाकर 65,000 टन कर दी है जोकि बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है । इसलिए सरकार से मैं यह अनुरोध करता हूं कि चावल की सप्लाई में कटौती न करें और तमिलनाडु की आम जनता के हित में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए ।

मद्य-निषेध नीति के लागू करने से भी तमिलनाडु वित्तीय समस्या का भी सामना कर रहा है और इस प्रकार से इसे भारी नुकसान हो रहा है । इस गम्भीर स्थिति में केन्द्रीय सरकार को राज्य को धनराशि देने में उदार रुख अपनाना चाहिए ।

सरकार से मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस राज्य के लिए एक व्यापक नीति अपनायी जाए ताकि भविष्य में बाढ़ का सामना किया जा सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में हृदय-विदारक है कि आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में दो महीनों में लगातार तीन बार तूफान आया है। इतना ही नहीं, यह तूफान अपनी वेग और तीव्रता में अभूतपूर्व था। मैं समझता हूं कि यह राज्य कई तरह से बिल्कुल क्षति-ग्रस्त हो चुका राज्य है।

महोदय, राज्य सरकार ने जो आकलन प्रस्तुत किया है, उससे साबित होता है कि 420 गांव बाढ़ से तबाह हुए हैं, 205 लोगों की जानें गई हैं, 5.25 हेक्टेयर भूमि में लगे हुए फसल नष्ट हो गई हैं, जिससे 6.86 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है इसका कुल असर यह रहा है कि 250 करोड़ रुपये की कीमत के खाद्यान्न की क्षति हुई है। आंशिक तथा सम्पूर्ण रूप से कुल मिलाकर लगभग 1.1 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 50,000 जानवर बाढ़ में हताहत हुए हैं और संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई है। 1314 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं 820 तालाबों में दरारें पड़ गई हैं। गाद जमा हो जाने से नालियां जाम हो गई हैं। एक हजार हैक्टेयर में फैले हुए फलोद्यान में तमाम पेड़-पौधे उखड़ गए हैं। यह भयानक क्षति आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिल रही है खासकर, गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में, जहां मुख्यतया चावल की खेती होती है और जिसे आंध्र प्रदेश का चावल कटोरा कहा जाता है। यही 2.6 लाख हेक्टेयर में लगी हुई धान की फसल की कटाई होने वाली थी। लेकिन इसके पहले कि इसकी कटाई होती, यह फसल पूरी तरह चौपट हो गई।

जब केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने इस प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया था, तो उसी दौरान प्रधान मन्त्री जी ने भी इस राज्य का दौरा किया था, वह इस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों को देखने तक भी नहीं गए। हालांकि इसी समय उन्होंने यह घोषणा भी की थी कि भारतीय खाद्य निगम अपना बिक्री केन्द्र खोलेगा और तमाम क्षतिग्रस्त धान की खरीदारीकर लेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के राजस्व सचिव द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक इन बिक्री केन्द्रों द्वारा वही धान खरीदा जाएगा, जो मात्र 20 प्रतिशत तक ही क्षतिग्रस्त हुआ है। यह बहुत ही अनुचित है। मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि धान के फसल की लगभग पूरी ही क्षति हुई है। विशेष रूप से गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और पश्चिम कृष्णा डेल्टा में 70 से 80 प्रतिशत के बीच धान की क्षति हुई है, जो क्षेत्र 2.5 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। यदि धान की क्षति 20 प्रतिशत तक सीमित है तो मैं समझता हूं कि किसानों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाए। किसानों ने भिन्न-भिन्न संस्थागत एजेन्सियों से हर तरह का कर्ज लिया है। अब उन्हें उस कर्ज को चुकाना भी है। लेकिन इन किसानों की दूसरी फसल के लिए तथा कई अन्य कृषि-कार्य के लिए भी कई एजेन्सियों से पुनः कर्ज लेना होगा।

मैं सरकार से एक अनुरोध करता हूं। पर जहां तक धान की फसल को हुए नुकसान की प्रतिशत का सवाल है, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली इस धान की खरीद पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए--खासकर इन परिस्थितियों को देखते हुए, जहां 70 से 80 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है।

महोदय, तटवर्ती आंध्रप्रदेश में तूफान आने की घटना कोई नई बात नहीं है। पिछले सौ वर्षों से तूफान ने आन्ध्र प्रदेश को 32 बार अपनी चपेट में लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस क्षेत्र को प्रति तीन वर्ष पर औसतन एक तूफान का सामना करना पड़ता है। चूंकि किसान अनुपयुक्त क्षेत्र में स्थित हैं, जो तूफान के खतरे वाला क्षेत्र है, इसलिए प्रत्येक तीन वर्ष पर उन्हें अपनी पूरी फसल की बर्बादी झेलनी पड़ती है। अब इस तरह की स्थिति है तो इन किसानों की बदकिस्मती के प्रति सहृदय रवैया अपनाया जाना चाहिए।

महोदय, वर्ष 1976, में कल्याणी बांध का निर्माण तिरुपति क्षेत्र में वहां पेयजल उपलब्ध कराने के वास्ते हुआ था, यह स्थान एक तीर्थ स्थल है। अभूतपूर्व भारी वर्षा की वजह से उक्त बांध का द्वार ढह गया। अब उस जलाशय में जो पानी उपलब्ध है, वह मात्र दो या तीन महीनों के लिए ही पर्याप्त है। तिरुपति शहर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए पुन: सक्रिय कोशिश करनी होगी।

जब स्वयं प्रधानमन्त्री जी ने इस राज्य का दौरा किया था तो प्रभावित क्षेत्र के लोग भी इस जमीन में थे, कि प्रधानमन्त्री उन्हे देखने अवश्य आएंगे और वहां व्यापक राहत कार्य की घोषणा करेंगे। लेकिन यह बहुत ही खेद की बात है कि जब वह इस राज्य में आए, तो उन्होंने अपने आपको अपने संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित रखा, जहां से वह भारी बहुमत से विजयी घोषित हुए हैं। उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया और वापस लौट गए यह दुर्भाग्य है कि वह तूफान प्रभावित क्षेत्र को देखने तक नहीं गए, उस क्षेत्र को जहां के हथकरघा कारीगर भुखमरी और भारी विपत्ती का सामना कर रहे हैं। महोदय, वास्व में यह शर्म की ही बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उक्त प्रभावित क्षेत्र को देखने तक नही गए। यहां तक कृषि मंत्री ने भी उस राज्य का मात्र हवाई सर्वेक्षण कर कुछ राहत उपायों की घोषणा भर कर दी। जब मई 1990 में इसी तरह के तूफान ने इस तटवर्ती क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इस क्षेत्र का दो बार दौरा किया था और 88 करोड़ रुपये राहत कार्य के लिए प्रदान करने की घोषण की थी। यह उन्होंने इस-लिए किया था कि वहां भयावह स्थितियों को नियन्त्रित किया जा सके और राहत कार्य सुचारू रूप से चल सकें।

श्री पवन कुमार बंसल : वर्तमान प्रधानमन्त्री काम करने में आस्था रखते हैं।

प्रो० उज्जारेड्डी वेंकटेस्वरलु : मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा। जब माननीय कृषि मंत्री ने हमारे राज्य का दौरा किया तो उन्होंने प्राकृतिक विपदा राहत कोष से 86 करोड़ रुपये राहत कार्य के लिए प्रदान करने की घोषणा की थी। राजस्व और राहत विभाग के सचिव ने इस मामले में पूरी स्थिति का स्पष्ट रेखांकन किया था। इन 86 करोड़ रुपयों की राशि में से, जो अब राहत राशि के रूप में प्रदान की जा रहीं है, 16 करोड़ रुपये उस अग्रिम राशि को चुकाने हेतु अलग रखे जाएंगे जो वर्ष 1990-91 में किए गए तूफान राहत कार्य के लिए ऋण के रूप में लिए गए थे। बचे हुए 70 करोड़ रुपयों में से, 40 करोड़ रुपये अगस्त और सितम्बर के महीने उक्त मद में खर्च किए जा चुके हैं। उन महीनों भारी वर्षा भी हुई थी। अब नवम्बर में आए खतरनाक तूफान के लिए राहत प्रदान करने हेतु हमारे पास मात्र 30 करोड़ रुपये बचते हैं।

राज्य सरकार ने भी एक प्रस्ताव पेश किया है। इसने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वर्ष 1990 के दौरान जो कुछ भी दिया गया था उसे अनुदान माना जाए। यह इसलिए कि राज्य सरकार कुल राशि का भार ढो पाने में असमर्थ है, क्योंकि राज्य सरकार को प्राय: हर वर्ष तूफान का सामना करना पड़ता है। लगातार वर्ष 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 में तूफान का सामना करना पड़ता है। चूंकि आंध्र प्रदेश को हर वर्ष तूफान का सामना करना पड़ रहा है इसलिए स्थायी रूप से इसे तूफान प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। जिससे कि इस राज्य को एक मुश्त अनुदान प्रदान की जा सके, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजस्थान के लिए किया जा रहा है, जिसे सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

पहले किसानों को कीटनाशक, उर्वरक आदि के लिए 50 प्रतिशत की राजसहायता के नाम पर

625 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। अब उक्त राशि की प्रति हेक्टेयर 1000 रुपये तक कर दी गई है।

प्रत्येक प्रभावित परिवार को 25 किलो चावल देने के अतिरिक्त, उन सभी को एक लाख मकान दिये जायेंगे जिन्होंने तूफान में अपने लगभग 1½ लाख मकान खो दिए हैं। मेरा निवेदन है कि मछुआरों और हथकरघा मजदूरों को भी कर्ज दिया जाए। हमारे क्षेत्रों में हथकरघा मजदूरों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है।

जब प्रधानमन्त्री ने इस राज्य का दौरा किया था तो उन्होंने कहा था कि विस्तृत फसल बीमा योजना में आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया जाएगा। पिछले बजट सत्र के दौरान, इस विशेष योजना पर व्यापक चर्चा हुई थी।

इस व्यापक फसल बीमा योजना पर विचार करते हुए कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, जिनके न होने पर यह योजना प्रभावी नहीं बन पायेगी। यह कृषक समुदाय के लिए अधिक उपयोगी नहीं होगी। बीमा एजेंसियां यह कह रही है कि जब तक फसल खेत में है, तब तक वह फसल बीमा योजना में शामिल की जाएगी। जब कटी हुई फसल खेत में गट्ठरों के रूप में और ढेरियों के रूप में रखी हो और बह जाए, तब भी यह फसल बीमा योजना में शामिल की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मंडल के बजाय ग्राम को एक इकाई के रूप में लेना चाहिए।

तीसरा, जो फलोद्यान तैयार किए जाते हैं उनको पृथक रूप से लिया जाना चाहिए। कृषकों के व्यक्तिगत फलोद्यानों को भी एक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए, न कि मंडल अथवा ग्राम के स्तर पर उन्हें इकाई के रूप में माना जाए। न केवल उन कृषकों पर जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है बल्कि जो लोग बीमा की किस्त अदा कर रहे हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए अब तक यह योजना उन लोगों के लिए हैं, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिए हैं, कृषि समुदाय के लिए नहीं है जिन्होंने बीमे की किस्त अदा की है।

जहां तक कि अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, वहां लगभग 50,000 पशुओं का नुकसान हुआ हैं। अधिकतर पशु ऋण लेकर खरीदे गए थे। वे डी० आर० डी० ए० योजना के अन्तर्गत लिए गए थे। जिन कृषकों ने डी० आर० डी० ए० योजना के अन्तर्गत इन ऋणों को लिया है उन्हें नाहक दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। उस ऋण को माफ कर दिया जाना चाहिए।

जहां तक कि कृषि के लिए ऋणों का सम्बन्ध है उनका पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए। चूंकि कृषक ब्याज चुकाने में समर्थ नहीं है इसलिए देय ब्याज को माफ कर देना चाहिए। फलोद्यानों तथा बागों के लिए उदार पैमाने पर दीर्घावधि ऋण दिए जाने चाहिएं।

गुंटूर जिले में भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों को खोलने पर विचार नहीं किया गया। तेनाली जिले में जहां पर कृष्णा नदी का पश्चिम घाट है वहां भी कुछ क्रय-केन्द्र खुलने चाहिए ताकि केन्द्र द्वारा क्षतिग्रस्त धान खरीदा जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य को जुलाई, 1991 में दो बार हानि उठानी पड़ी थी। वहां कावेरी नदी में भारी बाढ़ आई थी जिसके कारण करीब 44 करोड़

रुपये का नुकसान कर्नाटक सरकार द्वारा आंका गया है। अगस्त, 1991 में इसके लिए एक ज्ञापन दिया गया था। इस प्राकृतिक आपदा के बाद अक्तूबर-नवम्बर में भयंकर तूफान आया और जिससे करीब सैंतीस लोग मारे गए, दो हजार मवेशी मर गए, 42,000 मकान या तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए ढह गए तथा एक लाख से अधिक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। कुल मिलाकर 120 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया जिसमें सिंचाई टैंक, पुल इत्यादि सार्वजनिक संपत्ति को हुआ नुकसान शामिल है। कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से 100 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी।

प्राकृतिक आपदा सहायता निधि में कर्नाटक के लिए केवल 27 करोड़ रुपए का नियतन किया गया है। यह सारा खर्च हो चुका है। मैं इस विषय पर विस्तार से नहीं कहूंगा क्योंकि कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को सहायता के लिए जो ज्ञापन दिया है उसमें उन्होंने सभी बातों का विवरण दिया है। उत्तरी कर्नाटक में 4 लाख एकड़ से भी अधिक फसल वर्षा की कमी के कारण नष्ट हो गई है। कर्नाटक के दक्षिण भाग में 2 लाख हेक्टेयर से भी अधिक फसल भारी वर्षा से नष्ट हो गई है।

पिछली बार, जब यहां इस विषय पर बहस हो रही थी, मैंने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की थी कि कर्नाटक सरकार द्वारा बाढ़-पीड़ितों को किस तरह से मुआवजा दिया गया था। अब मैं आपको एक ऐसा चैक दिखाने की अनुमति चाहता हूं, जोकि विशेषरूप से बाढ़-पीड़ितों को जारी किया गया था। कर्नाटक सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उन्हें यह मुआवजा भारत सरकार द्वारा नियत किए गए मानकों और मार्गनिर्देशों का अनुपालन करते हुए देना था। वे कहते हैं कि वे सन् 1985 में भारत सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र आदेश में दिए गए मानकों और मार्ग-निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकते अतः इससे अधिक नहीं दे सकते हैं।

लोगों ने किसी भी प्रकार की फसल उगाई हो यदि वह बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है अथवा बह-जाती हैं, उसके लिए जो मुआवजा दिया गया है, वह मार्गनिर्देशों के अनुसार दिया गया है। इस बात का ध्यान किए बिना कि फसल कौन सी उगाई गई थी, 200 रु० प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाता है।

06.21 अ० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वे कहते हैं कि यदि कोई मकान क्षतिग्रस्त हो गया है अथवा ढह गया है, उस मकान की लागत चाहे 15,000 रु० है अथवा 25,000 रु० है अथवा 10,000 भी हो, तब भी भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार हम केवल 1,500 रु० मुआवजा देंगे। एक अन्य संशोधन जो उन्होंने किया है वह यह है कि जिस व्यक्ति का मकान ढह गया है, यदि उसकी वार्षिक आय 5,000 से ऊपर है, तो वह किसी भी प्रकार के मुआवजे का हकदार नहीं है। कर्नाटक सरकार ने विधान सभा में इस मुद्दे पर बहस के जवाब में यही तर्क दिया था।

आपकी अनुमति से मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस पहलू की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्या भारत सरकार देश के उन अन्य भागों में भी इन्हीं मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन कर रही है जहां कि राहत कार्य किया गया है चाहे वह उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल अथवा आन्ध्र प्रदेश में किया गया हो। हम कर्नाटक में हम पहली बार ही ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान, हमने भारी बाढ़ या चक्रवात आंधियों के कारण उत्पन्न किसी प्राकृतिक

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

आपदा का सामना कभी नहीं किया है। हमने इस प्रकार की किसी समस्या का सामना कभी नहीं किया। कर्नाटक के लोगों की पहली बार ऐसी दयनीय दशा हो गई है।

भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों का लाभ उठाते हुए, राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को टालना चाहा अथवा उससे बचना चाहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुआवजे के रूप में 200 रु० प्राप्त करके कोई किसान अपने नुकसान की पूरा कर सकता है? कृपया मुझे बताइए कि क्या वास्तव में ऐसे निर्देश दिए गए हैं?

एक दिन जब हमने मुआवजे के प्रश्न को उठाया तो कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ ने कहा था कि मुआवजे के प्रश्न को पूर्णत: राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है; उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जितना भी मुआवजा देना चाहती है, दे सकती है और हम मुआवजा देने के मामले के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस सभा में जब हम बाढ़ की स्थिति पर बहस कर रहे थे तो श्री बलराम जाखड़ ने यही कहा था।

मुआवजे का महत्वपूर्ण विषय बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था उपाध्यक्ष महोदय, आप भलीभांति जानते हैं कि कर्नाटक सरकार ने विधान सभा तथा विधान परिषद में इसी विषय पर हुई बहस का जवाब देते हुए क्या रवैया अख्तियार किया था। सम्बन्धित मंत्री जी ने कहा था कि कर्नाटक सरकार सन् 1985 में भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कर रही थी। यदि बाढ़ अथवा अन्य कारणों से फसल क्षतिग्रस्त होती है, तो मुआवजे के लिए निर्धारित की गई अधिकतम राशि 200 रु० प्रति एकड़ ही है।

[अनुवाद]

उनका कहना है कि मकान ढह गए हैं वहां भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार केवल 1500 रु० ही दिये जाने हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पीड़ित व्यक्ति की वार्षिक आय 3000 रु० अधिक हो तो वे किसी तरह की क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे। उन लोगों ने यही रुख अपनाया है। दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति है। मैं केवल आंकड़े उद्धृत कर रहा हूं। जिसका संकलन मैंने संसदीय पुस्तकालय से किया है। विभिन्न अन्य राज्यों को सैकड़ों करोड़ रुपये दिए गये। कर्नाटक में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, पिछले 50 वर्षों के इतिहास में कभी भी चक्रवाती तूफान तथा भारी बाढ़ नहीं आयी थी। कर्नाटक में 60% कृषि योग्य भूमि को प्रतिवर्ष सूखे का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार हमें बाढ़ तथा चक्रवात का सामना करना पड़ रहा है।

कुल हानि का आकलन करते हुए कर्नाटक सरकार ने 130 करोड़ रु० की हानि का अनुमान लगाया और उन लोगों ने 100 करोड़ रु० की सहायता राशि के लिए पहले ही केन्द्र सरकार को ज्ञापन दे दिया है। किन्तु मेरा कष्ट यह है कि वे लोग एक एकड़ के नुकसान के लिए 200 रु० तथा घर गिर जाने के लिए 1500 रु० की क्षतिपूर्ति राशि को उचित ठहरा रहे हैं। यदि घर की लागत 50000 रु० या 25000 रु० है तो केवल 1500 रु० देने का क्या औचित्य है उनका इस मुद्दे पर तर्क-वितर्क करना मेरी समझ में नहीं आता है।

यदि भारत सरकार इसी तरह का रुख अपनाती है तो उसका रुख हानियों के आधार पर ही पूर्ण संशोधित होना चाहिए और तदनुसार सभी पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। यदि भारत सरकार कोई सख्त फैसला नहीं करती है और राज्य सरकार अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण कोई

टालमटोल वाला उत्तर देती है तब सरकार को राज्य सरकार के पास अनुदेश जारी करने चाहिए। यह दायित्व पूर्णत: राज्य सरकार का है। श्री बलराम जाखड़ ने दूसरे दिन कहा था कि उन्हें केन्द्र को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि यह दायित्व राज्य सरकार का है न कि केन्द्र का। मैं यहां किसी दलगत राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। किन्तु दुर्भाग्यवश कर्नाटक सरकार द्वारा यही स्टैंड लिया गया और इस मुद्दे पर हमें आन्दोलन शुरू करना पड़ेगा। मैं इस मुद्दे पर बिलकुल साफ-साफ कहना चाहता हूं।

कुछ किसानों के पम्पसेट नष्ट हो गए और कुंए भी समाप्त हो गए हैं। ऐसे किसानों को अब तक एक पैसा भी क्षतिपूर्ति नहीं मिला है। चूंकि उनकी आमदनी 5000 रु० है अत: उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा—ऐसा स्टैंड लिया गया है। वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं है। अत: यही तर्क रहा तो राहत कार्यों की क्या उपयोगिता रह जाएगी। भारत सरकार अधिकारियों या केन्द्रीय मंत्रालयों के हवाई सर्वेक्षण की क्या उपयोगिता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

इन टिप्पणियों के साथ मैं भारत सरकार से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जारी किए गए अनुदेशों को संशोधित किया जाए जिसमें ये सारी बातें हैं। यदि यह जारी नहीं किया जाता है तो वे राज्य सरकार को बता दें कि अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए था उन्हें केन्द्र सरकार पर दोष नहीं देना चाहिए तब कर्नाटक के लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि समस्या कहां है।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि वे अपना हाथ भारत सरकार की ओर इंगित करना चाहते हैं, यहां हम लोग समस्याओं की खबर लेने के लिए लिए हैं।

मैंने पहले ही आंकड़े बता दिए हैं। कर्नाटक में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तरी कर्नाटक में वर्षा के कारण प्रभावित हुई है। दो लाख हेक्टेयर से भी अधिक की फसल बाढ़ और चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुई है। के० के० एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के अतिरिक्त 38 से भी अधिक लोग मारे गए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: सरकार से आग्रह करता हूं कि कर्नाटक सरकार को आपदा राहत निधि हेतु आवंटित राशि में बढ़ोत्तरी किया जाये। इस समय यह राशि मुश्किल से 27 करोड़ रुपए हैं।

मान्यवर, मैं भारत सरकार का दोष नहीं तलाश कर रहा हूं। राहत कार्यों के नाम पर भारत सरकार विभिन्न राज्यों को सैकड़ों करोड़ रुपये देगी। कर्नाटक राज्य पहली बार चक्रवाती तूफान तथा बाढ़ की चपेट में पड़ा हैं। मुझे पता चला है कि अगस्त में 10 करोड़ रुपये दिए गए और अब 17 या 18 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। किन्तु कर्नाटक सरकार ने 130 करोड़ रुपये मूल्य की क्षति होने का अनुमान लगाया है और नवम्बर में भारत सरकार को ज्ञापन दिया है। हानि का आकलन प्रति एकड़ 200 रुपये की हानि तथा प्रति मकान 1500 की हानि के आधार पर किया गया है और यदि पीड़ित व्यक्ति की आय 5000 रु० से अधिक है तो उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार अनुसरण करने के निर्देश के साथ ऐसे सख्त मार्गनिर्देश दिया है। यदि बात ऐसी है तो स्वीकार कीजिए और तब दायित्व राज्य सरकार का होगा। हम समस्याओं से निपटना जानते हैं।

मेरा निवेदन है कि राज्य-राज्य के बीच किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिए तथा क्षति-

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

पूर्ति की अदायगी पर किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए किसी की आय 5000 रुपये प्रति-वर्ष से कम या ज्यादे हों। सभी पीड़ितों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति होनी चाहिए जिसका आधार वास्तविक हानि होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण को समाप्त करता हूं।

प्रो० के० बैंकटगिरि (गौड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कर्नाटक और बंगलौर नगर में, जो सौभाग्य-वस मेरा निर्वाचन क्षेत्र है आई बाढ़ की स्थिति पर बोलने जा रहा हूं।

बाढ़ ने कर्नाटक राज्य में, बंगलौर नगर में तथा केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, और आंध्र-प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी गम्भीर स्थिति पैदा कर दी है। इसने तबाही, बर्बादी, आपदा और विघटन का दृश्य उपस्थित कर दिया है। मैंने कर्नाटक और खासकर बंगलौर शहर में विभीषिका देखी है। दूसरे क्षेत्र तुकमुर कोलार, बीदर और गुलमर्ग भी इससे प्रभावित हुए है।

वर्षा अत्यन्त वेग से हुई थी। राज्य की निचली भूमि सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। सभी नदियां उफान पर आ गई हैं तथा तटीय फसलों, सम्पत्तियों तथा मानव जीवन को गम्भीर क्षति हुई है। मवेशियों, भेड़ें और बकरियां मर गई एवं उनके अस्थिपंजर बाढ़ में बह गए। मृत गोजातीय पशुओं की संख्या 2010 के लगभग अनुमानित है। लोग जिनके माल-असबाब नष्ट हो गए, झोंपडियां भी खत्म हो गई कहीं जाने लायक नहीं रहे, वे पेड़ों के नीचे अपनी जान पर खेल कर रहे जबकि पेड़ों के उखड़ जाने की सम्भावना थी। सरकार उनके बचाव को जाती ऐसा कोई रास्ता नहीं था। प्रकृति का तबाही, बर्बादी और आपदा का खेल चलता रहा।

बंगलौर नगर जहां से मैं आता हूं वहां के झोंपड़पट्टी के लोगों ने अभावग्रस्तता का नग्न दृश्य प्रस्तुत किया है। उनके घरों के दीवार मिट्टियों के तथा छत छप्पर के होते हैं। तूफानी हवा ने उनकी झोंपड़ियों की छतें उड़ा दीं। अतिवृष्टि ने उनके दीवार कमजोर कर दिए और फलतः वे गिर गए जिससे सोए हुए लोग मर गए और जो लोग बच गए वे बीमार हो गए। अब उन्हें शरण लेने के लिए पेड़ भी नहीं थे। किन्तु प्रकृति निर्दयी थी जिसने अतिवृष्टि दी और झोंपड़ी वालों को बेघर कर दिया। लोगों के आंसू पोंछने वाले भी कोई नहीं थे। यहां तक कि मजबूत समझे जाने वाले भवन भी धराशायी हो गए और रहने वाले लोग मर गए ठीक वैसे जैसे अन्य घरों के। प्रकृति की विनाशलीला तमाम लोगों को लील गई। ससार की कोई भी शक्ति प्रकृति की आपदा का सामना नहीं कर सकती।

मैंने इसे सदन की जानकारी में 22 नवम्बर, शुक्रवार को ही लाया तथा मैं कर्नाटक राज्य के लिए पर्याप्त अनुदान की अपील की। उसी दिन, कृषि एवं सहकारिता राज्य मन्त्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनजी ने मुझे सूचित करते हुए लिखा कि मेरे भाषण के परिणामतः उसी दिन कर्नाटक राज्य सरकार को 20.25 करोड रुपये भेजे गए थे। श्री बलराम जाखड़ जी के नेतृत्व में एक अध्ययन दल चार राज्यों में बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने भेजा गया था। इस दल ने इन राज्यों का दौरा किया दिनांक 25 नवम्बर, 91 को वे बेंगलूर पहुंचे। बेंगलूर शहर का हवाई निरीक्षण किया। दिनांक 29 नवम्बर, 91 को श्री बलराम जाखड़ ने सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने हर्ष व्यक्त करते हुए घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को दी गई राहत अनुदान की राशि इस प्रकार है: आन्ध्र प्रदेश—86 करोड़ रुपये; तमिलनाडु —19 करोड़ रुपये; कर्नाटक —27 करोड़ रुपये; कुल आवंटित अनुदान—152 करोड़ रुपये।

आन्ध्र प्रदेश पर इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए उसे 86 करोड़ रुपये मिले। कर्नाटक को तूफान से तमिलनाडु के मुकाबले अधिक क्षति हुई है तथा तमिलनाडु को 39 करोड़ रुपये मिले। अतः मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि तमिलनाडु को दी गई राशि को देखते हुए कर्नाटक को 15 करोड़ रुपये और दिए जाएं। कर्नाटक सरकार को धन की सख्त जरूरत है। राहत कार्यों को तत्काल शुरू करने के लिए कर्नाटक को इसकी सख्त जरूरत है।

मेरे मित्र श्री देवगौडा ने जो कहा था, उसे मैं दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक भारत सरकार के सौतेले व्यवहार का शिकार है और उसे बहुत कम अनुदान दिया गया है। हालांकि गुजरात की जनसंख्या व प्रति व्यक्ति आय कर्नाटक के समान ही है फिर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात को बहुत अधिक अनुदान मिलता है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक के प्रति अब सौतेला बर्ताव न किया जाय।

जिनके खेत उजड़ गए उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिनके मवेशी, भेड़, बकरियां नष्ट हो गई है, उनको भी पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। बाढ़ में जिनके घर नष्ट हो गए हैं घर के पुनःनिर्माण के लिए उचित धन दिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को आदेश दे कि धन का समुचित उपयोग हो मैंने श्री बंगारप्पा से अनुरोध है किया है कि वे यह सुनिश्चित करें जरूरतमन्दों को धनराशि उपलब्ध कराई जाए तथा भ्रष्ट अधिकारियों या बिचौलिये राजनीतिज्ञों द्वारा दुरुपयोग करने न दिया जाय जो कि जनता के धन पर आंख जमाये हुए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब दक्षिण भारत में समुद्री तूफान आया तो मैं भी वहां गया था। मुझे इसलिए वहां जाना पड़ा क्योंकि बाढ़ के इलाकों में ही हम लोगों की पैदाइश हुई है। हम लोग इस बात को समझते हैं कि बाढ़ आने से लोगों की स्थिति कितनी बेबर और बेढंगी हो जाती है।

मान्यवर, समुद्री तूफान हो या हिमालय की तराई से चीन के बार्डर और नेपाल के बार्डर से कोसी नदी का पानी हो, प्रत्येक वर्ष इस देश में बाढ़ से 50 परसेंट क्षति हुआ करती है और पूरे वर्ष हम लोग रिलीफ में, लोगों को अनुदान देने में अरबों रुपया खर्च करते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि भारत सरकार समुद्री तूफान को अगर न रोक सके तो क्या चीन के बार्डर से लगते तराई क्षेत्र को बचाने में भी सक्षम नहीं है। प्रत्येक वर्ष अरबों-खरबों रुपए का, सरकारी रुपए का हम इस्तेमाल करते हैं अनुदान देने में और रिलीफ देने में।

फिर खरबों रुपए का नुकसान प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सूखे तथा समुद्री तूफान से हुआ करता है। जबसे आजादी मिली तो अभी तक पूरे पैसे का मूल्यांकन किया जाए तो मैं समझता हूं हिन्दुस्तान के कोने कोने में सारी चीजों की व्यवस्था कर ली होती। लेकिन पता नहीं आर्थिक संकट सरकार के सामने आता है और इस काम को नहीं कर पाते है। अभी देवगीड़ाजी बोल रहे थे कि किसान को कर्नाटक सरकार ने दो सौ रुपया अनुदान देने की बात की है। जिसको आप दो सौ रुपया देने का काम कर रहे हैं तो उसे कोई राहत महसूस होने वाली नहीं है। आपको यह नहीं पता कि हकीकत में क्या हो रहा है। आपके उद्देश्य की पूर्ति न किसान से होती है और न किसी व्यक्ति को कोई फायदा होने जा रहा है। वोट की

[श्री सूर्य नारायण यादव]

राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। हम अनुदान पर खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं तो यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में अच्छा नहीं लगता है ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को 3 रुपए 6 रुपये और 12 रुपए मूल्य के चैक दिए गए थे और उन्हें लेने के लिए 2 रुपए की टिकट लगानी पड़ी थी।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : मैंने देखा है कि सभी सड़कों की स्थिति जर्जर है। सारी फसल जो कटने वाली थी, उसका नुकसान हुआ। घर के जान-माल का नुकसान हुआ। इसके लिए अच्छे ढंग से सर्वेक्षण कराएं। इस काम के लिए किसी भी राज्य सरकार की इतनी ताकत नहीं हुआ करती कि इस विपदा में उसको कंट्रोल कर पाएं। भारत सरकार अनुदान देकर राज्य के मुख्यमन्त्री के गले में बांध-कर उसको दोषी करना चाहते हो। कांग्रेस की सरकार में बिहार के श्री बिन्देश्वरी दुबे, मुख्य मन्त्री थे।

वहां जब बाढ़ आती थी तो हेलीकाप्टर से खाने की सामग्री पहुंचाई जाती थी और हेलीकाप्टर जितना खाने का सामान ले जाता था उससे कई गुण मूल्य का पैट्रोल उसमें खर्च हो जाता था। यह रुपए का दुरुपयोग करना है।

बिहार, आन्ध्रा और कर्नाटक में प्रत्येक वर्ष समुद्री तूफान आने वाला होता है तो वहां जिला कमिश्नरी पर पूर्ण व्यवस्था करके रखें ताकि मुकाबला किया जा सके। सारी चीजों का दुरुपयोग करके मानवता के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। मेरा सुझाव है कि जहां पर समुद्री तूफान आने की घटना हो तो वहां पहले से व्यवस्था करें। इसके लिए राज्य सरकार को सतर्क करके रखें और अनुदान की राशि को बढ़ाएं। उसको आप पूरी व्यवस्था करके नहीं दे पाते हैं तो इस पैसे का दुरुपयोग न करें या अनुदान देना बन्द करके सीधी व्यवस्था करो। पूरे देश में चाहे नेपाल की तराई वाला इलाका हो, चाहे आन्ध्र प्रदेश या गंगा का उफान वाला क्षेत्र हो, वहां इस तरह की व्यवस्था करें ताकि हम लोगों की जनता मालिक है जिन्होंने हमको यहां भेजा है, चाहे आप सरकार में हों तो उसकी सुरक्षा ठीक ढंग से करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ मजहति (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय जैसे कि माननीय संसद सदस्यों ने बताया है, पिछले नवम्बर मास में तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा पांडिचेरी के राज्य तूफान के प्रकोप से प्रभावित हो गये थे तथा जान और माल तथा पशुधन की बहुत हानि हुई थी।

सर्वप्रथम इस अवसर पर मैं पीड़ित लोगों के प्रति अपना गहरा शोक व्यक्त करता हूं और केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार से अधिक से अधिक सहायता देने की अपील करता हूं। मैं तत्काल सहायता पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि इसी से पीड़ित लोगों का कल्याण हो सकता है।

माननीय प्रधानमन्त्री जी, केन्द्रीय कृषि मन्त्री व अन्य मन्त्रियों द्वारा किए गए सामयिक दौर सराहनीय हैं। इसके साथ-साथ त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई की भी जरूरत है। इस सम्मानित सदन में मैं इसी त्वरित सहायता पर जोर देना चाहता हूं।

आज से 13 महीने पहले नवम्बर 1990 में उड़ीसा राज्य में गंजम जिले में, जहां का मैं रहने वाला हूं, भीषण बाढ़ आई थी। पर, बड़े खेद की बात है कि गंजम जिले के लाखों निराश्रित लोग आज भी कष्ट झेल रहे हैं। हर बार मैंने यह मामला उठाया है; 9वीं लोक सभा के दौरान भी उठाया था। क्षति इतनी अधिक थी कि इससे निपटना राज्य सरकार के बूते के बाहर था। तत्कालीन माननीय प्रधान मन्त्री श्री चन्द्र शेखर जी से पहले 7-12-1990 को राजीव गांधी जी ने भी बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों का एक दिन का हवाई सर्वेक्षण किया था। दिनांक 9 दिसम्बर 1990 को तत्कालीन प्रधानमन्त्री जी ने आस्का की जन सभा में 50 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अनुदान घोषित किया था। बाद में उनकी सरकार ने मुझे बताया था कि उड़ीसा को यह राशि वितरित कर दी गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि उड़ीसा सरकार ने यह कहा था कि उन्हें यह राशि नहीं मिली है। इस रहस्य का तत्काल पर्दाफाश होना चाहिए जिससे गंजम जिले के लाखों प्रभावित निवासियों को राहत मिल सके।

इस वर्ष मई में फिर उड़ीसा राज्य में भारी वर्षा हुई थी जिसके तुरन्त बाद बाढ़ आई थी जिससे 8 प्रमुख जिले बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। इसके कारण बाढ़-प्रभावित उड़ीसा राज्य की समस्यायें और गम्भीर हो गई।

अन्त में मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी राज्यों के लिए आकस्मिक निधियों की उदारतापूर्वक व्यवस्था करें जिससे कि प्रभावित राज्य आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बाढ़ और समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा चल रही है और यह बात सही है कि हमारे देश में यह अभिशाप के रूप में पनपा हुआ है और वरदान के रूप में नहीं बदल रहा है। चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए कुछेक बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बाढ़, तूफान आया है और कहीं-2 तो दो-दो और तीन-तीन किलो का ओला भी पड़ा है, यह कब तक चलता रहेगा? इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने बतलाया कि बाढ़ और तूफान से किसान बरबाद हो गया है और खासकर मजदूर वर्ग तो बुरी तरह तबाह हो जाता है, उसकी सारी सम्पत्ति लुट जाती है। उनके घर तक गिर जाते हैं लेकिन मदद के रूप में उनको क्या मिलता है? केवल सौ-पचास रुपये से काम चलने वाला नहीं है। आपने ठीक कहा कि आपके पास धन की कमी है तो वैसे रूप में मैं आपसे सुझाव के तौर पर कहना चाहूंगा कि उड़ीसा में पीछे बाढ़ और तूफान आया है, उसके लिए प्रधानमन्त्री जी ने 20 करोड़ रुपया देने का आश्वासन दिया था लेकिन राज्य सरकार की रिपोर्ट आयी है कि वह पैसा अभी तक उन लोगों को नहीं मिला है। मेरी यही प्रार्थना है कि बाढ़ और तूफान की जो विपदा है राज्य सरकार से सम्भलने वाली नहीं है और न वह सम्भाल सकती है, यह बराबर देखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चाहे वह आंध्र की सरकार हो या उड़ीसा की सरकार हो, मैं यह बात जरूर कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार सभी राहत कार्य अपने हाथ में ले और उसके लिए स्थायी रूप से एक अथॉरिटी बना दे जो केन्द्रीय सरकार की देख-रेख में हो यदि ऐसा नहीं हुआ तो पानी की तरह रुपया न बहायें क्योंकि हमारे देश में धन की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आप कृपया इधर आइये, नहीं तो कोई आब्जेक्शन होगा।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : सभा में अनेक भारी मन्त्री उपस्थित हैं। (व्यवधान)

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : मन्त्री संसद-सदस्यों विशेषकर विपक्षी दलों सदस्यों से घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : नहीं श्रीमान, मैं बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं कह रहा था कि मेरा क्षेत्र जहानाबाद बिहार में है। वहां पर बाढ़ के प्रकोप से हजारों एकड़ भूमि जो प्रथम श्रेणी की है, वह खेती के लायक नहीं है। वह मरुभूमि के रूप में बदल गई है।

आज उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं वहां के सिंचाई मन्त्री और रिलीफ मन्त्री दोनों को वहां ले गया लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकला और जो किसान हैं एक एकड़ से चार एकड़ जोतने वाले हैं। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं कि उन गांवों में जहां जमीन मरुभूमि बन गई है, जैसे हमारे क्षेत्र में है, जहां पूरी की पूरी जमीन मरुभूमि बन गई है—गिदरपुर, मुरगिया चैक, मीरा-बिघा, दौलतपुर अरहिट तथा माधोपुर है, यह सब जोतने की जमीन नहीं है। इसके लिए सर्वे कराया जाए और उस जगह को फिर से पैदावार बनाया जाए ताकि वह खेती के लायक हो सके। यह केन्द्रीय सरकार की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर केन्द्र ने राज्य सरकार को धन देना है तो उतना दे जिसने से सब काम हो सकें और जो धन मिलता है उससे कोई काम नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे दो सुझाव हैं। एक तो सैम्पल सर्वे कराया जाए कि कितनी जमीन मरुभूमि हो गई है। हमारे यहां तीन जगह खेत में ही गेहूं रह गया मकदूमपुर विधान सभा क्षेत्र, कुरथा और करपी। वहां के किसान की क्या हालत होगी? समूचे मकान वहां ध्वस्त हो गए हैं। इस तरह के जो प्रकोप हैं उनको आप नहीं रोक सकते हैं तो बाढ़ और समुद्री तूफान से रक्षा तो कर सकते हैं। इसलिए सरकार फैसला करके एक अथॉरिटी बनाए और दूसरा सैम्पल सर्वे कराए।

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बंगाल की खाड़ी से अभी हाल ही में आए तूफान का विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक पर असर पड़ा है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों नेलोर, कड्डपा, प्रकाशम, गुन्टूर, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी पर तूफान का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। ये जिले तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लगभग 210 व्यक्ति तूफान और बाढ़ों की वजह से मारे गए। 8000 से अधिक मवेशी और 45000 पक्षी मारे गए। लगभग 9000 से अधिक झोपड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। सभी जिलों में पांच लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा आंध्र प्रदेश के चावल पैदा करने वाले क्षेत्र गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी को विशेष तौर पर नुकसान पहुंचा उनकी 40 से 50 प्रतिशत खड़ी धान की फसल नष्ट हो गई और कृषक-समुदाय को धान, मिर्च, गन्ना और कुछेक मुर्गीपालन एवं मछलीपालन और अन्य फसलों से लगभग 600 करोड़ रुपए का कुल नुकसान हुआ। इस प्रकार, लगभग 1182 पंचायती सड़कें और 333 आर० एवं बी० सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गईं और 312 पंचायतों में सड़क तालाब बिल्कुल नष्ट हो गये तथा 508 सिंचाई तालाब पूर्णतया समाप्त हो गए और 24599 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गये और 72603 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। अभी तक अनेक लोगों ने धन की कमी के कारण राहत कार्यों की अपर्याप्तता के बारे में बताया है और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के बुनकरों में

से 911 की भुखमरी के कारण मृत्यु हो गई। प्रकासम और गटूंर जिलों के बुनकर पूरी तरह इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही राहत अपर्याप्त है।

मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। प्रधानमन्त्री आंध्र प्रदेश से हैं और अभी हाल ही में नांदयाल सीट से विजयी हुए हैं। वे दो दिन के राजनैतिक दौरे पर आंध्र प्रदेश आए थे, परन्तु दुर्भाग्य से वे तटिय जिलों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सके। इसी कारण मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान तूफान से कृषक समुदाय को भारी क्षति पहुंची है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृषकों के कृषि ऋणों का समय पुनः निर्धारित करे और प्रभावित जिलों में लम्बी अवधि के ऋण प्रदान करे। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि माफ कर दी है। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह नबार्ड को भी तदनुरूप हिदायतें जारी करे।

जैसाकि मेरे मित्र ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम ने क्षतिग्रस्त फसल का केवल 22 प्रतिशत लेना स्वीकार किया है। परन्तु तटीय क्षेत्रों में भारी हानि हुई हैं। इसी कारण मैं अनुरोध करता हूं कि क्षतिग्रस्त फसलों की खरीद का प्रतिशत बढ़ाये और राज्य सरकार को प्रभावित जिलों में अन्य फसलों की खरीद का काम सौंपे।

मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जोकि आंध्र प्रदेश से हैं, से अनुरोध करूंगा कि इस बवतर स्थिति का जायजा लें। केवल पिछले वर्ष ही कम से कम बाढ़ के प्रकोप से 1400 करोड़ रुपए की हानि हुई है। इस प्रकार आंध्र प्रदेश हर वर्ष तूफान की तबाही से हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। जिन्होंने अपने नाम दिए वे हैं :—

श्री वी० धंनजय कुमार, श्री सुधीर राय, श्री गंगावार, और श्री भोगेन्द्र झा।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : हमने भी अपने नाम दिए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : हमें रुचि प्राप्त हो गई है। सूची के अनुसार सभी सदस्यों को बुलाया जाएगा। बहस भी जारी रहेगी। सभा अब स्थगित की जाती है।

7.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा वीरवार, 5 दिसम्बर, 1991/14 अग्रहायण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : सनलाइट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

पी.एल.एस. 48/6/10/91 (एस.)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा